

प्रमुख वैदिक यज्ञों के विधिविधान में  
याज्ञवल्क्य के योगदान का  
समालोचनात्मक अध्ययन  
'अग्निगर्भा'

लेखक :

डॉ० आशाराम त्रिपाठी

प्रकाशक

आशुतोष

बी-५१०२, ओ० सी० आर० कॉम्प्लेक्स,

विधानसभा मार्ग,

लखनऊ-२२६००१

प्रकाशक

आशुतोष,

श्री-११०२ ओ. सी. आर., काङ्ग्लेक्स,

विधान सभा मार्ग,

लखनऊ-२२६००१

लेखक :

डॉ० आणाराम त्रिपाठी

प्रथम संस्करण : १९८८

मूल्य : १२५ रु० मात्र

कापीराइट :

सर्वाधिकार लेखकाधीन

मुद्रक :

गुप्ता आर्टो प्रिन्टर्स

६७, शिवाजी मार्ग

लखनऊ

## समर्पण

जिनका सम्पूर्ण जीवन ही धर्म था,  
जिनका जीवन सदा परोपकार में ही बीता,  
जिनका सम्पूर्ण जीवन सत्य के लिए ही समर्पित था,  
जिनका आशीर्वाद हमारा पाथेय बना,  
उन्हीं प्रातः स्मरणीय, यशःकाय  
परम पूज्य पिताजी  
स्व० पं० विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी  
एवं  
प्रेम, स्नेह तथा करुणा की प्रतिमूर्ति माँ  
श्रीमती कविबलासी देवी  
को

आशाराम त्रिपाठी

## आशीर्वचन

एक मिथ्या अवधारणा लोगों के मन में घर कर गयी है कि कर्मकाण्ड निरर्थक होता है और यज्ञसंस्था कर्मकाण्डप्रधान होने के कारण ही नष्ट हो गयी। दोनों बातें ग़लत हैं, कर्मकाण्ड वस्तुतः विश्व को और विश्व के अंगोपांग को समझने का और प्रत्येक जीव के भीतर के विश्व के अंगोपांग को समझने, उनके बीच के अन्तःसम्बन्ध को समझने का एक चौखटा है [फ्रेम है]। यज्ञ का प्रत्येक अनुष्ठान सृष्टि की क्रिया है, प्रत्येक अनुष्ठान समष्टि की क्रिया है, पूरे समाज की ओर से पूरे समाज के लिए आत्मसमर्पण का ही व्यापार है। पाव, येदी, देवता प्रक्रिया सब मंत्र से प्राणवत्ता पाते हैं।

डॉ० आशाराम त्रिपाठी ने इसी दृष्टि को सामने रखते हुए प्राचीन वैदिक यज्ञ-संस्था की भीमांसा प्रस्तुत की है और इस भीमांसा में नये-नये उन्मेष प्रस्तुत किये हैं। वस्तुतः व्यास की तरह याज्ञवल्क्य सत्य के साक्षात्कार की एक यज्ञ परम्परा है जैसा कि उन्होंने प्रतिपादित किया है। यज्ञसंस्था मरी नहीं, यह उपासना में अन्तर्युक्त हो गयी। यज्ञवेदी ही मन्दिर का आकार कर गयी और यज्ञ-व्यापार ही षोडशोपचार पूजन में रूपान्तरित हुए, पर भाव वही रहा, विश्व-दृष्टि वही रही। सबको देखना, सब होकर देखना, सबको सबकी ओर से आहुत करना जिससे सम्पूर्ण सत्य का साक्षात्कार हो, यज्ञ प्रयोजन कभी भारतीय कर्मकाण्ड से तिरौहित नहीं हुआ।

भारतीय अनुष्ठान के सौन्दर्य को परखने के लिए यज्ञसंस्था का अंगोपांग विवेचन बहुत आवश्यक है।

श्री त्रिपाठी ने यह काम बड़े मनोयोग से किया है। इन्हें आशीर्वाद देता हूँ, अपमारम्भः शुभाय।

डॉ० विद्यानिवास मिश्र,  
कुलपति, काशी विद्यापीठ,  
वाराणसी



## पुरोवाक

वैदिक वाङ्मय की पृष्ठभूमि के विकास में वैदिक यज्ञों का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। पुरुषसूक्त में यज्ञ से ही सब वेदों की उत्पत्ति का सकेत मिलता है—

‘तस्माद्यज्ञात्सर्वहृतः ऋचः सामानि जज्ञिरे।

अन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥’ (शु० य० सू० ३१।७)

ब्राह्मणकाल में याज्ञिक-विधियों की जटिलताओं की वृद्धि के फलस्वरूप अनेक सम्प्रदाय चल पड़े। इन विधियों का प्रतिपादन भीमांसासूत्रों में सविस्तर प्राप्त होता है। यज्ञों के सम्पादन की सुविधा के लिए ही कल्पसूत्रों (श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र तथा धर्मसूत्र) की रचना हुई। श्रौतसूत्रों में वैदिकयज्ञों का विस्तार पूर्वक वर्णन तथा गृह्यसूत्रों में स्मार्त अथवा गृह्य यज्ञों का प्रतिपादन किया गया है। ब्राह्मणकाल में यज्ञ ही सब कुछ था। यजनभूमि से उठे हुए धूम्र से मातावरण सुगन्धित रहा करता था। यज्ञ-सम्पादनकाल के अवकाश में भी याज्ञिक आचार्य परस्पर प्रश्नोत्तर से अनेक शकाओं का समाधान किया करते थे। शनैः शनैः यज्ञ-विधि-विधान में एक आचार्य के मत अन्य आचार्यों के मतों से मिला होने लगे जिसके परिणामस्वरूप अनेक सम्प्रदायों का आविर्भाव हुआ।

यह विश्वास किया जाता है कि वैदिक यज्ञविधान के दो उद्देश्य होने हैं— प्रथम व्यक्ति को स्वयं प्राप्ति तथा द्वितीय समाज की उन्नति। यह केवल यज्ञमान एवं ऋत्विजों के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रवर्द्धन और सुधार में सहायकमात्र ही नहीं, अपितु सामाजिक अखण्डता एवं उन्नति के एक सशक्त साधन के रूप में सिद्ध होता है। वैदिक आर्यों के इतिहास में एक समय था जब यज्ञ सम्पूर्ण सम्प्रदाय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का एकमात्र केन्द्र हो गया था। वस्तुतः वैदिक वाङ्मय के क्रिया-कलाप का प्रायः प्रत्येक क्षेत्र इससे अत्यधिक प्रभावित था। वैदिक यज्ञ-विज्ञान वैदिक साहित्य में एक प्रधान भाग का प्रमुख लक्ष्य बन गया था। यद्यपि धार्मिक ग्रन्थों के अनुसार कुछ विशेष सामाजिक स्तर से सम्बन्धित व्यक्ति ही यज्ञ के अधिकारी थे किन्तु यज्ञ के यथार्थ सम्पादन में समाज के सभी स्तर के व्यक्ति इससे किसी न किसी रूप में सम्बद्ध थे। फलतः वैदिक सम्प्रदाय का प्रत्येक उत्तरदायी निर्माता किसी यज्ञ की पूर्ति में व्यभिचारात्

रखि लेना था। यज्ञ की यह पूर्ति सामाजिक अखण्डता के उभयपक्ष में बहुत ही सहायक सिद्ध हुई। अतः वैदिक यज्ञ का महत्त्व प्राचीन भाग्य के सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया के रूप में था, यह अत्युक्ति नहीं।

हम ऐसा समझते हैं कि वैदिक-यज्ञ के विधि विधान ने ही औपनिषदिक दर्शन के विकासार्थ आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार की। अतः वैदिक वाङ्मय, वैदिक धर्म-दर्शन, एवं संस्कृति को ठीक-ठीक समझने के लिए और इनका मूलपांक्तन करने के लिए वैदिक यज्ञ-संस्था का अध्ययन अपरिहार्य है। वैदिक-विधि-विधान का अध्ययन प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के दृष्टि-कोण से ही आवश्यक नहीं अपितु इसका अध्ययन व्यापक मानव शास्त्र के दृष्टि-कोण से भी आवश्यक है क्योंकि वैदिक यज्ञ के अन्तर्गत निहित सिद्धान्त मानव-विचार के विकास में एक विशेष अवस्था का घातक है।

हमारी भारतीय सांस्कृतिक परम्परा यज्ञमयी और अग्निगर्भा है। अग्नि का विशेष महत्त्व ही और हो भी क्यों न, बाह्य और अन्तर्जगत में अग्निदेव ही ती हैं जो विविध रूपों में विश्वकल्याण करते आ रहे हैं। कोई भी कार्य बिना अग्नि के सम्पन्न हो ही नहीं सकता क्योंकि किसी न किसी रूप में अग्निदेव अवश्य वर्तमान होंगे भले ही हम उनका प्रत्यक्ष दर्शन न कर पाएं। मानवकल्याण के लिए किए जाने वाले यज्ञ भी बिना अग्नि के सम्पन्न हो ही नहीं सकते।

गुरुवर्य प्रो० क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय और प्रो० सरस्वती प्रसाद चतुर्वेदी की अगाध वैदिक ज्ञानराशि से मैं बहुत लाभान्वित हुआ। दोनों गुरुओं ने मुझे नयी दृष्टि दी इस अग्निगर्भा संस्कृति को समझने के लिए, वैदिक यज्ञपरम्परा को समझने के लिए।

उन्होंने गुरुओं के ज्ञान की एक किरण मात्र है— 'अग्निगर्भा' जो आपके सामने है।

आशाराम त्रिपाठी

# विषयानुक्रमणिका

प्रथम अध्याय

(वाजसनेय याज्ञवल्क्य : व्यक्तित्व एवं कृतित्व)

(पृष्ठ १-२३)

वाजसनेय याज्ञवल्क्य का परिचय (पृष्ठ १), याज्ञवल्क्य का वंश तथा उनका परिवार (पृष्ठ ३), याज्ञवल्क्य से सम्बद्ध अन्य व्यक्ति (पृष्ठ ५), याज्ञवल्क्य की शिक्षा-दीक्षा (पृष्ठ ५) याज्ञवल्क्य नामधारी अनेक व्यक्ति तथा उनके अनेक ग्रन्थ (पृष्ठ ६), याज्ञवल्क्य के नाम से प्रसिद्ध कृतियों का संक्षिप्त विवरण (पृष्ठ १२), याज्ञवल्क्य के नाम से प्रसिद्ध अन्य ग्रन्थ (पृष्ठ २०), याज्ञवल्क्य का समय (पृष्ठ २१), याज्ञवल्क्य के जीवन का अन्तिम भाग (पृष्ठ २३)।

द्वितीय अध्याय

(वैदिक यज्ञों का सामान्य परिचय-पात्र, द्रव्य, यज्ञसम्पादक पुरुषों के साथ)

(पृष्ठ २४-८५)

यज्ञ शब्द की व्युत्पत्ति और उसका अर्थ (पृष्ठ २४), यज्ञ शब्द के पर्याय तथा उनके अभीष्ट अर्थ (पृष्ठ २५), याग और होम में अन्तर (पृष्ठ २५), यज्ञ-द्रव्य की परिभाषा (पृष्ठ २५), यज्ञ द्रव्यों का विभाजन (पृष्ठ २६), आहुति द्रव्य, होम द्रव्य (पृष्ठ २६), याग द्रव्य (पृष्ठ २७), अर्हेणीय द्रव्य (पृष्ठ ३७), दक्षिणा द्रव्य (पृष्ठ ३८), यज्ञ में प्रयुक्त नारों एवं उपकरणों का सामान्य परिचय (पृष्ठ ३८), हवियंशों में प्रयुक्त पात्र एवं उपकरण (पृष्ठ ३८), सोमयज्ञ में प्रयुक्त होने वाले पात्र एवं उपकरण (पृष्ठ ४६), यज्ञसम्पादक पुरुष (पृष्ठ ५०), यज्ञों का स्वरूप निरूपण (पृष्ठ ५१), यज्ञों की संख्या के विषय में प्रथम मत (पृष्ठ ५१) द्वितीय मत (पृष्ठ ५१), तृतीय मत (पृष्ठ ५१), चतुर्थ मत के अनुसार यज्ञ की इकट्ठीस संख्याएं (पृष्ठ ५२), सप्तपात्र यज्ञ-संस्था (पृष्ठ ५२), सप्तहवियंश संस्था (पृष्ठ ५५), सप्तसोम-संस्था तथा अन्य सोमयाग (पृष्ठ ६६), यज्ञों का अनुष्ठान-क्रम (पृष्ठ ८५)।

## तृतीय अध्याय

### (याज्ञवल्क्य के मतभेद के स्थल)

(पृष्ठ ८६-१०६)

(१) द्रव्य विषयक मतभेद (पृष्ठ ८६), (१) क-१-उद्भिजो से प्राप्त होम द्रव्य विषयक मतभेद (पृष्ठ ८६), (१) क-२-जरायुर्जो से प्राप्त होमद्रव्य विषयक मतभेद (पृष्ठ ८६), (१) ख-उद्भिजो से प्राप्त यम-द्रव्य विषयक मतभेद (पृष्ठ ८७), (१) ग-उद्भिजो तथा जरायुर्जो में पशुर्जो की जीविता-वस्था से प्राप्त होने वाले द्रव्यों में मतभेद (पृष्ठ ८०), घ-दक्षिणा द्रव्य विषयक मतभेद (पृष्ठ ८२), (२) देवता विषयक मतभेद (पृष्ठ ८४), (२) क-अन्तरिक्षीय देवता विषयक मतभेद (पृष्ठ १४), (२) ख-भावात्मक देवता विषयक मतभेद (पृष्ठ ८४), (२) ग-भावात्मक देव तथा देवगण विषयक मतभेद (पृष्ठ ८५), (२) घ-देवता सामान्य विषयक मतभेद (पृष्ठ ८५), (३) मन्त्र विषयक मतभेद (पृष्ठ ८६), (३) क-शुक्लयजुर्वेद संहिता में प्राप्त होने वाले मन्त्रों के विषय में मतभेद (पृष्ठ ८६), (३) क-१-मन्त्र पाठभेद विषयक मतभेद (पृष्ठ ८६), (३) क-२ मन्त्रचयन विषयक मतभेद (पृष्ठ ८६), (३) क-३ मन्त्रों के आधिक्य के विषय में मतभेद (पृष्ठ १०५), (३) क-४ स्थानान्तरण विषयक मतभेद (पृष्ठ १०८), (३) क-५ विशिष्ट कर्म में विशिष्ट मन्त्र की आवश्यकता विषयक मतभेद (पृष्ठ १०६), (३) ख-शुक्लयजुर्वेद संहिता में अप्राप्य मन्त्र विषयक मतभेद (पृष्ठ ११०), (३) ख-१ पाठभेद विषयक मतभेद (पृष्ठ ११०), (३) ख-२ मन्त्र-चयन विषयक मतभेद (पृष्ठ १११), (३) ख-३ पाठाधिक्य विषयक मतभेद (पृष्ठ ११६), (३) ख-४ स्थानान्तरण विषयक मतभेद (पृष्ठ ११७), (३) ख-५ विशिष्ट कर्म में मन्त्र की आवश्यकता विषयक मतभेद (पृष्ठ ११८), (४) विधिविषयक मतभेद (पृष्ठ ११९), (४) क-समय विषयक मतभेद (पृष्ठ ११९), (४) क-१ हविर्यज समय विषयक मतभेद (पृष्ठ ११६), (४) क-२ सोमयागीय समय विषयक मतभेद (पृष्ठ १२५), (४) ख-स्थान विषयक मतभेद (पृष्ठ १३३), (४) ग-दिशा विषयक मतभेद (पृष्ठ १४०), (४) घ-परिमाण एव आकार विषयक मतभेद (पृष्ठ १४६), (४) ङ-संख्या विषयक मतभेद (पृष्ठ १५४), (४) च-पात्र विषयक मतभेद (पृष्ठ १६०), (४) छ-यज्ञ सम्पादक पुरुष विषयक मतभेद (पृष्ठ १६२), (४) ज-नियम विषयक मतभेद (पृष्ठ १६३), (४) झ-अक्षानानशन विषयक मतभेद (पृष्ठ १६५), (४) ञ-गमतागमन विषयक मतभेद (पृष्ठ १६८), (४) ट-होम विषयक मतभेद (पृष्ठ १६६), (४) ठ-उपधान विषयक मतभेद (पृष्ठ १७१) (४) ड-क्रम विषयक मतभेद पृष्ठ १७१

(द्व) उपस्थान विषयक मतभेद (पृष्ठ १७३), (४) त-प्रायश्चित्त-विधान विषयक मतभेद (पृष्ठ १७४), (५) थ-विविध मतभेद (पृष्ठ १७८)।

### चतुर्थ अध्याय

#### (याज्ञवल्क्य की वैज्ञानिक दृष्टि)

(पृष्ठ १६०-२१०)

(१) यज्ञ की सर्वांगीण सम्पद्धि पर चल (पृष्ठ १६०), (२) अनौचित्य का ध्यान (पृष्ठ १६३), (३) अनौचित्य का ध्यान (पृष्ठ १६८), (४) बुद्धि का अवलम्बन (पृष्ठ २००), (५) व्यावहारिकता (पृष्ठ २०२), (६) यज्ञ-त्रिधि में सांकेय (पृष्ठ २०६), (७) सर्वमंगल की दृष्टि (पृष्ठ २०८)

### पंचम अध्याय

#### (याज्ञवल्क्यः व्यक्तित्व की समयता)

(पृष्ठ २११-२२८)

(१) याज्ञवल्क्यः सकल याज्ञिक (पृष्ठ २११), (२) याज्ञवल्क्यः यज्ञ के विराट् रूप के द्रष्टा (पृष्ठ २१६), (३) याज्ञवल्क्यः ब्रह्मवेत्ता (पृष्ठ २१८), (४) याज्ञवल्क्यः समाजवेत्ता (पृष्ठ २२२), (५) याज्ञवल्क्यः अद्वितीय जिज्ञासु (पृष्ठ २२३),

## वाजसनेय याज्ञवल्क्य

(व्यक्तित्व एवं कृतित्व)

महर्षि याज्ञवल्क्य के विषय में शतपथब्राह्मण एवं शाङ्खायन आरण्यक आदि ग्रन्थों में कुछ आख्यानों के साथ संवाद मिलते हैं। उनके मतों के साथ-साथ प्रायः उनका नामोल्लेख हुआ है। पुराणों में उनसे सम्बन्धित अनेक कथाएँ हैं। उनके विषय में जो जानकारी प्राप्त है उसका उपयोग प्रस्तुत अध्याय में किया जा रहा है। अध्ययन के पश्चात् यह ज्ञात होता है कि याज्ञवल्क्य एक गोत्र का भी नाम है। विश्वामित्र तथा वसिष्ठ दोनों वंशों में यह नाम मिलता है। उनका विश्वामित्र गोत्रिय होना मत्स्यपुराण, (१६७।४), वायुपुराण (६१।६८) तथा ब्रह्माण्ड पुराण (६७।७०) से सिद्ध है। मत्स्यपुराण (१६६।६) में वसिष्ठ-गोत्रिय होना सिद्ध होता है। इस प्रकार याज्ञवल्क्यगोत्र में उत्पन्न कोई भी व्यक्ति याज्ञवल्क्य कहा जा सकता है। जहाँ हमारे सामने कई याज्ञवल्क्य आते हैं वहाँ उनके साथ-साथ जनक का भी उल्लेख मिलता है। सम्भवतः जनक भी वंश अथवा मिथिला के राजाओं की उपाधि थी। अब हमें याज्ञवल्क्य और जनक के सम्बन्ध में विचार करना है साथ ही साथ यह भी देखना है कि शुक्लयजुर्वेद संहिता, शतपथब्राह्मण, याज्ञवल्क्यस्मृति, याज्ञवल्क्यशिक्षा, योगियाज्ञवल्क्यम् (जो योगियाज्ञवल्क्यम् और योगियाज्ञवल्क्य गीता नाम से भी प्रसिद्ध है) भी क्या एक ही याज्ञवल्क्य के ग्रन्थ हैं या विभिन्न याज्ञवल्क्य द्वारा प्रतिपादित हैं ?

सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य के विषय में परम्परा द्वारा जो प्रकाश पड़ता है उसका संक्षिप्त विवरण देकर अभीष्ट याज्ञवल्क्य के विषय में निर्देश किया जाना उचित होगा। उनके सम्बन्ध में जो कुछ सामग्री मिलती है, उसमें विशेष अन्तर नहीं है। उनके पिता के नाम में अन्तर अवश्य पड़ता है किन्तु उनकी धर्मपत्नियों के विषय में नहीं।

## याज्ञवल्क्य का जन्मस्थान

भारतवर्ष के पश्चिमी भाग में सौराष्ट्र नाम का एक विस्तीर्ण प्रान्त था। उसका एक भाग आनर्त नाम से विख्यात था जिसकी राजधानी थी चमत्कारपुर। चमत्कारपुर, वृद्धनगर, आनन्दपुर, आनर्तपुर और वर्द्धमानपुर आदि नामों से प्रसिद्ध है। इसी के समीप याज्ञवल्क्य का आश्रम रहा होगा। इसकी पुष्टि स्कन्द-पुराण (६।१२६।१,२) से भी होती है—

‘तथाऽन्योऽपि च तत्रास्ति याज्ञवल्क्यसमुद्भवः ।  
आश्रमो लोकविख्यातो मूर्खाणामपि सिद्धिदः ॥१॥  
यत्र तपसा तपस्तीर्त्रं याज्ञवल्क्येन धीमता ।  
संप्राप्ता निखिला वेदा गुरुणाऽपहृतारच मे ॥२॥

अनेक विद्वान् याज्ञवल्क्य का जन्मस्थान मिथिला मानते हैं। श्रीधर शर्मा शास्त्री ‘वारे’ का विचार है कि याज्ञवल्क्य जब जनक के गुरु (देशिक) बने तब वे मिथिला गये। याज्ञवल्क्य के मिथिला में जाने का प्रमाण स्कन्दपुराण में भी मिलता है। याज्ञवल्क्य जब अपने गुरु शाकल्य द्वारा वेदरहित बना दिये गये तब उन्होंने सूर्य की उपासना की और उन्हें प्रसन्न कर उनसे चारों वेदों का अध्ययन किया। इससे आकृष्ट होकर जनक ने याज्ञवल्क्य को अपने यहाँ बुलाया। (स्क०पु०ना०खं० ६।१२६।१३७) ओल्डेनवर्ग तथा अन्य विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि याज्ञवल्क्य विदेह के रहने वाले थे किन्तु जनक द्वारा इन्हें संरक्षण प्राप्त करने की कथा के अतिरिक्त उद्दालक और कुरुपचाल के साथ भी इनका सम्बन्ध पाया जाना इस तथ्य को सदिग्ध बना देता है। एग्लिंग महोदय भी याज्ञवल्क्य को विदेहवासी होने में सन्देह करते हैं—

‘In XI, 6,2, 1 Janaka is represented as meeting, apparently for the first time, with Svetaketu Aruneya, Somasushma Satyayagni and Yagnavalkya, while they were travelling. Probably we are to understand by this that these divines had then come from the west to visit the Videha Country.’

शतपथब्राह्मण में पितृमेघ के प्रकरण में समाधि निर्माण के प्रसंग में जहाँ वस्त्र रखकर उस पर मृतक की अस्थियाँ रखी जाने, अन्तर न किये जाने के विषय में भीमांसा की गयी है वहाँ पर याज्ञवल्क्य ने देवों और असुरों का उदाहरण देकर बताया है कि जो देवी प्रजा है वह वस्त्र से अन्तर नहीं करती अर्थात् वस्त्र से

रहित समाधि की रचना करती है किन्तु ओ असुर स्वभाव के प्राच्य एवं अन्य जन हैं वे अन्तर रखकर चमू और वस्त्रादि को नीचे रखते हैं तथा उस पर अस्थि रखकर समाधि की रचना करते हैं। (शत० ब्रा० १३।८।२।१) इसके अनुसार वे मिथिला से सम्बन्धित नहीं प्रतीत होते हैं। यह भी नहीं है कि शतपथब्राह्मण में 'असुर' शब्द अच्छे अर्थ में प्रयुक्त हो जैसा कि ऋग्वेद में इन्द्र, वरुण आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर इसका वही अर्थ है जिससे आज जनसाधारण श्री भली भाँति परिचित है। यदि वे मिथिला के निवासी होते तो प्राच्यों को 'असुर' शब्द से कदाचित् ही सम्बोधित करते।

### जन्म-काल

श्रीधर शर्मा शास्त्री 'वारे' के मतानुसार याज्ञवल्क्य की जन्म-तिथि आचरण शुक्ल चतुर्दशीविद्धपूर्णिमा है, जिसका उल्लेख उन्होंने माध्यन्दिन शतपथब्राह्मण के उपोद्घात पृ० २६ में किया है—

'अस्य जन्मवासरः केषाञ्चिन्मते ज्येष्ठशुक्लदशमी, केषाञ्चिन्मते कार्तिक-शुक्लनवमी, केषाञ्चिन्मते फाल्गुनशुक्लपंचमी इमाः सर्वास्तिथयो यथार्थप्रमाण-विधुरा इति कृत्वा न सर्वसम्मताः। अस्मन्मते तु आचरणशुक्लचतुर्दशीविद्धपूर्णिमायां मध्याह्ने याज्ञवल्क्याय वेदाः सूर्येण दत्ताः। अतः सा तिथिरेवोत्सवादौ समादर्णायेति।'

### याज्ञवल्क्य का वंश तथा उनका परिवार

#### वंश

याज्ञवल्क्य का नाम वसिष्ठ तथा विश्वामित्र गोत्रों में पढ़ा गया है जिसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है।

### याज्ञवल्क्य के पिता के अनेक नाम

याज्ञवल्क्य के पिता के अनेक नाम मिलते हैं। वायुपुराण (६।१।२१), ब्रह्माण्ड पुराण (पृ० भा० ३।५।२४) तथा विष्णु पुराण (३।५।३) के अनुसार इनके पिता बह्मरात थे। श्रीमद्भागवत (१।२।६।४) में इन्हें 'देवरातसुतः' कहा गया है जिससे प्रतीत होता है कि याज्ञवल्क्य देवरात के पुत्र थे। कुछ विद्वानों का मत है कि शुनःशेष देवरात गाधिपुत्र विश्वामित्र के कृत्रिम पुत्र थे। शुनःशेष की कथा हरिश्चन्द्र के नरमेधयज्ञ में प्रसिद्ध है। (ऐ० ब्रा० ७।१।३) ध्यान देने योग्य बात यह है कि देवरात भी गोत्र का नाम है। (म० पु० १।६।७।४) अतः



केवल एक ही देवरात रहे हों यह भी नहीं कहा जा सकता। कति शुनःशेप के पुत्र थे, शुनःपुत्र कति के पुत्र थे। चारायण या देवरात इन्हीं शुनःपुत्र की सन्तान थे। यही चारायणदेवरात, ब्रह्मरात, यज्ञवल्क्य, वाजसनि आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध थे। काण्वसंहिता के भाष्य के उपक्रम में सायण ने यह लिखा है कि याज्ञवल्क्य का नाम 'वाजसनेय' था। उन्होंने इस नाम का कारण भी दिया है--

'वाज इत्यज्ञस्य नामधेयं, अन्नं वै वाज इति श्रुतेः। वाजस्य सनिर्दानं यस्य महर्षेरस्ति सोऽयं वाजसनिस्तस्य पुत्रो वाजसनेय इति तस्य याज्ञवल्क्यस्य नामधेयम्।'

बृहदारण्यक उपनिषद् के भाष्य में शंकराचार्य ने उनका नाम याज्ञवल्क्य बताया है। कृष्णसुरिकृत वेदनिरूपण में याज्ञवल्क्य को 'यज्ञवल्क्य ब्रह्मरात' का पुत्र निरूपित किया गया है। शतपथब्राह्मण (१४।२।४।३३) में याज्ञवल्क्य को वाजसनेय कहा गया है। महाभारत शान्तिपर्व (३१५।४) के अनुसार देवरात याज्ञवल्क्य के पिता थे। कहीं-कहीं याज्ञवल्क्य को ब्रह्मा का पुत्र भी कहा गया है--

'यज्ञवल्को ब्रह्मा इति पौराणिकाः। तदपत्यं याज्ञवल्क्यः।'

पाणिनीय गण ४।१।१०५

वायुपुराण (६०।४२) के 'ब्रह्मणोऽङ्गात्समुत्पन्नः' उद्धरण से भी यही सिद्ध होता है किन्तु यह अतिशयोक्ति प्रतीत होती है।

### याज्ञवल्क्य की माता

इनकी माता का नाम 'सुनन्दा' था।

### बहन

कंसारी (स्क० पु० ना० ख० ६।१७४।६) अथवा कंसारिका (स्क० पु० ना० ख० ६।१७४।६) याज्ञवल्क्य की बहन थी।

### पत्नियाँ

बृहदारण्यक उपनिषद् (२।४।१) में मैत्रेयीब्राह्मण के अस्तर्गत कात्यायनी और मैत्रेयी दो पत्नियों का नामोल्लेख हुआ है। स्कन्दपुराण (ना० ख० १३।२-३) में भी इनका उल्लेख मिलता है। उक्त पुराण में एक पत्नी का नाम 'मैत्रेयी' तथा दूसरी का नाम 'कल्याणी' बताया गया है। कल्याणी 'कात्यायनी'

नाम से भी प्रसिद्ध थी। कुछ विद्वान् कात्यायनी को ही 'गार्गी' मानते हैं किन्तु यह कथन तथ्यपूर्ण नहीं प्रतीत होता क्योंकि गार्गी वाचकनवी का नाम बृहदारण्यक उपनिषद् (३।६।१, ३।७।१) में याज्ञवल्क्य की एक समकालिक और प्रतिद्वन्दी विदुषी के रूप में आया है, उनको घर्मपत्नी के रूप में नहीं। 'कात्यायनी' को 'गार्गी' कहा जाता या ऐसा उल्लेख भी प्रामाणिक ग्रन्थों में नहीं मिलता।

### याज्ञवल्क्य के पुत्र-पौत्र

कात्यायनी के गर्भ से उत्पन्न 'कात्यायन' (स्क० पु० १३०।७१) नाम का इनका एक पुत्र था जिसे 'पारस्कर' भी कहते थे। 'पिप्पलाद' नाम का भी एक पुत्र था जिसने बाद में अथर्ववेद का प्रचार किया। 'वररुचि' याज्ञवल्क्य के पौत्र थे।

महाभारत शान्ति पर्व (३२३।१७) के अनुमार याज्ञवल्क्य के सौ शिष्य थे।

### याज्ञवल्क्य से सम्बद्ध अन्य व्यक्ति

महाभारत शान्ति पर्व (३१८।१६) के अनुमार व्यास के एक प्रिय शिष्य सुप्रसिद्ध चरकाचार्य वैशम्पायन इन्हीं याज्ञवल्क्य के मामा थे। कुछ विद्वानों के मतानुसार वैशम्पायन याज्ञवल्क्य के नाता थे जिसका स्पष्टीकरण अधोलिखित पंक्तियों से हो जाता है—

'ततः स्मृमातामहान्महाभुनेर्वृद्धाद्वैशम्पायनाद्यमुजुवेदमधीतवान् ।'  
(शत० ब्रा० उपांद्घात पृ० २६)

यह मत भ्रामक प्रतीत होता है क्योंकि अन्य अनेक ग्रन्थों में वैशम्पायन को याज्ञवल्क्य का मामा ही बताया गया है।

### याज्ञवल्क्य की शिक्षा-दीक्षा

याज्ञवल्क्य के पिता ने यथाकाल उपनयन संस्कार कर याज्ञवल्क्य को विद्याध्ययन के लिए वर्धमानपुर में रहने वाले ऋग्वेदीय शाकल्य शाखा के प्रवर्तक विदग्ध शाकल्य गुरु के पास रखा। वहाँ याज्ञवल्क्य ने गुरु से सम्पूर्ण ऋग्वेद का अध्ययन किया। एक बार आनतोरुधर राजा मुप्रिय धातुर्मास्य के लिए वहाँ आये। राजा ने शाकल्य से पीरीहित्य कर्म करने के लिए कहा। शाकल्य प्रतिदिन एक-एक शिष्य को राजा के यहाँ कर्म कराने के लिए भेजते थे। वे शिष्य भी उन शान्तिक-पौष्टिक कर्मों को विधिवत् सम्पन्न कर, दक्षिण ले जाकर गुरु को दे दिया करते थे। गुरु ने याज्ञवल्क्य को राजा के यहाँ जाकर इष्टि कराने का आदेश

दिया। याज्ञवल्क्य राजा को तीर्थाक्षत (मन्त्राक्षत) देने के लिए गये। राजा ने याज्ञवल्क्य से कहा—‘मैंने अभी स्नान नहीं किया है अतः आप मन्त्राक्षत अश्व-शाला के स्तम्भ पर रख दें। (स्क० पु० ना० खं० २७८/४०) राजा के उस कथन से क्रुद्ध होकर याज्ञवल्क्य ने तीर्थाक्षत को उक्त स्तम्भ पर फेंक दिया और दक्षिणा लिये बिना ही गुरु के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। इधर जिस स्तम्भ पर तीर्थाक्षत फेंका गया था वह पत्ते, फूल और फल से युक्त हुरा-भरा वृक्ष बन गया। (स्क० पु० ना० खं० २७८/४३) यह दृश्य देखकर राजा को पश्चात्ताप हुआ। दूसरे दिन ‘कल ही वाले शिष्य को भेजिए’ ऐसा सन्देश राजा ने शाकल्य के पास भेजा। तदनुसार शाकल्य ने याज्ञवल्क्य को पुनः राजा के यहाँ जाने के लिए आदेश दिया किन्तु ‘राजा ने मेरा अपमान किया है, मैं वहाँ न जाऊँगा’ ऐसा कहकर याज्ञवल्क्य ने राजा के यहाँ जाने में असमर्थता व्यक्त की। (स्क० पु० २७८/८३) अन्त में गुरु ने उद्दालक आरुणि को राजा के यहाँ भेजा। (स्क० पु० ना० खं० २७८/६१) कार्य की समाप्ति के अनन्तर राजा ने तीर्थाक्षत को पहले दिन की भाँति दूसरे स्तम्भ पर छोड़ने के लिए उद्दालक से कहा। उद्दालक आरुणि ने वैसा ही किया किन्तु स्तम्भ पूर्ववत् ही रहा। उसमें न तो फूल ही आया और न फल ही। राजा ने शाकल्य के आश्रम में जाकर उनसे प्रथम शिष्य को अपने यहाँ भेजने के लिए प्रार्थना की। गुरु ने पुनः याज्ञवल्क्य को आज्ञा-पालनार्थ कहा। याज्ञवल्क्य ने ऐसी आज्ञा न देने के लिए गुरु से निवेदन किया। ‘तुम मेरी आज्ञा भंग कर रहे हो मुझे ऐसा शिष्य नहीं चाहिए।’ (स्क० पु० ना० खं० २७८/८६) शाकल्य के इस कथन पर याज्ञवल्क्य ने भी कहा—‘गुरु का मैं त्याग कर दूँगा किन्तु अयोध्या आज्ञा का पालन नहीं करूँगा।’ इस पर गुरु शाकल्य ने कहा—‘ऐसा उदृष्ट शिष्य मुझे नहीं चाहिए। तुम मेरे द्वारा पढ़ाये गये वेद को त्याग दो।’ ‘छूरिका मुण्डकन्याय’ से जल अभिमन्त्रित कर याज्ञवल्क्य को वेद त्याग के लिए दिया गया। याज्ञवल्क्य भी ‘वान्ति धर्म’ से विद्या का त्याग कर वहाँ से जल दिये। इस घटना के बाद विद्या से रहित होकर याज्ञवल्क्य ने विष्वामित्र के हृद में स्नान किया और द्वादश आदित्यों धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, बरुण, साम्ब, भग, विवस्वान्, पूषा, सविता, त्वष्टा तथा विष्णु की स्थापना कर सूर्य को प्रसन्न किया तथा उनसे चारों वेदों का अध्ययन किया। (स्क० पु० ना० खं० ६/२७८/६१-६२) ‘वैशम्पायन याज्ञवल्क्य के गुरु थे।’ ऐसा उल्लेख उक्त पुराण में नहीं मिलता किन्तु ब्रह्माण्डपुराण, विष्णुपुराण और श्रीमद्भागवत के अनुसार इस घटना के बाद याज्ञवल्क्य अपने मामा वैशम्पायन के पास गये जिनसे उन्होंने आद्य यजुर्वेद निगद सीखा परन्तु वहाँ भी वेद सीखने के बाद गुरु से कतह हुआ जो इस प्रकार है—

‘आद्य यजुर्वेद के प्रवर्तक वैशम्पायन उस समय प्रभास क्षेत्र में रहते थे । वहीं पर उन्होंने याज्ञवल्क्य को यजुर्वेद पढ़ाया । एक बार सुमेरु पर्वत पर ऋषियों की सभा हुई । पहले से ही यह संकेत किया गया था कि जो भी सभासद सात दिन के अन्तर्गत सभा में उपस्थित न होगा उसे ब्रह्महत्या का दोष लगेगा । वैशम्पायन भी उस सभा में बुलाए गए थे । वे अपने पिता का आदि-कर्म सम्पन्न करके शीघ्रता से चहलू जाने के लिए बाहर निकल ही रहे थे कि उनका पैर बहन के सोए हुए पुत्र पर पड़ गया और वह मर गया । बालक के आकस्मिक निधन के कारण बालहत्या तथा समय पर सभा में न पहुँचने के कारण वार्षिक ब्रह्महत्या के दो पातक वैशम्पायन को लगे ।

ब्राह्मणों के निर्देशानुसार वैशम्पायन ने ब्रह्महत्यानाशक प्रायश्चित्त किया । (ब्रह्मा० पु० ३३।३४-३५) घर आकर सब शिष्यों को एकत्र कर वैशम्पायन ने उनमें अपनी ब्रह्महत्या एवं बालहत्या के निवारणार्थ प्रायश्चित्त करने का आदेश दिया । याज्ञवल्क्य ने उनसे कहा— ‘आप चिन्ता न करें, इन श्रुत्य सामर्थ्य वाले शिष्यों से ये प्रायश्चित्त करण क्या होंगे, मैं अकेला ही सब कर लूँगा ।’ इस पर वैशम्पायन ने क्रुद्ध होकर कहा— ‘इस तरह अपमान करने वाले शिष्य से मेरा कोई प्रयोजन नहीं, मुझसे जो भी अध्ययन किया है, उसे स्वाग दो ।’ यह सुनते ही याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया— ‘मैंने इत शिष्यों का अपमान करने के लिए नहीं अपितु आप में भक्ति-भाव के कारण ऐसा कह दिया फिर भी यदि आपने मेरे कथन का अभिप्राय अन्वया ग्रहण किया है तो मुझे भी आपके द्वारा प्राप्त वेद-ज्ञान की आवश्यकता नहीं ।’ ऐसा कहकर पहले किये गये ऋग्वेद-त्याग की तरह ही गुरु वैशम्पायन के द्वारा पढ़ाये गये यजुर्वेद का भी गज-पान पद्धति से त्याग कर वहाँ से निकल पड़े ।’

स्कन्द पुराण के अनुसार शाकल्य से कलह होने पर याज्ञवल्क्य ने सूर्य की उपासना की और उनसे चारों वेदों का अध्ययन किया । उस घटना का संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है—

‘याज्ञवल्क्य की उपासना से प्रसन्न होकर सूर्य ने मनुष्य रूप में प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा । तत्काल ही याज्ञवल्क्य ने निवेदन किया— यदि आप मुझे वर देते हैं तो अपना शिष्य बनाइये और वेदपाठ की शिक्षा दीजिए ।’ (स्क० पु० ना० खं० २७।१।१०१) सूर्य ने याज्ञवल्क्य से कहा— ‘मुझे समस्त जाकों को प्रकाशित करने के लिए मेरु की प्रदक्षिणा करनी पड़ती है मैं तुम्हें वेद कैसे पढ़ा सकता हूँ ? अच्छा, जब तुम चाहते हो तो अत्यन्त लघु रूप में मेरे

रथ के मुख्य अश्व के काल में प्रविष्ट होकर अध्ययन करो।' (स्क० पु० ना० ख० २७८।१०२-१०५) वहाँ उन्होंने चतुर्वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। तदुपरान्त गुरु से दक्षिणा मांगने को कहा (स्क० पु० ना० सं० २७८।१०५-१०६) आदित्य ने दक्षिणा रूप में अपने सूक्तों एवं सामों का प्रचार करने के लिए आदेश दिया। (स्क० पु० ना० ख० २७८।१०८-१०९) तदनन्तर याज्ञवल्क्य पुनः चम्त्कारपुर आये और शाकल्य से भी गुरुदक्षिणा मांगने को कहा। शाकल्य ने दक्षिणा स्वरूप आदित्य द्वारा प्राप्त वेदरहस्य का उद्घाटन करने के लिए आदेश दिया। याज्ञवल्क्य ने वैसा ही किया और शाकल्य ने उसे शिष्य रूप में सुना। (स्क० पु० ना० ख० २७८।११८-१२०)'

श्रीमद्भागवत (१२।६।६७-७२) के अनुसार जब वैशम्पायन से गुरु-शिष्य का सम्बन्ध विच्छेद हो गया तब याज्ञवल्क्य ने सूर्य की उपासना की। सूर्य ने उनकी स्तुति स्वीकार कर अश्व का रूप धारण कर अयातयाम यजुषों की शिक्षा दी। (१२।६।७३) विष्णुपुराण (३।५।१६-२५) में भी सूर्य के प्रति याज्ञवल्क्य-कृत स्तुति मविस्तर वर्णित है। सूर्य ने अश्वरूप में याज्ञवल्क्य को उन यजुषों की शिक्षा दी जो याज्ञवल्क्य के पूर्व गुरु को नहीं ज्ञात थे। (३।५।२८) विन ब्राह्मणों ने उन यजुषों का अध्ययन किया वे सब 'वाजिन' कहलाये क्योंकि सूर्य ने वाजिरूप में याज्ञवल्क्य को उपदेश दिया था। विष्णुपुराण और वायुपुराण के अनुसार याज्ञवल्क्य ने ही अश्व का रूप धारण किया था। अतः वह वेद और उनके शिष्य 'वाजिन' कहलाये। (वि० पु० ३।५।२६), (वायुपुराण १।६१)

दो गुरुओं के साथ संघर्ष हो जाने से मानव गुरुओं के साथ निर्वाह न हो सकने की सम्भावना से याज्ञवल्क्य किसी देव गुरु के अन्वेषणार्थ निकल पड़े और उन्होंने आदित्य से वेदाध्ययन किया। इस पर एक शंका होती है कि क्या सूर्य शब्द से आकाश में प्रकाशमान सूर्य अभिप्रेत है अथवा आदित्यावतार कश्यप पुत्र 'आदित्य' ? अन्तःसाक्ष्य के आधार पर ऐसा विदित होता है कि याज्ञवल्क्य वाजसनेय के पहले भी यजुर्वेद की आदित्य और भागिरस दो शाखाएँ प्रचलित थीं। (शत० ब्रा० ४।४।५।१६) अधोलिखित उद्धरण में उक्त विचार का प्रतिपादन हो जाता है—

"आदित्यानीमानि शुक्लानि यजूषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते।" इस उद्धरण के प्रसंग में शतपथब्राह्मण का अनुवाद करते हुए एक स्थान पर प्रो० वेबर के 'इण्डिशे स्तुडियन' का संकेत करते हुए यूलियस एगलिंग (शत० ब्रा० ४।४।५।१६ पृ० ३८३ टि० २) ने लिखा है कि वाजसनेय अथर्व्यु आदित्य ऋषि

के यजुष् पदत थे। इसने यह आभास होता है कि इनके सम्भवतः कोई मानव गुरु ही थे जिनका नाम आदित्य अथवा भास्कर रहा होगा। बहिः साक्ष्य (स्क० पु० ना० खं० २७८।६१) के आधार पर उद्दालकआरुणि याज्ञवल्क्य के सहपाठी थे किन्तु अन्तःसाक्ष्य (शत०ब्रा० १४।६।४।३३) के आधार पर वे याज्ञवल्क्य के गुरु थे तथा आसुरि याज्ञवल्क्य के शिष्य थे। वायव और माध्यन्दिन शतपथ की दोनों प्रतियों में उक्त परम्परा समान ही है। उद्दालक आरुणि ने अपने शिष्य वाजसनेय याज्ञवल्क्य को मन्थकर्म ब्राह्मण के प्रसंग में बताया है कि मन्थ के प्रभाव से स्थाणु में भी शाखाएँ आ सकती हैं। (वृ० उ० ६।३।१६) वाजसनेय याज्ञवल्क्य के शिष्य सधुर्पेद्-स्य थे उनके शिष्य वृडभागविति, चूडभागविति के शिष्य जानकिरायस्थूण तथा इनके शिष्य सत्यकामजावान थे। (वृ० उ० ६।३।१६) वृहदारण्यक उपनिषद् (६।४।३३) में उद्दालक को याज्ञवल्क्य का गुरु बताया गया है। याज्ञवल्क्य ने ऋषी वेदों का अध्ययन किया था। इसकी पुष्टि स्कन्द महापुराण ना० खं० २७८), आत्मपुराण (७।३८-४०) से हो जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बहिः साक्ष्य के आधार पर याज्ञवल्क्य के तीन गुरु थे, शाकल्य, वैशम्पायन और आदित्य किन्तु अन्तःसाक्ष्य के आधार पर उनके एक ही गुरु थे उद्दालक आरुणि।

वृहदारण्यक उपनिषद् के अन्तर्गत मन्थ प्रकरण में जहाँ उद्दालक आरुणि द्वारा याज्ञवल्क्य को मन्थ के प्रभाव से शुष्क स्थाणु को हरा कर देने की शिक्षा दी जाती है, वहाँ स्वाभाविक रूप से यह सचा उत्पन्न होती है कि स्कन्द पुराण (ना० खं० २७८।६१) में उल्लिखित उद्दालक आरुणि यदि वही थे तो वे आनतेश्वर के यहाँ काण्ठस्तम्भ को याज्ञवल्क्य की तरह क्यों न हरा-भरा कर सके ?

#### याज्ञवल्क्य नामधारी अनेक व्यक्ति तथा उनके अनेक ग्रन्थ

‘याज्ञवल्क्य’ शब्द का भी नाम है जिसका निर्देश पहले ही किया जा चुका है। इस प्रकार याज्ञवल्क्य शीक्षिय अनेक व्यक्ति याज्ञवल्क्य कहे जा सकते हैं। आर० सी० मजूमदार (V. A. p. 327) तथा एफ० ई० पार्जिटर (A. H. 1.) जैसे प्रसिद्ध विद्वानों का भी यही मत है।

महाभारत में अनेक स्थलों पर याज्ञवल्क्य का उल्लेख अनेक प्राचीन पुरुषों के साथ हुआ है जैसा कि अधोलिखित उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है—

‘छाण्डवदाह से बचकर मय नामक विख्यात असुर जब युधिष्ठिर का दिव्य-सभा-भवन बना चुका तब प्रवेशोत्सव के समय अनेक ऋषि और राजा इन्द्रप्रस्थ

मे आये जिनमे तित्तिर, तथा रोमहृषण प्रमुख थे। (म० भा० सभा-  
 पर्व १८) युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय व्यास पुरोहितों को ले आये। उस  
 यज्ञ में द्वैपायन ब्रह्मा, सुसामा उद्गाता, याज्ञवल्क्य अश्वर्यु तथा धीम्य सहित पैल  
 होता थे। (म० भा० सभापर्व ३६।३३-३५) युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अन्त में  
 अवभृथ स्नान ही जाने के अनन्तर याज्ञवल्क्य और कपिल इत्यादि की पूजा का  
 वर्णन है। (म० भा० सभापर्व।७२) युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में भी ऋषि  
 याज्ञवल्क्य उपस्थित थे। युधिष्ठिर को राज्य करते हुए जब छत्तीस वर्ष कीत गये  
 (म० भा० महाप्रस्थानिक पर्व।१) और उन्होंने वृष्यन्धक कुल का नाश सुन  
 लिया तब उन्होंने परीक्षित को सिंहासन देकर प्रस्थान का निश्चय किया। उनके  
 प्रस्थान के अवसर पर द्वैपायन, नारद, मार्कण्डेय, भारद्वाज तथा याज्ञवल्क्य उप-  
 स्थित थे। युधिष्ठिर के बाद साठ वर्ष पर्यन्त परीक्षित का राज्य रहा। परीक्षित  
 के पश्चात् जनमेजय और उनके पुत्र शतानीक ने ८० वर्ष तक राज्य किया।  
 विष्णुपुराण (४।२।३-४) के अनुसार शतानीक ने याज्ञवल्क्य से वेद पढ़ाया। श्री  
 भगवतदत्त बी० ए० (वै० वा० इ० वाल्यूम १, पृ० १५८) ने उनके सभाभवन  
 प्रदेश के अवसर से लेकर शतानीक के समय तक उद्धृत याज्ञवल्क्य को एक मानकर  
 उनकी आयु दो सौ उनतालिस वर्ष से भी अधिक मानी है। उक्त क्रम पर विचार  
 कर लेना उचित होगा। यद्यपि याज्ञवल्क्य एक योगी थे तथापि इनकी दीर्घायु  
 होना शंकास्पद है। वस्तुतः लेखक ने यह जानने का प्रयास ही नहीं किया कि  
 याज्ञवल्क्य भी भारद्वाज, वसिष्ठ, विश्वामित्र की तरह एक गोत्र का नाम है।  
 इतनी लम्बी आयु के विषय में यदि शंका हो तो अनुचित नहीं।

यद्यपि अथर्ववेद (१७।१।२७) तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।८।१५।३) में  
 मनुष्य की आयु सहस्र वर्ष बतायी गयी है किन्तु गृह्य का अर्थ अधिक भी हाता  
 है। शतपथब्राह्मण (१०।२।६।८) में सौ वर्ष तथा इससे भी अधिक (शत० ब्रा०  
 १।६।३।१९) आयु होने का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण (२।१७) भी सौ  
 वर्ष की ही आयु की पुष्टि करता है। सम्भवतः याज्ञवल्क्य की आयु दो सौ  
 उनतालिस वर्ष तक की न रही होगी क्योंकि वही याज्ञवल्क्य यदि परीक्षित के  
 समय तक जीवित रहे होते तो शतपथब्राह्मण में पाण्डवों के पीढ़ परीक्षित का  
 उल्लेख अवश्य होता। युधिष्ठिर का भी नामोत्प्रेषण शतपथब्राह्मण में नहीं  
 मिलता। युधिष्ठिर के राजसूययज्ञ अथवा अश्वमेधयज्ञ का कोई भी संकेत नहीं  
 प्राप्त होता। हाँ, परीक्षित जनमेजय तथा शतानीक का उल्लेख मिलता है किन्तु  
 अनेक परीक्षित, अनेक जनमेजय तथा अनेक शतानीक भी हुए हैं। शतपथब्राह्मण  
 (१३।५।४।१-२) में अश्वमेध के प्रसंग में जिन जनमेजय का वर्णन हुआ है वह

अभिमन्यु के पौत्र जनमेजय नहीं अपितु परीक्षित तृतीय के पुत्र थे जिन्हें ब्रह्महत्या का दोष लगा था। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करके अपने को पापमुक्त किया था। शतपथब्राह्मण (१३।५।४।१-२) तथा महाभारत (शान्ति पर्व।१४६) उल्लिखित जनमेजय एक ही हैं जिनके यज्ञ का सम्पादन इन्द्रोत्त देवापि शौनक ने किया था। सी० वी० वैद्य ने अभिमन्यु के पौत्र को ही जनमेजय कहा है। उनका कहना है कि अन्य जनमेजय जिनका वर्णन मिलता है वे पारिक्षित नहीं थे अर्थात् परीक्षित के पुत्र नहीं थे। सी० बी० वैद्य जी की यह धारणा ध्यात्मक प्रतीत होती है क्योंकि जनमेजय भी परीक्षित का ही पुत्र था। यह ध्यान देने योग्य है कि जनमेजय अभिमन्यु के पौत्र को ब्रह्महत्या नहीं लगी थी किन्तु शतपथब्राह्मण में जिन जनमेजय का उल्लेख हुआ है उन्हें ब्रह्महत्या का दोष लगा था। यह बात अवश्य है कि जनमेजय के भाइयों का जो उल्लेख प्राप्त होता है उससे यह निश्चित होता है कि वे अभिमन्यु के पौत्र जनमेजय के भाई थे या हो सकता है कि वही नाम जनमेजय के भाइयों के भी रहे हों।

शतपथब्राह्मण (१३।५।४।१-२) में जनमेजय के यज्ञ-सम्पादक इन्द्रोत्त देवापि शौनक का तथा ऐतरेय ब्राह्मण में इन्द्रोत्त देवापि शौनक के स्थान पर तुर-कावषेय (ऐ० ब्रा० ८।२१) का नामोल्लेख हुआ है। इन दोनों उल्लेखों से भ्रम उत्पन्न होता है किन्तु इस विरोध का परिहार राखालदास बनर्जी (P. H. A. I.) ने बड़े अच्छे ढंग से कर दिया है। उनका मत है कि पारिक्षित जनमेजय ने दो अश्वमेधयज्ञ किए थे। एक यज्ञ के सम्पादक इन्द्रोत्त देवापि शौनक तथा दूसरे के तुर-कावषेय थे। महाभारत में जो वर्णन हुआ है वह भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को सुनाया गया। वह किसी भी प्रकार अभिमन्यु के पौत्र के विषय में नहीं हो सकता। शतपथब्राह्मण में अश्वमेध के ही प्रकरण में शतानीक के प्रसंग में जो याथा गायी गयी है वह जनमेजय के पुत्र शतानीक के विषय में नहीं अपितु शतुजित् के पुत्र शतानीक के विषय में है।

हमें सम्भवतः तीन याज्ञवल्क्य मानने पड़ेंगे किन्तु कठिनाई तो यह है कि उनके पिता का, उनके अन्य सम्बन्धियों का वही उल्लेख पुराणों में मिलता है। यदि कई याज्ञवल्क्य मान लिये जायं तो प्रश्न उठता है कि क्या सब के साथ वही घटना घटी थी जो एक के साथ घटी थी? यदि स्कन्दपुराण में वर्णित याज्ञवल्क्य को एक माना जाय और अन्य पुराणों में वर्णित याज्ञवल्क्य को दूसरा (क्योंकि स्कन्दपुराण में वर्णित याज्ञवल्क्य का वैशम्पायन से कसह नहीं हुआ था) तो भी



शाकल्य का गुरुत्व सब में अविचल रूप से वर्तमान है एक दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति वहाँ होती है जहाँ बहुदरपण्यक उपनिषद् में याज्ञवल्क्य को उद्दालक का शिष्य बताया गया है। स्कन्दपुराण के अनुसार याज्ञवल्क्य और उद्दालक सहपाठी थे इसलिए वे गुरु और शिष्य कैसे बने ? इसके समाधान में यह कहा जा सकता है कि उद्दालक भी सम्भवतः याज्ञवल्क्य की तरह कई रहे होंगे अथवा जिस प्रकार शाकल्य ने सूर्य से वेद-ज्ञान प्राप्त करने वाले याज्ञवल्क्य का शिष्यत्व स्वीकार किया था उसी प्रकार याज्ञवल्क्य ने उद्दालक आरुणि से मन्य का प्रभाव मीखा था। विष्णुपुराण (४।४।१०६, १०७), वायुपुराण (६६।१६०) में योगीश्वर याज्ञवल्क्य को जैमिनि का शिष्य बताया गया है। याज्ञवल्क्य अनेक मानने पड़ेगे अन्यथा शुक्लयजुर्वेद संहिता, शतपथब्राह्मण, याज्ञवल्क्यस्मृति, याज्ञवल्क्यशिक्षा, योगयाज्ञवल्क्यगीता आदि सब ग्रन्थों के रचयिता एक ही याज्ञवल्क्य नहीं प्रतीत होते।

### सम्भवतः तीन याज्ञवल्क्य

अधिक सम्भव यह है कि याज्ञवल्क्य कम से कम तीन तो रहे ही होंगे जिनमें प्रथम याज्ञवल्क्य शुक्लयजुर्वेद के द्रष्टा या संकल्पिता, द्वितीय याज्ञवल्क्य शतपथब्राह्मण के रचयिता और तृतीय याज्ञवल्क्य स्मृति, गीता और शिक्षा आदि ग्रन्थों के प्रणेता थे। यद्यपि महाभारत शान्ति पर्व (३२३।१६-१७) के अनुसार शुक्लयजुर्वेद और शतपथब्राह्मण के रचयिता एक ही याज्ञवल्क्य थे किन्तु ऐसा मान लेने पर कालक्रम में विरोध उत्पन्न हो जाता है क्योंकि संहिताओं के निर्माण के लम्बे समय के बाद ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रणयन हुआ। उचित भी यही है कि शुक्लयजुर्वेद के द्रष्टा याज्ञवल्क्य को उसके भाष्यकार के रूप में शतपथब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य के साथ सम्बद्ध न किया जाय। हमें परम्परागत शतपथ-ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य ही अभिप्रेत हैं। यों तो उनके विषय में कुछ निश्चित रूप से ही नहीं कहा जा सकता किन्तु उनके मतभेद के स्थलों के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि वे स्वतन्त्र विचार के थे। शतपथब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य को शुक्लयजुर्वेद संहिता के द्रष्टा याज्ञवल्क्य से अलग मानने का कारण यह है कि शुक्लयजुर्वेद संहिता में जिन अनेक बातों का उल्लेख नहीं हुआ है, वह शतपथब्राह्मण में विशेष रूप से प्रतिपादित है।

### याज्ञवल्क्य के नाम से प्रसिद्ध कृतियों का संक्षिप्त विवरण

याज्ञवल्क्य वाजसनेय के नाम से प्रसिद्ध कृतियों में शुक्लयजुर्वेद संहिता तथा शतपथब्राह्मण हैं। इसकी पुष्टि अन्तःसाक्ष्य (ब० उ० ६।४।३) और बहिः-

साध्य (म० भा० ३२७।१६-१७) दोनों से हानी है। महाभारत (ज्ञान्ति पद ३२३।१६, १७) में इसका उल्लेख हुआ है कि याज्ञवल्क्य ने जनक से स्वयं बताया कि 'मैंने सूर्य से शुक्लयजुष् प्राप्त किया तथा सम्पूर्ण शतपथ की भी रचना की और सब शिष्यों ने मुझसे इसका अध्ययन किया। यह बात मेरे मामा (वैशम्पायन) और उनके शिष्यों को अच्छी नहीं लगी।' मामा वैशम्पायन कृष्ण या चरक यजुषों के प्रवचनकर्ता थे अतः शुक्लयजुषों का प्रचार उन्हें अच्छा नहीं लगता था।

ब्रह्मसम्प्रदायी आद्ययजुर्वेद या त्रिगदास्य यजुर्वेद के समस्त अध्वर्युओं में वैशम्पायन के शिष्य याज्ञवल्क्य ही सर्वाधिक महत्त्वशाली सिद्ध हुए। यहाँ उक्त यजुर्वेद का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत करना अपेक्षित है—

भगवान् व्यास ने होता, अध्वर्यु, उद्गाता तथा ब्रह्मा इन चारों ऋत्विजों को अपना-अपना कार्य यथोचित तथा सरलता से करने के दृष्टिकोण से तत्कर्म-प्रधान चार संहिताओं का प्रणयन किया। ब्रह्मसम्प्रदायी यजुर्वेद इन्हीं में से एक है जो मन्त्र एवं यज्ञविधानोपयोगी गद्यांशों से निर्मित है। मत्स्यपुराण के अनुसार त्रेतायुग में यही एकमात्र वेद था। इसकी मत्ता के कारण उस युग में तदाधारित यज्ञ-कर्मों की प्रधानता थी। हरिश्चन्द्र का पुत्र-लाभ के लिए किया गया यज्ञ तथा अन्य कई यज्ञ इसके प्रमाण स्वरूप हैं।

अथर्ववेद भी यज्ञ-प्रधान है किन्तु उसमें वर्णित कर्मों का 'यज्ञ' यह नाम अधिक उपयुक्त नहीं प्रतीत होता क्योंकि वे यज्ञ केवल यजमान द्वारा सम्पादित हो सकते हैं। वे यज्ञ साधारणतः गृहमूत्रोक्त मात्र हैं। 'यज्ञ' शब्द वस्तुतः होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा आदि ऋत्विजों के साथ एक बड़े कर्म से सम्बद्ध है। इस प्रकार यज्ञ का विवेचन एकमात्र यही आद्ययजुर्वेद ही था।

भगवान् व्यास ने इस संहिता को रचकर वैशम्पायन को सिखाया। वैशम्पायन ने पाठभेदादि से इसके सत्ताईस भेद किये। उनका अध्यापन शिष्य-प्रशिष्यों में होता रहा। वैशम्पायन ने सत्ताईस शाखाओं में से एक शाखा अपने भाजे तथा शिष्य याज्ञवल्क्य को सिखायी। महाभारत में यह उल्लेख मिलता है कि युधिष्ठिर के अश्वमेध और राजसूय दोनों यज्ञों में पैल तथा याज्ञवल्क्य ने ऋत्विज का कार्य सम्पन्न किया था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस समय तक याज्ञवल्क्य का गुरु से संघर्ष, वेद-त्याग एवं दूसरे वेद की प्राप्ति आदि घटनाएँ अघटित ही थीं। ये घटनाएँ सम्भवतः उस समय के बाद ही घटित हुईं।

महाभारत शान्ति पर्व ३२३।२ १६) के अनुसार आदित्य से वेद प्राप्त करने पश्चात् याज्ञवल्क्य न शुक्लयजुर्वेद का प्रणयन किया तथा बहुत ही कौशल एवं द्धिमता से अथर्ववेद का उपकारार्थ शतपथब्राह्मण की रचना की। फलतः ब्रह्मसम्प्रदायी अथवा प्रजापति से प्राप्त ब्राह्मण मिश्रित यजुर्वेद संहिता की अपेक्षा उक्त वेद तथा ब्राह्मण ग्रन्थ से अथर्ववेदों को यज्ञ-सम्पादन में अधिक सुविधा होने लगी। इसीलिए वे नवीन संहिता और ब्राह्मण अधिक लोकोपकारक सिद्ध हुए तथा ब्रह्मसम्प्रदायी वेद पीछे पड़ गया। इस महत्त्वपूर्ण कार्य से याज्ञवल्क्य एक महान् यज्ञस्वी सिद्ध हुए।

### (क) शुक्लयजुर्वेद संहिता

यजुर्वेद का संक्षिप्त विवेचन आवश्यक है। 'यजुष्' शब्द का अर्थ पूजा और यज्ञ भी है। गन्ध को भी यजुष् कहा जाता है। ऋग्वेद का ऋत्विज होता पुरोनुवाक्या (आहुति कर्म की अवतरणिका के रूप में पढ़ी जाने वाली ऋचा०) को पढ़कर विशिष्ट देवता का आह्वान करता है और यजुर्वेद का ऋत्विज अथर्ववेद यज्ञ अथवा याग का विधिवत् सम्पादन करता है। अतः यजुर्वेद में कर्मकाण्ड का प्राधान्य है। विभिन्न यज्ञों में अथर्ववेद के द्वारा प्रयोग किये जाने वाले जो आवश्यक मंत्र हैं (और जिन विशेष नियमों का पालन अथर्ववेद की करना पड़ता है) उनकी समष्टि का नाम यजुर्वेदसंहिता है। मन्त्र द्वारा सम्पन्न अमुक क्रिया के बाद अमुक क्रिया सम्पन्न कर विभिन्न यज्ञानुष्ठान किये जाते हैं, इनका विधान शुक्लयजुर्वेद में स्पष्ट रूप से किया गया है। इसके विभिन्न अध्यायों में विविध यज्ञ-क्रियाओं के मन्त्र संगृहीत हैं। यज्ञ में अथर्ववेद इस वेद का उपयोग करता है अतः इसे अथर्ववेद भी कहते हैं।

### (क) १—कृष्णयजुर्वेद तथा शुक्लयजुर्वेद

यजुर्वेद के दो सम्प्रदाय हैं—एक ब्रह्म सम्प्रदाय तथा दूसरा आदित्य सम्प्रदाय। शतपथब्राह्मण (१४।६।१।३३) के अनुसार आदित्य यजुष् शुक्ल यजुष् के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा याज्ञवल्क्य द्वारा आख्यात हैं। अतः आदित्य सम्प्रदाय का प्रतिनिधि शुक्लयजुर्वेद तथा ब्रह्मसम्प्रदाय का प्रतिनिधि कृष्णयजुर्वेद है। याज्ञवल्क्य द्वारा प्रतिपादित होने के कारण वाजसनेयिसंहिता शुक्लयजुर्वेद के नाम से प्रचलित है। एक सिद्धान्त यह भी है कि 'शुक्लयजुर्वेद नामकरण इसलिए है कि मन्त्रभाग से ब्राह्मणभाग अलग है।' इस सिद्धान्त को वेबर (J. L. p. 103, 104) एगर्निंग (S. B. E. vol XII, ) तथा मैकडालन आदि विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है। विश्वबन्धु न तो 'कृष्ण' का काला तथा न तो 'शुक्ल' का श्वेत ही अर्थ

रते हैं (वे० सा० पृ० २३) सायण भी एगॉनिग तथा वेबर आदि विद्वानों से  
हमच प्रतीत होत हैं ।

### (क) २-शुक्लयजुर्वेद संहिता के दो संस्करण

शुक्लयजुर्वेदसंहिता के काण्व तथा माध्यन्दिन दो परस्पर मिलते-जुलते संस्करण  
आज उपलब्ध हैं ।

### (क) ३-शुक्लयजुर्वेद संहिता का विषय-विवेचन

शुक्लयजुर्वेदसंहिता में चालीस अध्याय हैं ।

यजुर्वेद के प्रथम पचचीस अध्यायों में महासप्तों के प्रसंग में पढ़े जाने वाले  
मन्त्रों का संग्रह है । प्रथम दो अध्यायों में दर्शयाग तथा पूर्णमासयाग का विधान  
है जिनमें पिण्डपितृयज्ञ परक आहुतिया देने का वर्णन है । तीसरे अध्याय में अग्नि-  
होत्र, अग्न्याधान तथा चातुर्मास्य यज्ञों के लिए उपयोगी मन्त्रों का विवरण है ।  
चौथे अध्याय से लेकर आठवें अध्याय तक अर्थात् पाँच अध्यायों में सोमयज्ञ तथा  
सोम से सम्बद्ध पशुयज्ञ का वर्णन है । नवें तथा दसवें अध्याय में एकाह (एक दिन  
तक चलने वाला) यज्ञ में वाजपेय और राजसूय यज्ञों का उल्लेख है । राजसूय में  
जययात्रा का नाट्य, खूनक्रीडा, अस्त्र-क्रीडा आदि से सम्बन्धित मन्त्रों का विधान  
है । इसके अनन्तर ग्यारहवें अध्याय से लेकर अठारहवें अध्याय तक अग्निचयन  
सम्बन्धी विविध मन्त्रों तथा मंत्रांशों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है क्योंकि  
यह अग्निचयन वर्ष भर निरन्तर चलता रहता था । अग्निचयन के प्रत्येक अंग  
का, प्रत्येक रहस्य का वर्णन ब्राह्मणग्रन्थों में विस्तार से मिलता है । सोलहवें  
अध्याय में शतहृदिय होम का प्रसंग है जिसमें रुद्र की कल्पना का अच्छे ढंग से  
सांगीपांग विवेचन मिलता है । यह 'रुद्राध्याय' बहुत ही प्रसिद्ध है । अठारहवें  
अध्याय में 'यमोर्ध्वरा' सम्बन्धी मन्त्र निर्दिष्ट हैं । उन्नीस से इक्कीस तक तीन  
अध्यायों में सौत्रामणी यज्ञ का वर्णन है । इस यज्ञ के दो भेद हैं—एक में सुरा  
का प्रचार होता है तथा दूसरे में ओम का । बाईस से लेकर पचचीस तक चार  
अध्यायों में प्राचीन ऋक्सूक्तियों के प्रिय यज्ञ अश्वमेध का वर्णन है । छब्बीस से  
लेकर उनतीसवें अध्याय तक का भाग पिछले अध्यायों की परिपूर्तिभात है ।  
तीसवें अध्याय में पुरुषमेध यज्ञ में आहुतिरूप विविध पशुओं की गणना है ।  
इक्कीसवें अध्याय में पुरुषसूक्त है जिसमें ऋग्वेद की अपेक्षा अन्त में छः मन्त्र  
अधिक उपलब्ध होते हैं । बत्तीसवें से लेकर चौतीसवें तक तीन अध्यायों  
में सर्वमेधयज्ञ के मन्त्र उल्लिखित हैं । बत्तीसवें अध्याय के आरम्भ में हिरण्यगर्भ  
सूक्त के कुछ मन्त्र संगृहीत हैं । अध्याय चौतीस के प्रथम छ. मन्त्रों का संग्रह

शिवसकल्पानिषद् नम से प्रसिद्ध है। पैंतीसवें अध्याय में अन्त्येष्टि क्रम से सम्बन्धित मन्त्र हैं। छत्तीसवें से लेकर उनतालिसवें अध्याय तक प्रवश्ययाग से सम्बन्धित कुछ मन्त्र हैं। चालीसवाँ अध्याय 'ईशोपनिषद्' या 'ईशावास्योपनिषद्' नाम से विख्यात है।

### (क) ४-शुक्लयजुर्वेद की शाखाएँ

आदित्यसम्प्रदायगत शुक्लयजुर्वेद की पन्द्रह शाखाओं में केवल दो शाखाएँ ही आज उपलब्ध हैं। वे हैं—काण्व और माध्यन्दिन। माध्यन्दिन के अन्तर्गत बारह तथा काण्व के अन्तर्गत तीन का उल्लेख मिलता है।

#### योगीश्वर याज्ञवल्क्य

१	२
माध्यन्दिन समाभ्नाय	काण्व समाभ्नाय
१—जाबालाः	१—काण्वाः
२—बोधेयाः	२—पौषड्वत्साः
३—माध्यन्दिनाः	३—वैनधेयाः
४—शापेयाः	
५—तायायनीयाः	
६—कफोलाः	
७—आवटिकाः	
८—परमावटिकाः	
९—पाराशराः	
१०—गालवाः	
११—कात्यायनाः	
१२—वैजवापाः	

### (ख) शतपथब्राह्मण

#### (ख) १—ब्राह्मण शब्द का निबन्धन

ब्रह्म एवं वेद का एक ही अर्थ है। यज्ञ की क्रिया, वस्तु और तत्त्व आदि को निरूपण करने वाला प्रवचन ही ब्राह्मण है। शतपथब्राह्मण (७।१।१।५) में एक स्थान पर मन्त्र को ब्रह्म बताया गया है। उदाहरण-स्वरूप पवित्र (दोकुश) करण के प्रसंग में 'पवित्रे स्थो वैष्णव्यो' (शु० य० सं० १/१२) इस मन्त्र को लेकर 'यज्ञो वै विष्णुर्यज्ञिये स्थः' इत्यनेनैतदाह' (शत० ब्रा० १।१।३।१) यह उस

मन्त्र का प्रवचन या ब्राह्मण ह मृत्मास्कर न तसिरोय सहिता (१५१) क  
माध्य मे निश्च है कि

ब्राह्मण नाम कामयास्तमन्त्राणां च व्याख्यानग्रन्थः

वाचस्पति मिश्र के अनुसार—

‘नैरुक्त्यं यस्य मन्त्रस्य विनियोगः प्रयोजनम् ।’  
प्रतिष्ठानं विधिश्चैव ब्राह्मण तदिहोच्यते ॥’

जैमिनि आचार्य ने पूर्वमीमांसासूत्र (२।१।७।२२-३३) में ‘तच्चोदकेषु  
मन्त्राख्या शेषे ब्राह्मणशब्दः’ इस तरह ब्राह्मण पद का निर्वचन किया है। विश्व-  
व धु के अनुसार मन्त्र और यज्ञ-कर्म दोनों के व्याख्यान करने के कारण ब्रह्मण  
अर्थात् विस्तारयुक्त गद्ययुक्त प्रवचनों को ‘ब्राह्मण कहते हैं।

(ख) २—अभीष्ट ब्राह्मण शब्द ग्रन्थवाची है

‘ब्राह्मण’ शब्द से ब्राह्मण ग्रन्थ के अवयव तथा उन अवयवों के समुदाय का  
भी बोध होता है जिस प्रकार ‘वेद’ शब्द से ग्रन्थ का बोध होता है उसी प्रकार यह  
ब्राह्मण शब्द भी उन ब्राह्मणों का प्रतिपादक होने के कारण ग्रन्थवाची है। ग्रन्थ-  
वाचक ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नपुंसक लिंग में तथा जातिवाचक ब्राह्मण शब्द का  
प्रयोग पुल्लिंग में होता है। जैसा कि मेदिनीकोश में निर्दिष्ट है। ‘ब्राह्मणं ब्रह्म-  
सघाते वेदभागे नपुंसकम्’ इसका अर्थ यह है कि जिस वेदभाग में मन्त्रों को स्पष्ट  
किया जाता है अथवा उनकी व्याख्या की जाती है उस वेदभाग के लिए ब्राह्मण  
शब्द का प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है। ऐतरेय ब्राह्मण (६।२२, ८।२) के  
‘दुरोहणम् रोहति तस्योक्तं ब्राह्मणम् ।’ ‘यद्गौरवीत तस्योक्तं ब्राह्मणम्’ तथा  
शतपथब्राह्मण (४।६।६।२०) के ‘यद्वाकोवाक्यं ब्राह्मणं तदेवैतैनाप्नुवन्ति’ इस  
कथन से ब्राह्मण शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त किया गया दीख पड़ता है।

इसका प्रयोग पुल्लिंग में भी देखा जाता है। विष्णुधर्मोत्तर (३।७) में—

‘मन्त्राः साराह्याणाः प्रोक्तास्तदर्थं ब्राह्मण स्मृतम् ।  
कल्पना च तथा कल्पाः कल्पश्च ब्राह्मणस्तथा ॥’

दोनों लिंगों में प्रयोग दिखायी पड़ता है। महाभारत उद्योगपर्व (अध्याय १६) में  
इसका प्रयोग पुल्लिंग में देखा जा सकता है—

‘य इमे ब्राह्मणाः प्रोक्ताः मन्त्रा वै प्रोक्षणे गवाम् ।  
एते प्रमाण भवत उताहो नेति वासव ॥’

यद्यपि इस प्रकार से ब्राह्मण शब्द का दोनों लिंगों में प्रयोग मिलता है किन्तु इसका प्रयोग प्रायः नपुंसक लिंग में देखा जाता है। इसका कारण यह है कि 'ब्राह्मण' पुल्लिङ्ग शब्द के द्वारा कहे जाने पर 'ब्राह्मण' शब्द जातिवाची है अथवा ग्रन्थवाची इस विषय में सन्देह होता है। सन्देह होने पर प्रकरण के विवक्षित अर्थ को जाना जा सकता है। अर्थ के शीघ्र स्पष्ट हो जाने के उद्देश्य में जातिवाचक 'ब्राह्मण' शब्द को पुल्लिङ्ग में तथा ग्रन्थवाची ब्राह्मणशब्द को नपुंसक लिंग में कहा जाने लगा। इस प्रकार की व्यवस्था से ऐसी रूढ़ि हो गयी।

### (ख) ३—शतपथब्राह्मण के नाम की यथार्थता

इस ब्राह्मण ग्रन्थ की 'शतपथ' संज्ञा इसलिए है कि इसमें सौ अध्याय या सौ व्याख्यान हैं। शतपथ की व्युत्पत्ति इस प्रकार है—

'शतं पन्थानो मार्गा नामाध्याया यस्य तच्छतपथम्'

यद्यपि काण्व शतपथब्राह्मण में एक सौ चार अध्याय हैं तथापि 'छत्विन्-न्याय' में उसे भी 'शतपथ' कहते हैं। इस 'शतपथ' के 'पंचदश पथ,' 'षष्ठिपथ' तथा 'अग्नीतिपथ' आदि अवान्तर विभेद भी हैं। प्रथम और द्वितीय काण्ड में पन्द्रह अध्याय हैं जिनमें हविर्यज्ञ का प्रतिपादन है अतः इस प्रकरण की 'पंचदश' संज्ञा उचित है। प्रथम काण्ड हविर्यज्ञ काण्ड से लेकर संविति नाम के नवें काण्ड तक साठ अध्याय, तृतीय काण्ड से लेकर नवे तक आध्वरिक दूसरे नाम वाले सौमिक-याज्ञिक सभी का निरूपण किया गया है। इस प्रकरण ग्रन्थ की 'षष्ठिपथ' संज्ञा भी उचित है। प्रथम काण्ड से लेकर बारहवें काण्ड के छः अध्याय तक अस्मी अध्याय हैं। 'अग्निरहस्य' नाम वाले दसवें काण्ड से लेकर 'मध्यम' संज्ञा वाले बारहवें काण्ड के छठे अध्याय तक उत्तरक्रतु का वर्णन निरूपित किया गया है। अतः इस प्रकरण की 'अग्नीतिपथ' यह संज्ञा भी उचित ही है। शेष अध्यायों में सौत्रामणी और अश्वमेध आदि यागों का निरूपण किया गया है। इसे ब्रह्मविद्या भी कहते हैं। इस प्रकार अवशिष्ट भाग को लेकर प्रारम्भ से अन्त तक गणना करने पर समस्त ग्रन्थ की 'शतपथ' संज्ञा सर्वथा उचित है। शतपथब्राह्मण वैदिक वाङ्मय में ऋग्वेद के बाद द्वितीय महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका उल्लेख मैकडानल ने बड़े ही सुन्दर ढंग से किया है।

### (ख) ४—शतपथ ब्राह्मण के माध्यन्दिन और काण्व दो प्रमुख संस्करण

माध्यन्दिन शतपथ में प्रथम काण्ड से नवें काण्ड तक पिण्ड पितृयज्ञ को छोड़कर प्रायः माध्यन्दिनसंहिता के अनुसार ही विषयों का प्रतिपादन हुआ है। माध्यन्दिनसंहिता में पिण्ड पितृयज्ञ का विवेचन दर्शपूर्णमासयज्ञों के विवेचन के

बाद हुआ है किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थ में तो आधान के बाद ही । दसवें से चौदहवें काण्ड तक संहिता के क्रम से ही विषयक्रम भी है । काण्व और माध्यन्दिनसंहिता के प्रारम्भ में दर्शपूर्णमासयज्ञों का प्रतिपादन हुआ है । माध्यन्दिन शतपथ का प्रारम्भ दर्शपूर्णमास से होता है किन्तु काण्व शतपथ का प्रारम्भ आधान से होता है । माध्यन्दिन शतपथब्राह्मण और काण्वशतपथब्रह्मण में प्रथम और द्वितीय काण्डों में ही भेद है । माध्यन्दिन में प्रथमकाण्ड काण्व में द्वितीय काण्ड है तथा काण्व का प्रथम काण्ड माध्यन्दिन का द्वितीय काण्ड है । अन्वय तो कहीं-कहीं ही विषय-क्रम भिन्न है । माध्यन्दिन शतपथब्राह्मण में चौदह काण्ड हैं जब कि काण्वशतपथ ब्राह्मण में सत्रह काण्ड ।

### (ख) ५—माध्यन्दिन शतपथब्राह्मण

माध्यन्दिन शतपथब्राह्मण में चौदह काण्ड, सौ अध्याय, चार सौ अष्टतीस ब्राह्मण तथा सत्र हजार छ. सौ चौबीस कण्डिकाएँ हैं । प्रथम काण्ड में पूर्णमास और दर्श इष्टियों का प्रतिपादन किया गया है । द्वितीय काण्ड में आधान, पुन-राधान, अग्निहोव, उपस्थान, प्रवत्स्यदुपस्थान, आगतोपस्थान, पिण्डपितृयज्ञ, आययण, दाक्षायण तथा चातुर्मास्य आदि यज्ञों का विवेचन भीमांसापूर्वक किया गया है । तृतीय काण्ड में दीक्षाभिषेकपर्यन्त सोमयाग का वर्णन है । चतुर्थकाण्ड में सोमयाग के तैनों (प्रातः, माध्यन्दिन तथा सायं) मन्वों के अन्तर्गत किये जाने वाले कर्मों का, षोडशी आदि सोमसंस्था, द्वादशाह्याग, विरावहीन दक्षिणा तथा सत्रधर्म का प्रतिपादन हुआ । पाँचवें काण्ड में वाजपेययाग तथा राजसुययाग का वर्णन किया गया है । छठे काण्ड में उषासम्भरण, विष्णुक्रम का तथा सातवें काण्ड में चयनयाग, गार्हपत्यचयन, अग्निक्षेत्रसंस्कार, दर्भस्तम्बादि के दूर करने तक के कार्यों का विवेचन हुआ है । आठवें काण्ड में प्राणभृत् आदि इष्टकाओं के स्थापन का विवेचन है । नवें काण्ड में शनसुद्विग्रहोम, धिष्ण्यचयन, पुनश्चितिः तथा चित्तुपस्थान का वर्णन है । दसवें काण्ड में, चित्तिनम्पत्ति, चयनयागस्तुति, चित्यपक्षपुच्छत्रिचर, चित्याग्निवेदिका परिमाण, उसकी सम्पत्ति, चयन-काल, चित्याग्नि के छन्दों का अवयवरूप, यजुष्मती और लोकस्पृणा आदि इष्टकाओं की संस्था, उपनिषद्रूप से अग्नि की उपासना, मन की सृष्टि, लोकादि रूप से अग्नि की उपासना, अग्नि का सर्वतोमुखत्व, सम्प्रदायप्रवर्तक ऋषिवंश आदि का प्रतिपादन हुआ है । ग्यारहवें काण्ड आधानकाल, दर्शपूर्णमास तथा दाक्षायणयज्ञों की अवधि, दाक्षायणयज्ञ, पथिकृदिष्टि, अभ्युदितेष्टि दर्शपूर्णमासीय पदार्थों का अर्थवाद, अग्निहोत्रीय अर्थवाद, ब्रह्मचारी के कर्तव्य, मित्रविन्देष्टि, हविःसमृद्धि, चातुर्मास्यार्थवाद, पंचमहायज्ञ, स्वाध्यायप्रशंसा, प्रायश्चित्त, अंशु और अदाभ्यग्रह, अध्यात्मविद्या, पशुब्रह्मप्रशंसा, हविर्यज्ञ एवं सब विधियों का



लक्षण तथा षड्दोतृहोम का वर्णन है। वारह्वे काण्ड में सत्र में दीक्षाक्रम, सत्र, महाव्रत, गन्धामयन, अग्निहोत्र प्रायश्चित्त सौत्रामणीयाग, मृतकाग्निहोत्र, मृतकदाह आदि निरूपित है। तेरहवें काण्ड में अश्वमेध, तद्गत-प्रायश्चित्त, पुरुष-मेध, सर्वमेध, पितृमेध का विवरण है। चौदहवें काण्ड में प्रवर्ग्यकर्म, धर्म महावीर, प्रवर्ग्योत्सादन, प्रवर्ग्यकर्तृक नियम, ब्रह्मविद्या, मंत्र, वंश आदि का प्रतिपादन हुआ है।

### (ख) ६—काण्व शतपथब्राह्मण का विषय

काण्व शतपथब्राह्मण में सत्रह काण्ड, एक सौ चार अध्याय, चार सौ पैंतीस ब्राह्मण तथा छः हजार आठ सौ छः कण्डिकाएँ हैं। पहले काण्ड में आधान-पुनराधान, अग्निहोत्र, आग्रयण, पिण्डपितृयज्ञ, दाक्षायणयज्ञ, उपस्थान तथा चातुर्मास्ययाग का विवेचन है। दूसरे काण्ड में पूर्णमास तथा दर्शयागों का प्रतिपादन किया गया है जिसका विवेचन माध्यन्दिन शतपथब्राह्मण के प्रथमकाण्ड में हुआ है। तीसरे काण्ड में अग्निहोत्रीय अर्थवाद तथा दर्शपूर्णमासीय अर्थवाद विवेचित हैं। चतुर्थकाण्ड में सोमयागदीक्षा का वर्णन है। पंचमकाण्ड में सोमयाग, सवनत्रयगतकर्म, षोडशीप्रभृतसोमसंस्था, द्वादशाह्याग, त्रिरात्रहौनदक्षिणा, चतुस्त्रिंशद्धोम, मत्तधर्म का विवरण किया गया है। छठे काण्ड में वाजपेययाग का, सातवें काण्ड में राजसूययाग, आठवें में उखासम्भरण का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। नवें काण्ड से लेकर बारहवें काण्ड तक चयनयाग प्रतिपादित है। तेरहवें काण्ड में आधानकाल, पथिकृत् इष्टि प्रयाजानुयाजमन्त्रण, शंयुवाक्, पत्नी-सयाज, ब्रह्मचर्य, दर्शपूर्णमासशेष तथा पशुबन्ध का प्रतिपादन हुआ है। चौदहवें काण्ड में दीक्षाक्रम, पृष्ठ्याभिप्लवादि, सौत्रामणीयाग, अग्निहोत्र-प्रायश्चित्त, मृतकाग्निहोत्र आदि का वर्णन हुआ है। पन्द्रहवें काण्ड में अश्वमेध का, सोनहवें काण्ड में सांगोपांग पवर्ग्यकर्म का एवं सत्रहवें काण्ड में ब्रह्मविद्या का विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

### (७) याज्ञवल्क्य के नाम से प्रसिद्ध अन्य ग्रन्थ

शुक्लयजुर्वेदसंहिता और शतपथब्राह्मण के अतिरिक्त याज्ञवल्क्य के नाम से तीन अन्य ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं—

(क) याज्ञवल्क्यस्मृति

(ख) याज्ञवल्क्यशिक्षा

(ग) योगियाज्ञवल्क्य या योगियाज्ञवल्क्य गीता अथवा योगयाज्ञवल्क्यम् ।

(क) याज्ञवल्क्य स्मृति—इसमें तीन अध्याय हैं। प्रथम अध्याय आचाराध्याय, द्वितीय व्यवहाराध्याय एवं तृतीय प्रायश्चित्ताध्याय के नाम से प्रसिद्ध है।

(ख) याज्ञवल्क्य शिक्षा—इस ग्रन्थ में अध्ययन-विधि, हस्तचालन-विधि, स्वरसंहिता-विधि, वर्णप्रकरण आदि का प्रतिपादन किया गया है।

(ग) यौगिययाज्ञवल्क्य—अनुन गीता में द्वादश अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में परिचयान्तक प्रश्नोक्त एवं नियम, द्वितीय में नियम, तृतीय में आसन, चतुर्थ में नाडी, क्रन्द, वायु और उनके कार्य, पंचम में नाडी की शुद्धि, षष्ठ में प्राणायाम और उनके प्रकार, सप्तम में ग्रन्थाहार और उनके प्रकार, अष्टम में धारणा और उनके प्रकार, नवम में ध्यान और उनके प्रकार, दशम में समाधि, एकादश में योग, अन्य मुक्तियों का प्रश्नान, इस योग का संक्षेप करने के लिए याज्ञवल्क्य से मार्गी की प्रार्थना तथा द्वादश अध्याय में गुप्तशिक्षा और उपसंहारात्मक बातों का प्रतिपादन किया गया है।

### (द) याज्ञवल्क्य का समय

#### (क) बहिःसाध्य

याज्ञवल्क्य के समय का निर्धारण उनकी कृतियों के समय-निर्धारण से सरलतापूर्वक किया जा सकता है। ए० ए० मैकडानल अपनी पुस्तक (H. S. L.) में ब्राह्मणकाल को ईसापूर्व ८०० ई० से ई० पू० ५०० तक मानता है। एम० ईवण्डरनिन्ड्रु वेद के किमी भी अंग का ईसापूर्व ५०० के बाद का नहीं स्वीकार करते जैसा कि उनके कथन से स्पष्ट है कि—

“We shall probably have to date the beginning of this development about 2000 or 2500 B. C. and the end of it between 750 and 500 B. C.”

इन मतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शतपथब्राह्मण का रचनाकाल ईसापूर्व मानवी शताब्दी के पश्चान् नहीं हो सकता।

एफ० ई० गार्जिटर ने (A. I. H. T. p. 332) याज्ञवल्क्य का समय जैमिनीय ब्राह्मण के अनुसार ईसापूर्व आठवीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध माना है। इसके पश्चात् वे लिखते हैं कि वैदिक गुरुओं की मूर्त्तियों में याज्ञवल्क्य का समय कम से कम सौ वर्ष और पहले जाना है अर्थात् उनका समय ईसापूर्व नवीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध माना जा सकता है। इनके मत से शतपथब्राह्मण का रचनाकाल नवीं शताब्दी के पश्चात् का नहीं हो सकता। प्रो० सरस्वती प्रसाद चतुर्वेदी के एक

लेख (Paninis vocabulary its bearing on the date) से यह विधिबत बिदित हो जाता है कि पाणिनि का भाषा ब्राह्मणग्रंथों की भाषा थी शतपथ ब्राह्मण का रचनाकाल पाणिनिकाल से बाब का नहीं हो सकता . चतुर्वेदी जी के लेख से यह भी प्रकट है कि पाणिनि का समय ६०० ईसापूर्व माना जा सकता है जैसा कि अधोलिखित उद्धरण से स्पष्ट है—

‘If Paninis language belongs, as indicated above, to the Pre Mahabharata period, we will have shift back the date of Panini to a period earlier than the 9th century B. c., as accepted by C. V. Vaidya.’

इस प्रकार भी याज्ञवल्क्य का समय ईसापूर्व दसवीं, ग्यारहवीं शताब्दी निश्चित होता है । सी० बी० गेह्ल ने अपने एक निबन्ध में यह स्पष्ट कर दिया है कि दफनरी ने शतपथब्राह्मण का रचनाकाल ईसापूर्व चौबीसवीं शताब्दी स्वीकार किया है तथा उन्होंने ही अपनी पुस्तक (H. S. L. Sect. II. p. 15) में शतपथ-ब्राह्मण का रचनाकाल ईसापूर्व ३००० से ईसापूर्व २५०० माना है । उनका यह भी मत है कि शतपथब्राह्मण की रचना महाभारत युद्ध होने के बाद हुई । वे महाभारत युद्ध को ३१०२ वर्ष ईसापूर्व स्वीकार करते हैं । अतः वही समय याज्ञवल्क्य का भी माना जा सकता है । एम० विण्टरनिट्ज ने भी महाभारत युद्ध की इसी तिथि का निर्देश किया है । (H. I. L. Vol. I. p. 473-74)

### (ख) अन्तःसाक्ष्य

याज्ञवल्क्य वाजसनेय के साथ कई ऋषि तथा राजा सम्बद्ध हैं । उनके विषय में कुछ निर्देश कर देना आवश्यक प्रतीत होता है । याज्ञवल्क्य के साथ प्रायः जनक भी उल्लिखित रहते हैं । अस्तु सर्वप्रथम जनक के विषय में विवेचन प्रस्तुत करना उचित है । राय चौधरी ने अपने इतिहास की (P. H. I.) में यह मित्र किया है कि यह जनक सीता के पिता थे किन्तु उनकी यह धारणा भ्रामक-सी प्रतीत होती है क्योंकि उस प्रकार स्वीकार करने पर परम्परा का निर्वह नहीं हो पाता । मजूमदार ने राय चौधरी के मत का खण्डन बहुत ही अच्छे ढंग से किया है । सुशील गुप्त ने (A. I.) इन्हीं जनक को सीता का पिता कहा है । प्रो० पी० टी० श्रीनिवास आर्यंगर (A. H. I.) के मतानुसार शतपथब्राह्मण में उद्धृत जनक महाजनक थे जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रन्थों में हुआ है । मजूमदार, पुश्लकर आदि विद्वानों ने जनक को उग्रसेन बताया है किन्तु गंशावली से यह नाम नहीं आता । (V A., p. 327) महाभारत में (शा० पूर्व ३०८) करालजनक तथा देवराति जनक (म० भा० शा० प० ३१५) का उल्लेख मिलता है । महाभारत के ‘भो भो

राजन् जनकाना वरिष्ठ' (३।१३३।१६) तथा वायुपुराण (८।१।२२) के 'वंशो-जनकानाम्' कथनों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मिथिला का कोई भी राजा जनक नाम से अमिहित किया जाता रहा होगा। शतपथब्राह्मण में एक स्थल पर जनक का याज्ञवल्क्य, श्वेतकेतु आदि ब्राह्मणों के साथ उल्लेख मिलना है अतः श्वेतकेतु आरुण्य, सीमशुष्म सात्ययज्ञि, तथा याज्ञवल्क्य जनक के सम-कालिक प्रसूत होते हैं। शतपथब्राह्मण में दी गयी एक गुरु-शिष्य परम्परा से भी इसी मत की पुष्टि होती है। उक्त गुरु-शिष्य परम्परा में क्रमशः उद्दालक, वाजसनेय याज्ञवल्क्य, मधुकर्षद्भ्य, बृडभागवित्ति, जानकिरायस्थूण, सत्यकाम जाबाल आते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद् (२।१) में एक राजा अजातशत्रु का उल्लेख हुआ है। यह अजातशत्रु काशी का राजा अजात शत्रु था, बौद्ध साहित्य में वर्णित मगध का राजा अजातशत्रु नहीं।

शतपथब्राह्मण में चरकों, चरकाचार्यों एवं चरकाध्वर्युजों का नाम कई बार उद्धृत हुआ है जिनके मतों का खण्डन कर याज्ञवल्क्य ने अपने मतों को प्रतिष्ठापित किया है। चरकाचार्यों का उद्धृत होना इसका संकेत करता है कि शतपथब्राह्मण की रचना महाभारत युद्ध के पश्चात् ही हुई होगी क्योंकि वैशम्पायन से याज्ञवल्क्य का मतमुटाव महाभारत युद्ध के बाद ही हुआ। शतपथब्राह्मण (२।१।२।२) के एक उद्धरण 'कृत्तिकास्वादधीत। एता ह वै प्राच्यं दिशो न च्यवन्ते। सर्वाणि ह वा अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्यं दिशश्च्यवन्ते।' के आधार पर शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने (भारतीय ज्योतिष पृ० १८०-१८१) ज्योतिष की सहायता से शतपथब्राह्मण के प्राचीन अंशों का रचनाकाल शकपूर्व ३००० वर्ष निश्चित किया है।

महाभारत युद्ध का समय ईसापूर्व ३१०२ वर्ष सम्भवतः निश्चित ही है। उसके पश्चात् शतपथब्राह्मण की रचना हुई। अतः याज्ञवल्क्य का समय ३००० वर्ष ईसापूर्व से २५०० वर्ष ईसापूर्व मानने को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

### (९) याज्ञवल्क्य के जीवन का अन्तिम भाग

याज्ञवल्क्य ने बृद्धावस्था में प्रव्रज्या ले ली।

## वैदिक यज्ञों का सामान्य परिचय

(पात्र, द्रव्य तथा यज्ञसम्पादक पुरुषों के साथ)

(१) यज्ञ शब्द की व्युत्पत्ति और उसका अर्थ

यज्ञ शब्द 'यज्' धातु तथा नङ् प्रत्यय से निर्गम्य है। यज् धातु का प्रयोग पूजा या आराधना तथा हवन करने के अर्थ में होता है। जिस विधान में देवताओं को हविष् दी जाती है अथवा जिसमें देवताओं की पूजा होती है उसे यज्ञ शब्द से अभिहित किया जाता है। अंगरेजी में यज्ञ को Sacrifice कहते हैं। ई० ओ० जेम्स (E. O. James) ने बताया है कि Sacrifice शब्द को लैटिन भाषा में Sacrificium कहते हैं जो कि लैटिन Sacer जिसका अर्थ अंग्रेजी में holy (तथा संस्कृत में पवित्र होता है) तथा लैटिन facere जिसे अंग्रेजी में to make (संस्कृत में अनुष्ठान) कहते हैं, से मिलकर बना है। यह Sacrificium शब्द उस विधान का बोध कराता है जो कि किसी वस्तु के च्युत हो जाने पर अथवा उसके नष्ट हो जाने पर किया जाता है और जिसका उद्देश्य देवी शक्ति के साधन तथा उसको प्राप्त करने वाले अर्थात् माधक के बीच सम्बन्ध स्थापित करना है।

शतपथब्राह्मण में यज्ञ शब्द की व्युत्पत्ति बह्वन् ही अर्द्धे इंध से दी हुई है जिसका अर्थ यह होता है कि उत्पन्न होने के कारण याम को यज कहते हैं।

‘अथ यस्माद्यज्ञो नाम । ध्वनन्ति वा एनमेतदभिपुण्वन्ति तद्यदेन तन्वते तदेन जनयन्ति स तायमानो जायते स यज्जायते तस्माद्यज्जो यज्जो ह वै नामैनद्यद्यज्ञ इति ।’

द्रव्य, दैवता और त्याग इन तीनों से यज्ञ शब्द का अर्थ पूरा होता है। अर्थात् किसी द्रव्य को जब किसी देवता के उद्देश्य से त्याग किया जाता है तो उसे याग कहते हैं।

## (२) यज्ञ शब्द के पर्याय तथा उनके अनीष्ट अर्थ

अध्वर, यज, क्रतु, इष्टि, सवन, याग, आदि अनेक शब्द यज्ञ के पर्याय हैं।

(क) जहाँ वर्ष भर यज्ञ कर्म चलता है, वहाँ पर अध्वर शब्द का प्रयोग होता है, जैसे चातुर्मास्य इष्टि अध्वर, सौम्य-अध्वर, तथा चयन याग अध्वर।

(ख) जहाँ ग्रहों का प्रचार होता है वहाँ मख शब्द का प्रयोग होता है जैसे ग्रह याग।

(ग) यज्ञों के अंगभूत छंटे अथवा बड़े कर्मों को क्रतु कहते हैं। शतपथब्राह्मण के अनुसार जो मन से कामना की जाती है, कि 'ऐसा हो जाय, अमुक वस्तु मेरी हो जाय, यह कार्य करना चाहिए' वह क्रतु है।

(घ) यज्ञ का छोटा रूप इष्टि है। यज्ञ में सोलह पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है किन्तु इष्टि यज्ञमान, यज्ञमान पत्नी तथा चार ऋत्विजों (होता, अध्वर्यु उद्गाता, ब्रह्मा) में ही सम्पन्न हो जाती है। यदि और भी छोटी इष्टि हुई तो एक ऋत्विज तथा यज्ञमान और यज्ञमान पत्नी से ही सम्पन्न हो सकती है। किन्हीं-किन्हीं इष्टियों में ऋत्विजों की आवश्यकता पड़ती ही नहीं, यज्ञमान अपनी पत्नी के साथ इष्टि को सम्पन्न कर लेता है।

(ङ) ग्रहयाग में सोमरस की आहुति दी जाती है, उसे सोमयज्ञ या सवन कहते हैं।

(च) किसी देवता के लिए द्रव्य का त्याग ही याग है।

## (३) याग और होम में अन्तर

'यजति' शब्द का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ उसका अर्थ याग होता है। 'जुहोति' शब्द से होम का बोध होता है।

पुरोऽनुवाक्या और पाज्या से युक्त, छड़े होकर जो होम होता है वह यज्ञ के अन्तर्गत आता है। होम या हवन में बैठकर हविष् प्रक्षेपण होता है। याग में 'वोपट्' कह कर अग्नि में हविष् डालना चाहिए तथा होम में 'स्वाहा' के बाद।


## (४) यज्ञ-द्रव्य की परिभाषा

इन्द्र, अग्नि, बिष्णु आदि पूज्य परोक्ष देवताओं की आहुतियों के रूप में तथा ब्रह्मा, अध्वर्यु आदि सपर्यं प्रत्यक्ष देवताओं की रक्षिणा के रूप में या पूजा के लिए

जिस सामग्री का उपयोग होता है अथवा यज्ञादि कर्म के समय जिस वस्तु का अग्नि में प्रक्षेपण किया जाता हो, इस प्रकार उद्भिजों, अण्डजों, जरायुजों, दैव तथा धातुओं से प्राप्त वस्तुओं को द्रव्य कह सकते हैं।

### (१) यज्ञ द्रव्यों का विभाजन

यज्ञ द्रव्यों का विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है :-



#### (क) आहुति द्रव्य

शतपथ ब्राह्मण में आहुति को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है सोमाहुति जिसका प्रयोग सोम यज्ञ में होता है तथा दूसरी है आज्याहुति जो हविर्यज्ञ तथा पशुयज्ञ में प्रयुक्त होती है। एक के साथ सोमद्रव्य है तथा दूसरी के साथ आज्यद्रव्य है।

#### (ख) होमद्रव्य

१—उद्भिजों से प्राप्त—यथागू, तैल, चावल, ओदन, सोमरस, माष (उड़द) उद्भिजों से प्राप्त होने वाले द्रव्य हैं।

२—जरायुजों से प्राप्त दूध तृधि धा मास जर यु० से प्राप्त हान वाले द्रव्य हैं। यही हाम के दस मुख्य द्रव्य बताये गये हैं जिनका अग्निहोत्र में प्रयोग किया जाता है किन्तु इन द्रव्यों में दूध, चावल तथा यवागू इन्हीं तीन मुख्य द्रव्यों का अधिक प्रयोग होता है।

### (ग) यागद्रव्य

मुविधा के लिए यागद्रव्यों को पाँच वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:-

१—उद्भिज्यों से प्राप्त यागद्रव्य २—अण्डजों से प्राप्त यागद्रव्य, ३—जरायुजों से प्राप्त याग द्रव्य, ४—देव प्राप्त याग द्रव्य, ५—धातुओं से प्राप्त यागद्रव्य।

### १—उद्भिज्यों से प्राप्त यागद्रव्य

इस प्रकार के द्रव्य के अन्तर्गत पुरोडाश, चरु, अपूप, यवागू, पृथुका, धानाः, लाजा या परिव्राप, सक्तकः, करम्भ, करम्भ, सोम, समिध, बर्हि, करीर, खर्जूर, कृष्णला, किशुक आदि प्रमुख हैं।

### १—पुरोडाश

देवता विशेष या सामान्य के लिये (ब्रीहि) और यव के पिष्ट का पिष्ट बनाकर मदन्ती जल से सान कर कूर्म के आकार की बनायी गयी याज्ञिक रोटिका को पुरोडाश कहते हैं। शतपथब्राह्मण में इसकी रीतिक व्युत्पत्ति दी गयी है।

‘सः (कूर्मरूपेणाच्छन्नः पुरोडाशः) वा एभ्यः (मनुष्येभ्यः) तत्पुरोऽदाशयत् । य एभ्यो यज्ञं प्रारोचयत्समात्पुरोदाशः पुरोदाशो ह वै नामैतच्चत्पुरोडाश इति ।’

ऐतरेयब्राह्मण में भी इसी प्रकार की व्युत्पत्ति की गयी है।

‘पुरो वा एतान्देवा अकृत यत्पुरोडाशस्तत्पुरोडाशानां पुरोडाशस्वम् ।’

पुरोडाश की तुलना पशु से दी जाती है। पहले पुरोडाश के स्थान पर पशु का आलम्भन किया जाता था। इसके प्रमाण के लिए शतपथब्राह्मण में पुरोडाश के विषय में एक आख्यान मिलता है।

पहले देवों ने पुरुष-पशु का आलम्भन किया, उस आलम्भ पशु का मेघ भाग और अश्व में प्रविष्ट हो गया, उन्होंने अश्व का आलम्भन किया। उस आलम्भ पशु का मेघ भाग कर गौ में प्रवेश कर गया, उन्होंने गौ का आलम्भन किया, उस आलम्भ पशु का मेघ भाग कर अवि (मेघ) में प्रविष्ट हो गया, उन्होंने अवि का



भी आलम्बन किया, उस आलम्बन पशु का मेघ भागकर अज (बकरे) में प्रवेश कर गया, अज का आलम्बन करने पर उसका भी मेघ भागकर उस पृथ्वी में प्रविष्ट हो गया। उसकी उन्हीं खोद कर प्राप्त क्रिया जो कि व्रीहि (चावल) तथा यव (जौ) के रूप में गज प्राप्त होता है। पशु पाँच वस्तुओं से निर्मित होता है और यह पुरोडाश भी पाँच वस्तुओं से बनता है, इसलिए इनकी तुलना पशुओं से की जाती है। व्रीहि और यव के पिष्ट पशु के लोम हैं, पिष्ट लोम मानने के लिए जल का डालना पशु का चर्म है। सानने पर पशु का सोम बनता है, मास भी इसी प्रकार बना हुआ होता है। पुरोडाश की अर्पण (पाक) क्रिया सम्पन्न होने पर पशु की अस्थियों का निर्माण होता है। पकाये जाने पर पुरोडाश में काठिन्य आ जाता है और पशु की अस्थियाँ भी कठिन होती हैं। पुरोडाश का अग्निधारण करना (घी से चुपड़ना) पशु की मर्जा है। इसीलिए कहा गया है कि 'पाङ्क्तः पशुः'।

ये पुरोडाश एक कपाल से लेकर द्वादश कपालों पर पकाये जाते हैं। वैश्व-देवयाग में छात्रापृथ्वी के लिए एककपाल पर पकाया गया पुरोडाश दिया जाता है। रत्नयाग में अश्विनो के लिए दो कपालों पर पकाया गया पुरोडाश दिया जाता है। द्विष्युक्तादि याग में विष्णु के लिए त्रिकपाल पुरोडाश का विधान है। सोम के लिए चतुष्कपाल पुरोडाश दिया जाता है। विद्वयज्ञ में पितरो के लिए या सोम के लिए छः कपालों पर पकाया गया पुरोडाश दिया जाता है। रत्नयाग में मरुत देवताओं के लिए सप्तकपाल पुरोडाश देने का विधान है। दर्शपूर्णयाम याग में अग्निदेवता के लिए अष्टकपालपुरोडाश दिया जाता है। मित्रविन्दा इष्टि में त्वष्टा और वरुण के लिए दशकपालपुरोडाश प्रदान किया जाता है। पूर्णमास-याग में अग्नीषोमीय एकादशकपालपुरोडाश का विधान है। रत्नयाग तथा मित्र-विन्दा इष्टि में इन्द्र को एकादशकपालपुरोडाश दिया जाता है। दशंयाग में इन्द्र तथा अग्नि देवता के लिए द्वादशकपालपुरोडाश तथा दीक्षणीया और मित्रविन्दा इष्टियों में सविता के लिए द्वादशकपाल पुरोडाश देने का विधान है।

### पुरोडाश का परिमाण

कुछ आचार्यों के मतानुसार पुरोडाश का आकार घोड़े के टाप के बराबर होना चाहिए जबकि षष्ठ्युक्तादि याग में याज्ञवल्क्य ने इसके आकार के विषय में किसी विशेष आकार के निर्धारण का विरोध करते हुए अपना मत प्रस्तुत किया है कि 'जितना मन से बड़ा न मालूम पड़े जतना बड़ा आकार पुरोडाश का होना चाहिए।'

विशेष ध्यान देने की बात यह है कि अन्य इष्टियों में विभिन्न देवताओं को

जि गान वाले पुराण शब्दों से आज हुए हो चाहिए पर त्रयम्बकेष्टि म ह्रद  
हवन के लिए स्थि जाते व से पुराणान्नी म गँज हुए नदी हान चाहिए ।

### २—चरु

गार्हपत्य आयतन के अंगारों पर पकाये गये चावलों को चरु कहते हैं । यदि  
उन चावलों को दूध में पकाया जाता है तो उसे पथसिचरु कहते हैं । यह श्यामाक,  
नीवार, गवेषु या अथवा जी से भी बनाया जाता है । शतपथ ब्राह्मण में इसे  
देवताओं का अन्न कहा गया है तथा अदन्त (भारत) को ही चरु कहा गया है । प्राशित्र-  
हरण के प्रसंग में अदन्तक पूषा को पिष्टनण्डुल का चरु दिया जाता है । वैश्वदेव  
याग में सोम के लिए चरु का विधान है । दीक्षणीया इष्टि में सोम वनस्पति के लिए  
श्यामाक के जने चरु का विधान है । बृहस्पतिवाक के लिए नीवार का बना चरु  
दिया जाता है और इन्द्र ज्येष्ठ के लिए हायनों के चरु का, रुद्र पशुपति के लिए  
गवेषुक चरु का, मित्र सत्य के लिए ताम्ब के चरु का, वरुण धर्मपति के लिए  
शत्रुमय चरु का विधान किया गया है । रत्नयाग में आदित्य को चरु दिया जाता  
है तथा ब्रह्म को यथमय (जी का बना हुआ) चरु दिया जाता है । मित्रविन्दा  
इष्टि में सोम, मित्र, बृहस्पति, पूषा, और सरस्वत् के लिए चरु का विधान किया  
गया है । आग्रयण इष्टि में विश्वेदेवों के लिए कुछ आचार्य प्राचीनात्र से बने चरु  
को देते हैं । याज्ञवल्क्य इस मत का खण्डन करके तबान्न से बने चरु को ही देने  
का विधान करते हैं ।

### ३—अपूप

घी से मिश्रित मीठी रोटी को ही अपूप कहते हैं । यह चावन या जी की  
बनी होती है । गुनराजान के समय अपूप एक तथा ग्रीहि से भी बनाया जाता है ।

### ४—यवागू

पिष्ट द्रव्य को यवागू कहते हैं । कुछ आचार्यों के मतानुसार अत्यन्त द्रव  
रूप से पकाये गये चावल ही यवागू हैं । धूर्तस्वामी के मत से दूध ही यवागू है ।  
कर्कशाथ के मत से खीर को ही यवागू कहते हैं ।

सृष्टुसंज्ञिता में यवागू की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है :

‘मिक्थैरिद्रिती मण्डः पेया मिक्थसमन्विता ।

विनेपीबहुमिक्थास्माद्याकागुविरलद्रवा ॥’

उसी ग्रंथ में यह भी निर्दिष्ट है कि यवागू कुछ चावलों से युक्त होती है ।

संतिरीय संहिता में त्रिलि (वन्य तिल) तथा गभीधुक् (धान्य विशेष) के पचापूर के होम करने का विधान है।

#### ५—पृथुका

त्रिपिटात्र को ही पृथुका कहते हैं। बोलचाल की भाषा में 'चूड़ा' तथा मराठी भाषा में इसे 'पोहा' कहते हैं।

#### ६—धाना:

इन्हें नक्षत्रों का रूप बताया गया है। भुने हुए जौ को ही धाना: कहते कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे 'बहुरी' कहा जा सकता है। भूमी निष्कातने के बाद जब जौ को भुना जाता है तो उन भुने हुए जौ को धाना: कहते हैं। चातुमस्य में साकमैध के प्रसंग में पितर-सोमवन्त, पितर बहिषद् के लिए अन्य द्रव्यों के साथ 'धाना:' भी दिये जाते हैं। अन्वाहार्यपचन में दक्षिणाग्नि में पितर-बहिषद् के लिए धाना: को आधा पीसते हैं और आधा बिना पीस कर ही पकाते हैं। हरी (दो घोड़ों) तथा अश्विनीकुमार के लिए इनको दिया जाता था।

#### ७—साजा:

इन्हें परिवाप भी कहते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में 'लाई' कह सकते हैं। भुने हुए चावलों को ही लाजा: कहते हैं। भारती देवता के लिए इनका विधान किया गया है।

#### ८—सवतथ: (सत्तू)

भुने हुए जौ के पिष्ट अथवा चावल के पिष्ट को सत्तू कहते हैं। शतरुद्रिय-होम में गवेधुका के सत्तू का होम किया जाता है। सौत्राभणी याग में चावल के सत्तू तथा जौ के सत्तू का आहवनीयाग्नि में हवन करने का विधान है।

#### ९—करम्भ

सत्तू में जब दही मिलाया जाता है तब उसे करम्भ कहते हैं। अदन्तक होने के कारण पूषा के लिए इसका विधान किया गया है।

#### १०—करम्ब


आण्यमिश्रित सत्तू को करम्ब कहा जाता है।

#### ११—मंथ

जिस गाय का बछड़ा मर गया हो, दूसरे बछड़े के द्वारा दूध दूह कर उस दूध में सत्तू डाल कर जिस द्रव्य का संपादन होता है वह मंथ है।

वृहस्पति ने सोम (वाजपक्षी) का रूप धारण कर द्युलोक से सोम का आहरण किया। सोम लक्षा विशेष है जिसकी उपलब्धि पर्वतो पर होती थी। शतपथ-ब्राह्मण (३।४।३।१३) में यह उल्लेख मिलता है कि पर्वत और चट्टानों पर एक वनस्पति उगती है जिसे अशाना (उशाना या कही-कही दुधाना) कहते हैं, उसे ऋत्विज ले आते हैं और निचोड़ते हैं। इससे सोमहवि तैयार की जाती थी जिसका प्रयोग सोम याग में होता था। इनका महत्त्व इससे विदित होता है कि ऋग्वेद का समस्त नवम मण्डल तथा अन्य मण्डलों के छः छः सूक्त इसकी प्रशस्ति में समर्पित हैं। वाट ने अफगान के अगूर को ही वास्तविक सोम माना है और राइस के विचार से गन्ने का तात्पर्य हो सकता है जब कि मैकममूलर और राजेन्द्र लाल मिश्र ने यह मत व्यक्त किया है कि इसकारण एक प्रकार की 'यव-सुरा' के एक तन्व' के रूप में प्रयुक्त होता था अर्थात् सोम पौधा होप (Humulus lupulus) का ही एक प्रकार होता था। हिलेब्राण्ड का विचार है कि होप अथवा अगूर में से कोई भी सोम नहीं। उनका यह भी कहना है कि उसकी अब पहचान ही नहीं की जा सकती। मूल सोम-पौधा निश्चिन्त रूप से अवेस्ता के 'होम' के समान था। उस पौधे के लिए, जिसमें केरमान और यजुद के पारसी 'होम-रस' निकालते थे और जिसे वह अवेस्ता के 'होम' के साथ समीकृत करते हैं। सोम निचोड़ने के पहले धरोदा जाना था। इसे पत्थरों पर या उलूखल में रखकर कूटा जाता था। अधिक रस प्राप्त करने के लिए पौधे को कभी-कभी जल में भिगी दिया जाता था। परिष्कार करने के लिए चकती पर रखकर दबाया जाता था। इसके पश्चात् इन्द्र और वायु देवता के लिए अभिषिक्त शुकु शुचि सोम प्रयुक्त होता था। सोम को दूध के साथ मिश्रित करने के कारण 'गवाशिर', तथा दधि के साथ 'दध्याशिर' और अन्न के साथ मिश्रित करने के कारण 'यवाशिर' कहते थे। इन मिश्रणों को विभिन्न प्राकृतिक नामों से व्यक्त किया गया है, जैसे अत्क, वस्त अथवा वासस् अभिषी, क्त, श्री, रस, प्रयस् और नभस्। इन तरह मिश्रित होने पर सोम के तीव्र आस्वाद को 'तीव्र' विशेषण द्वारा व्यक्त किया गया है। कुछ दशाओं में सम्भवतः सोम के साथ मधु भी मिश्रित किया जाता था। मिश्रण के लिए 'कोशमधुश्चुत्' का प्रयोग किया गया है।

अवेस्ता के दो बार की अपेक्षा यहाँ सोम को एक दिन में तीन बार निचोड़ा जाता था। मध्यकालिक निचोड़ने के कृत्य को ऋग्वेद में के साथ, मध्याह्न के कृत्य को इन्द्र के साथ और प्रातः कालिक कृत्य को अग्नि के साथ संबद्ध किया गया है किन्तु संस्कारों का ऐसा प्रकट होता है कि इनमें अनेक वेदों का भी भाग



होता था। वाजकीय पेय के विपरीत सोम कभी प्रचलित पेय था, ऐसा नहीं प्रतीत होता। सोम को उत्तम हवि तथा देवों की हवि कहा गया है। इसका प्रयोग महायज्ञ में होता था।

### १३—मदिरा (सुरा)

यह एक प्रकार का मादक पेय है जो अन्न को सड़ा कर उसके पिष्ट से तैयार किया जाता था। सौतामणी इष्टि में सुरा का भी प्रयोग होता था।

### १४—फलीकरण (सूती)

धान से चावल को निकालने के लिए उलूखल में धान को रखकर मुसल से काँड़ते हैं। उस कण्डनक्रिया से जो भूसी निकलती है उस फलीकरण कहते हैं। शूर्प से जब भूसी को चावल से अलग करते हैं, इस क्रिया को भी फलीकरण कहते हैं। यहाँ पहले कहा हुआ अर्थ ही अभीष्ट है। फलीकरणद्रव्य यज्ञ में राक्षसों को प्रदान किया जाता था।

### १५—समिध

अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए बाहु के नाप की पलाश वृक्ष अथवा किसी भी यज्ञीय वृक्ष की लड़कियों को समिध कहा जाता है। शतपथब्राह्मण में पंचमहायज्ञ के प्रकरण में बताया गया है कि कुछ भी न रहने पर अग्नि में समिध जानकर 'देवयज्ञ' सम्पन्न किया जा सकता है।

### १६—बहि (कुशा)

इनका प्रयोग वेदी को ढकने के लिए होता था। यज्ञ में भाग पाने वाले देवता आकर इन पर बैठते थे। दर्शपूर्ण मास के अन्त में बहि होम भी होता था।

### १७—कारीर

इनका उपयोग कारीरी (काम्येष्टि) में मिलता है। इन्हें सौम्य बताया गया है।

### १८—खर्जूर

इनका भी प्रयोग कारीरी इष्टि में मिलता है।

### १९—कृष्णला

इन्हें गुंजा या धुंधची कहते हैं। इनका प्रयोग अतियज्ञ में होता था। मृत्यु से भयभीत व्यक्ति के लिए शतकृष्णला इष्टि का विश्रान है।

## (२) अण्डजों से प्राप्त यागद्रव्य

### १-मधु

मधु ओषधियों तथा वनस्पतियों का परम रस है। सोमरस की मात्रा में वृद्धि के लिए मधु का मिश्रण तैयार किया जाता था। इसके मिश्रण को 'कोशमधुश्चुत्' कहा गया है।

## (३) जरायुजों से प्राप्त यागद्रव्य

जीवित पशुओं से तथा पशुओं को मारकर जो वस्तुएँ प्राप्त की जाती हैं, जिनका उपयोग देवताओं के लिए किया जाता था वे यागद्रव्य के अन्तर्गत आती हैं।

पशुओं की जीवन अवस्था से प्राप्त होने वाले द्रव्यों में दूध, दधि, साक्षाव्य, आज्य, पृषदाज्य, तानूनप्राज्य, आमिक्षा या पयम्या तथा वाजिन हैं।

### १-पय (दूध)

दूध यज्ञ का प्राण है। 'पीड् पान' धानु से 'पीयते इति पयः' से पय का अर्थ दूध अभीष्ट है। प्रायः इसका उपयोग अग्निहोत्र में होता है। शुतार्षारीय पर्व में वायुदेवता के लिए तथा सूर्य देवता के लिए इसका विधान है। त्वस्ताषासा (रान और उषा देवता) के लिए श्वेत बछड़े वाली काली गाय के दूध की आहुति दी जानी चाहिए। मृतक के लिए उस गाय के दूध की आहुति दी जानी चाहिए जिसका बछड़ा नहीं है और दूसरा बछड़ा ले आकर उससे दूध प्राप्य दिया जाता है। अग्निहोत्र के प्रसंग में आचार्यों ने इस विषय में मतभेद है कि दूध को कितनी देर तक पकाया जाय? कुछ आचार्य बुद-बुदे उठने के समय तक पकाने के लिए अपना मत प्रस्तुत करते हैं। याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करते हैं। उनका मत है कि केवल थोड़ी देर अग्नि पर रखकर दूध का हवन करना चाहिए। दूध को देर तक नहीं पकाना चाहिए क्योंकि वह अग्नि का वीर्य है।

### २-दधि (दही)

इसकी व्युत्पत्ति अन्नपचनब्राह्मण में इस प्रकार दी गयी है :

'यदन्नवीदिनोति मेति तस्माद्दधि'

इन्द्र के लिए बहना अनुडुही (गाय) के दधि को प्रदान करने का विधान किया गया है। सरस्वती देवता के लिए भी इसका विधान है।

### ३-सान्नाय्य

दूध म दही मिलाने से सान्नाय्य तैयार की जाती है। इसकी व्युत्पत्ति षड्विंश ब्राह्मण में इस प्रकार दी गयी है-

‘तमोषधिभ्यश्च वनस्पतिभ्यश्च गोभ्यश्च पशुभ्यश्च आदिस्याच्च ब्रह्म च ब्राह्मणाः सन्नयन्ते तत्सान्नाय्यस्य सान्नाय्यत्वम् ।’

जिस यजमान ने सोमयाग कर लिया है, वह दर्शोष्टि में इन्द्र के लिए सान्नाय्य (दूध और दधि का मिश्रण) दे। सान्नाय्य ‘महेन्द्र को दी जाय या इन्द्र को?’ इस विषय में मतभेद है।

तैत्तिरीयकों का मत है कि सान्नाय्य देते समय ‘महेन्द्राय सान्नाय्यत्वम्’ कहना चाहिए क्योंकि वृत्र को मारने के पूर्व तो इन्द्र थे, किन्तु वृत्र को मारने के पश्चात् इन्द्र महेन्द्र हो गये। आज भी एक राजा जब वह कोई विजय कर लेता है तब ‘महाराज’ कहा जाता है। इस मत के विरोध में याज्ञवल्क्य कहते हैं कि सान्नाय्य ‘इन्द्र’ कह कर ही देना चाहिए ‘महेन्द्र’ कहकर नहीं क्योंकि वृत्रहन्त के पूर्व भी इन्द्र थे और वृत्रहन्त के पश्चात् भी इन्द्र ही हैं।’

### ४-आज्य (घी)

वदिक भाषा में पिछले हुए घी को आज्य कहते हैं। सामान्यतः घी को ही आज्य शब्द से अभिहित किया जाता है। यागिक कर्मों के लिए आज्य गाय का ही होना चाहिए। यह देवताओं की मुरभि है। आज्य के स्थान में घी, तेल, दूध, दधि में से किसी का उपयोग किया जाय तो उसे भी आज्य शब्द से अभिहित किया जाता है। दो आज्य भाग अग्नि और सोम के लिए पौर्णमासयाग में प्रदान किये जाते हैं। याज्ञवल्क्य के कथनानुसार दोनों आज्यभाग यज्ञ की दो आँखें हैं।

### ५-पृषदाज्य

संस्कार किये गये आज्य में जब दधि मिला दिया जाता है, उस दधिमिश्रित आज्य को पृषदाज्य कहते हैं। शतपथब्राह्मण में एक स्थल पर दूध को ही पृषदाज्य कहा गया है तथा पृषदाज्य को प्राण बतलाया गया है। वस्तुतः पृषदाज्य कोई द्रवमान्तर नहीं है किन्तु आज्य में दधिविन्दु रूपी गुण का विधान किया जाता है। दोनों गुणों के कारण दधि की प्रशंसा ही है। पशुयाग में भी ‘स्वाहा देवा आज्यपान्’ (शु० य० २१।४०) यही मन्त्र पढ़ा जाता है ‘स्वाहा देवा आज्य पृषदाज्यपान्’ यह नहीं।

अथ पृषताज्य गृह्णाति (श० ब्रा० ३८४७) इस प्रकार एक बचन के श्रवण होने से भा यही अथ अभाष्ट प्रतात हाता है ।

### ६-तानूनपत्राज्य

यह भी संस्कारित आज्य विशेष ही है । ध्रुवा के आज्य से पांच बार तानूनपत्र मन्त्रों से अध्वर्यु आज्य को ग्रहण करता है । देखकर, सूँघकर, उस षात्र का जल से स्पर्श कराकर यज्ञशाला के उत्तर भाग में रखता है । वह आज्य तानूनपत्र कहा जाता है ।

### ७, ८-आमिक्षा या पयस्या तथा वाजिन

आमिक्षा तथा दधि के लिए यज्ञ के पहले दिन सार्यकाल गाय को दुहकर उससे दही बनाते हैं । प्रातःकाल दुहे गये दूध को गर्म करके उसमें दही मिलाया जाता है । इस तरह उस गर्म दूध में जो घनीभूत भाग होता है उसे आमिक्षा या पयस्या तथा जो जल रूप (तरल) भाग होता है उसे वाजिन कहते हैं । शतपथ-ब्राह्मण में पयस्या को योषा तथा वाजिन को रेतस् बताया गया है । पयस्या को मित्र तथा वरुण देवता के लिए देने का विधान है । चातुर्मास्ययाग के अंतर्गत षैश्वदेव पर्व में विश्वेदेवों के लिये, वरुणप्रघास पर्व में वरुण और महत् देवता के लिए इसे देने का विधान है ।

पशुओं का आलम्भन करके प्राप्त हविर्द्रव्यों में वषा, मांस, वसा और रुधिर है ।

विभिन्न देवताओं के लिए विभिन्न पशुओं का आलम्भन किया जाता था । विशेष देवता के लिए विशेष प्रकार का पशु, साथ ही साथ उनका वर्ण आदि भी देखा जाता था । उदाहरण स्वरूप इन्द्र के लिए बैल और यैसे का तथा रुद्रवान् अग्नि के लिए काली गर्दन वाले बकरे (अज) का विधान है । मरुतों के लिए चितकवरी गाय या कोई चितकवरा पशु दिया जाता था । अश्विनों के लिए लाल बकरा दिया जाता था । मित्र और वरुण के लिए बाँस गाय का आलम्भन होता था । प्रजापति के लिए कालापशु, तथा मरुस्वत् देवता के लिए मेष (भेड़) का विधान किया गया है । शतपथ ब्राह्मण में मरुस्वत् देवता के लिए गलस्तन से युक्त अवि के आलम्भन का संकेत मिलता है । इसी प्रकार अश्वमेधयाग के प्रसंग में अनेक पशुओं के नाम गिनाये गये हैं । यह शंका हो सकती है कि पशुओं के आलम्भन में उनके वर्ण का क्या प्रयोजन हो सकता है ? विभिन्न प्रयोजन के लिये पशुओं के विभिन्न वर्णों का भी औचित्य है जैसे



एस्वय के लिए इच्छुक व्यक्ति को वायु देवता के लिए श्वेत पशु (छाग) का आलम्बन करना चाहिए।

जो यज्ञमान अधिक पशु प्राप्त करना चाहता हो, उसे चितकबरे स्त्री-पशु का आलम्बन करना चाहिए। वृष्टि चाहने वाला यज्ञमान प्रजापति के लिए काला पशु दे। वह पशु अनेक वर्णों का हो, साथ ही साथ सींगरहित भी हो।

### पशुओं की मृत अवस्था से प्राप्त यागद्रव्य

#### १—वपा

सम्पूर्ण उदर में व्याप्त शुक्लवर्ण, पोलिका के आकार की एक झिल्ली विशेष को वपा कहते हैं। वपा होम का पाशुक हविर्होमों में महत्त्वपूर्ण स्थान है। कुछ विद्वान् वपा को मेद का ही पर्याय मानते हैं किन्तु यह धारणा भ्रामक प्रतीत होती है। मेद वपा से भिन्न वस्तु है। शतपथब्राह्मण के एक उद्धरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी।

‘अथ वपावद्यन्नाहाग्नीषोमाभ्यां छागस्य वपायै मेदमोऽनुवृद्धि’

अन्य ब्राह्मण गन्थों से भी इसी प्रकार के प्रमाण मिलते हैं।

#### २—मांस

पिशित, तरस, पलस, आमिष ये शब्द मांस के पर्याय हैं। पशुयाग में वपा होम के अनन्तर देवताओं को मांस की आहुति दी जाती थी। शेष बचे हुए मांस का ऋत्विज भक्षण करते थे, इसका भी संकेत मिलता है।

#### ३—वसा

पशु से प्राप्त होने वाले रस को वसा कहते हैं। मेद का स्निग्धभाग ‘वसा’ नाम से अभिहित किया जाता है। अमर सिंह ने वसा को वपा और मेद का पर्याय माना है जो उचित प्रतीत नहीं होता। साधारणतया हम इसे चर्बी कह सकते हैं। राजसनेयिसंहिता के भाष्य में महीधर ने शुद्धमांस के स्नेह को ‘वसा’ कहा है। यह भी वपा की तरह महत्त्वपूर्ण वस्तु है, जिसकी आहुति देवताओं को दी जाती थी।

#### ४—रुधिर

लोहित या रुधिर का अर्थ रक्त है। पशु के रुधिर का उपयोग पशुयाग के अन्तर्गत स्विष्टकृद्वाय के समय होता था। इसमें राक्षसों का भी भाग लगाया

जल का अतिवृद्धि या जहा फनीकरण राक्षसों को दिया जाता था पशुधाम में  
— ट रक्त दिया जाता था ।

#### (४) द्रवप्राप्तयाग द्रव्य

जल

जल ओषधियों का रस है । मने हुए द्रव्यों में जल का प्रयोग होता है ।  
शतपथब्राह्मण में अग्निहोत्र के प्रकरण में याजवल्क्य ने जनक को यह बताया है  
कि यदि ओषधियों से प्राप्त हविर्द्रव्य न रहें तो वनस्पतियों एवं अरण्य सम्बन्धी  
पदार्थों के अभाव में जल का ही हवन करना चाहिए । पंचमहायज्ञों में पितृयज्ञ का  
सहृत्वपूर्ण स्थान है जो जल से विश्रित् सम्पन्न किया जा सकता है ।

#### (५) धातुओं से प्राप्त यज्ञद्रव्य

हिरण्यसकल

स्वर्ण के टुकड़ों का द्रव्य रूप में प्रयोग यज्ञों में मिलता है । इसे आग्नेय  
कहा गया है । हिरण्य शब्द की व्युत्पत्ति शतपथब्राह्मण में इस प्रकार दी गयी है—

‘हिरण्यम् तद्यज्ञस्य प्रजापतेः एतस्यां रम्याया तन्वां देवा अरमन्त तस्माद्धि-  
रभ्यं हिरण्यं ह वै तद्धिरण्यमित्याचक्षते परोक्षम् ।

—शतपथब्राह्मण ७।४।१।१६

याग से सम्श्रित्त वपर्सुक्त द्रव्यों का हवन खड़े होकर किया जाता है ।

#### (घ) अर्हणीय द्रव्य

जिन द्रव्यों से पूज्यों का आदर-सत्कार किया जाता है, वे द्रव्य अर्हणीयद्रव्य  
कहे जाते हैं । इनमें विष्टर (आसन), अर्घ्य, आचमनीय, मधुपर्क आदि हैं ।

(१) विष्टर—इमसिन को ही विष्टर कहते हैं ।

(२) अर्घ्य—जल ही अर्घ्य है ।

(३) आचमनीय—आचमन के लिए जो जल दिया जाता है उसे आचमनीय  
कहते हैं ।

(४) मधुपर्क—मधु से युक्त दधि, दूध अथवा अन्न को मधुपर्क कहते हैं । मत्तू  
के तीन प्रकार हैं और विकल्प से इन्हें भी ‘मधुपर्क’ कहते हैं । दधि-  
मिश्रित मत्तू को ‘दधिमन्थ’, मधुमिश्रित मत्तू को ‘मधुमन्थ’, तथा  
जलमिश्रित मत्तू को ‘उदमन्थ’ कहते हैं ।

## (४) दक्षिणा इव्य

शतपथब्राह्मण में दक्षिणा शब्द की व्युत्पत्ति अधोलिखित है :—

“तं (यज्ञं) देवा दक्षिणाभिरदक्षयंस्तद्यदेनं (यज्ञं) दक्षिणाभिरदक्षयंस्तस्माद्दक्षिणा नाम ।”

कौषीतकिब्राह्मण में भी इसी प्रकार की व्युत्पत्ति मिलती है ।

‘तद्यद्दक्षिणाभियंज दक्षयति तस्माद्दक्षिणा नाम’ ।

देवता दो प्रकार के होते हैं । एक देव तथा दूसरे मनुष्यदेव । यज्ञ सम्पादक ब्राह्मण ही मनुष्य देव हैं ।

देवों की दक्षिणा आहुतियों को देकर पूरी कर दी जाती है । मनुष्यदेवों को रूपों, गायों, बैलों, अश्वों, रथों और वस्त्रों के रूप में दक्षिणा दी जाती है ।

बड़े यज्ञों में जिनमें सोलह ऋत्विजों के द्वारा यज्ञ सम्पादित होता है, उन ऋत्विजों को चार श्रेणी में रखा जा सकता है—

१—होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा ।

२—प्रणास्ता, प्रतिप्रस्थाता, प्रस्तोता, ब्राह्मणाच्छंसी ।

३—अच्छावाक्, नेष्टा, प्रतिहर्ता, अग्नीत् ।

४—प्रावस्तोता, उन्नेता, सुब्रह्मण्य, पोता ।

उपर्युक्त चतुर्वर्गों में प्रथम वर्ग के ऋत्विजों को पूर्ण दक्षिणा दी जाती है । द्वितीय वर्ग के ऋत्विज प्रथम दक्षिणा की अपेक्षा अर्ध दक्षिणा प्राप्त करते हैं । तृतीय वर्ग के ऋत्विज प्रथम दक्षिणा का तृतीयांश तथा चतुर्थ वर्ग के ऋत्विज प्रथम दक्षिणा का चतुर्थांश प्राप्त करते हैं ।

(८) यज्ञ में प्रयुक्त पात्रों एवं उपकरणों का सामान्य परिचय

(क) हविर्यज्ञों में प्रयुक्त पात्र एवं उपकरण

हविर्यज्ञों में पत्थर, धानु, मृत्तिका, लकड़ी, मास, नरकुल, घास, चर्म के बने जिन पात्रों का उपयोग होता है उन्हें कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

१ मन्थनपात्र

२ सुक्पात्र

४ स्यानी पात्र

५ उपयोजनपात्र (मयुक्त पात्र)

६ मन्थनपात्र

अग्निमन्थनपात्र के अवयवों में अधरारणि, उत्तरारणि, देवयोनि, प्रमन्थ चात्र, उपमन्थ या ओविली है।

**अधरारणि**—अग्निमंथन के लिए नीचे रखी जाने वाली लकड़ी को अधरारणि कहते हैं। यह शमी वृक्ष के ऊपर उगे हुए पीपल की लकड़ी से बनी होती है। बीस अंगुल लम्बी, छः अंगुल चौड़ी, चार अंगुल मोटी (या ऊँची) होती है। इसके बीच में अग्नि मंथी जाती है, इसके मध्य भाग को 'देवयोनि' कहते हैं।

**उत्तरारणि**—(ऊपर रखी जाने वाली लकड़ी)—यह भी अधरारणि के नाप की होती है। उत्तरारणि में छोटे-छोटे टुकड़े लगे होते हैं। एक उत्तरारणि में रुई प्रमन्थ होते हैं। प्रमन्थ चात्र में लगा होता है। चात्र अथवा मन्थ खदिरकाष्ठ का बना होता है जो द्वादश अंगुल लम्बा होता है। प्रमन्थ का अन्तिम भाग देवयोनि में रखा जाता है। ऊपर का भाग उपमन्थ जो कि उत्तरारणि में लगा होता है, अधरारणि के ऊपर बिलकुल समानान्तर होता है। उपमन्थ को ही 'ओविली' भी कहते हैं। यह खदिरकाष्ठ का बना होता है तथा द्वादश अंगुल लम्बा होता है। अग्निमन्थन के समय एक व्यक्ति उपमन्थ को हाथ से पकड़ता है, दूसरा मन्थ को घुमाता है। जिसमें प्रमन्थ लगा होता है, उसको वह एक रस्मी की सहायता से घुमाता है जो (रस्मी) गाय की पूछ के वालों की या मन की बनी होती है। छिद्रों में से एक में मन्थ का ऊपरी भाग डाल दिया जाता है और दोनों किनारे दोनों हाथों से पकड़े जाते हैं।

## (२) स्रुक् पात्र

स्रुक् पात्रों में (जिन्हें चम्मच कहा जा सकता है) स्रुव, ध्रुवा, जुह, उपमृत् तथा अग्निहोत्रहवणी है।

१—**स्रुव**—यह खदिरकाष्ठ का कभी-कभी उदुम्बर (गूलर) की लकड़ी का भी बनता है। लम्बाई एक अरत्ति अथवा एक बाहु के बराबर होती है। इसका मुख अंगुष्ठपर्व के वृत्त के बराबर होता है। आज्य (घी) का स्रवण करने के कारण इसकी स्रुव संज्ञा है।

२—ध्रुवा—यह विकंकतकाष्ठनिमित्त होती है तथा जुहू के समान होती है। होमादि के लिए स्तुव के द्वारा ग्रहण किये जाने वाले आज्य का आधार होती है। यज्ञ की समाप्ति तक वेदी पर एक स्थान पर स्थिर रहने के कारण इसे ध्रुवा कहते हैं। पाणि के बराबर इसका मुख होता है तथा बाहु के बराबर एक दंड लगा रहता है।

३—जुहू—यह पलाशकाष्ठ की बनी होती है। इसके द्वारा हवन किया जाता है इसलिए इसे 'हवतेज्या' इस व्युत्पत्ति से जुहू कहते हैं। इसका भी मुख पाणि के बराबर होता है तथा दंड बाहु के बराबर।

४—उपभृत्—यह अश्वत्थ (पीपल) के काष्ठ की बनती है। बाहु के बराबर दण्ड होता है। इसमुख के समान पाणि के बराबर इसका मुख होता है। यह जुहू के समीप रखी जाती और 'उपसमीपे—ध्रियते ध्रियते' इस व्युत्पत्ति से इस उपभृत् कहते हैं।

५—अग्निहोत्रहृषणी—यह विकंकत काष्ठ की बनी हुई होती है। एक अरति अथवा एक बाहु के परिमाण वाली तथा हंसमुखी होती है। जुहू के ही समान इसका भी आकार होता है।

### (३) आयुध पात्र

इस वर्ग के पात्रों का नाम आयुध इसलिए रखा गया है कि ब्राह्मणग्रन्थ में अधिकतर पात्र विशेष प्रकार के आयुध कहे गये हैं। इस वर्ग में स्वयं, कपाल, शूर्प, शम्या, कृष्णाजिन, उलूखल, मुसल, दृषद् और उपल हैं।

१—स्वयं—यह खदिर काष्ठ से बनता है। एक अर्दल या बाहु के नाप का, तीन प्रकार के आकार वाला होता है। चार अंगुल चौड़ा जिसमें चार अंगुल पकड़ने का दंड भी लगा होता है। यह वेदी के उद्धनन् में तथा पेशा खींचने के लिए प्रयुक्त होता है। यह लकड़ी की तलवार है जिसका अग्र भाग तेज होता है। इसे वज्र भी कहा गया है।

२—कपाल—मृत्तिकानिर्मित, ब्राह्मण या क्षत्रिय अथवा वैश्य के हाथ से बनाये गये तथा लौकिक अभिन में पके हुए होते हैं। घोड़े के टाप के आकार वाले, दो अंगुल मोटे, पुरीडाश भेंकने के लिए बनाये जाते हैं। ये कपाल संख्या में प्रायः ८ या ११ होते हैं, वृत्त रूप में रखे जाते हैं, व्यास छः अंगुल होता है।

३—शूर्प—यह बांस अथवा तरकुल का बना होता है, तथा चमड़े से बंधा

होता है जिसका परिमाण एक अरस्ति होता है। यह ब्रीहि और यव के तुष-निरसन के लिए प्रयुक्त होता है।

४-शम्भा-यह खदिरकाष्ठ की बनी होती है। ३६ अंगुल लम्बी, एक ओर मोटी, दृषद् के सिर को उठाने के लिए उमके नीचे रखी जाती है। यज्ञ कर्म के समय इसमें दृषद् और उपल को खटखटाते हैं।

५-कृष्णाजिन-कृष्णासारमृग का चर्म जो गर्दन सहित, सिर के भाग सहित तथा चारों पैरों के साथ होता है। यव और ब्रीहि के कंडन के समय उलूखल के नीचे रखा जाता है।

६-उलूखल-यह वरण, पलाश या उदुम्बर की लकड़ी से निर्मित होनी है जिमकी ऊँचाई द्वादश अंगुल होती है। ब्रीहि और यव को कूटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। शतपथब्राह्मण में उलूखल शब्द की व्युत्पत्ति अधोनिश्चित है—

(प्रजापतिरब्रवीत्) उरु में करदिति तस्मादुत्करमुत्करं ह वै तदुलूखल-मिथ्याभते परोऽक्षम् ।'

७-सुसल-यह खदिरकाष्ठ या वरण काष्ठ अथवा अन्य किसी यज्ञिय वृक्ष की लकड़ी का बना होता है। ३६ अंगुल लम्बा तथा उलूखल में ब्रीहि और यव के कंडनार्थ इसका उपयोग होता है।

८-दूषद्-यह पत्थर की बनी होती है तथा इसका परिमाण एक प्रादेश, एक अरस्ति अथवा इच्छानुसार हो सकता है। इससे चावल और जौ पीसे जाते हैं।

९-उपल-पाषाण निर्मित होता है, पीसने के लिए इसका उपयोग होता है। उपल और उपर को एक नहीं कहा जा सकता। दूषद् और उपल चावल को पीसाने के काम आते हैं जब कि उपर और ग्रावा सोम को कूटने के काम आते हैं।

#### (४) स्थालीपात्र

१-आज्यस्थाली-यह भी मृत्तिकानिर्मित अथवा धातुनिर्मित होती है जिममें आज्य रखा जाता है। इसका विस्तार द्वादश अंगुल तथा ऊँचाई एक प्रादेश अथवा विस्तार और ऊँचाई इच्छानुसार कर सकते हैं।

२-अक्षस्थाली-यह मिट्टी अथवा उदुम्बर की लकड़ी की बनी होती है। यह आज्यस्थाली की भाँति होती है। इसका मुख बड़ा नहीं करना चाहिए।

३-अन्वाहायस्वाली-यह काँसे या ताँबे की बनी होती है। इसमें अन्वाहार ओदन पकाया जाता है इसलिए इस कहते हैं विस्तार इच्छानुसार किया जा सकता है।

४-पिष्टोद्वपनी-इसमें पिष्ट (पिसे हुए पदार्थ) रखे जाते हैं।

५-इडापात्री-कुछ आचार्यों के मतानुसार यह विकंकत काष्ठ की बनी होती है तथा एक अरत्ति के परिमाण वाली होती है। अन्य आचार्यों के मतानुसार पीपल के वृक्ष की लकड़ी से बनी होती है। द्वादश अंगुल के नाप वाली, छिद्र रहित, चार अंगुल चौड़ी तथा चार अंगुल लम्बे दण्ड से युक्त होती है। हवन की हुई हवि के शेष से काट कर पात्री पर जो भाम रखा जाता है उसे इडा कहते हैं। इडा का आधार होने के कारण इस पात्री को इडापात्री कहते हैं।

६, ७-यजमानपात्री तथा यजमानपत्नीपात्री-ये पात्रियाँ यजमान तथा उसकी पत्नी के लिए बनायी जाती हैं।

८-प्रणीतापात्र-यह पीपल अथवा वरणकाष्ठ का बना होता है। इसका परिमाण एक प्रादेश (साढ़े दस अंगुल) होता है। आठ अंगुल के बिल वाला तथा चार अंगुल के दण्ड से युक्त होता है। इसके द्वारा प्रणीता नाम वाले जल का आहरण किया जाता है इसलिए इसे प्रणीतापात्र कहते हैं।

९-प्रोक्षणीपात्र-विकंकत काष्ठ का बना हुआ, एक हाथ लम्बा, हंसमुख, तथा चार अंगुल के बिल वाला होता है। पात्रों के प्रोक्षणार्थ इसमें जल रखा जाता है।

१०-फलीकरण पात्र-पीपल के काष्ठ का बना होता है, चावल तथा जी को कूटते समय निकलने वाली भूमी यज्ञपर्यन्त इसमें रखी जाती है क्योंकि याग के अनन्तर दक्षिणाग्नि में जुहूँ से ग्रहण किये गये आज्य के साथ इसका होम होता है। राक्षसों का भाग भी इसी में होता है।

११-मदन्ती-यह धातु निर्मित होता है। भर्जनपात्री के अधिश्रयण के समय जो जल का पात्र रखा जाता है, उसमें रखा गया जल 'मदन्ती' कहा जाता है। मदन्ती जल जिस पात्र में संतप्त होता है, वह पात्र भी लक्षणा से मदन्ती कहा जाता है।

(५) उपयोजनपात्र (संयुक्त पात्र)

इस वर्ग के अन्तर्गत प्राशित्तहरण, श्रुतावदान, मेक्षण, दर्वी, वृष्टि, उपवेश,

अभिर् कर्चं परिधि अतर्धानकट वेद पवित्र विघृति प्रस्तर बहि यौक्य इधम तथा शाखा है ।

१-प्राशित्रहरण-यह खदिरकाष्ठ या विकंकत काष्ठ से निर्मित होता है । प्रादेश परिमाण वाला, ऐनक या चमस अथवा गाय के कर्ण के आकार का होता है । चार अंगुल दण्ड से युक्त होता है । हवन करने से शेष बचा हुआ हविर्भाग जो ब्रह्मा को दिया जाता है, वह प्राशित्र कहा जाता है । वह प्राशित्र इस पात्र से ले जाया जाता है इसलिए इसे प्राशित्रहरण कहते हैं ।

२-श्रुतावदान-यह विकंकत काष्ठ निर्मित, एक प्रादेश लम्बा, मुख बड़ा तथा अंगुष्ठ के पर्व के बराबर आगे तेज होता है । इसके द्वारा पकाया हुआ अन्न काटा जाता है इसलिए इसे श्रुतावदान कहते हैं ।

३-मेक्षण एक मत से विकंकत काष्ठ का बना होता है तथा प्रादेश मात्र लम्बा होता है । दूसरे मत से पीपल के वृक्ष की लकड़ी का बना होता है तथा एक अरत्ति लम्बा होता है । अग्रभाग चार अंगुल चौकोर फलक से युक्त होता है । इसके मूल में दंड लगा होता है । भर्जनपात्री में रखे गये पिष्ट को मदन्ती जल से मिलाने में इसका उपयोग होता है । चरु पकाने के कारण इसे चरुमेक्षण कहते हैं ।

४-द्वी-यह वरणकाष्ठनिर्मित, एक अरत्ति लम्बी तथा मेक्षण के सदृश होती है । ब्रह्मोदन (ब्राह्मणों को खिलाये जाने वाले भात) को निकालने के लिए इसका उपयोग होता है ।

५-घृष्टि-यह भी मेक्षण के समान ही होता है । कपालोपधान के लिए गार्हपत्य से अंगारों को निकालने में इसका उपयोग होता है ।

६-उपवेष-इसके आकार के विषय में दो मत हैं-प्रथम मत के अनुसार पलाशकाष्ठनिर्मित, प्रादेश मात्र घृष्टि के आकार का होता है । बछड़ों को गायों से अलग करने के लिए जिस शाखा का प्रयोग किया जाता है उसके पत्तों को अलग करके उसी का उपवेष बनाया जाता है । दूसरे मत के अनुसार खदिरकाष्ठ अथवा विकंकतकाष्ठ निर्मित तथा हाथ के आकार का होता है । साम्नाय्य के सस्कार के समय गार्हपत्य से अंगारों को उत्तर की ओर ले जाने के लिए इसका उपयोग होता है ।

७-अभि-खदिर, विकंकत, वरण अथवा उदुम्बरकाष्ठ निर्मित होती है । यह एक अरत्ति लम्बी, तीक्ष्ण मुख वाली होती है । इसका उपयोग वेदी के खोदने में होता है । इसके दोनों ओर से तथा एक ही ओर से भी जमीन खोदी जाती है ।



८—**कूर्च**—यह ऋगनिर्मित एक बाहु लम्बा मकर के आकार का पावों को स्वच्छ करने के लिए उपयुक्त होता है।

९—**परिधि काष्ठ**—बाहु की लम्बाई के पलाशकाष्ठ के तीन इधमकाष्ठों की परिधि सजा होती है। इन्हें आहवनीय के पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर वेदी की प्रथम मेखला के ऊपर रखा जाता है। तीन ओर से इधम काष्ठ तथा पूर्व की ओर से सूर्य की कल्पना करके परिधि मान लिया जाता है। इसी कारण इन इधम काष्ठों को परिधि कहते हैं।

१०—**अन्तर्धानिकट**—यह पीपल अथवा विककतकाष्ठनिर्मित होता है। द्वादश अंगुल अर्ध चन्द्राकार, कुछ उठे हुए सिर वाला होता है। गार्हपत्य में अध्वर्यु पत्नी मयाज सम्पन्न करता है। उस समय यहाँ पर बुलायी गयी देवपत्नियों को छिपाने के लिए इसे आहवनीय और गार्हपत्य आयतन के बीच रख दिया जाता है।

११—**पवित्र**—दर्भ को पवित्र कहते हैं। प्रादेशमात्र लम्बे, प्रोक्षण नर्म करने के कारण इनकी पवित्र संज्ञा है। इसमें दो दल होना आवश्यक है, दो दर्भ होना आवश्यक नहीं है क्योंकि एक दर्भ भी पवित्र संज्ञक होता है।

१२—**वेद**—दर्भ की एक मुष्टि को वेद कहते हैं। यह दोहरा करके एक प्रादेश के बराबर कर लिया जाता है। जो बछड़े के जानु के सदृश होता है। इसका अग्रभाग कटा होता है। समन्वक वेदी के सम्मार्जन में प्रयुक्त होने के कारण इसे वेद कहते हैं।

१३—**विधृति**—पूर्णमास तथा दश में वेदी में दो दर्भ उत्तर की ओर अग्रभाग करके रखे जाते हैं, उन दोनों की विधृति सजा होती है।

१४—**प्रस्तर**—मन्थ से संस्कार किये गये एक मुष्टि दर्भ उपर्युक्त विधृतियों के ऊपर पूर्व की ओर अग्रभाग करके रखा जाता है और उस पर जुहू रखी जाती है। उस एक मुष्टि दर्भ को प्रस्तर कहते हैं।

१५—**बर्हि**—वेदी पर फैलाने के लिए तीन मुष्टि दर्भ होते हैं जिन्हें बर्हि कहते हैं। बर्हि प्रस्तरण करके हविष्पात्र रखे जाते हैं। इस तरह वेद, पवित्र, विधृति, प्रस्तर तथा बर्हि दर्भों की ही अवस्था विशेष है।

१६—**योक्त्र**—यह मूँज की मेखला है जो तीन पतं वाली होती है। गज करते समय अध्वर्यु के द्वारा भेजा गया अग्नीत् मन्त्र पूर्वक यजमान पत्नी के कटि प्रदेश में बाँधता है।

११—इहम इहम काष्ठों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है

१—परिधि—जिनका वर्णन किया जा चुका है।

२—सामिध—अष्टादश काष्ठों की समित् संज्ञा होती है। दो काष्ठ आहवनीय में रचे जाते हैं, एक अनुयाज के लिए होता है, पंचदश काष्ठों की सामिधेनी लकड़ियाँ होती हैं। ये लकड़ियाँ एक अंगुष्ठ के बराबर मोटी होती हैं, छाल सहित, एक प्रादेश के परिमाण वाली, द्विशाखाहीन तथा पृष्ठीरहित होनी चाहिए। इस तरह तीन परिवियाँ तथा अष्टादश इन्धनार्थ लकड़ियाँ मिलकर इक्कीस हुईं।

१८—शाखा—यजमान के अतोपायन करने पर अध्वर्यु पूर्व, उत्तर अथवा ईशान दिशा की ओर जाकर पलाश अथवा क्षमी की, पूर्व की अथवा पश्चिम की या ईशानकोण की शाखा को कुल्हाड़ी से समन्तक काट कर विहार में ले आता है जिसे शाखा कहते हैं।

१९—शकट—ब्रीहि और सब को ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह खदिर अथवा अन्य सज्जिकाष्ठनिर्मित होती है। इसके अधोलिखित भाग हैं—

१—अक्ष

२—ईषा—बगल में लगने वाले दो बांस

३—युग—जुआँ

४—खरक—दो पट्टिबे

५—युगकीलक या युगशम्या—जुआँ में लगने वाली कीलें

६—अक्षशम्या—अक्ष में लगने वाली कीलें

७—प्रउग—ईषादण्ड के मध्य का भाग प्रउग कहलाता है।

८—नीड—नीड वह भाग है जिसमें अन्न रहता है

९—कस्सम्भी—खदिर काष्ठ की दो लकड़ियाँ, एक खड़ी लकड़ी पर दूसरी एकड़ी बंधी होती है। शकट को खड़ा करने में इसका उपयोग होता है। दर्शपूर्णमास इष्टियों के अन्तर्गत इसका उपयोग होता है।

### (६) आसन

ब्रह्मा का आसन विक्रंत काष्ठ से निर्मित, एक हाथ लम्बा तथा एक हाथ चौड़ा होता है। यजमान का आसन, पत्नी का आसन, अध्वर्यु का आसन, होतार का आसन, अग्नीत् का आसन एक-एक अरतिन के परिमाण के होते हैं।

ब्रह्मवरण के लिए ब्रह्मा तथा यजमान के लिए दो आसन विहार के उत्तर में रखे जाते हैं ।

ब्रह्मा तथा यजमान के बैठने के लिए आहवनीय के दक्षिण में दो आसन होते हैं ।

अध्वर्यु के लिए एक आसन गार्हपत्य के उत्तर में तथा एक आसन आहवनीय के उत्तर में रखा जाता है ।

८—(ख) सोम यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले पात्र एवं उपकरण  
सोम यज्ञ में सहायक पात्रों को अधोनिर्दिष्ट वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :—

१—अधिषवण सम्बन्धी एवं पूतसोम के रक्षकपात्र

२—अग्निहरण सम्बन्धी पात्र

३—संस्कार तथा गणना सम्बन्धी पात्र

४—आसन

५—पशुबन्धनार्थ एवं पशुमारण आदि में सहायक उपकरण

६—चमस

७—ग्रह (प्याला)

८—आज्य धारण सम्बन्धी पात्र

(१) अधिषवण सम्बन्धी एवं पूतसोम के रक्षक पात्र

१—उपर—यह पात्र दृषद् के आकार का होता है, केवल नाम में भेद है ।

२—शाबा—यह ऊपर मुकीला होता है । इन दोनों का उपयोग सोम कूटने के लिए होता है ।

३—अधिषवणफलक—सोम यज्ञ लता रूप में रहता है तब जैसे पहले इन्हीं दोनों फलकों के बीच में रखकर सोम को दबाया जाता है । ये दोनों फलक उद्गुम्बर, काष्मर्य या पलाश की लकड़ी के बने होते हैं ।

४—परिवेचनघट—उत्तरवेदी पर छिड़के जाने वाला जल इसमें रखा जाता है ।

२—एकघनाघट—इस घट में जो जल रहता है उससे सोम को बढ़ाया जाता है ।

३—आश्विनोद्यघट—सोम रस को साफ करने के लिए इस घट में कूटे गये सोम को बिना छाने हुए ही डाल दिया जाता है । नीचे छिद्र के द्वारा सोम बुँद-बुँद करके गिरता है और दूसरे घट में साफ सोम एकत्र होता है ।

४—पूतशूत्र—इसमें तैयार किया हुआ सोमरस रखा जाता है ।

५—बसतीबरीघट—इसका उपयोग बसतीवरी जल को रखने में किया जाता है ।

### (२) अग्निहरण सम्बन्धी पात्र

उखा—यह या तो वृत्ताकार होती है या वर्गाकार होती है तथा ऊँचाई एक प्रादेश होती है ।

### (३) संस्कार तथा गणना सम्बन्धी पात्र

१-दण्ड-(दीक्षादण्ड) दीक्षित (जिसका दीक्षा संस्कार हो चुका है) की रक्षा के लिए एक उदुम्बर का दण्ड होता है जो भूमि से दीक्षित पुरुष की दाढ़ी तक या उसके मुख तक लम्बा होता है ।

२-विष्टती—ये उदुम्बर वृक्ष की प्रादेश की नाप वाली कई लकड़ियाँ होती हैं जिनका उपयोग स्तोत्रों की गणना के लिए होता है । एक स्तोत्र का पाठ हो जाने पर बगल में एक लकड़ी को रख दिया जाता है जिससे स्तोत्रों की संख्या का ठीक-ठीक पता चल जाता है ।

### (४) आसन—(आसन्दो)

इनकी संख्या चार होती है । इनका उपयोग बैठने के लिए किया जाता है । ये छोटी-छोटी चारपाइयों की तरह होती हैं ।

१—राजासन्दी—यह उदुम्बर की लकड़ी की बनी होती है । इस पर सोम रखा जाता है । इसके चारों पाये नाभि तक उँचे होते हैं । यह मूँज की रस्सी से बुनी हुई होती है ।

२—सम्नाडासन्दी—इसका उपयोग महावीर पात्र के आसादनार्थ किया जाता है । मूँज की रस्सियाँ एक ही ओर लगी होती हैं । इसके पाये घुटने तक ऊँचे होते हैं ।

३—राजासन्दी—यजमान इस पर बैठकर स्नान करता है। यह राजासन्दी के समान ही होती है। इसका उपयोग उखा के आसादनार्थ होता है।

४—उखासन्दी—यह का तो मूँज से निर्मित होती है अथवा इसमें लकड़ी का तख्ता लगा होता है। राजासन्दी की तरह इसमें भी एक अरस्ति आसन से ऊपर पाये उठे रहते हैं।

### (५) पशुबन्धनार्थ एवं पशुमारण आदि में सहायक उपकरण

१—गुप—यह खदिर, पलाश या विल्व वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होता है। इसमें यांत्रिक पशु बाँधे जाते हैं। इसकी लम्बाई ३ या ४ अरस्ति होती है।

२—वपाशपणी—यह कार्पूर्ये की लकड़ी की बनी होती है जिसमें प्रायः दो शूल होते हैं। पुणे मीमांसा विद्यालय में रखी हुई वपाशपणी त्रिभुजाकार है जिसमें सात शूल हैं। इन्हीं कीलों पर रखकर वपा को धूँतते हैं।

३—शकों (दो शफ)—ये उदुम्बर काष्ठ के बने होते हैं। इनका उपयोग गर्भ महावीर पात्र को पकड़ने तथा ले जाने के लिए किया जाता है।

### (६) चमस

इन्हें 'चम्मस' कहा जा सकता है जो सद्यथा में नगमस त्रयोदश हैं।

१—तानूनप्त्र चमस—यह अरणकाष्ठनिर्मित, गणक प्रादेश के परिमाण का होता है जिसमें तीन अंगुल लम्बा दण्ड लगा रहता है। यह ६ अंगुल चौड़ा तथा ४ अंगुल गहरे मुँह वाला होता है।

२—हौतूचमस—यह न्यग्रोध (बट वृक्ष) की लकड़ी से बनता है। दण्ड में चक्र का चिन्ह रहता है।

३—ब्रह्म चमस—इसका दण्ड चौकोर होता है।

४—उद्गातू चमस—इसका दण्ड त्रिकोण होता है।

५—यजमान चमस—इस चमस का दण्ड चारों ओर चौड़ा होता है।

६—प्रशास्तू चमस—इसका दण्ड नीचे कटा होता है। पुणे में रखे गये इस चमस का दण्ड ऊपर से नीचे की ओर झुका है।

७—ब्राह्मणाच्छंसी चमस—इसका दण्ड ऊपर कटा होता है।

- ८ पोतृ चमस—इसका दण्ड पीछे से कटा होता है ।  
 ९—नेष्टु चमस—इस चमस का दण्ड नीचे की ओर झुका होता है ।  
 १०—अच्छावाक चमस—इसका दण्ड एक रस्सी से बँधा होता है ।  
 ११—आग्नीध्र चमस—इसका दण्ड बेलनाकार होता है ।  
 १२—सदस्य चमस—इसका दण्ड ऊपर से नीचे मुड़ा होता है ।

१३—वाजिन चमस—यह न्यग्रोध अथवा रोहितक की लकड़ी से निर्मित होता है । इसका दण्ड होतृ चमस के दण्ड की ही भाँति होता है किन्तु चक्र के चिह्न में चिह्नित नहीं होता है ।

### (७) ग्रह

इनका प्रयोग सोमयाग में होता है ।

१—उपांशु ग्रह—यह विकंकत काष्ठ अथवा किसी भी यज्ञिय वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होता है । एक प्रादेश लम्बा, मध्य भाग से नीचे की ओर पक्षी के चंचु की तरह बना रहता है । इसकी गहराई इच्छानुसार होती है ।

२—अन्तर्याम ग्रह—यह भी उपांशुग्रह की ही भाँति होता है ।

३—ऐन्द्रवापव्य ग्रह—इसके मुख के पास एक रशना लगा दी जाती है ।

४—पैत्रावरुण ग्रह—इसमें बकरी के दो चूचक लगा दिये जाते हैं ।

५—आश्विन ग्रह—यह द्विकोण होता है ।

६—शुक्रग्रह—इसका भी आकार उपांशुग्रह की ही भाँति होता है ।

७—मन्य ग्रह—यह विकंकत की लकड़ी का बना होता है ।

८—ऋतुपात्रग्रह—यह पीपल की लकड़ी का बना होता है । इसके नीचे अश्व के टाप के आकार का काष्ठ लगा होता है । इसमें एक दूमरे के विपरीत दो चंचु लगे होते हैं ।

९—प्रतिप्रस्थातृऋतुपात्र ग्रह—यह भी ऋतुपात्र ग्रह के ही समान होता है ।

१०—उष्यग्रह—

११—अतिग्राह्य ग्रह—

} उपर्युक्त ग्रह की भाँति ये दोनों ग्रह होते हैं ।

१२—दधि ग्रह—जदुम्बरकाष्ठनिर्मित तथा चौकोर होता है ।

१३—अश्वदाभ्य ग्रह—यह दधिग्रह के समान होता है ।

१४—आदित्य ग्रह—इसका आकार अशुग्रह की तरह होता है ।

१५—षोडशौ ग्रह—यह छदिरकाष्ठनिर्मित तथा चौकोर होता है ।

सहावीर पात्र—मृत्तिकानिर्मित, प्रादेशमात्र ऊंचा, आठ अंगुल चौड़ा, बीच में तीन या पांच उभाड़ों से युक्त होता है। किनारा उन्नत होता है तथा दूध की धार गिराने के लिए इसमें एक घंचु लगी होती है। यह बायब्य ग्रह के अनुरूप ही होता है।

## (९) यज्ञ-सम्पादक पुरुष

यज्ञ के सम्पादन में सहायक पुरुषों को तीन श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है :—

(क) प्रधान पुरुष

(ख) ऋत्विक् पुरुष

(ग) अनृत्विक् पुरुष

(क) प्रधान पुरुष—इस श्रेणी के अन्तर्गत यज्ञमान, यज्ञमान पत्नी और पुरोधा आते हैं। किसी कारणवश यज्ञमान की अनुपस्थिति में जो कार्य करना है उसे पुरोधा कहते हैं। अन्य ऋत्विजों के समान इसे भी दक्षिणा दी जानी है फिर भी इसे ऋत्विजों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि यज्ञमान की उपस्थिति में इसकी आवश्यकता नहीं होती।

(ख) ऋत्विक् पुरुष—बड़े यज्ञों में इनकी संख्या सोलह होती है। मुख्य रूप से चार ही ऋत्विज होते हैं तथा चारों के तीन-तीन अन्य सहायक होते हैं। इस प्रकार उनकी संख्या सोलह हो जाती है। इन ऋत्विजों के अष्टोत्विखन चार वर्ग हैं :—

१—होता,	अध्वर्यु,	उद्गाता,	ब्रह्मा
(ऋग्वेदीय)	(यजुर्वेदीय)	(सामवेदीय)	(अथर्ववेदीय)
२—प्रशास्ता,	प्रतिप्रस्थाता,	प्रस्तोता,	ब्राह्मणाच्छंसी
३—अच्छावाक्,	नेष्टा,	प्रतिहर्ता,	अग्नीध
४—शावस्तोता,	उन्नेता,	सुब्रह्मण्य,	पोता

(ग) अनृत्विक् पुरुष—ये वेदी के बाहर कार्य करने वाले होते हैं। इनमें सदस्य, सोम प्रवाक तथा परिक्र्मि हैं। सदस्य को सभासत्, सभास्तार, मन्थ तथा सामाजिक कहते हैं।

यज्ञ के अग कर्मों को परिश्रम कहते हैं उन कर्मों के सम्पादनाथ परिकर्मों की नियुक्ति हाता है

### (१०) यज्ञों का स्वरूप निरूपण

(यज्ञों की संख्या के विषय में मतभेद)

(क) प्रथम मत—(यज्ञ के पाँच प्रकार)

(१) कुछ याज्ञिक आचार्यों के मतानुसार यज्ञ पाँच प्रकार के होते हैं। ऐतरेयब्राह्मण में उनका उल्लेख हुआ है। वे अग्निहोत्र, दशपूर्णिमास, चातुर्मास्य, पशुबन्ध तथा सोम हैं।

(२) अन्य आचार्य जिनके मत से भी यज्ञ पाँच प्रकार के होते हैं किन्तु प्रथम मत के अनुसार परिगणित किये गये यज्ञों से भिन्न होते हैं वे उन पाँचों यज्ञों को इस प्रकार बताते हैं—शिरोयज्ञ, अतियज्ञ, महायज्ञ, हविर्यज्ञ तथा पाकयज्ञ।

(ख) द्वितीय मत—(यज्ञ का एकत्व)

इस मत के अनुसार यज्ञ एक ही है। वही अग्निहोत्र, दशपूर्णिमास आदि पाँच संस्थाओं में विभक्त है।

(ग) तृतीय मत—(यज्ञ के तीन प्रकार)

अन्य आचार्यों के विचार से इष्टि, पशु और सोम ये यज्ञ के तीन प्रकार हैं।

(घ) चतुर्थ मत—(यज्ञों की इक्कीस संस्थाएँ)

इस मत के अनुसार यज्ञों की इक्कीस संस्थाएँ हैं जिनमें सात पाकयज्ञ संस्थाएँ, सात हविर्यज्ञ संस्थाएँ और सात सोम संस्थाएँ हैं जिनका गोपथ ब्राह्मण में विशेष उल्लेख हुआ है।

सात पाक यज्ञ संस्थाओं में सायं प्रातः होम, स्थालीपाक, आश्रयणेष्टि, बलि, पितृयज्ञ, अष्टका और पशुयज्ञ हैं।

सात हविर्यज्ञ संस्थाओं में अग्न्याधेय, अग्निहोत्र, पूर्णिमास, भामावास्थ, नवेष्टि, चातुर्मास्य, तथा पशुबन्ध हैं।

अन्य प्रकार से भी सात हविर्यज्ञ संस्थाएँ हैं जिनमें अग्न्याधेय, अग्निहोत्र,



दशमस्य चालुर्मास निरुद्धपशुवध आश्रयणष्टि और सौत्वामणी इष्टि का परिगणन किया गया है

मात सोमयज्ञ संस्थाओं में अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, पौडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोर्याम है जिन्हें सुन्या भी कहते हैं।

### (१) सप्तपाकयज्ञ संस्था

पाक यज्ञ, पाकसाध्य यज्ञ को कहते हैं। हविर्यज्ञ में पुरोडाश का श्रयण होता है किन्तु पाकयज्ञ में चरु पकाया जाता है इसलिए इसे पाकयज्ञ कहते हैं। अथवा पाक का अर्थ स्वल्पकाय भी है, थोड़े श्रम से साध्य होने के कारण इन्हें अल्प कहते हैं। जो छोटे-छोटे यज्ञ होते हैं वे सब पाकयज्ञ के अन्तर्गत आते हैं। इन यज्ञों का सम्पादन एकामिनि के द्वारा होता है।

जिन यज्ञों में कुछ का सम्पादन हवन किये हुए तथा कुछ का सम्पादन बिना हवन किये हुए होता है, वे सब पाकयज्ञ के अन्तर्गत आते हैं। पाकयज्ञ ही 'स्मार्तयज्ञ' भी कहते हैं क्योंकि स्मृतियों में इनका विशद वर्णन मिलता है। गृह्यसूत्रों में विशेषरूप से वर्णित होने के कारण अथवा गृह्य्याग्नि में सम्पादित होने के कारण इन्हें गृह्ययाग भी कहते हैं।

पाकयज्ञों के प्रकार के विषय में अनेक मत हैं। वे इस भाँति हैं—

#### प्रथम मत

(अ) पाकयज्ञ के दो प्रकार होते हैं, स्थालीपाक तथा पशुपाक।

(आ) मानवगृह्यसूत्र के अनुसार व्रतचर्या तथा शांति कर्म पाकयज्ञ के दो प्रकार हैं।

#### द्वितीय मत

आश्वलायन गृह्यसूत्र के अनुसार पाकयज्ञ के तीन प्रकार हैं १—हुत २—प्रहुत ३—ब्रह्मणिहुत।

अग्नि में किये जाने वाले हुत, बिना अग्नि से सम्पादित प्रहुत जैसे बलि-हरण, ब्रह्मयज्ञ आदि। ब्राह्मण भोजन ब्रह्मणिहुत है, जैसे आतिथ्य, पार्वण, श्राद्ध आदि।

#### तृतीय मत

(क) पारस्करगृह्य सूत्र के अनुसार पाकयज्ञ चार प्रकार के होते हैं।

१ हुन २ अहुन ३ प्रहुन और ४ प्राशित ।

होम ही हुन है । जिसमें होम और बलिहरण दोनों होते हैं वह प्रहुत है ।  
ब्राह्मण को भोजन कराना प्राशित है । इनसे भिन्न जो कुछ होता है उसे  
अहुत कहते हैं ।

(ख) शांखायनगृह्यसूत्र के अनुसार भी इन्हीं चार प्रकार के यज्ञों का  
प्रतिपादन किया गया है । हुन अग्निहोत्र होम में, अहुत बलिकर्म से, प्रहुत  
पितृकर्म से तथा प्राशित ब्राह्मण भोजन से सम्पादित होते हैं ।

**चतुर्थ मत**

पाकयज्ञ सात प्रकार के होते हैं ।

अ—गोपथब्राह्मण में सात प्रकार के पाक यज्ञों का विवरण मिलता है,  
जिनमें औपासनहोम, स्थालीपाक, नबेष्टि, बलि, पितृयज्ञ, अष्टका तथा  
पशुयाग परिगणित है ।

आ—आपस्तम्ब के मतानुसार औपासनहोम, वैश्वदेव, पार्वण, अष्टका,  
भासिश्वाङ्क, सर्पबलि तथा ईशानबलि में सात पाकयज्ञ संस्थाएँ हैं ।

इ—बौधायन गृह्यसूत्र के अनुसार सात पाकयज्ञ संस्थाओं में हुन,  
प्रहुन, अहुत, शूलगव, बलिहरण, प्रत्यवरोहण, तथा अष्टकाहोम हैं ।

हुन—जिसमें हवन होता है, जैसे विवाह तथा सीमन्तीस्नयन ।

प्रहुत—जहाँ हवन करके बाद कुछ दिया भी जाता है वह प्रहुत है ।  
जैसे जातकर्म तथा चीलकर्म ।

अहुत—जिसमें हवन करके देकर से भी लिया जाता है उसे अहुत कहते  
हैं । जैसे उपनयन तथा समावर्तन आदि ।

शूलगव—जिस कर्म में शूलपर गाय की बच्चा का श्रपण (पाककर्म)  
सम्पादित होता है उसे शूलगव कहते हैं ।

बलिहरण—जहाँ गृह देवताओं के लिए अन्न की विखेर दिया जाता है वह  
बलिहरण है ।

प्रत्यवरोहण—ऋतु के बाद ऋतु में प्रवेश करना प्रत्यवरोहण है ।

**अष्टकाहोम**—एक अष्टका में अन्न को रख कर होम किया जाता है जिसे अष्टकाहोम कहते हैं ।

ई—अन्य आचार्यों के मतानुसार सात पाकयज्ञ संस्थाओं में अष्टका पार्वण, श्राद्ध, श्रावणी, आप्रहायण, चैत्यम्, अश्वयुजी है ।

उ—गीतमधर्मसूत्र के अनुसार औपासनहोम, वैश्वदेव, पार्वण, अष्टका सासिश्वाद्ध, श्रावणा तथा शूलगव सात पाकयज्ञ संस्थाएँ हैं ।

### पाकयज्ञ, स्मार्तयोग अथवा गृह्ययोगों का विवेचन

#### १—औपासनहोम

यह होम नित्य है । सायंकाल तथा प्रातःकाल दधिमिश्रित चावलों का हाथ से (अन्यपात्र से नहीं) सम्पन्न किये जाने वाले होम को औपासन होम कहते हैं । इस कर्म में सायंकाल अग्निप्रधान देवता होते हैं तथा प्रजापति गौण देवता । प्रातःकाल सूर्य प्रधान तथा प्रजापति गौण होते हैं । दोनों होमों का फल एक ही होता है । यदि एक बार होम कर लिया जाय और दूसरी बार न किया जाय तो उसका फल नहीं होता । सपत्नीक को ही इस आजीवन अनुष्ठेयहोम को करने का अधिकार है ।

#### २—वैश्वदेव कर्म

वैश्वदेवों ने इस यज्ञ को सम्पन्न किया था इसलिए इसे वैश्वदेव कहते हैं । यह भी गृही के लिए नित्य है तथा इसका पाकयज्ञों में महत्त्वपूर्ण स्थान है । इसमें ही पंचमहायाग भी कहते हैं जिनमें दैवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्ययज्ञ तथा ब्रह्मयज्ञ हैं । शतपथब्राह्मण में प्रथम चार यज्ञों का संक्षिप्त विवेचन किया गया है किन्तु ब्रह्मयज्ञ सर्वास्तर वर्णित है । अन्य शाखाओं के अनुसार सायं एवं प्रातः इसके अनुष्ठान का विधान है किन्तु कात्यायन के मतानुसार प्रातःकाल ही इसका अनुष्ठान होना चाहिए ।

#### ३—पार्वण कर्म

यह भी नित्य कर्म है तथा प्रति अमावास्या को सम्पन्न किया जाता है । अमावास्या तथा पूर्णिमा दोनों को पर्व कहते हैं इसलिए इन्हीं पर्वों पर किये जाने वाले कर्म पार्वण कहे जाते हैं ।

#### ४—अष्टकाश्राद्ध

हेमन्त और शिशिर से सम्बन्धित कृष्णपक्ष की अष्टमी में अपूप तथा

आक के राश इद्र विप्रवेद्व प्रज पति तथा पितरो के उद्दृश्य से सम्पन्न किये जान जाने कम का अष्टकाश्राद्ध कहते हैं। आहिताग्नि (जिससे अग्नि का आवाह कर लिया है) को इसका सम्पादन अवश्य करना चाहिए।

### ३—मासिश्राद्ध

प्रतिमास किया जाने वाला श्राद्ध मामिश्राद्ध है।

### ४—श्रावणाकर्म

इसे ही सर्पवलि भी कहते हैं। यह श्रावण की पूर्णिमा से लेकर मृगशिरा की पूर्णिमा तक प्रतिदिन सर्पों के लिए सम्पादित होने वाला बलिकर्म है।

### ७—शूलगण

इसे ईशानवलि भी कहते हैं तथा यह कर्म भी गोद्रव्य से शुक्त कर्मविशेष है। इसका भी अब गोवध-निषेध होने के कारण अनुष्ठान नहीं होता। अन्य शाखा के आचार्यों ने ईशान के लिए स्थालीपाक का श्रवण करके गाय के स्थान पर स्थालीपाक का विधान किया है।

## (२) सप्तहविर्यज्ञसंस्था

सप्तहविर्यज्ञसंस्था के अन्तर्गत अग्न्याधेय (अग्नि का आधान) अग्निहोत्र, दशपूर्णमास, चातुर्मास्य, निरूढपशुबन्ध, आययणोष्टि (नवान्नेष्टि) तथा सौत्तामणी हैं।

### १—अग्न्याधेय (श्रुति विहित अग्नि संस्कार)

विशिष्ट काल में, विशिष्ट पुरुष के द्वारा, विशिष्ट मन्त्रों से गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि तथा आहवनीय अग्नियों की उत्पत्ति के लिए अगारों का निधान ही अग्न्याधेय है।

### आधान का समय

श्रौतसूत्रों में अग्नियों के आधानार्थ विभिन्न समय निर्धारित हैं। वसन्त ऋतु में ब्राह्मण को, शीष्म ऋतु में अत्रिय को, वर्षा ऋतु में रथकार को, शरद् ऋतु में वैश्य को अग्न्याधान करने का विधान किया गया है। शिशिर ऋतु सब वर्णों के लिए उपयुक्त है। अमावास्या तिथि इस कार्य के लिए सर्वोत्तम मानी गयी है। पूर्णिमा में भी अग्न्याधेय सम्पादित किया जा सकता है।

इस कर्म का आवश्यक भाग अग्न्याधान दो दिन में सम्पन्न होता है। प्रथम

दिन विहार (कुण्डादि) की स्थापना की जाती है। गार्हपत्यागार वृत्ताकार, आहवनीयागार चतुष्कोण तथा गार्हपत्यागार के दक्षिण में स्थित दक्षिणाग्न्यागार अर्धचन्द्राकार होता है। गार्हपत्य में अग्न्याधान के लिए अग्नि या तो अरणिमन्थन से पैदा की जाती है या किसी धनी व्यक्ति के गृह से अथवा किसी विजिगृह यजमान के गृह से ले आयी जाती है। रात्रि में पति और पत्नी जागते हैं। प्रातः-काल कुण्डों के लिए अरणिमन्थन से नवाग्नि उत्पन्न की जाती है। अग्नि के उत्पन्न होने के समय एक अश्व ले आया जाता है जो कि अग्नि या सूर्य का प्रतीक होता है। अरणिमन्थन से अग्नि निकलने पर उसका गार्हपत्यागार में स्थापन करने के उक्त पर प्रज्वलनार्थ समिधा का आधान होता है तत्पश्चात् गार्हपत्य से एक अंगार आहवनीयागार में ले आया जाता है। आगे-आगे अश्व चलता है और उसके पीछे यजमान। आहवनीयाग्नि के आधान के अनन्तर दक्षिणाग्नि का आधान किया जाता है। कुछ आचार्यों के मतानुसार दक्षिणाग्नि का आधान आहवनीय के आधान के पूर्व ही होता है। दक्षिणाग्न्यायतन में भी अग्नि गार्हपत्य से ही ले आयी जाती है। दक्षिणाग्नि का उपयोग अन्वाहार्य (ओदन दक्षिणा जो ऋत्विजों को दी जाती है) को पकाने के लिए होता है।

आहवनीय, दक्षिणाग्नि आदि के आधान के बाद सभ्यअग्नि का आधान किया जाता है। सभा भवन में सम्पन्न होने वाला यह आधान केवल अग्नि के लिए निर्दिष्ट है। आधानानन्तर आज्यहोम होता रहता है। इसके पश्चात् अग्निहोम किया जा सकता है। अग्नियों को प्रतिदिन उचित दम से समिद्ध किये रहना चाहिए। द्वादश दिन के बाद तनूद्विष आहुतियों का होम किया जाता है। ये आहुतियाँ अग्नि के तीन रूप—अग्निपवमान, अग्निपावक तथा अग्निशुचि के लिए प्रदान की जाती हैं। यजमान को तीन दिन से द्वादश दिन पर्यन्त पवित्र रहना चाहिए। उसको चाहिए कि वह अग्नियों को प्रज्वलित रखे। अग्निहोम होम करे, अग्नि के पास शयन करे तथा असत्य भाषण न करे।

### अग्न्याधेय के प्रकार

अग्न्याधान के कई प्रकार हैं जैसे अपूर्वाधान, अन्वाधान, पुनराधान, तृतीयाधान तथा विच्छिन्नाग्न्याधान।

१—अपूर्वाधान—अनाहिताग्नि (जिस व्यक्ति ने अग्न्याधान नहीं किया है) यदि अग्निहोत्रादि हविर्यजों को करने के लिए प्रथम बार अग्न्याधान करता है तो उस अग्न्याधान को अपूर्वाधान कहते हैं।

२ अग्नाधान अर्थात् प्रज्वलनाथ किसी भाषण या यज्ञ म पट्टी  
समिधा क आधान क अग्नाधान कहा जाता है ।

**पुनराधान**—अग्न्याधान सम्पन्न हो जाने पर वर्ष के पूर्व किसी पदार्थ की  
हानि हो जाय, महारोग हो जाय या अन्य कोई काम पट्ट जाय तो उस यज्ञमान  
को पुनर्वसु तक्षत्र से युक्त अमावास्या में अग्न्याधान करना पड़ता है जिसे पुनरा-  
धान कहते हैं । इस दशा में एक वर्ष के पश्चात् प्राचीनाग्नि को बाहर कर दिया  
जाता है तथा तीन दिन का अन्तर करके दूसरी अग्नियों का आधान किया जाता  
है । अग्नि समिधा से नहीं अपितु कुश से प्रज्वलित की जाती है । पुनराधान के  
लिए वर्षाश्रितु उपयुक्त है । दक्षिणा रूप में आभूषण देने का विधान है ।

४—**तृतीयाधान**—पुनराधान के अनन्तर सत्रम्बर से पूर्व अर्थनाशादि के  
निमित्त के योग से अग्नि के नष्ट हो जाने पर पुनः अग्न्याधान किया जाता है जिसे  
तृतीयाधान कहते हैं जो द्वितीय पुनराधान होता है ।

५—**विच्छिन्नाग्न्याधान**—सभी अग्नियों के बुझ जाने पर विच्छिन्नता को  
जोड़ने के लिए अग्नियों का आधान किया जाता है जिसे विच्छिन्नाग्न्याधान कहते हैं ।

## (२) अग्निहोत्र

सायंकाल तथा प्रातःकाल दूध या अन्य विहित हविष् का अग्नि में होम ही  
अग्निहोत्र है । आहिताग्नि (जिस व्यक्ति ने अग्न्याधान सम्पन्न कर लिया है) को  
निन्व सामं और प्रातः अग्निहोत्र करना चाहिए ।

प्रातः कालिक हवन का सबसे उपयुक्त समय सूर्योदय के कुछ समय पूर्व या  
सूर्योदय के कुछ समय बाद होता है तथा सायंकालिक हवन का समय सूर्यास्त  
के अनन्तर या एक तारा के दिखलायी पड़ने पर होता है । ऋग्वेदी, कातीय,  
सामवेदी सूर्योदय के पूर्व ही होम करते हैं । कठ शाखा वाले, तैत्तिरीय तथा  
मंत्रायणीय शाखा वाले सूर्योदय होने पर होम करते हैं । होम के समय में यद्यपि  
आचार्यों का मतवैपम्य है तथापि अग्निप्रणयन कर्म मंत्र प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व  
तथा सायंकाल सूर्यास्त के पूर्व ही करते हैं । सायंकाल अग्निहोत्र के लिए संकल्प  
करके उपवेश के द्वारा गार्हपत्य से जलती हुई अग्नि को लेकर, बिना मंत्र के  
दक्षिणाग्नि के आयतन में रखकर, पुनः गार्हपत्यागार से अग्नि का आहरण करके,  
मन्त्र के साथ आहवनीयागार में आसवन करना चाहिए । स्वयं ले आयी गयी  
लकड़ियों से यज्ञमान तीनों अग्नियों को प्रज्वलित करे । तदनन्तर अग्न्यागारों  
पर दूर्ध फौलाकर, यज्ञमान की गाय (अग्निहोत्री) को विहार से दक्षिण ले आकर

सूर्यास्त के पश्चात् दुहना चाहिए। दोहन के अनन्तर श्रृषण के लिए दूध कुम्भी में रखा जाता है। गार्हपत्य के कुछ अंगारों को कुण्ड में अलग करके वायव्यकोण में रखकर उन पर दूध पकाना चाहिए। याज्ञवल्क्य के अनुसार दूध को अधिक देर तक नहीं पकाना चाहिए अपितु थोड़ा गर्म कर लेना चाहिए क्योंकि पकाने से दूध जो अग्नि का वीर्य है जल जायगा। अग्निहोत्र में अनेक द्रव्यों का उल्लेख मिलता है किन्तु उनमें पय (दूध) मुख्य द्रव्य है। इसके अतिरिक्त यवागू, तण्डुल, दधि, घृत आदि अनेक द्रव्य हैं।

अग्निहोत्र में सायंकाल अग्निप्रधान देवता तथा प्रजापति अंग देवता, प्रातः-काल सूर्यप्रधान देवता प्रजापति अंग देवता होते हैं। इस श्रुत कर्म की अग्निहोत्र संज्ञा है, आंपासनहोम की नहीं। अग्निहोत्र जीवनपर्यन्त करना चाहिए। यह यजमान के द्वारा ही यथासम्भव सम्पादित होना चाहिए। यदि असामर्थ्य के कारण यजमान होम न कर सके तो वह एक ऋत्विक् (अध्वर्यु) से अग्निहोत्र सम्पादित करा सकता है किन्तु पूर्णमासी और अमावास्या को स्वयं यजमान के द्वारा ही अग्निहोत्र होना चाहिए। पाकयज्ञों के साम्य के कारण याज्ञवल्क्य ने अग्निहोत्र को पाकयज्ञ के अन्तर्गत रखा है।

### (३) दशपौर्णमास

पौर्णमास तथा दश ये दोनों इष्टियां क्रमशः पूर्णमास तथा अमावास्या तिथियों में सम्पन्न होती है। इन पर्वों पर सम्पन्न होने के कारण ही इनकी पौर्णमास तथा दश यह संज्ञा है। पहले पौर्णमास इष्टि सम्पन्न की जाती है नत्पश्चान् दश।

आहिताग्नि (जिस व्यक्ति ने आधान कर लिया है) सपत्नीक द्विज ही दश पूर्णमास करने का अधिकारी है। जिसके पत्नी नहीं है अथवा पत्नी मर गयी है उसको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है।

ये दोनों याग दो दिन में सम्पादित होते हैं क्योंकि पूर्णमासी तथा अमावास्या को अन्वाधान तथा व्रत का ग्रहण ये दो कर्म सम्पन्न होते हैं अर्थात् कृष्ण प्रतिपदा को पूर्णमास तथा शुक्ल प्रतिपदा को दश सम्पन्न होते हैं। पौर्णमास एक दिन में भी सम्पन्न हो सकता है क्योंकि यज्ञ के दिन भी व्रतोपायन हो सकता है। दश में सात्राय्य के लिए दधि की आवश्यकता पड़ती है जो कि यज्ञनीय दिन के पूर्व दुहकर यज्ञ के दिन तैयार होता है।

याग करने की इच्छा व्यक्ति वाला वसन्त ऋतु में अन्याधान करके सायं प्रातः

अग्निहोत्र करे। मलमास, शुक्रास्त आदि दाषा से रहित आगामिनी पूर्णमासी का अन्वारम्भणीयेष्टि करके पूर्णमास तदनन्तर आगामिनी अमावास्या को दर्शयाग सम्पन्न किये जाते हैं। दोनों पर्वों में चार ऋत्विज होते हैं जिनमें अध्वर्यु, ब्रह्मा, होना तथा अग्नीध्र हैं। इन दोनों यज्ञों में समानता के साथ ही साथ विषमता भी है। पूर्णमास्य में आग्नेय अष्टाकपालपुरोडाश याग, अग्नीषोमीय उपाशुंयाग आज्य द्विव्यक, अग्नीषोमीय एकादश कपाल पुरोडाश याग ये तीन याग होते हैं। अमावास्या में आग्नेयपुरोडाशयाग, जिसने सोमयाग किया है उसके लिए ऐन्द्र मान्नाय्ययाग, असोमयाजी (जिसने सोमयाग नहीं किया है) उसको अमावास्या में वैष्णव या अग्नीषोमीय आज्य हविष्क याग तथा ऐन्द्राग्न द्वादशकपालपुरोडाश-याग करना चाहिए। ये उपर्युक्त दोनों याग माध्यन्दिन तथा शांखायन शाखा वालों के लिए हैं। अन्य शाखा वालों के लिए आग्नेय आज्यहविष्कयाग तथा ऐन्द्राग्न द्वादश कपालपुरोडाश याग विहित हैं।

दर्शपूर्णमास को आजीवन, बीस वर्ष अथवा पन्द्रह वर्ष तक करना चाहिए। यदि दाक्षायण यज्ञ के रूप में करना है तो एक वर्ष तक प्रतिदिन करना पड़ेगा। दर्श तथा पूर्णमास याग तक सर्वप्रथम किये जाते हों तो पहले अन्वारम्भणीया इष्टि की जाती है जिसमें विष्णु के लिए एकादशकपाल पुरोडाश, सरस्वती के लिए चरु, सरस्वन्त के लिए द्वादशकपालपुरोडाश दिये जाते हैं। यह (अन्वारम्भणीयेष्टि) प्रथम पूर्णमास याग के दिन अन्याधान तथा अग्निहोत्र का सम्पादन करके स्वतन्त्र रूप से की जाती है।

#### (४) चातुर्मास्ययाग

चार-चार महीने के बाद सम्पादित होने के कारण इस याग की चातुर्मास्य संज्ञा है। इसमें अधोलिखित चार पर्व हैं—

- १—वैश्वदेव पर्व
- २—वरुणप्रघास पर्व
- ३—शाकमेध पर्व
- ४—शुनासीरीयपर्व

१—वैश्वदेव पर्व—तत्तिरीय ब्राह्मण (१।४।१०।५) के अनुसार विश्वेदेवों ने जिस पर्व से यजन किया उसे वैश्वदेव पर्व कहते हैं। यह फाल्गुन की पूर्णिमा को सम्पन्न किया जाता है। इस प्रथम पर्व में आग्नेय अष्टाकपालपुरोडाश, सोम के लिए चरु, सविता देवता के लिए अष्टकपाल या द्वादशकपालपुरोडाश, पूषा के



लिए पिष्टचक्र मरुत देवता के लिए मन्त्रपालपुराडाश त्रिष्वेदेवा के लिए पयस्या, द्वावापृथिवी के लिए एककपालपुराडाश यथा हविष् है । इसमें ऋत्विज उनसे ही होते हैं जितने दर्श तथा पूर्णमास में रहने हैं ।

२ वरुणप्रघास पर्व वरुण के उद्देश्य से दिये जाने वाले प्रघास वरुण प्रघास कह जाते हैं अथवा (ये हविष्) वरुण के पाशरूप कर्म को नष्ट करते हैं इसलिये इन्हे वरुण प्रघास कहते हैं ।

वैश्वदेवपर्व के सम्पादनानन्तर चार महीने बीत जाने के पश्चात् त्रापाढ की पूर्णिमा को वरुणप्रघास सम्पन्न होता है । आदि से लेकर वैश्वदेव पर्व के ५ हविष् तथा उनके अतिरिक्त ऐन्द्राग्निद्वादशकपालपुराडाश, वरुण के लिए आमिक्षा, मरुत के लिए आमिक्षा, ब्रह्मा के लिए एककपालपुराडाश आदि हविष् दिये जाते हैं । इसमें दो वेदी होती हैं । एक दक्षिणवेदी और दूसरी उत्तरवेदी । इना, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा और प्रतिप्रस्थाता ये पाँच ऋत्विज होने हैं । अध्वर्यु चतुर्दशी के दिन यवपिष्ट से वृत्ताकार चार करम्भ पावों का निर्माण करता है । अध्वर्यु पूर्णिमा में यवपिष्ट से मेघ का निर्माण करता है तथा यजमान पत्नी उस पर रूई से बाल का निर्माण करती है । प्रतिप्रस्थाता मेघी का निर्माण करता है । यजमान पत्नी करम्भ पावों को शूर्प में लेकर मिर पर रख कर दक्षिणाग्नि में हवन करती है । मेघी होम भी इसी दक्षिणाग्नि में ही होता है जिसे प्रतिप्रस्थाता सम्पन्न करता है । अध्वर्यु उत्तरवेदी में मेघ का होम करता है । अबभृषेष्टि के पश्चात् अबभृथस्नान भी होता है । इसकी दक्षिणास्वरूप गाय, अश्व, छः अथवा द्वादश बैल हैं ।

३-साकमेध पर्व-कौपीतक्रिन्नाह्वण (५।५), तथा गोपश्रत्राह्वण उत्तर भाग (१।२३) के अनुसार इसका सम्बन्ध इन्द्र से है । जिन हविष विशेष से देवता बढते हैं उन्हें साकमेध कहते हैं । यह पर्व कार्तिक की पूर्णिमा को सम्पन्न होता है । इसमें अनीकवती आदि इष्टियाँ, महाहविष्, पितृयज्ञ तथा द्यम्बकेष्टि ये चार कर्म होते हैं । यह पर्व दो दिन में सम्पादन होता है । प्रथम दिन प्रातःकाल अनीकवती आदि इष्टि का सम्पादन होता है जिसमें अग्नि अनीकवान् देवता होते हैं । अष्टा-कपालपुराडाश द्रव्य तथा अन्वाहार्य दक्षिणा होती है । मध्याह्न में सान्तपानेष्टि होती है जिसमें सन्तपना मरुत देवता होते हैं, चन्द्रद्रव्य होता है, अन्वाहार्य दक्षिणा होती है । सायंकाल गृहमेधीयेष्टि सम्पन्न होती है जिसमें गृहमेधिन, मरुत देवता होते हैं । दूध में पकाया गया चरु द्रव्य तथा दक्षिणा में सांड दिया जाता है । चतुर्दशी की रात्रि में हविषशेष ओदन का भक्षण यजमान के घर में आये हुए अन्य

प्र ह्यण १२ मकन १२ २५मे प्रयाज और अनुयाज नहीं होते किन्तु  
उगके अंग है। मास और प्रातः यवागू से अग्निहोत्र होम सम्पन्न होता है। दूसरे  
दिवस प्रातःकाल उषा के प्रादुर्भूत होने पर स्नान करके यजमान के घर के बेल का  
नाम लेकर बुनाया जाता है। उस बुलाने के शब्द को सुनकर, उसके कुछ बोलने  
पर अग्निहोत्र के पूर्व पौर्णद्व्याह्य होम करके दूसरे दिन सूर्योदय के समय  
कीडिनैरिट की जाती है जिसमें सप्तकपाल पुरोडाश द्रव्य होता है, मरुत कीडिन  
अथवा स्वतवती देवता होते हैं। अन्य सब बातें समान ही हैं। इसमें अन्वाहार्य  
रूप दक्षिणा का विधान है।

**अदितोष्टि**—इसमें अदिति देवता के लिए चरु का विधान है। इसकी  
दक्षिणा अन्वाहार्य है।

**महाहविषडाष्टि**—यह उत्तरवेदी पर सम्पन्न की जाती है। वैश्वदेव पर्व में  
दिये गये प्रारम्भ के पाँच हविष होते हैं। अतिरिक्त हविषों में से ऐन्द्राग्न द्वादश  
कपालपुरोडाश, महेन्द्र के लिए चरु, विश्वकर्मा के लिए एक कपालपुरोडाश है।  
दक्षिणा ऋषभ (ससड़) है।

**पितृयेष्टि**—(महापितृयज्ञ)—पितृयेष्टि के लिए दक्षिण दिशा में दक्षिणाभिमुख  
विहार का सम्पादन होता है। उसके मध्य में दक्षिणाग्नि खर होता है जिसमें  
दक्षिणाग्नि रहती है। इसी में सभी होम होते हैं। सोम पितृमान्, पितरोवहिपद,  
पितरोऽग्निस्वात्ता ये क्रम से देवता हैं। पट कपालपुरोडाश, धानः तथा मन्थ  
द्रव्य है। अन्वाहार्य दक्षिणा है।

**व्यम्बकेष्टि**—इसमें रुद्र (व्यम्बक) देवता हैं। यजमान के गृह में स्थित  
स्त्री-पुरुष की संख्या में एक अधिक एककपालपुरोडाश दिये जाते हैं। एक अध्वर्यु  
भी ऋत्विक् होता है। ऋषभ दक्षिणा है। इसमें सब कर्म उत्तर की ओर मुँह कर  
दिये जाने चाहिए। दक्षिणाग्नि से जलता हुआ अंगार लेकर, चतुष्पथ (चौराह)  
पर जाकर, पंचभूमस्कार करके, वहाँ उसका स्थापन करके, एक के अतिरिक्त  
अन्य पुरोडाशों का पलाशपत्र से अवदान करके होम करना चाहिए। अवदान से  
नचे हुए पुरोडाश का चूहे के द्वारा खादी गयी मिट्टी में प्रक्षेप कर देना चाहिए।  
यजमान सपरिवार तीन बार अग्नि की प्रदक्षिणा करना है। अत्रशिष्ट पुरोडाश  
को हाथ से ऊपर उछाला जाता है। गिरते हुए उनको हाथ से ग्रहण करके बराबर  
बराबर बाँट कर, दो शिकरों में रख कर यष्टि या बाँस में बाँध कर तण्डुलादि  
डालकर, उत्तर दिशा में ठूठे षेड़ पर, वृक्ष पर या बाँस पर अथवा बल्मीक में  
आरोपित कर देना चाहिए।

४ शुनासीरीय पर्व साकर्म्यपर्व की समाप्ति के अनन्तर द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ दिन अथवा एक माह के बाद शुनासीराय पर्व का अनुष्ठान होता है। यदि चार माह के बाद करना है तो फाल्गुन की पूर्णिमा को ही करना चाहिए। जो यजमान एक ही वर्ष में चातुर्मास्य यागों का सम्बन्ध चाहता है अर्थात् द्वितीय सवत्सर में आवृत्ति नहीं चाहता वह फाल्गुनशुक्ल प्रतिपदा को शुनासीरीय पर्व का सम्पादन करके आगामिनी फाल्गुन की पूर्णिमा को सोमयाग या पशुयाग करे।

वैश्वदेवपर्व के आरम्भ के पूर्व हविष् होते हैं। अन्य हविषों में शुनासीर के लिए द्वादशकपालपुरोडाश, वायु देवता के लिए दूध, यवागू तथा सूर्य देवता के लिए एककपालपुरोडाश दिये जाते हैं। दक्षिणा छः बैलों से युक्त हल अथवा दाढ़े शक्ति युक्त बैल, श्वेनश्व अथवा माय हैं।

चातुर्मास्ययाग के दो पक्ष हैं, एक उत्सर्गपक्ष और दूसरा है यावज्जीवपक्ष। यजमान एकबार चातुर्मास्ययाग करके पशुयाग और सोमयाग करता है न सिं चातुर्मास्य। इसे उत्सर्गपक्ष कहते हैं।

आजीवन प्रतिवर्ष चातुर्मास्य से ही यजन किया जाय तो यह यावज्जीव पक्ष है। जो चातुर्मास्य की आवृत्ति चाहता है उसे फाल्गुन शुक्लपक्ष की चतुर्दशी का शुनासीरीय पर्व का सम्पादन करके प्रातः पौर्णमासी को पुनः वैश्वदेव पर्व करना चाहिए। (का० श्रौ० सू० ५।११।१८) तदनन्तर वरुणप्रधासादि यथापूर्व सम्पन्न होते हैं।

ऐष्टिक, पाशुक और सौमिक तीन प्रकार का चातुर्मास्ययाग होता है। ऐष्टिक भी वार्षिक (सांवत्सरिक), पंचाहिनिक तथा एकाहिक होता है सावत्सरिक पूर्ववर्षित है। पांच दिन में जिसका सम्पादन हो वह पंचाहिनिक तथा एक दिन में जिसका सम्पादन किया जाय वह एकाहिनिक है। पशु सहित किया जाने वाला यज्ञ पाशुक है। प्रथमपर्व में विश्वेदेवों के लिए, द्वितीय पर्व में वरुण देवता के लिए, तृतीय पर्व में महेश्वर के लिए, चतुर्थ पर्व में शुनासीर के लिये पशुओं का विधान है।

सौमिक चातुर्मास्य में वैश्वदेवपर्व के स्थान में अग्निष्टोम संस्थाक सोमयाग होता है। वरुणप्रधासपर्व दो दिन में सम्पन्न होता है। प्रथम दिन अग्निष्टोम संस्थाक तथा उक्थ्यसंस्थाक सोमयाग और द्वितीय दिन उक्थ्यसंस्थाक सोमयाग का सम्पादन होता है। साकर्म्यपर्व तीन दिन में सम्पन्न होता है। प्रथम दिन अग्निष्टोमसंस्थाक सोमयाग, द्वितीय दिन उक्थ्यसंस्थाक सोमयाग तथा तृतीय दिन अतिरात्रसंस्थाक सोमयाग किया जाता है। शुनासीरीय पर्व में ज्यातिष्टोम होता है।

माना तिन मन्वीयपशुयाग भी अग्ररूप से होते हैं जिनमें विश्वेदेव वरुण अग्नि, इन्द्राग्नी, एकादशिन. देवता तथा वायुदेवता हात हैं। एक-एक पशु की समाप्ति पर पृथक्-पृथक् अवधूषेष्टि होती है।

### (५) निरूढपशुबन्ध

निरूढपशुबन्ध प्रतिवर्ष वर्षाऋतु में सम्पन्न किया जाता है। इसे दो दिन करने का संकेत मिलता है, उत्तरायण के आरम्भ में तथा दक्षिणायन के आरम्भ में। इस यज्ञ में द्रव्य छाग है, उसकी वपा, हृदय, जिह्वा, वक्षपाश्वर्द्धय, गुदमध्य, यकृत तथा वृक्क की आहुति होती है। इन्द्राग्नी, सूर्य और प्रजापति देवता होते हैं। होता, अध्वर्यु, अग्नीध्र, ब्रह्मा, प्रतिप्रस्थाता तथा मैत्रावरुण ये छः ऋत्विज होते हैं। यह ज्योतिष्टोमयाग के अग्रभूत अग्नीषोमीयपशुयाग की प्रकृति है। इसमें तीन या चार अग्नि (एक अर्चित = २४ अंगुल) के परिमाण का खदिर या त्रिल्वकाष्ठ से निर्मित यूप भी होता है। ऋत्विजों के अतिरिक्त शमित यज्ञीयपशु का मजपन करके, ब्रथा निकाल कर, उस वपाश्रयणी पर रख-कर आहवनीय पर श्रपण करके, एक अवदान कर उसका हवन करके, हृदय आदि का अवदान करके शामितसंज्ञक अग्नि में उन्हें पकायें जाने पर जिस देवता से सम्बन्धित पशुयाग हो उस देवता के लिए पुरोडाश का निर्वपण करके, उस यज्ञमान के द्वारा विशिष्ट देवता के लिए याग कर लिये जाने पर पक्व हविष् को जुहू में लेकर हृदय, वृक्क आदि अष्टांगों का उस देवता के लिए हवन करके तदनन्तर तीन अंगों में स्विष्ट-व्रत् अग्नि का हवन सम्पन्न हो जाने पर अनुयाज आदि का अनुष्ठान होता है। इनमें एकादश प्रयाज तथा उतने ही अनुयाज होते हैं। इष्टियों में हविष् के प्रक्षेपण के अनन्तर ही प्रयाज मन्त्रों का पाठ होता है किन्तु पशुयाग में यूप के समीप पशु के रहने पर ही दस प्रयाजों का पाठ होता है, ग्यारहवें प्रयाज का पाठ प्राणहरण के बाद होता है। दक्षिणा में बैल अथवा कोई बड़ी गाय दी जाती है।

### ६-आग्रयणेष्टि (नवान्नेष्टि)

नवान्न के उत्पन्न होने पर जिसका सम्पादन किया जाय वह आग्रयण है। इसे नवान्नेष्टि भी कहते हैं। इसका सम्पादन शरद और वसन्त में आहिनाग्नि के द्वारा होता है। आहिताग्नि इस इष्टि को सम्पन्न करके भोजनार्थ नवान्न का उपयोग करे। द्रव्यरूप में पुरोडाश तथा चरु दोनों का विधान है। इन्द्र तथा अग्नि के लिए पुरोडाश और चावापृथिवी के लिए चरु दिया जाता है। नवब्रीहि और यव प्रधानद्रव्य हैं। रथ, मधुपर्क तथा वर्षा में धारण किया गया वस्त्र दक्षिणा है। यह इष्टि नित्य है। ब्रीह्याग्रयण करके (अर्थात् चावल से इष्टि करके) नवान्नयण

वहल २ नया वहा पर टका भ ि देण मिलता है कि इस वमित्त यज्ञ भा कहत ह ।  
 उसम प णमास तथा अमावास्य दा याग होते हैं । पौर्णमास में आग्नेयपुरोडाश,  
 अग्नीषोमीय उपांशुयाज, आज्य, अग्नीषोमीयपुरोडाश, इन तीन हविषों का अथवा  
 अग्नीषोमीय पुरोडाश एक हविष् का प्रथम दिन में विधान है । द्वितीय दिन  
 आग्नेय पुरोडाश तथा इन्द्र के लिए साक्षाथ्य विहित है ।

दर्श में प्रथम दिन आग्नेय पुरोडाश, वैष्णव उपांशुयाज आज्य, इन्द्र के लिए  
 साक्षाथ्य ये तीन हविष होते हैं अथवा इन्द्र और अग्नि के लिए घुरोडाश ही एक  
 द्रव्य होता है । द्वितीय दिन आग्नेय पुरोडाश तथा मैत्रावरुणी पयस्या का विधान  
 मिलता है । इसे फाल्गुनी से आरम्भ करके आर्जोवन अथवा पन्द्रह वर्ष तक या  
 सवत्सर (१ वर्ष) तक करना चाहिए । काम्य को संवत्सर तक ही करना चाहिए ।  
 कौपीतिक ब्राह्मण (४१४) के अनुसार दक्षपार्वति ने इस इष्टि का सम्पादन करके  
 सभी कामों को प्राप्त किया ।

३—प्रायश्चित्तेष्टि—इन इष्टियों में कुछ महत्त्वपूर्ण इष्टियों का वर्णन  
 यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है ।

**अभ्युदितेष्टि**—जिस यजमान के उपवास करने के दिन पूर्व की ओर  
 चन्द्रमा दिखायी पड़ता है वह यज्ञ पथभ्रष्ट होता है इसलिए भ्रान्तिवश पर्व के  
 न आने पर अमावास्य पर्व का अतिक्रमण हो जाता है, इसलिये अभ्युदितेष्टि का  
 सम्पादन करके उसके प्रायश्चित्त के रूप में किया जाता है । यजमान विहित काल  
 के अनुसार पुनः अमावास्ययाग करता है । इस प्रायश्चित्तेष्टि में तीन हविष होते  
 हैं—अग्निदातृ के लिए अष्टाकपालपुरोडाश, इन्द्रप्रदातृ के लिए प्रातःकाल दुहे गये  
 दूध में पका हुआ चरु । यह इष्टि दर्श की विकृति है ।

**अभ्युदृष्टेष्टि**—जिस यजमान के उपवसथ में चन्द्रमा पश्चिम की ओर  
 दिखायी पड़ता है वह यज्ञ भी पथभ्रष्ट होता है इसलिये भ्रान्तिवश पर्व के वीत  
 जान पर इसका अमावास्य प्रकान्त होता है उसके द्वारा अभ्युदृष्टेष्टि की जाती है ।  
 यजमान इस इष्टि के द्वारा यज्ञपथ पर पहुँच कर उसी दिन अमावास्य करता है ।  
 यह भी दर्श की विकृति है । शतपथब्राह्मण के एक उल्लेख से यह स्पष्ट हो जाता  
 है कि दर्शेष्टि के बाद प्रायश्चित्तीय इष्टियों की जाती है ।

इनके अतिरिक्त अग्निमदग्नीष्टि, पथिकृद्ग्नीष्टि, वीत्यग्नीष्टि,  
 विविच्यग्नीष्टि, संवर्गेष्टि, शुच्यग्नेष्टि, अप्सुमदग्नीष्टि, हद्रेष्टि, पथिकृत् पूषेष्टि,  
 व्रतपत्यग्नीष्टि, भारतेष्टि आदि अनेक प्रायश्चित्तीय इष्टियाँ हैं । अग्निहोत्र के

उपचार होने पर अनेक प्रायश्चित्तीय इष्टियों का विवरण अतपथब्राह्मण में किया गया है ।

४—**ऋत्विक्थ्य इष्टियां**—कुछ इष्टियां विशेष ऋतुओं की (यज्ञों) की मिद्धि के लिए होती हैं जिन्हें ऋत्विक्थी कहते हैं, जैसे—दीक्षणीयेष्टि, आनिथ्येष्टि, उप-मदिष्टि—ये तीनों ज्योतिष्टोम यज्ञ के धर्म हैं । प्रायणीयेष्टि, उदयनीयेष्टि आदि सत्र के धर्म हैं । अबभृथेष्टि, अनीकवनीष्टि, मांतपनेष्टि, क्रीडोयेष्टि, पिष्ट्येष्टि, आदित्येष्टि, सवनेष्टि आदि चातुर्मास्य के धर्म हैं । उद्यासम्भरण चयनयाम का तथा उदवसानीयाइष्टि सोमयाग का धर्म है ।

५—**काम्येष्टि**—जिन इष्टियों को विशेष कामना में सम्पन्न किया जाता है वे काम्येष्टि कही जाती हैं । इनमें मित्रविन्दा, पुत्रकामिका, आयु काम्येष्टि, अन्नकाम्येष्टि, अन्नाद्यकाम्येष्टि, महायज्ञकाम्येष्टि, पापक्षयकाम्येष्टि, शतकृष्णलेष्टि, कारीरीष्टि आदि इष्टियां हैं ।

**मित्रविन्देष्टि**—मित्रप्राप्ति की कामना वाले यजमान को अग्नि, सोम वरुण, मित्र, इन्द्र बृहस्पति, सविता, पूषा, सरस्वती तथा त्वष्टा इन एकादश देवताओं का यजन करना चाहिए । इस इष्टि का नाम मित्रविन्दा है ।

**पुत्रकाम्येष्टि**—पुत्र की कामना वाला व्यक्ति अग्निपुत्रवान् के लिए अष्टाकपालपुरोडाश का तथा इन्द्रपुत्री के लिए अष्टाकपालपुरोडाश का निर्वाप करता है ।

**आयुःकाम्येष्टि**—सम्पूर्ण आयु की मिद्धि के लिए अग्नि आयुमान के लिए अष्टाकपालपुरोडाश तथा इन्द्र वानृ के लिए एकादश कपालपुरोडाश प्रदान किया जाता है ।

### (३) सप्तसोम संस्था तथा अन्य सोमयाग

सोमयज्ञ के विवेचन के पूर्व उसके भेदोपभेद का उल्लेख कर देना उचित है । कुछ आचार्यों के मतानुसार यज्ञ के पांच भेद हैं जिनमें १—शिरोयज्ञ, २—अतियज्ञ, ३—महायज्ञ, ४—हवियज्ञ और ५—पाकयज्ञ हैं । हवियज्ञ और पाकयज्ञ का वर्णन किया जा चुका है । अब शेष तीन का मक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है ।


१—**शिरोयज्ञ**—प्रवस्यं याग ही शिरोयज्ञ है ।

२—**अतियज्ञ**—इसके चार भेद हैं—१—अग्निमित्था, २—वाजपेय,

३ — राजसूय तथा ४ अश्वमेध । अश्वमेध से राजसूय तथा राजसूय से वाजपेय श्रेष्ठ है । अग्निचित्या अन्य तीनों से श्रेष्ठ है क्योंकि उससे अमृत की प्राप्ति होती है । अन्य तीन से अमृतत्व नहीं प्राप्त होता । (श० ब्रा० ५।१।१।१३)

**अग्निचित्या**—गाहंपत्य, नैऋत्य, आहवनीय तथा आठविष्णुयों की एकादश अग्नियाँ होती हैं । इन सोम सम्बन्धिनी अग्नियों का संस्कार विशेष ही अग्निचित्या अशवा अग्निचयन है । यह अग्निचयन दो प्रकार का होता है—स्वतन्त्र तथा सौमंगभूत । जो चयनयाग दिना सोमयाग के ही सम्पन्न होता है वह स्वतन्त्र अग्निचयन है । फाल्गुनी में अशवालम्भन करके तदनन्तर अष्टकायाग, उखासम्भरण और अमावास्या में दीक्षा कर्म सम्पन्न होते हैं । इसके पश्चात् संवत्सरपर्यन्त उख्य (उखा की अग्नि) का धारण, विष्णुक्रम आदि का अनुष्ठान और संवत्सर के अन्त में फाल्गुनी के अनन्तर अमावास्या को सोमक्रयण होता है । सोमक्रयण के पूर्व ही गाहंपत्य चयन, नैऋत्य चयन होते हैं । सोमक्रयण के पश्चात् चैत्रमास को शुक्लपक्ष में उपसद् तथा आहवनीय अग्नि के अगारों के बीच में पांच चित्तियाँ होती हैं । पुनः षतर्द्रिय होम तत्पश्चात् अग्निविकर्षण, प्रवर्ग का अनुष्ठान और अन्त में व्रश्वानरमास्त, वसोर्धारा आदि आहुतियों का होम होता है । इन चार अतिथयों में अग्निचित्या और वाजपेय को ब्राह्मण को तथा राजसूय और अश्वमेध यज्ञों को राजसूय (धन्विय) को करने का अधिकार है । शेष तीन वाजपेय, राजसूय और अश्वमेध का विवेचन आगे किया जायेगा ।

३—महायज्ञ—महायज्ञ के मुख्य दो भेद हैं—



एक दिन में जिस यज्ञ का सम्पादन किया जाता है उसे एकाह कहते हैं । जैसे ज्योतिष्टोम की सात संस्थाएँ ।

द्विरात्र से लेकर दशरात्र पर्यन्त अनेक दिन में साध्य होने वाले यज्ञ अहीन कहे जाते हैं ।

एकादश रात्रि से ले द्वादश रात्रि पर्यन्त अनेक रात्रियों में माध्य सबो को रात्रिसव कहते हैं ।

अतरात्रि के षष्ठात् सहस्र रात्रिपर्यन्त अथनसत्र अनुष्ठित होते है ।

सोमयाग में अनेक रात्रियों तक चढ़ने वाले यज्ञों के लिए सत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है । शतपथब्राह्मण (११।२।२।३) में पांच महायज्ञों का ही महामन्त्र कहा गया है । अन्य आचार्यों के मतानुसार सोमयाग का एकाह, द्वादशाह, संवत्सराह तथा सहस्र संवत्सराह इन चार वर्गों में विभाजित किया जाता है ।

**एकाह—**एकाह अनेक हैं । इन एकाहों की प्रकृतिभूत ज्यातिष्टोम है । उमम सात संस्थाएं हैं । इस चतुष्टोम (अग्निष्टोम, उष्य, षोडशी, अनिरात्र) का अग्निष्टोम भी कहते हैं । अग्निष्टोम साम के द्वारा ममाग्नि होने के कारण इसे अग्निष्टोम कहते हैं । प्रातः सवन में बह्विष्यवमान, त्रिवृत् स्तोम, तवम्नोत्तम होते हैं । चार पंचदश आज्यस्तोत्र जो संख्या में ६० होते हैं, माध्यन्दिन सवन में माध्यन्दिनपवमान, पंचदशस्तोम इस प्रकार पन्द्रह स्तोत्रीय होते हैं । चार मण्डप पृष्ठस्तोत्र मिलकर ६८ स्तोत्रीय होते हैं । तृतीय सवन में मण्डपदश स्तोम में युक्त आर्भवपवमान होता है । सप्तदश स्तोत्रीय होते हैं । अग्निष्टोम स्तोत्र तथा इक्षीम स्तोत्रीय मिलकर १६० स्तोत्रीय होते हैं ।

अग्निष्टोम को ज्यातिष्टोम कहते हैं

विराट् ही छन्दों की ज्योति है इसलिए अग्निष्टोम को ज्यातिष्टोम कहते हैं ।

त्रिवृत्, पंचदशस्तोम, मण्डपदशस्तोम तथा एकविंशस्तोम इन चारों को विराट् छन्दों में सम्पादित होने के कारण ज्यातिष्टोम कहते हैं ।

ये सोमयज्ञ तीन प्रकार के होते हैं—नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य ।

**नित्य—**जो यज्ञ स्वतन्त्ररूप से करने के लिए आदिष्ट हैं वे नित्य यज्ञ कहे जाते हैं ।

**नैमित्तिक—**जहाँ पर सोमयाग करके अन्य यज्ञों का विधान किया जाता है, वहाँ यज्ञान्तर साहचर्य से सोमयज्ञ नैमित्तिक कहे जाते हैं ।

**काम्य—**जहाँ इहलोक और परलोक विषयक फल के उद्देश्य से सोमयाग किये जाते हैं वे काम्य कहलाते हैं ।



वाम्य सोम के दा भद हाते हैं—आदिष्ट साम तथा प्राक्सौमिक एकाह तथा अहानसत्र आदिष्टसाम हैं

सभी हविर्यज्ञ फल विशेष के उद्देश्य से सोम के साथ सम्पादित होते हैं। सोम के पूर्व सम्पादन होने के कारण उन्हें प्राक्सौमिक कहते हैं।

जिन यज्ञ में सुरा का प्रचार होता है उस यज्ञ को सौत्रामणी कहते हैं। सौत्रामणी के दो भेद हैं—कौकिली तथा चरका। शतपथब्राह्मण तथा आपस्तम्ब श्रौतसूत्र के अनुसार असोमयाजी, (जिसे सोमयाग नहीं किया है) वह स्वतन्त्र-याग कौकिली का सम्पादन कर सकता है। आपस्तम्ब श्रौतसूत्र के अनुसार अग्नि-भयन करके वाजपेय यज्ञ का सम्पादन करके श्रौत्रामणी यज्ञ करने का विधान है। 'एतया राजसूययाजी यजते' शतपथब्राह्मण के इस कथन से यह विदित होता है कि सौत्रामणी अग रूप भी है। अतः अग्ररूप सौत्रामणी को ही चरका कहते हैं। चरका में सौत्रामणी के साथ हविर्यज्ञत्व चाहने की इच्छा से सौत्रामणी का सप्त-हविर्यज्ञ संस्था में परिगणन होता है।

सर्वप्रथम ज्योतिष्टोम की सात सस्थाओं का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत करके अन्य प्रमुख सौमिक यागों का भी वर्णन यथासम्भव किया जायगा।

### सप्तसोम संस्था

कुछ आचार्यों के मतानुसार सोम से यजन करने के इच्छुक व्यक्ति को किसी भी वर्ष की वसन्त ऋतु में अन्याधान करके उसके बाद ही सोमयाग सम्पन्न करके दर्शपूर्णमास आदि का अनुष्ठान करना चाहिए। अन्य आचार्यों के मतानुसार आधान के अनन्तर दर्शपूर्णमासादि का अनुष्ठान करके सोमयाग करना चाहिये। सोमयाग में भी सात सस्थाएँ हैं जिनमें अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र, वाजपेय तथा आप्तोर्धाम है।

### अग्निष्टोम

सोमयाग को अग्निष्टोम साम से समाप्त होने के कारण अग्निष्टोम कहा जाता है। यह याग एक दिन में सम्पन्न हो सकता है किन्तु वर्ग सहित इसके अनुष्ठान में पाँच दिन लगते हैं। इसका प्रारम्भ वसन्त में पूर्णिमा, प्रतिपदा अथवा अमावास्या को होता है। षोडश ऋत्विज होते हैं जिनके अध्वर्युगण, ब्रह्मगण, होतृगण और उद्गातृगण—ये चार गण होते हैं। इनके अतिरिक्त एक सोमप्रवाक होता है। इसके स्थान पर सदस्य नामक ऋत्विक् को कुछ भूजकार सत्रहवाँ बतलाते हैं। (११०सौ०सू० १०।१।१०) सोमयाग तीनों बेटों की सहायता से सम्पन्न होता है।

(आश्व०श्रौ०सू०२४।१-२) यजुर्वेद से सम्बन्धित अनुष्ठान अथर्ववेद में, ऋग्वेदीय अनुष्ठान हेतुगण, सामवेदीय अनुष्ठान उद्गातृगण सम्पादित करने हैं। इन तीनों गणों के द्वारा सम्पन्न किये जाने हुए कर्म के निरीक्षण के लिए ब्रह्मगण होता है।

प्रथम दिन का कृत्य— यजमान के द्वारा सर्वप्रथम सोमप्रवाक का वरण होता है। अथर्व्यु होता, ब्रह्मा आदि के घर जाकर उसमें कहना है कि अमुक शर्मा का यज्ञ होना आपके द्वारा यज्ञ सम्पादन होना चाहिए। यह उनको अपने साथ लेकर यजमान के घर आता है और तब यज्ञ के लिए उनका ऋत्विक् रूप में वरण होता है। यज्ञ कराने के लिए चुने गये ऋत्विजों को मधुपर्क दिया जाता है तदनन्तर गार्हपत्य अग्नि को अरणियों पर लेकर उम अग्नि को शान्त करके अरणी और सामग्री के साथ यजमान पत्नी सहित यज्ञनीम स्थान को जाता है। वहाँ पहुँचने पर शाला तथा कुण्ड का निर्माण होता है। अरणिमथन करके उत्पन्न अग्नियों को कुण्डों में स्थापित कर दिया जाता है। अपराह्न में पति-पत्नी को अभीष्ट भोजन करना चाहिए अथवा यदि वे चाहें तो भोजन नहीं करें। पति-पत्नी इसी दिन भोजन करते हैं। आगामी चार दिन उपवास ही करते हैं। अबभृथ स्थान के अनन्तर भोजन करके केशादि का वसन होता है। पत्नी के बाल न काट कर नखकतन होता है। यजमान के स्नान के बाद दीक्षणीयेष्टि का विधान है। इस इष्टि में दम्पति (पति-पत्नी) के लिए अनेक दीक्षा संस्कार हैं। सर्वप्रथम अग्नि और विष्णु देवता के लिए एकादश कपालपुरोडाश देकर नवनीत से यजमान और यजमान पत्नी का सिर से पैर तक लेप होता है। दोनों मुष्टि बाँधते हैं। दोनों के कटिप्रदेश में मूँजमेखला का बन्धन होता है। फिर पर उष्णीष (पगड़ी) होती है। कण्डनार्थ कृष्णमृग का सींग तथा हाथ में धारण करने के लिए एक दण्ड होता है। सूर्यास्त के बाद यजमान पत्नी के साथ दक्षिण ग्रहण करता है। गार्हापत्य के लिए दूध का, राजन्य के लिए यवागू का और वैश्य के लिए आमिक्षा का विधान है।

द्वितीय दिन प्रायणीयेष्टि का अनुष्ठान होता है। इस इष्टि में अदिति, पथ्यास्वस्ति, अग्नि, सोम और सविता ये पाँच देवता होते हैं। इसमें अदिति के लिए चरुद्रव्य तथा अन्य चारों देवताओं के लिए आज्यद्रव्य दिया जाता है। प्रायणीयेष्टि के अनन्तर सोमक्रयण होता है। अथर्व्यु के द्वारा शरीरे गये सोम को दो वेलों से खींचे जाते हुए शकट पर रखकर प्राचीन वंश में उदुम्बर की आसन्दी (राजासन्दी) पर स्थापित किया जाता है। सोमक्रयणानन्तर आत्तियेष्टि का विधान है जिसमें विष्णु के लिए नवकपालपुरोडाश का निर्वाप किया जाता है। तत्पश्चात् अबभृथ स्नान तक आपम में द्रोह न हो इसलिये सब ऋत्विज तानुत्प्राज्य

का स्पष्ट करते हैं। इसके बाद प्रवर्ग्य कम तथा उपसदयाग होते हैं। उपरात इष्टि में जाज्य द्रव्य, तथा अग्नि, माम और विष्णु देवता हाते हैं। द्वितीय, तृतीय जीव चतुर्थ दिन प्रातः और सांघ प्रवर्ग्ययाग और उपसदयाग सम्पादित होते हैं।

तृतीय दिन प्रातःकाल प्रवर्ग्य और उपसद् का होम करके सौमिकी महावेदी का निर्माण और अपराह्ण में प्रवर्ग्य, उपसत् का सम्पादन होता है।

चतुर्थ दिन प्रवर्ग्य और उपसत् का अनुष्ठान करने के बाद अग्नि और सोम से सम्बन्धित पशु से यजन होता है।

पंचम दिन सुत्यादिवस कहा जाता है। इसी दिन सोमाभिषव (सोम का निचोड़ा जाना) करके ग्रहों तथा चमसों के द्वारा हवन होता है। अपनीत् प्रातः सवनीय पुरोडाशों का निर्वाप करता है। इस कर्म में पाँच हविष् और पाँच देवता होते हैं। इन्द्र के लिए एकादशकपालपुरोडाश, इन्द्रहरिवान् के लिए धानः, इन्द्र पूषण्वान् लिए करम्भ, इन्द्र सरस्वतिमान् के लिए दधि, इन्द्र मित्रवरुणवान् के लिए पयस्या। तत्पश्चात् सोम को पौस कर द्राणकलश में रखा जाता है। सूर्योदय के बाद आग्नेय पशुयाग तथा अन्त में चमस और ग्रहों का होम तथा उनमें श्रेष्ठ होम का भक्षण होता है। इसके अनन्तर माध्यन्दिन सवन का सम्पादन होता है। इस कर्म में इन्द्र और वायु देवता के लिए प्रातः सवन की भाँति द्विदेवत्य ग्रह नहीं होते हैं। द्वादश ऋतु ग्रह (जिसमें वसन्त, शिशिर आदि ऋतु देवता होते हैं) नहीं होते। शुक्र, मन्थरी, आग्रयण, तीन उक्थ्य, दो अष्ट्वतीय ग्रहों का विधान है। प्रातःसवन के समान ग्रहों का भक्षण भी होता है। तदनन्तर ऋत्विजों को दक्षिणा रूप में गाय, अश्व, अश्वतर (बछड़ा), गदँम, अज, अवि, तिल, माष उड़द), ब्रीहि (धान) और यज्ञ दिये जाते हैं। माध्यन्दिन सवन के पश्चात् कुछ समय के बाद तृतीय सवन सम्पन्न होता है। तीन सवन तक प्रधानभाग होता है। इसके अनन्तर अवभृथेष्टि होती है जिसमें वरुण देवता के लिए जल में पुरोडाशहोम का विधान किया गया है। अवभृथ स्थान के बाद अनुबन्धय पशुयाग सम्पन्न किया जाता है जिसमें बन्ध्या गाय का विधान है। रात्रि में उदयनीयेष्टि तथा उदवसानीयेष्टि ये दो इष्टियाँ सम्पादित होती हैं। उदयनीयेष्टि तथा प्रायणीयेष्टि के देवता और द्रव्य समान ही होते हैं। विशेषता यह है कि प्रायणीयेष्टि के लिए जिम पात्र में चरु पकाया जाता है उसी पात्र में बिना प्रक्षालन किये हुए ही उदयनीयेष्टि के लिए चरु पकाया जाता है। घर आकर उदवसानीयेष्टि का सम्पादन होता है जिसका द्रव्य अष्टाकपाल पुरोडाश है अथवा उसके स्थान में विष्णु देवता के लिए एक आहुति देकर रात्रि में अग्निहोत्र करने का विधान है।

दूसरे दिन प्रातःकाल अग्निहोत्र होना न चाहिए, यदि यजमान न अन्याधान करके पहले सोमयाग ही किया है तो उसे आशानिनी पूर्णिमा में दर्शपूर्णमासयाग में सम्पादन करना पड़ता है।

### २—उक्थ्य संस्था

जिस याग के द्वारा सोम का स्थापन होता है वह उक्थ्य या उक्थ है। प्रातःसवन और माध्यन्दिन सवन में अग्निष्टोम से अन्तर नहीं पड़ता। मन्त्रप और सवनीय पशु में अन्तर अवश्य पड़ता है। सकल्प के समय यजमान उक्थ्यन पदा कहता है। इन्द्र और अग्नि के लिए आग्नेय पशु के साथ दूसरे सवनीय पशु का विधान है। सोमक्रयण के समय सोम को अधिक मात्रा में खरीदा जाता है। अग्निष्टोम के समान माध्यन्दिन सवन का अनुष्ठान करके तृतीय सवन का आरम्भ में ऋजीष (निकाले गये सोम रस से बची हुई सोमलता) से तीन चमसों के लिए रस का अभिषवण होता है। धारा के तीन ग्रहों का आयतन में स्थापित करके अग्निष्टोम के ही समान कर्म का अनुष्ठान होता है। अग्निष्टोम स्तोत्र सम्बन्धी चमसों के प्रचार के बाद उक्थ्य ग्रहों का प्रचार होता है। चमसों के साथ ही क्रमशः तीनों ग्रहों का अध्वर्यु आह्वनीय में हवन करता है। पश्चात् ग्रहों में शेष सोम का भक्षण होता है। प्रथम उक्थ्य ग्रह के इन्द्र और वरुण द्वितीय ग्रह के इन्द्र और बृहस्पति तथा तृतीय ग्रह के इन्द्र और विष्णु देवता माने हैं। इस प्रकार उक्थ्य में तीन स्तोत्र तथा तीन शस्त्र अधिक होते हैं।

### (३) षोडशी संस्था

कौपीतिक ब्राह्मण (१७।१) ब्राह्मण में षोडशी की व्युत्पत्ति अधोलिखित है— 'अथोषोडशं वा एतत्स्तोत्रं षोडशं शस्त्रं तस्मात्षोडशीत्यारव्यायते।' इसके अनुसार जिस ऋतु में षोडश स्तोत्र और शस्त्र होते हैं उसे षोडशी ऋतु है। यह स्वतन्त्र ऋतु नहीं है इसलिए इसका अग्निष्टोम के समान पृथक् अनुष्ठान नहीं होता है। आग्नेय और ऐन्द्राम्न पशुओं के साथ इन्द्र के लिए तृतीय पशु मेष दिया जाता है। तृतीय सवन में उक्थ्य ग्रह तथा चमसों के प्रचार के अनन्तर षोडशी के लिए चमसों का उन्नयन करके सूर्य के अधोन्त के समय अध्वर्यु षोडशी स्तोत्र का आरम्भ करता है। स्तोत्र के समाप्त होने पर शस्त्र का आरम्भ तथा ग्रहों और चमसों का प्रचार होता है। शेष कर्म अभिरात्र के समान ही होता है।

### (४) अनिरात्र संस्था

जिसमें अनिरात्र संज्ञक सामों का गान होता है उसे अनिरात्र ज्योतिष्टोम

कहते हैं . पूर्वोक्त षोडशी में बताये गये तीनों पशुओं के साथ सरम्बती देवता के लिए चतुर्थ पशु मेघी का विधान है । तृतीय सवन के समय ऋजीप को निचोड़ कर पूतभृत् में रस भर कर स्थापित कर दिया जाता है । षोडशी ग्रह के प्रचार अनन्तर चमसों को ले आकर प्रथम रात्रिस्तोत्र के पर्याय में प्रथम स्तोत्र का पाठ होता है । उसकी समाप्ति पर प्रथम पर्याय में होता प्रथम शस्त्र का पाठ करना है । तदनन्तर अध्वर्यु होतृचमस को तथा चमसाध्वर्यु अन्य चमसों को लेकर आहवनीय में हवन करके शेष का भक्षण करते हैं ।

मैत्रावरुण के चमस को प्राथमिकता देकर अन्य चमसों को ले आकर द्वितीय स्तोत्र के स्तुत हो जाने पर, मैत्रावरुण के द्वारा शस्त्र का पाठ तथा अध्वर्यु आदि के द्वारा पहले की तरह हवन करके चमस का भक्षण कर्म होता है । इस गणद्वय का कर्ता अध्वर्यु होता है । इसके बाद दो गणों का कर्ता प्रतिप्रस्थाता होता है । जो कार्य अध्वर्यु को करना चाहिए वह प्रतिप्रस्थाता करता है । ब्राह्मणाच्छंसी के चमस को प्राथमिकता देकर प्रचार होता है । जिसका चमस मुख्य होता है वही 'वषट्' करता है । पर्याय के बाद दो पर्यायों का पुनरावर्तन होता है । एक पर्याय में चार स्तोत्र तथा चार शस्त्र होते हैं । तीनों पर्यायों में भिन्नाकर द्वादश स्तोत्र तथा द्वादश शस्त्र होते हैं । यही तीन रात्रि पर्याय कहे जाते हैं । रात्रि में स्तवन किये जाने के कारण इन्हें रात्रिस्तोत्र कहते हैं । रात्रिस्तोत्रों का पर्याय ही रात्रिपर्याय है । पर्याय समाप्त हो जाने पर प्रतिप्रस्थाता अश्विन देवता के लिए द्विकपालपुरोडाश पका कर वेदों में रखता है । अध्वर्यु मुख्यहोतृचमस तथा अन्य चमसों को ले आकर संधिस्तोत्र का पाठ करता है । इसके बाद होता के द्वारा अश्विन शस्त्र का पाठ होता है जो सूर्योदय के बाद समाप्त होता है । सूर्योदय के पश्चात् चमसों का ग्रहण तथा उनका होम होता है । इसी समय प्रतिप्रस्थाता पूर्व निमित्त अश्विनपुरोडाश का हवन करता है । सभी चमसों तथा पुरोडाश के अश्विन देवता होते हैं । हवन के अनन्तर चमस का भक्षण होता है । वषट् होता के द्वारा किया जाता है । शेष कार्य अग्निष्टोम के समान सम्पन्न होता है । इसके अनन्तर अवभृथेष्टि का विधान है । सभी संस्थाओं में अवभृथ के अनन्तर उदनीयेष्टि होती है तथा अनुबन्ध्या के स्थान पर मित्त और व ण के लिए आमिक्षा का विधान है । आमिक्षा होम के बाद अग्निष्टोम के समान ही उदवसानीयेष्टि होती है ।

अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी तथा अतिरात्र इन चार ऋतुओं के समूह को ज्योतिष्टोम कहते हैं । इन्हीं चार संस्थाओं का ज्योतिष्टोम में स्थान है । अत्यग्निष्टोम, वाजपेय और अप्तोर्याम इनका स्थान ज्योतिष्टोम में नहीं है ।

नीम महोदय के विचार से सम्भवतः इन तीन संस्थाओं को सात संख्या पूरी करने के लिए बाद में सोम संस्थाओं में जोड़ दिया गया ।

### (५) अत्यग्निष्टोम

अग्निष्टोम स्तोत्र के अनन्तर जिसमें तीन उक्त्य स्तोत्रों को क्रिमे वित्त षोडशी स्तोत्र तथा शस्त्रादि का प्रचार किया जाता है वह अत्यग्निष्टोम संस्था है । इस प्रकार अग्निष्टोम ही बाद में षोडशी ग्रह तथा चमस के स्तोत्र आदि के अनुष्ठान में अग्निष्टोम संस्था ही अत्यग्निष्टोम संस्था के रूप में वर्णित है । कुछ विद्वानों के मतानुसार इस अत्यग्निष्टोम संस्था के सम्पादन में क्षत्रिय का ही अधिकार है, ब्राह्मण और वैश्य का नहीं । किन्तु आश्वलायन के मतानुसार तीनों वर्णों के द्वारा प्रतिपाद्य संस्थाओं के मध्य में इसका प्रतिपादन होने के कारण क्षत्रिय के साथ ही ब्राह्मण और वैश्य का भी अधिकार है ।

### (६) वाजपेय संस्था

इसे अन्नपेय भी कहते हैं । वाजपेय संस्था में प्रातःसवन और माध्यह्निक सवन में अग्निष्टोम के समान ही अनुष्ठान होता है । तृतीय सवन में षोडशीग्रह-स्तोत्र के अन्त तक षोडशी के समान ही कर्म का सम्पादन होता है तत्पश्चात् वाजपेय संज्ञक एक स्तोत्र का पाठ होता है । चमसों का एक गण होता है जिसमें होतृ-चमस मुख्य होता है । सप्तदश स्तोत्र वाला स्तोत्र होता है । शस्त्रपाठ होता करता है । इस संस्था की यज्ञ संस्थाओं के अन्तर्गत गणना होने के कारण इसे संस्थावाजपेय भी कहते हैं । इसका विधान न तो आश्वलायन और बौधायन आदि के द्वारा किया गया है और न तो यजुर्वेदशाखा में ही इसका विधान मिलता है । नाण्ड्यब्राह्मण तथा छन्दोगसूत्र में इसी का विधान है । तैत्तिरीय शाखा के अनुसार वाजपेय इससे भिन्न है । उसमें सप्तह दौक्षा, तीन उपसद् तथा एक मुन्धा का विधान है । प्रजापति से सम्बन्धित सप्तदश सवनीय पशु तथा अरति परिमाण वाले सप्तदश घृण भी होते हैं । उन घृणों को वस्त्र से लपेटा जाता है । प्रजापति देवता से सम्बन्धित सप्तदश सोमग्रह तथा उनमें ही भुगग्रह होते हैं । आजकल सुराग्रहों के स्थान पर पयग्रहों का अनुष्ठान होता है । मुन्धा के दिन सभी ऋत्विज हिरण्य की माला धारण करते हैं । ऋत्विजों के लिए सप्तह-सप्तह रथ, अश्व, गज, शकट, दासी, दास निकल, गो, अज, अग्नि, दुग्धिभि आदि वक्षिणा रूप से दिये जाते हैं । सवनीय पशुओं के समय प्रजापत्य पशुओं के साथ पांच क्रतु पशुओं का भी उपाकरण करके पर्यग्निकरण किया जाता है । प्रथम चार क्रतु पशुओं की वषा निकाल कर कुछ समय के अनन्तर अवशिष्ट पशुओं के साथ प्रचार होता है । अन्य शेष कर्म प्रकृति के समान ही होते हैं । इसे आम्तोवाजपेय

कहते हैं, वाजपेय अग्निष्टोम की संस्था विशेष है। यह यज्ञ विशेष वाजपेय से जुड़कर है।

### (७) अप्तोर्याम संस्था

अतिरात्र संस्था के समान ही रात्रिस्तोत्र तथा सन्धि स्तोत्र का एक अनुष्ठान करके बाद में चार स्तोत्रों का अधिक अनुष्ठान होता है। इसकी व्युत्पत्ति श्रुति में इस प्रकार दी गयी है—

‘अप्तोः प्रातः यामो यज्ञः अप्तोर्याम इति ।’ पहले किसी समय प्रजापति ने पशुओं को बनाया। उत्पन्न होकर वे दूर चले गये। प्रजापति ने उनको इसी ऋतु से प्राप्त किया। उन्हें प्राप्त करने के कारण ही अप्तोर्याम नाम पड़ा। इसी प्रकार सन्धिस्तोत्रान्त रक्ष स्तोत्रों का अनुष्ठान करके तदन्तर चार स्तोत्र और उसके लिए चार चमस गणों का सम्पादन होता है। उसमें अतिरात्र के समान ही प्रथम और द्वितीय गणों का कर्ता अष्ट्वर्यु तथा तृतीय और चतुर्थ गणों का कर्ता प्रतिप्रस्थाता होता है।

अब कुछ अन्य प्रमुख सोमयज्ञों का विवेचन किया जायगा।

### गवामयनसत्र

गायों के द्वारा इसका अनुष्ठान सम्भव है इसलिए इसे गवामयन कहते हैं। इसका प्रारम्भ माघ कृष्ण अष्टमी, माघ शुक्ल की एकादशी, फाल्गुन की पूर्णिमा अथवा चैत्र की पूर्णिमा को होता है। प्रारम्भ के दिन से लेकर द्वादशदीक्षा तथा द्वादश उपसद् होते हैं। इस प्रकार यह चौबीस दिन में सम्पन्न होने वाला यज्ञ है। प्रथम दिन इष्टका के लिए पशु का आगमन तथा उखा सम्भरण सम्पन्न होते हैं। अन्तिम उपसद् के दिन अग्निषोमीय पशु का अनुष्ठान करके उसी दिन ही मृत्या का आरम्भ किया जाता है। महाव्रत में अतिप्राह्य संज्ञक तीन प्रहों का ग्रहण सम्पन्न किया जाता है। इनमें तीन अनुबन्ध्या गायों का विधान है।

### वाजपेय याग

ऋतपथ ब्राह्मण (५।१।३।३) में वाजपेय शब्द की व्युत्पत्ति अधोलिखित है—  
‘अत्रं वा एष उज्जयति यो वाजपेयेन यजते अत्रपेयं हवै नामैतच्चद्राजपेयम्’  
यह वाजपेय याग सोम की सात संस्थाओं में वर्णित वाजपेय से भिन्न है।

इसे ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को करने का अधिकार है। सात सोमसंस्थाक वाजपेय के अनुष्ठान में वैश्य का भी अधिकार है। यह ऋतु ऋतु में सम्पन्न होता है। इसके

अनुष्ठान में कई पक्ष हैं। प्रथम पक्ष यह है कि आश्विन की पूर्णिमा को वाजपेय सुत्या का अनुष्ठान तथा भाद्रपद की पूर्णिमा और कार्तिक की पूर्णिमा को बृहस्पतिसत्र का अनुष्ठान करना चाहिए।

द्वितीय पक्ष के अनुसार बृहस्पतिसत्र के स्थान में अग्निष्टोम के अनुष्ठान का विधान है।

तृतीय पक्ष के अनुसार द्वादश शुक्लपक्षों में वाजपेय के द्वादशयागों का अनुष्ठान होना चाहिए। उसमें अयुग्म (जैसे प्रथम, तृतीय, पंचम) शुक्लपक्षों में अग्निष्टोम का सम्पादन करना चाहिए तथा युग्म (जैसे द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम) शुक्लपक्षों में क्रमशः रथन्तर, बृहत्, वैरूप, वैराज, शाकबर, रथत आदि छः सामों से साध्य स्तोत्र एक-एक दिन होने चाहिए। त्रिवृत् पंचदश, सप्तदश, एकविंश, त्रिणव, त्रयस्त्रिंश के क्रम से स्तोम होते हैं। वाजपेय के अनन्तर युग्म शुक्लपक्षों में ज्योतिष्टोम का विधान है। अयुग्म छः शुक्लपक्षों में प्रथम के अनुष्ठान के विपरीत पृष्ठ्य स्तोत्रों का अनुष्ठान किया जाता है।

चतुर्थ पक्ष के अनुसार वाजपेय के पूर्व नव शुक्लपक्षों में पौष की पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद की पूर्णिमा तक राजसूय के अन्तर्गत अनुष्ठेय पवित्र, अभिषेचनीय, दशपेय, केशवनीय, व्युष्टिद्विरात्र, क्षत्रधृति, विष्टोम, ज्योतिष्टोम आदि का क्रम में अनुष्ठान होता है। आगे भी उन्हीं का प्रतिशोम करके विधान किया गया है। आश्विन की पूर्णिमा अथवा कार्तिक की पूर्णिमा या अमावस्या को राजसूय सम्बन्धिनी सुत्या होती है। कार्तिक की अमावस्या को सुत्या के पक्ष में आश्विन की शुक्ल पक्ष की दशमी में मान्पूजा सम्पादित होती है। तब से लेकर सप्तमीका विहित है। कार्तिक कृष्ण द्वादशी को प्रायणीयेष्टि उभी दिन सोम का क्रयण तथा सुराद्रव्य का भी क्रयण सम्पन्न किया जाता है। तत्पश्चात् तीन दिनों में सायंकाल और प्रातःकाल प्रवर्ग्य और उपसन् का अनुष्ठान होता है। चतुर्दशी को अग्नीषोमीय पशु का विधान है। सत्रह अरति के परिमाण का यूप प्रयुक्त होता है जिसे १७ वस्त्रों से आवृत किया जाता है। पूर्णिमा में पात्रयोजन के समय षोडशीपात्र अधिक होता है। सुराग्रहण के लिए १७ पात्र होने चाहिए, बाईस सवनीय पशु होते हैं। प्रथम पशु अग्नि के लिए, द्वितीय पशु इन्द्र और अग्नि के लिए, तृतीय पशु इन्द्र के लिए, चतुर्थ पशु (मेघी) सरस्वान् के लिए दिये जाते हैं। पंचम पशु में वशागाय का विधान है जिसके स्थान पर अजा को दिया जाता है। इसके अनन्तर आलम्भन हेतु प्रजापति से सम्बन्धित सप्तदश पशुओं का आनयन होता है जो श्यामवर्ण के, शृंगहीन तथा प्रजनन में समर्थ होते हैं। अग्नि, इन्द्र आदि देवताओं के लिए दिये जाने वाले पशुओं की वषा का अन्व-



अलग हाम होता है क्योंकि देवता भिन्न भिन्न होते हैं विन्तु प्रजापति से सम्बन्धित सप्तदश पशुओं की वषा का एक बार में ही, साथ ही होम होना चाहिए। दक्षिणा देने के पश्चात् षोडशरथों में चार-चार अश्व जोते जाते हैं। उनमें एक पर यजमान तथा अपने-अपने रथों पर अन्य ऋत्विज आदि सवार होते हैं। उदुम्बर की शाखा को लक्ष्य करके सभी अपने-अपने रथों को दौड़ाते हैं। डमी को वाजिघावन कहते हैं। उनके गमन के समय ब्रह्मा रथ के चक्र पर बैठकर साम का गायन करता है। उस समय यजमान को आगे-आगे रहना चाहिए। उसके पीछे वे सभी ऋत्विज आदि उदुम्बर वृक्ष की शाखा की प्रदक्षिणा करके देवयजन को लांठ जाते हैं। सब के आगमनाकन्तर ब्रह्मा रथ के चक्र से उतरता है। तत्पश्चात् यजमान अपना रथ अध्वर्यु के लिए तथा शेष रथों में से जिस-जिस पर जो ऋत्विज सवार रहते हैं उसे उनके लिए देता है। तदनन्तर मधु-ग्रह तथा सौरग्रह का प्रचार होता है। यूप के सहारे एक सीढ़ी लगी होती है जिसमें इक्कीस सोपान होते हैं उस पर यजमान और यजमान पत्नी चढ़ते हैं। नीचे स्थित यजमान के पुत्र-पौत्रादि सबह संख्या वाले पीपल के पत्ते में बंधी हुई द्वार तथा मृत्तिका प्लेटों से यजमान का निर्माण करते हैं जिसे स्वर्गारोहण कहते हैं।

इसके बाद एक अन्न को छोड़कर ग्राम्य तथा वन्य सभी अन्नों का सप्तमन्त्रों से सात बार होम होता है। होम से बचे हुए अन्न से आसन्दी पर स्थित यजमान का अभिषेक होता है। इसके पश्चात् आज्य की आहुतियों का प्रथम पुनः वषा-प्रचार सम्पन्न होता है।

### राजसूय

जिस याग में सोमराजा का अभिषेक होता है वह राजसूय है। राजसूय यज्ञ करके राजा को पदवी धारण की जाती है। फाल्गुन शुक्ल की प्रतिपदा का इसका आरम्भ होता है। यह एक वर्ष से अधिक दिन में सम्पन्न होने वाला याग है। अभिषिक्त (जिमका अभिषेक किया गया हो) क्षत्रिय ही इसका सम्पादन कर सकता है। ब्राह्मण और वैश्य नहीं। कात्यायन श्रौतसूत्र (३५।१।१) के अनुसार राजा के लिए ही राजसूय का विधान है। राजा शब्द से क्षत्रिय जाति का निर्देश किया गया है। पहले आठ दिन चलने वाला पवित्र सज्जक सोमयाग होता है जो फाल्गुन शुक्लपक्ष की अष्टमी में समाप्त होता है। राजा के लिए सोमभक्षण का निषेध होने के कारण बट वृक्ष के फल से युक्त अंकुरों को लेकर उसका भी सोम के साथ क्रयण आदि संस्कार करके दधि के साथ मिश्रित कर यजमान के चर्म में ग्रहण करके होम के समय हवन करके हवन के शेष का भक्षण किया जाता है।

इस चमस का भक्षण यजमान के द्वारा ही सम्पन्न होता है । फाल्गुन शुक्ल दशमी मे अनुमतीष्टि का अनुष्ठान होता है जिसमें अष्टाक्षपालपुरोडाश द्रव्य होता है । एकादशी को अग्नि और विष्णु के लिए द्वादशकपाल पुरोडाश, द्वादशी में अग्नि और सोम के लिए एकादशकपालपुरोडाश, त्रयोदशी में इन्द्र और अग्नि के लिए द्वादशकपाल पुरोडाश दिये जाते हैं । चतुर्दशी को यव तथा त्रीहि से भाग्यणेष्टि होती है । फाल्गुन की पूर्णिमा में राजसूय के अन्तर्गत चातुर्मास्य का विधान है । पहले पूर्णिमा को वैश्रवदेव पर्व चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अभावास्या तक प्रतिदिन पूर्णिमासेष्टि का सम्पादन होता है । चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर पूर्णमासी पर्यन्त दर्शेष्टि सम्पन्न की जाती है । राजसूय इष्टि के अनन्तर दर्शपूर्णमास तथा पिण्डपितृयज्ञ का नित्य अनुष्ठान होता है । तत्पश्चात् वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ महीनों में इसी प्रकार कृष्णपक्षों में पूर्णिमासेष्टि और शुक्लपक्ष में दर्शेष्टि होती है । प्रतिवर्ष जो यजमान चातुर्मास्य इष्टि का अनुष्ठान नहीं करता उसके लिए उन उन पर्वों के अनुष्ठान के समक उन्हें सम्पन्न करके राजसूय सम्बन्धी पर्वों का विधान है । आषाढ़ की पूर्णिमा को वरुणप्रधास पर्व सम्पन्न होता है । तब से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक प्रतिदिन पूर्ववत् दर्शपूर्णमास इष्टियों का अनुष्ठान होता है । कार्तिक की पूर्णिमा को साकम्बधपर्व तथा मार्गशीर्ष की कृष्ण प्रतिपदा से लेकर फाल्गुन की अभावास्या तक दर्शपूर्णमास इष्टियों का अनुष्ठान होता है । फाल्गुन कृष्ण की अभावास्या को शुनासीरीय पर्व और उसी दिन पंचवातीय संज्ञक होम का विधान है । इन्द्रतुरीया नाम की इष्टि जिसमें अग्नि के लिए अष्टाक्षपालपुरोडाश, ब्रह्म के लिए यवमय (यव से बना हुआ) चरु, रुद्र के लिए गावेष्क चरु, इन्द्र के लिए बहिनी का दधि ये चार हविष् होते हैं, सम्पन्न की जाती है ।

फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को त्रिपयुक्त नाम के तीन कर्मों में प्रथम इष्टि त्रिपयुक्ता होती है जिसमें विष्णु के लिए त्रिकपालपुरोडाश प्रथम हविष्, इन्द्र और विष्णु के लिए चरु द्वितीय हविष् तथा विष्णु के लिए चरु तृतीय हविष् होते हैं । शुक्लपक्ष की चतुर्थी को द्विहविष्का इष्टि का विधान है जिनमें विश्वानर के लिए द्वादशकपालपुरोडाश तथा ब्रह्म के लिए यव का चरु दिये जाते हैं । उसी दिन द्वादशरत्नहवि संज्ञक इष्टियों का प्रारम्भ किया जाता है । चतुर्थी से लेकर फाल्गुन शुक्ल की पूर्णिमा तक एक-एक दिन राजा के एक-एक सम्बन्धी के घर एक-एक इष्टि का अनुष्ठान होता है । सेनानी के घर प्रथमा इष्टि होती है जिसमें अग्नि अनीकवान् के लिए अष्टाक्षपाल पुरोडाश का विधान है । पुरोहित के घर में द्वितीय इष्टि होती है जिसमें बृहस्पति के लिए चरु का विधान है । यजमान के घर में तृतीय इष्टि जिसमें रुद्र के लिए चरु दिया जाता

है महिषों के घर म चतुष इष्टि हाती है जिसमे अदिति देवता के लिए चरु दिया जाता है । अश्वसारथी के घर में पचम इष्टि होती है जिसमें वरुण के लिए प्रथम चरु का विधान है । ग्रामनेता के घर मे छठी इष्टि सम्पन्न की जाती है जिसमें महर्षी के लिए सप्तकपालपुरोडाश दिया जाता है । सातवीं इष्टि मन्त्री या दूत के घर होती है जिसमे सविता देवता के लिए अष्टाकपालपुरोडाश द्रव्य होता है । नवीं इष्टि रथकार के घर होती है जिसमे अश्विनौ देवता के लिए द्विकपालपुरोडाश दिया जाता है । दसवीं इष्टि परिवेषण करने वाले के घर होती है जिसमें पूषा के लिए चरु का विधान किया गया है । यजमान के घर रुद्र के लिए गोधूम का चरु दिया जाता है । यह ग्यारहवीं इष्टि है । पति-पुत्र से रहित किसी स्त्री के घर बारहवीं इष्टि होती है जिसमे निर्ऋति देवता के लिए नख से ही निकाले गये कृष्णब्रीहि (काले धान के चावल) के चरु का विधान है तदनन्तर उसी दिन सोम और रुद्र के लिए तथा मित्र और बृहस्पति के लिए चरु दिया जाता है । चैत्र कृष्णपक्ष में कुछ भी कर्म नहीं होता है । चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को अभिषेचनीय याग तथा दशपेय याग दोनों को साथ ही आरम्भ करने का सकल्प लिया जाता है । उसमें आठ सोमयाग होते हैं जिनमें पवित्र, अभिषेचनीय, दशपेय, केशवपनीय, व्युष्टिद्विरात्र, अन्नस्यधृतिः त्रिष्टोम तथा अग्निष्टोम हैं । दशपेय और अभिषेचनीय में साथ ही सोमक्रयण होता है । सोम के साथ ही वटकेफल से युक्त अंकुरों का भी क्रयण होता है । अभिषेचनीय याग पांच दिन में सम्पन्न होता है । इसमें अग्निषोमीय पशु की गन्निधि में देवस् हविष् का विधान होता है । उन हविषों में दो पुरोडाश तथा छः चरु होते हैं । सवितृ सत्यप्रसन्न देवता के लिए विरुडब्रीहि का बना अष्टाकपाल पुरोडाश तथा अग्नि गृहपति के लिए आशुब्रीहि (तीन पखवाने में पके धान के चावल) से निर्मित अष्टाकपालपुरोडाश, सोम वनस्पति के लिए श्यामाकचरु, वाक् बृहस्पति के लिए नीवार चरु, इन्द्र ज्येष्ठ के लिए रक्तशालि चरु, रुद्र पशुपति के लिए गावेधुक चरु, मित्र सत्य के लिए स्वयं उत्पन्न ब्रीहि के चरु का विधान है । वरुण धर्मपति के लिए यव के बने चरु का विधान है । इसके पश्चात् राजा के अभिषेकार्थ मत्तह प्रकार के जलों का आनयन होता है । अभिषेक के बाद शुनःशेष की कथा का श्रवण किया जाता है । उदुम्बर की आसन्दी पर धूत (जुआ) के लिए स्थित यजमान के लिए अक्ष दिया जाता है । फिर खूनक्रीडा होती है । इसके पश्चात् समूह हविषों का विधान है । ये हविष् चैत्र शुक्ल की पष्ठी से लेकर द्वादशी तक छः दिनों में सम्पन्न होते हैं । द्वादशी को अवशिष्ट चार हविष् प्रदान किये जाते हैं । द्वादशी से ही दशपेय के द्वितीय दिन से लेकर चैत्र की पूर्णिमा तक सुत्या होती है ।

दसपेय में सोम होता है। दस-दस ब्राह्मण एक-एक चमस का भक्षण करते हैं। यजमान-चमस का भक्षण भी ब्राह्मण ही करते हैं। वैशाख में कुछ कार्य नहीं होता। वैशाख की पूर्णिमा में पंचद्विल संज्ञक चरु का विधान है। ज्येष्ठ की अयावास्या की दो पशुबन्ध होते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी से लेकर पांच दिनों में अतिरात्रसंस्था-सम्बन्धित केशवपत्नीय नाम के सोमयाग का अनुष्ठान होता है। आषाढ़ की कृष्ण प्रतिपदा को व्युष्टि द्विरात्र का संकल्प होता है। अहीन होने के कारण उसमें षोडश दीक्षा हैं। द्वादश उपसत् याग तथा दो नृत्या हैं। इस तरह यह व्युष्टिद्विरात्र एक मास में सम्पन्न होता है। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को क्लृप्तधृति का आरम्भ होता है। यह भी महीने भर में साध्य होने वाला यज्ञ है। इसी प्रकार भाद्रपद की कृष्ण प्रतिपदा को मास भर में साध्य होने वाला त्रिष्टोम सम्पन्न होता है। आश्विन की कृष्ण प्रतिपदा को मासि साध्य अग्निष्टोम किया जाता है। कार्तिक की पूर्णिमा में राजसूय की अंग-स्वरूपिणी त्रिपशुका चरुकासीज्ञामयी का अनुष्ठान होता है।

#### अश्वमेध यज्ञ

अश्वमेध सोमयाग ही है तथापि अश्वरूपी सवनीय पशु का विधान होने के कारण इसे अश्वमेध कहते हैं। अग्निष्क्ति सार्वभौम राजा ही इसके सम्पादन का अधिकारी है। फाल्गुन की शुक्लाष्टमी अथवा नवमी या ग्रीष्मकाल में इसका आरम्भ होता है। आरम्भ के दिन बरण के अनन्तर पाक का सम्पादन किया जाता है जिसका चार महावृत्तिवर्गों के लिए दान होता है। प्रत्येक वृत्तिवर्ग को एक हजार चार सौ गायें दी जाती हैं। इसके पश्चात् आभूषणों से सजी हुई महिषी, राजपुत्रियों के साथ, परिणीता वल्लभा क्षत्रिय जाति की पुत्रियों के साथ, अवल्लभा अश्व की सेवा करने वाले ग्रामनेता की पुत्रियों के साथ, दूतपुत्री क्षत्ता की पुत्रियों के साथ आती है। उन चारों के साथ यजमान सायंकाल अग्निहोत्र समाप्त करने पर रात्रि में उत्तर की ओर सिर करके सोती हुई वल्लभा पत्नी के दोनों उरुओं के अन्तराल में उत्तर की ओर सिर करके शयन करता है। अन्य पत्नियाँ चारों ओर लेटती हैं। उस समय यजमान को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सूर्योदय होने पर अग्निहोत्र होम करके पूर्णाहुति का अनुष्ठान किया जाता है। तत्पश्चात् पथिक्रुदिष्टि का विधान है जिसमें अग्नि-पथिक्रुत् के लिए अष्टाकपालपुरोडाश दिया जाता है। पुनः द्वादश अरत्ति या तयोदश अरत्ति के परिमाण की दर्भमयी अश्वरशना को धी से आंजकर अश्व के ब्रह्मार्थ ब्रह्मा से पूछना चाहिए। उसकी आज्ञा मिल जाने पर अश्व का चन्धन कार्य सम्पन्न किया जाता है। अश्व भी अनेक लक्षणों से युक्त होना चाहिए। पूर्व भाग कृष्ण-वर्ण का होना चाहिए तथा पीछे का भाग शुक्ल वर्ण। जलाट

प्रदेश शकटाकार त्रिपुण्ड से युक्त तथा नीचवर्ण के गायन से युक्त हो एक सहस्र गाया के मूल्य से खरीदा गया हो उस अश्व को तालाब आदि के स्थिर जल में ले जाकर प्रक्षालित किया जाता है। तत्पश्चात् शूद्र के द्वारा वैश्य की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न पुरुष के द्वारा चतुरक्षा (आँखों के ऊपर आँख के सदृश चिह्न वाले) कुत्ते को मार कर वेंट की चटाई पर अश्व के नीचे जल के मध्य में बहाया जाता है। वहाँ से लौटकर होम होता है। तदनन्तर तीन सावित्री इष्टियों का सम्पादन किया जाता है जिनमें तीन द्वादशकपाल पुरोडाश होते हैं। उन इष्टियों के प्रयाज के अनुष्ठान होते समय ऋत्विजों से अन्य कोई ब्राह्मण यजमान के दान और यागादि का गान स्वयं निमित्त तीन गाथाओं के द्वारा वीणा पर करता है।

इनके पश्चात् अश्वर्यु और यजमान यज्ञीय अश्व की यौवन की अवस्था पार कर गये सौ अश्वों के साथ ईशान दिशा में छोड़ते हैं। प्रमणार्थ छोड़े गये उस अश्व के पीछे चार सौ सैनिक घलुप बाण से युक्त युद्धार्थ भेजे जाते हैं। इस इस तरह अश्व वर्ष भर में घुमाकर ले आया जाता है। संवत्सर पर्यन्त यजमान बाबाता पत्नी के साथ शयन करता है। इसके अनन्तर तीन सावित्री इष्टियां होती हैं। तदनन्तर वीणा पर गाथा गान, पारिप्लवाख्यात, प्रक्रम होम, धृतिहोम सम्पन्न किये जाते हैं। संवत्सर के स्थान में १५ दिन, एक मास, तीन मास तथा छः मास के भी पक्ष हैं। चैत्र की पूर्णिमा को उखा सम्भरण तथा इष्टका पशु-याग सम्पादित होते हैं। उसी दिन दीक्षणीया इष्टि का आरम्भ करके छः दिन एक-एक इष्टि से वैशाख कृष्ण पष्ठी तक सम्पादन होना चाहिए। दीक्षा का आरम्भ करके द्वादश दिनों में त्रैशाख शुक्ल तृतीया तक द्वादश सुत्याओं का अनुष्ठान होता है। इसी तृतीया की ही सोमक्रयण होता है। तब से लेकर द्वादशी तक द्वादश उपसत् याग होते हैं। चतुर्वशी को ही अग्नीषोमीय पशुओं को ले आया जाता है। इक्कीस-इक्कीस अरति के हक्कीस यूप होते हैं जो विभिन्न जाति के वृक्षां से निमित्त होते हैं। एक यूप रज्जुदाल का, दो यूप पितुदार के, ६ यूप बिल्व के, ६ यूप खदिर वृक्ष के, ६ पलाश वृक्ष के होते हैं। ब्राह्मणीय के आगे रज्जुदाल का यूप होता है, उसके दोनों ओर पितुदार से निमित्त यूप होते हैं। अवशिष्ट, बिल्व, खदिर और पलाश के यूप क्रम से कुछ अन्तर देकर बाड़े जाते हैं। इसमें २१ अग्नीषोमीय पशु होते हैं। यूपों में पशु दक्षिण से उत्तर की ओर बांधे जाते हैं। अनेक पशु होने पर भी पशुपुरोडाश एक ही होता है। इसके पश्चात् इसी दिन सोम सस्था से सम्बन्धित प्रथम सुत्या होती है जिसमें २१ अग्नीषोमीय सबनीय पशु होते हैं। उन पशुओं का यूपों में बन्धनकरण इस प्रकार है—

मध्य में रज्जुदाल यूप में दो आग्नेय पशुओं को बाध कर शेष पशुओं को दक्षिण और उत्तर दिशा में बाध दिया जाना है। इसकी दक्षिणा के विषय में भी वैशिष्ट्य है। पूर्व दिशा से प्राप्त धन का तृतीयांश होता को, दक्षिण दिशा से प्राप्त धन का तृतीयांश ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा से प्राप्त धन का तृतीयांश अध्वर्यु तथा उत्तर दिशा से प्राप्त धन का तृतीयांश उद्गाता को दिया जाता है। अवशिष्ट दो दो अंशों को दक्षिणारूप में सुत्या दिनों में देने का विधान है। तदनन्तर सूर्यास्त हो जाने पर रात्रि में आज्य, सत्तू, धानाः, लाजाः, ताम्र के एक एक द्रव्य को लेकर क्रमशः प्रति प्रहर 'प्राणाय स्वाहा' (यजु०सं०२२।२३ २४) इत्यादि मंत्रों से रात्रि भर-हवन-करना चाहिए तत्पश्चात् द्वितीय दिन उक्त संस्था का सम्पादन होता है। स्वर्ण और रजत निर्मित महिम ग्रहों का ग्रहण होता है। बहिष्पवमान के लिए यमन तथा अश्व का अन्वारम्भण होता है। दो एकादशिनी (पशुओं) के उपाकरण के अनन्तर अश्व का उपाकरण होता है। इसके पश्चात् इक्कीस यूपों में दोनों एकादशिनी पशुओं को पूर्ववत् बाध कर अश्व, तूपर (सींग रहित छाग), गोमृगों को अग्निष्ठ रज्जुदाल के यूप में बाधा जाता है। अश्व के ललाट आदि अंगों में द्वादश पशु बाँधे जाते हैं जिन्हें पर्यङ्ग्य कहते हैं। अश्व के शरीर में पशुओं को बाँधने के लिए उसके सम्पूर्ण शरीर को रज्जु से लपेटकर उसी में उन पशुओं को बाधा जाता है। ललाट में अग्नि देवता से सम्बन्धित काली गर्दन वाले अज का, हनु के नीचे सरस्वती के लिए मेरी का, बाहुओं में अश्विनी देवता से सम्बन्धित पशुओं का, नाभि में सोम और पूषा से सम्बन्धित श्याम पशु का, दोनों पाश्वर्यों में सूर्य से सम्बन्धित श्वेत पशु का तथा यम देवता से सम्बन्धित कृष्णपशु का, दोनों पीछे के पैरों में त्वष्टा से सम्बन्धित लोमश (रोयें वाले) दो अजों का, तथा पूँछ में वायु, इन्द्र और विश्व देवता से सम्बन्धित पशुओं का बन्धन किया जाता है। ये अश्व, तूपर, गोमृग अजादि पशु संख्या में १५ होते हैं। दो आग्नेय पशु जो मध्य यूप में बाँधे जाते हैं मिलकर १७ संख्या का निर्माण करते हैं। अन्य २० यूपों में रोहित आदि १५ पशु बाँधे जाते हैं। पहले एकादशिनी यूप के प्रत्येक यूप में १५-१५ पशुओं के साथ एक एक पशु और मिल जाने से प्रत्येक यूप में षोडश पशु होते हैं। इस प्रकार सब मिलाकर ३३७ पशुओं का विधान है। ये पशु ग्राम्य होते हैं जिनकी गणना यजुर्वेद संहिता (२४/१-२०) में दी गयी है। एक यूप में दूमरे यूप के बीच में अरण्य के पशुओं को रखा जाता है। उनमें से कुछ को पिंजड़ी में, कुछ को घोंसलों में तथा कुछ को जल में रखते हैं क्योंकि वे यूप में बाँध नहीं सकते।

यूप में बाँधे हुए पशुओं का संज्ञापन करके, उनकी वषा, वृक्कादि का हवन होता है। कर्पिजल आदि अरण्य के पशुओं का विहित देवता के लिए क्रम से

उ ... .. करके पिंजरादि के साथ उनका त्याग होता है। अश्व का सजपन हाने पर मृत सवनीय अश्व की तीन बार परिक्रमा की जाती है। तत्पश्चात् राजा की महिषी (पत्नी) मृत अश्व के समीप लेटती है। वहीं पर अश्वर्यु और कुमारी का, ब्रह्मा तथा महिषी का, होता और परिवृक्ता, प्रतिहार तथा पालागली का क्रम से संवाद होता है।

अश्व की वपा के अभाव के कारण उसके मेद को निकाल कर काष्मर्य के दो शूलों के द्वारा पका कर होम तत्पश्चात् ब्रह्मोष होता है। इसमें अश्वर्यु, ब्रह्मा, उद्गाता, प्रतिप्रस्थाता और यजमान प्रश्न करते और उत्तर देते हैं। इसके बाद एकादशिनी पशुओं की वपा का प्रचार होता है। पुनः वनस्पति याग के अनन्तर अश्वशूल के पशुशेष का अवदान करके होम होता है। आज्य के साथ शाद आदि देवताओं के लिए अश्व के दन्त आदि अंगों से हवन तदनन्तर पत्नीसयाज करके उस दिन का कार्यक्रम वहीं स्थगित कर दिया जाता है।

प्रातः काल द्वितीया को अतिरात्र के तृतीय दिन सम्बन्धी षोडशी के अन्तर्गत सम्पन्न होने वाले सभी कार्य करके तत्पश्चात् अबभृथेष्टि का सम्पदान होता है। सात वरुण देवता से, सात विश्वेदेवों से तथा सात बृहस्पति से सम्बन्धित इकतीस अनुबन्ध्या पशु होते हैं। एक-एक यूप में एक-एक पशु का बन्धन हाता है। तीन पशु-पुरोडाश होते हैं। उदवसानीयेष्टि के अन्त में पालागली की अनुचरियों का अश्वर्यु के लिए, महिषी की अनुचरियों का ब्रह्मा के लिए, वावाता की अनुचरियों का उद्गाता के लिए तथा परिवृक्ता की अनुचरियों का होता के लिए दान होता है। उस समय से आरम्भ करके द्वादश दिन पर्यन्त प्रति दिन अग्नि के लिए पुरोडाश या ब्रह्मोदन प्रदान किया जाता है। तत्पश्चात् वर्ष तक प्रत्येक ऋतु में छः छः पशुओं का आलम्भन होता है। वसन्त में अग्नि देवता से सम्बन्धित, वर्षा में पर्जन्य देवता से सम्बन्धित, शरद में मित्र और वरुण से सम्बन्धित, हेमन्त में इन्द्र और विष्णु से सम्बन्धित, शिशिर में इन्द्र और बृहस्पति से सम्बन्धित पशुओं का आलम्भन होता है। अन्य कर्म निरूढ पशुबन्ध के समान ही होता है।

### पुरुषमेध यज्ञ

शतपथब्राह्मण (१३।६।२।१) में पुरुषमेध की व्युत्पत्ति अधोलिखित है—

‘तस्य (पुरुषस्य वायोः) यदेषु लोकेष्वन्नं तदस्यान्नं मेघस्तघदस्यैतदन्नं मेघस्तस्मात्पुरुषमेधोऽथो यदस्मिन्मेघ्यान्पुरुषानालभते तस्मादेव पुरुषमेधः।’

पुरुषमेध ब्राह्मण और अत्रिय के द्वारा चालिस दिन में सम्पन्न होने वाला यज्ञ है जिसमें तेइस दीक्षाएँ, द्वादश उपसद्याग तथा पाँच सुत्यायाग होते हैं। इसका आरम्भ चैत्र शुक्ल दशमी को होता है। इसमें एकादश यूप तथा एकादश अग्नीषोमीय पशु होते हैं। सभी का एक ही पुरोडास होता है।

सुत्या में प्रथम और पंचम दिन अग्निष्टोम की दो संस्थाओं का, द्वितीय और चतुर्थ दिन उक्थ्य की दो संस्थाओं का, तृतीय दिन अतिरात्र संस्था का सम्पादन किया जाता है। सुत्या के दिनों में प्रतिदिन एकादश पशु प्रयुक्त होते हैं। तृतीय अतिरात्र संस्था के दिन प्रत्येक यूप में एक-एक एकादशिनी पशुओं को बाँधकर मध्यम यूप में संहिता में उल्लिखित ब्राह्मण आदि ४८ पुरुषों का बन्धन कर्म सम्पन्न होता है। दश यूपों में ग्यारह-ग्यारह पुरुष बाँधे जाते हैं। (मजु०संहि० ३२।५-२२) इस प्रकार १८४ पुरुषों का बन्धन-कर्म सम्पन्न हो जाने पर सब का उपस्थान होता है। तत्पश्चात् उनका उत्सर्ग किया जाता है। तदनन्तर जिस विशिष्ट देवता के उद्देश्य से विशिष्ट पुरुष का बन्धन किया जाता है उसी क्रम से तत्तत्देवता के लिए आज्याहुति का हवन होता है। अन्त में अपनी अग्नि का समारोपण तथा सूर्य का उपस्थान करके वानप्रस्थ का अनुसरण किया जाता है। गमन के समय यज्ञमान को पीछे मुड़ कर न देखना चाहिए। आजीवन ग्राम में पुनरागमन का निषेध है। पुनः ग्रामवास की इच्छा हो तो यज्ञमान को अरण्य की दोनों अग्नियों का समारोपण करके गृह में ही रह कर अग्निहोत्र करना चाहिए।

### सर्वमेधयाग

यह याग ३४ दिन में सम्पन्न होता है जिसमें द्वादश दीक्षा, द्वादश उपसद्याग तथा दस सुत्यायाग होते हैं। प्रथम दिन अग्निष्टोम संस्थायाग का सम्पादन करने के अनन्तर तीन दिन इन्द्रस्तुत, सूर्यस्तुत, वैश्वदेवस्तुत, क्रम से उक्थ्य संस्था याग सम्पादित होते हैं। पुनः महाव्रत, वाजपेय, अप्नोर्याम, त्रिणवस्तोम उक्थ्य, त्रयस्त्रिण स्तोम व उक्थ्य क्रमशः सम्पादित होते हैं। इसके अनन्तर विश्वजित् अतिरात्र तथा चैत्र व शुक्ल की षष्ठी को इष्टका पशुयाग एवं उखा सम्भरण होते हैं। इसमें एकशतविध (सौ प्रकार की) अग्नियाँ होती हैं। अष्टदश अरति के परिमाण का एक यूप भी होता है।

### पितृमेधयाग

तीनों वर्णों की इसके सम्पादन का अधिकार है इसमें एक अश्वर्यु ही ऋत्विक् होता है। मृतपितरों की अस्थियों को अरण्य में ले आकर उन अस्थियों



के द्वारा जिस अंग की जो अस्थि है उससे उस अंग का निर्माण करके पुरुष की आकृति बना कर शेवल (सिवार) तथा कुश आदि से उन्हें ढक कर, ग्राम को प्रत्यावर्तन करके, स्नान करके गृहागमन करना चाहिए ।

### (११) यज्ञों का क्रम

गोपथब्राह्मण (पूर्व भाग ५।७) में यज्ञों के अनुष्ठान का क्रम बतलाया गया है जो अधोलिखित है—

सर्वप्रथम अग्न्याधेय का विधान है, अग्न्याधेय के बाद पूर्णाहुति, पूर्णाहुति के बाद अग्निहोत्र, अग्निहोत्र के बाद दर्शपूर्णमास, तत्पश्चात् आग्रयण, आग्रयण के बाद चातुर्मास्य, चातुर्मास्य का सम्पादन हो जाने पर पशुबन्ध, पशुबन्ध के अनन्तर अग्निष्टोम के सम्पादनान्तर राजसूय, राजसूय के बाद वाजपेय, इसके बाद अश्वमेध, अश्वमेध के पश्चात् पुरुषमेध, पुरुषमेध के प्रतिपादन के बाद सर्वमेध, सर्वमेध के अनन्तर दक्षिणायुक्त यज्ञ तदनन्तर दक्षिणारहित यज्ञ और अन्त में सहस्र दक्षिणा यज्ञों का सम्पादन किया जाता है ।



तृतीय अध्याय

## (१) द्रव्य विषयक मतभेद

(क) १- अग्निहोतों से प्राप्त होम द्रव्य विषयक मतभेद

(आग्रयणेष्टि के असम्पादक यजमान द्वारा अग्निहोत्र में नवान्न हविष् प्रयोग विषयक मतभेद)

इस विषय में कुछ आचार्यों का मत है कि अग्निहोत्र में भी नवान्नों का ही हविष् होना चाहिए। यदि वह यजमान दूध का हवन करता है तो गाध को नवान्न खिला कर उससे प्राप्त दूध से हवन करना चाहिए। (शत०ब्रा० २।४।३।१४)

याज्ञवल्क्य के मत से आग्रयणेष्टि किये बिना हविष् में नवान्न का प्रयोग न करना चाहिए अन्यथा आग्रयणेष्टि के देवता इन्द्र और अग्नि का अग्निहोत्र के देवता के साथ कलह होगा। (शत०ब्रा० २।४।३.१४)

(क) २- क्षरायुजों से प्राप्त होम द्रव्य विषयक मतभेद

(अग्निहोत्र में प्रयुक्त दूध के पाक कर्म में मतभेद)

कुछ आचार्यों के मतानुसार अग्निहोत्र में प्रयोग किये जाने वाले दूध की बुदबुदे उठने के समय तक पकाना चाहिए। तभी उसकी उपयोगिता बढ़ता है। (शत०ब्रा० २।३।१।१४)

याज्ञवल्क्य इस मतका खण्डन करते हुए कहते हैं कि दूध को बुदबुदे उठने के समय तक न पकाना चाहिए नहीं तो दूध जल जायेगा। बिना आग्नि पर रखे दूध का हवन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वह अग्नि का वीर्य है। (शत०ब्रा० २।२।४।१५) पकाने से जल न जाय इसलिए इसका पाक कर्म नहीं होना चाहिए

बोय सदैव गम रहता है जन दूध को थोड़ी दर अग्नि पर गर्म करने के बाद हवन करना चाहिए (शत०ब्रा० २३ १.१५)

(ख) उद्भिजनों से प्राप्त याग ब्रह्म विषयक मतभेद

(पुरोडाश-परिमाण विषयक मतभेद)

इस विषय का विवेचन करते हुए याज्ञवल्क्य पुरोडाश का बृहदाकार करने के पक्ष में नहीं प्रतीत होते। अथर्व्यु को कपालों की परिधि के अन्दर ही पुरोडाश को बढ़ाना चाहिए। इस मत की पुष्टि के लिए उनका कहना है कि बड़ा पुरोडाश करने पर वह कार्य मानुष होगा। यदि कपाल से बड़ा पुरोडाश हो गया तो वह यज्ञ से बाहर की वस्तु होगी। अथर्व्यु कहता है कि— “मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता हूँ जो यज्ञ के बाहर ही रहे (अर्थात् यज्ञ का अंग न बन सके)” अतः पुरोडाश का आकार बड़ा नहीं करना चाहिए। (शत०ब्रा० १।२।२।६)

इस विषय में तैत्तिरीयकों का मत है कि पुरोडाश को अश्व के टाप के बराबर बनाना चाहिए। (शत०ब्रा० १।२।२।१०) इस मत का खण्डन करते हुए याज्ञवल्क्य तर्क प्रस्तुत करते हैं। “कौन जानता है कि अश्व का टाप कितना बड़ा होता है ?” (शत० ब्रा० १।२।२।१०)

पुरोडाश के आकार के विषय में याज्ञवल्क्य का मत है कि अथर्व्यु पुरोडाश को इतना बड़ा बनाए जितना उसके मन से बड़ा न प्रतीत हो। यावन्तमथ स्वयं मनसा न सत्ता पृथुं मन्वेत्तैवं कुर्यात्। (शत०ब्रा० १।२।२।१०)

(सौत्रामणी याग में अश्विनों के लिए द्विकपाल पुरोडाश प्रदान विषयक मतभेद)

कुछ आचार्यों के मतानुसार यदि यजमान सौत्रामणी आहुति के द्वारा सोमातिपूत (शरीर से सोम निकलने की क्रिया) का समाधान करना चाहे तो उसे सविना देवता के लिए द्वादशकपालपुरोडाश अथवा अष्टाकपालपुरोडाश वरुण के लिए यक्ष निर्मित ऋ तथा इन्द्र के लिए द्वादशकपालपुरोडाश देना चाहिए। इस समय अश्विनों के लिए द्विकपालपुरोडाश बनाना चाहिए। अथर्व्यु वषा हविषों के साथ अश्विनों के लिए द्विकपालपुरोडाश के साथ प्रचरण करे। (शत०ब्रा० १।५।५।३३)

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत का खण्डन करते हुए कहते हैं कि ऐसा करने से यजमान यज्ञ मार्ग से च्युत होता है। ऋत्विज जब पशुओं की बपा के साथ हवन

करने के लिए प्रस्थान कर उसी समय उन तीन हविषों के साथ प्रचरण करना चाहिए तथा अश्विनियों के लिए द्विकपालपुरोडाश देने की आवश्यकता नहीं है। (शत०ब्रा० ५।५।४।३४)

(पूर्णमास तथा दर्श्यागों के साथ अतिरिक्त हविष्-निर्वाप के विषय में मतभेद)

इस विषय में दो पक्ष हैं—प्रथम पक्ष अनुनिर्वाप्य पक्ष है जिसके अनुसार षोणमासयाग के अनन्तर यजमान इन्द्रविमृध् के लिए एक अतिरिक्त पुरोडाश देता है तथा इसी प्रकार दर्शोष्ट कर लेने पर अदिति के लिए चरु का निर्वाप और गत हवन की तरह उसका भी हवन करता है। (शत०ब्रा० ११।१।३।१) इन्द्रविमृध् के लिए पुरोडाश देने का कारण यह है कि इन्द्र यज्ञ के देवता है। षोणमास हविष् अग्नि और सोमदेवता से सम्बन्धित होता है। उसमें 'इन्द्राय त्वह' यह कह कर कोई भी आहुति नहीं दी जाती। इस हविष् प्रदान के अनन्तर इन्द्र का भाग दिया जाता है तथा यज्ञ भी इन्द्र से युक्त होता है। (शत०ब्रा० ११।१।३।२) 'इन्द्रविमृधेत्वा' यह कह कर पुरोडाश देने का कारण यह है कि षोणमास याग से इन्द्र सभी मृधों (निन्दकों) को नष्ट करते हैं। (शत०ब्रा० ११।१।३।२)

दर्श्याग के पश्चात् अदिति को चरु प्रदान किया जाता है क्योंकि सोम राजा ही चन्द्रमा है जो देवों के अन्न हैं। दक्ष में पूर्व और पश्चिम दृष्टिगत न होने के कारण इस समय दिया जाने वाला हविष् अनिश्चित होता है। अदिति पृथ्वी है जो निश्चित तथा प्रतिष्ठित है। उसके लिए दिया जाने वाला हविष् निश्चित तथा प्रतिष्ठित होता है। (शत०ब्रा० ११।१।३।३)

द्वितीय पक्ष अनुनिर्वाप्य पक्ष है। इसके अनुसार अतिरिक्त हविष् का निर्वाप नहीं करना चाहिए। इन्द्र विमृध् के लिए पुरोडाश का विधान यज्ञ से इन्द्र को सम्बन्धित करने के लिए होता है। इन्द्र का सहभाव सदैव रहता है क्योंकि 'यज्ञ इन्द्रस्यैव (सभी यज्ञ इन्द्र के ही हैं)' इस श्रुति से स्पष्ट है कि यज्ञ इन्द्र से सम्बन्धित हैं। अतः अनुनिर्वाप से सम्बन्ध स्थापित करना उचित नहीं है। (शत०ब्रा० ११।१।३।४)

दर्श्याग के अनन्तर अदिति के लिए चरु का विधान भी उचित नहीं क्योंकि दक्ष स्वयं अनुनिर्वाप्य है। षोणमास याग से इन्द्र ने वृत्र का वध किया था। उसके लिए देवताओं ने अतिरिक्त हविष् दक्ष का निर्वाप किया था इसलिए एक बार अनुनिर्वाप हो जाने पर पुनः अनुनिर्वाप की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

(शत०ब्रा० ११ १ ३५) जो व्यक्ति अनुनिर्वाप करता है वह अपने विरोध में अपने यज्ञ को उद्यत करता है। जा यजमान पौर्णमास तथा दशयाग का सम्पादन क्रमशः पौर्णमासी तथा अमावास्या में करता है वह शत्रुरहित तथा बाधारहित होता है। (शत०ब्रा० ११।१।३।३) पूर्णमासी को पौर्णमासयाग तथा अमावास्या को दर्शयाग के सम्पादन से देवताओं ने शीघ्र ही पाप को दूर कर पुत्र-पौत्र से युक्त समृद्धि को प्राप्त किया। (शत०ब्रा० ११।१।३।७)

(अग्निमेघयाग समाप्ति पर दानव्य हविष् के विषय में मतभेद)

अवभृथ स्नान के अनन्तर अर्घ्यु ब्राह्मणों के लिए पकाये गये चावल वे द्वादश चरु का निर्वाप करता है (शत०ब्रा० १३।३।६।६)

अन्य आचार्यों का मत है कि अग्निदेवता के लिए द्वादशकपापपुरोडाश देना चाहिए क्योंकि इन इष्टियों के करने से यज्ञ का सम्पादन होता है। यदि यजमान इन इष्टियों को सम्पन्न करता है तो यज्ञ उसके प्रति नम्र बनता है। (शत०ब्रा० १३।३।६।६)

इस पक्ष की निन्दा करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं। वह यजमान पापीयान् होगा। सोमयाजी के लिए याज्या मन्त्र शक्तिहीन हो गए हैं। उनमें वह शक्ति नहीं रह गयी जो पहले थी। उन मन्त्रों को शीघ्र ही कार्य में नहीं ले आया जा सकता क्योंकि जब यज्ञ पूर्ण होता है तब बाणी पूर्ण रूप से प्राप्त होने के बाद इसकी शक्ति का ह्रास हो जाता है। वाणी ही यज्ञ है अतः द्वादश हविष् से मुक्त इष्टि का विधान नहीं होना चाहिए। (शत०ब्रा० १३।३।६।६)

याज्ञवल्क्य प्रथम मत से ही सहमत प्रतीत होते हैं। द्वादश ब्रह्मीयन चरु के निर्वापार्थ मत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि ओदन प्रजापति है, वह सबत्सर है, प्रजापति यज्ञ है। इस प्रकार यजमान सबत्सर तथा यज्ञ की श्रुति करता है और यज्ञ उसके प्रति नम्र बनने के लिए तैयार होता है साथ ही साथ वह यजमान पापीयान् भी नहीं होता। (शत०ब्रा० १३।३।६।७)

(द्वयम्बकेष्टि में पुरोडाशाभिधारण-विषयक मतभेद)

तैत्तिरीय आचार्यों के मतानुसार रुद्र को दिये जाने वाले पुरोडाशों का, जो सख्या में यजमान के परिवार तथा उसके सम्बन्धियों की संख्या से एक अधिक होते हैं, घी से अभिधारण करना चाहिए क्योंकि जो भी हविष् दिया जाता है वह घी से चुपड़ा होता है। (शत०ब्रा० २।६।२।६)

याज्ञवल्क्य का मत है कि पुरोडाशों का अभिधारण नहीं होना चाहिए क्योंकि घी पशुओं से प्राप्त होता है। यदि उन पुरोडाशों का अभिधारण किया जायगा तो घी के कारण मृत पशुओं के लिए भी रुद्र की तृष्णा बढ़ेगी। (शत०ब्रा० २।५। २।६)

(ग) उद्भिजों तथा जरायुजों में पशुओं की जीवित्तावस्था से प्राप्त द्रव्यों में मतभेद।

(आग्रयणेष्टि में द्यावा पृथ्वी के लिए दातव्य हविर्द्रव्य विषयक मतभेद)

द्यावापृथ्वी के लिए एक कपाल पुरोडाश देने का विधान है क्योंकि एक कपाल के समान ही पृथ्वी एकाकार है। (शत०ब्रा० २।४।३।८)

अन्य आचार्य इस मत को दोषयुक्त बताते हैं। कारण यह देते हैं कि किसी भी याग में जिस देवता को हविष् प्रदान किया जाता है उसमें स्विष्टकृत् का भाग होता है किन्तु यहाँ सब कुछ हवन कर दिया जाता है और स्विष्टकृदग्नि के लिए कुछ शेष नहीं बचता। फल यह होता है कि जाने वाली वस्तु ऊपर न जाकर नीचे वापस आती है। (शत०ब्रा० २।४।३।६) एक कपालपुरोडाश के नीचे वापस लाने से राष्ट्र में अनियन्त्रण होता है। (शत०ब्रा० २।४।३।९०)

इन दो दोषारोपणों के विषय में याज्ञवल्क्य का कथन है कि एककपालपुरोडाश का प्रत्यावर्तन निन्दा नहीं है। यदि एक बार भी प्रत्यावर्तन हो तो भी इमता आदर नहीं करना चाहिए क्योंकि हविष् देवता के उद्देश्य से ही दिया जाता है। इस प्रकार एक ही निन्दा शेष रहती है कि स्विष्टकृत् अग्नि का भाग नहीं लगाया जाता। इस निन्दा से भी बचने के लिए एक कपालपुरोडाश का हवन न करके आज्य दिया जाना चाहिए। ध्रुवा में रखे हुए आज्य का चतुर्यास लेकर द्यावा-पृथ्वी के लिए यजन करना चाहिए। आज्य द्यावापृथ्वी का प्रत्यक्ष रस है क्योंकि उसमें द्रवत्व है। यव और व्रीहि परोक्ष रस हैं क्योंकि उसमें काठिन्य है। अतः यजमान को प्रत्यक्ष रस (आज्य) से ही यजन करना चाहिए। (शत०ब्रा० २।५।३।९०)

(आग्रयणेष्टि में विश्वेदेवों के लिए नवान्ननिर्मित चरु अथवा प्राचीनान्न निर्मित चरु प्रदान के विषय में मतभेद)

कुछ आचार्यों के मतानुसार देवताओं में प्रजा होने के कारण विश्वेदेवों के लिए प्राचीनान्ननिर्मित चरु का तथा क्षत्र (क्षत्रिय) होने के कारण इन्द्र और अग्नि को नवान्ननिर्मित पुरोडाश का विधान करना चाहिए। क्षत्र को साधारणजन की

श्रणी से अलग रखने के लिए ही विवदेवो को प्राचीनाननिर्मित श्रु दिया जा है (शत०ब्रा० २४ २।६)

इस मत का खण्डन करते हुए याज्ञवल्क्य अपना मत प्रस्तुत करते हैं जिस अनुसार पुरोडाश और चरु दोनों ही नवान्ननिर्मित होने चाहिए। एक के लिए च है तथा दूसरे के लिए पुरोडाश, इस प्रकार क्षत्र को साधारण जनसमूह से अलग हं रखा जाता है फिर अन्न-भेद क्यों किया जाय ? (शत०ब्रा० २।४।३।७)

(आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक रूप वाले पूर्णमास तथा दर्शमास प्रयुक्त द्रव्य विषयक मतभेद)

दर्श तथा पूर्णमास के विषय में आधिदैविक रूप से मीमांसा—

सूर्य प्रतिदिन पूर्ण रहता है। इसलिए पूर्णमास सूर्य है तथा चन्द्रमा अमावास्या को दिखायी नहीं पड़ता, प्रतिपदा के बाद दृष्टिगत होने के कारण दर्श चन्द्रमा है। (शत०ब्रा० ११।२।४।१) दूसरे प्रकार से यह कह सकते हैं कि पूर्णमास चन्द्रमा है क्योंकि चन्द्रमा के पूर्ण हो जाने पर पूर्णमास की रात्रि होती है। दर्श सूर्य है क्योंकि वह जैसा है उस रूप में दृष्टिगत होता है। (शत०ब्रा० ११।२।४।२) पूर्णमास यह पृथ्वी है क्योंकि वह पूर्ण है और दर्श द्यौ (आकाश) है क्योंकि आकाश अपने रूप में ही दिखायी पड़ता है। (शत०ब्रा० ११।२।४।३)

पूर्णमास रात्रि है क्योंकि आधिदैविक रूप से दर्श तथा पूर्णमास के विषय में मीमांसा है। शत०ब्रा० ११।२।४।४)

दर्श तथा पूर्णमास के विषय में आध्यात्मिकी मीमांसा—

पूर्णमास उदान है क्योंकि उदान से यह पुरुष पूर्ण होता है। दर्श प्राण है क्योंकि यह प्राण प्रत्यक्ष है। इस प्रकार पूर्णमास तथा दर्श अन्न के भोजन तथा प्रदाता हैं (शत०ब्रा० ११।२।४।५) प्राण अन्न का भोक्ता है क्योंकि प्राणकौ सहायता से ही अन्न का उपभोग किया जाता है। उदान अन्नदाता है क्योंकि उदान के द्वारा अन्न दिया जाता है। (शत०ब्रा० ११।२।४।६)

पूर्णमास मन है क्योंकि मन पूर्ण है, दर्श वाणी है क्योंकि वाणी प्रत्यक्ष है इस तरह ये दोनों स्पष्ट रूप से शरीर से सम्बन्धित हैं। उपवास्य के दिन यजमान व्रतोपानीय (व्रत के दिन के खाद्यान्न) का भक्षण करता है। इस प्रकार यजमान आध्यात्म रूप से प्रत्यक्षदर्श तथा पूर्णमास का तर्पण करता है। दूसरे दिन प्रातः-

ल सम्पाद्य या के द्वारा अग्निद्वो का सन्पुष्ट करता है शत०ब्रा० ११२  
१७)

इस विषय में ब्रह्मवादियों का मत है कि न तो पूर्णमास के लिए इतिवृत्त ग्रहण किया जाता है न तो दर्श के लिए ही। पूर्णमास तथा दर्श में पुरोनुवाक्या और वाज्या का पाठ तथा प्रैव मन्त्र भी नहीं विहित हैं। इनके अभाव में पूर्णमास और दर्श का यजन कैसे सम्पन्न हो सकता है? (शत०ब्रा० ११।२।४।८)

याज्ञवल्क्य के कथनानुसार जब वह मन के लिए भी का आधार देना है तो उसका यजन हो जाता है। वाणी दर्श है अतः जिस आधार को वाणी के निमित्त प्रदान किया जाता है उससे दर्श का यजन होता है। इस प्रकार यजमान के पूर्णमास तथा दर्श का विधिवत् अनुष्ठान होता है। (शत०ब्रा० ११।२।४।८)

कुछ आचार्य आज्य के दो आधारों के स्थान पर दो चरु का निर्वाप करते हैं, पूर्णमास में सरस्वत् के लिए तथा दर्श में सरस्वती के लिए। उनका विचार है कि इस प्रकार प्रत्यक्ष दर्शपूर्णमास का यजन होता है (शत०ब्रा० ११।२।४।९)

याज्ञवल्क्य द्वितीय मत का खण्डन करके प्रथम मत की पुष्टि करते हैं। उनके मतानुसार सरस्वत् (सरस्वान्) मन है और सरस्वती वाणी है। मन और वाणी के लिए किए गए दो आधार सरस्वत् तथा सरस्वती से युक्त हैं। अतः उन देवताओं को प्राप्त होने वाला चरुद्वय आधारों से ही सिद्ध होता है। उनके अनुसार सरस्वती और सरस्वान् ही वाणी और मन है अतः देवता भेद तो हुआ नहीं इस कारण आधार पक्ष ही उचित है। (शत०ब्रा० ११।२।४।९)

### (घ) दक्षिणा द्रव्य विषयक मतभेद

(त्रिरात्र यज्ञ की दक्षिणा के विषय में मतभेद)

कुछ आचार्यों के मतानुसार त्रिरात्र यज्ञ की दक्षिणा में एक सहस्र गायों से अधिक कुछ भी नहीं देना चाहिए क्योंकि उतने से ही यजमान को सब कामों की प्राप्ति होती है। (शत०ब्रा० ४।१।८।१४)

याज्ञवल्क्य आचार्य आसुरि के मत को प्रस्तुत करते हैं। आचार्य आसुरि के मत से एक सहस्र गायों के अतिरिक्त यदि वह यजमान ऋत्विजों को दक्षिणा में कुछ अन्य वस्तुएँ भी देना चाहे तो दे सकता है। एक सहस्र से वह अपने सब कामों की प्राप्ति कर लेता है। अतिरिक्त दान इच्छानुसार दिया जाता है। (शत०ब्रा० ४।१।८।१४)



यजमान यदि ऋषभो स युक्त रथ अथवा अन्य कोई वस्तु देना चाहे तो उसे यज्ञ गाय (बन्ध्या गया) की वषा होम के अनन्तर अथवा उदवसानीयेष्टि के समय देना चाहिए। (शत०ब्रा० ४।१।८।१५)

(अंशु ग्रह की दक्षिणा के विषय में मतभेद)

अंशु ग्रह की दक्षिणा प्रथम गर्भवती द्वादश गायें हैं इसका कारण यह है कि एक वर्ष में द्वादश मास होते हैं। द्वादश गायें तथा उन गायों के द्वादश गर्भ मिलकर चौबीस होते हैं तथा एक वर्ष में चौबीस अर्द्धमास होते हैं। प्रजापति सवत्सर है और अंशु प्रजापति है। इस प्रकार अर्धवर्ष यजमान को प्रजापति बनाता है। (शत०ब्रा० ४।६।१।१२)

कौकूम को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करके याज्ञवल्क्य कहते हैं कि कौकूम ने प्रथम गर्भवती चौबीस गायों के साथ एक ऋषभ दिया जो संख्या में पच्चीस हुए। इसके अतिरिक्त स्वर्ण भी दिया। (शत०ब्रा० ४।६।१।१३)

(विरात्र यज्ञ की दक्षिणा में दी जाने वाली साहस्री गाय के वर्ण-विषय में मतभेद)

सहस्रदक्षिणविरात्र (जिसमें पुरोहितों को एक सहस्र गायें दक्षिणा में दी जाती हैं) में प्रतिदिन दक्षिणार्थ तीन सौ तैंतीस गायें दी जाती हैं। इस प्रकार तीन दिन में नौ सौ निन्यानवे गायें दक्षिणार्थ दी जाती हैं। साहस्री (एक सहस्र दक्षिणा की एक गाय) जो प्रथम दिन ले आयी जाती है उसके वर्ण में मतभेद है।

कुछ आचार्यों के मतानुसार उसे तीन वर्णों से युक्त होना चाहिए क्योंकि वह साहस्री का सबसे पूर्ण रूप है। (शत०ब्रा० ४।१।८।२)

याज्ञवल्क्य का मत है कि साहस्री गाय रक्तवर्ण (रोहिणी) होनी चाहिए और साथ ही चितकबरी भी। यह उसका सर्वोत्तम रूप होगा। (शत० ब्रा० ४।१।८।२।)

(चयनकर्म सम्बन्धिनी दक्षिणा के विषय में मतभेद)

कतिपय याज्ञिकों के मतानुसार चयन कर्म के समय भी यजमान को दक्षिणा देना चाहिए अन्यथा उसका यज्ञ दक्षिणा से रहित होगा। आदिष्ट दक्षिणा ब्रह्मा को दी जानी चाहिए क्योंकि ब्रह्मा सम्पूर्ण यज्ञ है। इस प्रकार सम्पूर्ण यज्ञ की चिकित्सा हो जाती है। (शत०ब्रा० ६।२।२।४०)

याज्ञवल्क्य उपयुक्त मत का निषेध करके चयन कम म दक्षिणा न देने का मत प्रस्तुत करते हैं उनके विचार से यजमान दक्षिणा देकर इस याग का इष्टका याग बनाता है। फलतः वह प्रति इष्टका दक्षिणादान का विधान करता है। दक्षिणा उचित समय पर ही दी जानी चाहिए। (शत०ब्रा० ६।२।२।४०)

## २- देवता विषयक मतभेद

### (क) अन्तरिक्ष देवता विषयक मतभेद

#### (सान्नाय्य प्राप्तकर्ता देवता विषयक मतभेद)

सोमयाजी (जिस यजमान ने सोमयाज कर लिया है) को इन्द्र के लिए सान्नाय्य देना चाहिए।

तैत्तिरीय आचार्यों के मतानुसार (तै०सं० २।१।४।४) सान्नाय्य 'महेन्द्राय सान्नाय्यम्' कह कर देना चाहिए क्योंकि वृत्र-हनन के पूर्व इन्द्र थे किन्तु वृत्र-हनन के अनन्तर वे महेन्द्र हो गये। उदाहरणस्वरूप आज भी विजयोपरान्त एक राजा को 'महाराज' शब्द से सम्बोधित किया जाता है। (शत०ब्रा० १।६।४।२१)

इस मत का निषेध करके याज्ञवल्क्य कहते हैं कि 'इन्द्राय' कह कर सान्नाय्य देना चाहिए। महेन्द्र को सम्बोधित करके नहीं क्योंकि वृत्र-हनन के पहले भी इन्द्र थे और बाद में भी। (शत०ब्रा० १।६।४।२१)

### (ख) वायात्मक देवता सम्बन्धी मतभेद

#### (प्रजापति सम्बन्धी सत्रहवें पशु के देवता के विषय में मतभेद)

वाजपेययाग में प्रजापति के लिए सत्रह पशुओं का आलम्भन किया जाना है। सत्रहवां पशु वाग्देवता को दिया जाय या प्रजापति को, इस विषय में मतभेद है—

अनेक आचार्यों के मतानुसार सत्रहवें पशु का आलम्भन वाक् (वाणी) देवता के लिए होना चाहिए क्योंकि यदि प्रजापति के अतिरिक्त कोई वस्तु हा सकती है तो वह वाणी ही है। इस प्रकार यजमान वाणी को प्राप्त करता है। (शत०ब्रा० ५।१।३।११)

याज्ञवल्क्य इस मत का विरोध करके कहते हैं कि यहाँ जो कुछ भी है वह प्रजापति का ही रूप है। ये लोक तथा इन लोकों का वाग्ब्यापार प्रजापति के ही रूप हैं। इसलिए वाक् (वाणी) के लिए सत्रहवें पशु का विधान करने वाले मन

का समादर न करके उस पशु को प्रजापति के लिए देना चाहिए। प्रजापति को पशु देने से वह यजमान अन्य वस्तुओं के साथ वाणी को भी प्राप्त करता है। (शत०ब्रा० ५।२।३।११)

### (ग) आत्मात्मक देव तथा देवगण विषयक मतभेद

(अश्वमेध याग में अश्वालम्भन सम्बन्धी देवता के विषय में मतभेद)

कुछ आचार्यों के मतानुसार अश्वालम्भन सब देवताओं के लिए होना चाहिए क्योंकि 'स्वगा त्वा देवेभ्यः', 'तं बधानं देवेभ्यः' आदि उद्धरणों से विदित होता है कि अश्व सब देवताओं के लिए दिया जाता है। (शत०ब्रा० १३।३।४।१)

अन्य आचार्यों के मतानुसार प्रजापति के लिए ही अश्व का आलम्भन होना चाहिए। (शत०ब्रा० १३।३।४।१)

याज्ञबल्क्य इस द्वितीय मत के विरोध में कहते हैं कि कोई यजमान प्रजापति के लिए ही अश्वालम्भन करता है तो वह उसमे भाग प्राप्त करने वाले देवताओं को उनके अंशों से रहित करता है। (शत०ब्रा० १३।३।४।१) क्योंकि अश्व में अनेक देवताओं को भाग प्रदान किया जाता है। इस दोष के परिहारार्थ प्रजापति के लिए अश्वालम्भन करके शद नाम के देव को 'शद दधिभरवकां दन्तमूलै' (शु०य०सं० २५।१) इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी प्रसन्न करना चाहिए। आज्याबदान के अनन्तर मन्त्र पाठ करके आज्य को ही अश्वान्ग मान कर अबदान के समय शद, वात, मशक, अग्नि, इन्द्र, इन्द्राग्नी, पूषा आदि देवताओं का नामोल्लेख करके उन देवताओं के लिए आहुति का हवन करना चाहिए। ये हवन के मन्त्र शुक्लयजुर्वेद वाजसनेयि संहिता (२५।१-६) में प्राप्त हैं। इस प्रकार अश्व में अंश प्राप्तकर्ता देवताओं को समृद्ध किया जाता है। अबभूय मे 'पृथिवीं त्वचा प्रीणामि स्वाहा' (शु०य०सं० २५।६), 'जम्बुकाय स्वाहा' (शु०य०सं० २५।६) इन मन्त्रों से होम होता है। इसके पश्चात् विश्वेदेवों के लिए हृदयादि का हवन होता है। हवनान्तर शुक्लयजुर्वेद संहिता ३६।१३ के मन्त्र से छावा पृथिवी को आहुति प्रदान करना चाहिए क्योंकि छावा पृथिवी पर ही सब देवता प्रतिष्ठित हैं। (शत० ब्रा० १३।३।४।१)

### (घ) देवता सामान्य विषयक मतभेद

(शुक्र और मन्थिन ग्रह—ग्रहण तथा होम सम्बन्धी देवता के विषय में मतभेद)

शुक्र और मन्थी ग्रह यज्ञ की दो आखें हैं। शुक्र सूर्य है तथा मन्थी चन्द्रमा। सूर्य चमकता है इसलिए शुक्र है। (शत०ब्रा० ४।२।१।१) मन्थीग्रह में सत्त्व के मिश्रण से

नकी निमित्त होता है। दानो (सूय और चन्द्रमा) प्रजा की आर्त्थे हैं क्योंकि इन दोनों के उदय न होने से कोई भी व्यक्ति अपने ही हाथों को नहीं पहचान सकता। (शत०ब्रा० ४।२।१।२) शुक्र भोक्ता है तथा मयी भोज्य। (शत०ब्रा० ४।२।१।३) शण्ड और मर्क के लिए दोनों का ग्रहण तथा देवताओं के लिए हवन होता है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए अभिज्ञ जन आख्यायिका प्रस्तुत करते हैं—

शण्ड और मर्क नाम के दो राक्षस थे। देवताओं ने सब असुर राक्षसों को तो भगा दिया किन्तु वे इन दोनों को पराजित न कर सके। वे देवताओं के द्वारा सम्पादित होने वाले याज्ञिक कर्म में विघ्न डालकर शीघ्रतापूर्वक भ्राम जाते थे। (शत०ब्रा० ४।२।१।५) देवताओं ने इन्हें दूर करने के विषय में विचार किया कि 'इन दोनों राक्षसों के लिए ग्रह-ग्रहण किया जाय। जब वे उनके लिए आएंगे तब हम लोग उन्हें पकड़ कर पराजित करेगे।' जब उनके लिए सोम ग्रहों का ग्रहण किया गया, ये दोनों नीचे आ गये और देवों ने उन्हें पराजित किया इसलिए शण्ड और मर्क को ही उद्देश्य कर दोनों ग्रहों का ग्रहण होता है तथा देवताओं के लिए हवन होता है। (शत०ब्रा० ४।२।१।६)

याज्ञवल्क्य का मत है— 'क्या हम देवताओं के लिए ही होम के समान इन दोनों ग्रहों का ग्रहण भी न करें क्योंकि यह तो विजय का चिह्न है।' (शत०ब्रा० ४।२।१।७) याज्ञवल्क्य ने यह विचार किया परन्तु कार्यरूप में परिणत नहीं किया।

### (३) मन्त्र विषयक मतभेद

(क) शुक्ल-यजुर्वेद संहिता में प्राप्त मन्त्रों के विषय में मतभेद

१— मन्त्र-पाठ भेद विषयक मतभेद

(शब्द सयोगकृत पाठभेद विषयक मतभेद)

दर्शयाग के विषय में यह निर्देश है दूसरे दिन महेन्द्र के लिए सान्नाय्य का विधान होने के कारण उसकी प्राप्ति के लिए दक्षि की आवश्यकता पड़ती है। अध्वर्यु बछड़ों को गायों से अलग कर लेता है और गायें चरागाहों में पहुंचा दी जाती हैं। सायकाल उनके वापस आ जाने पर जिस क्रम में अध्वर्यु ने उन्हें जलन किया था उसी क्रम से वह बछड़ों को गायों के समीप करता है। पलाश की शाखा में उनका स्पर्श करता है। स्पर्श करने के साथ ही साथ वायवः स्थ' (शु० यजु० सं १।१) मन्त्र का भी उच्चारण करता है। (शत०ब्रा० १।७।१।३)

इसके विपरीत तिलिरीय शाखा के आचार्य 'वायवः स्थ' के स्थान पर 'उपायवः स्थ' (त०स० १।१।१) को उच्चारण करते हैं। (शत०ब्रा० १।७।१।३)

इस मत के विराध में याज्ञवल्क्य का कहना है कि उपायव स्थ' नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसका अर्थ द्वितीय और द्वितीय का अर्थ शत्रु होता है उप के उच्चारण से शत्रु यजमान के समीप आता है। इसलिए शत्रु से यजमान के रक्षाय 'वायवः स्थ' का ही उच्चारण करना चाहिए। (शत० ब्रा० १।७।१।३)

(अनुचित शब्दक्रम कृत पाठभेद विषयक मतभेद)

अग्निं स्विष्टकृत् के यजनार्थं अध्वर्यु के द्वारा 'अग्निं स्विष्टकृत यज' से आदिष्ट होकर होता अधोलिखित निगद का पाठ करता है।

'ये यजामहे अग्निं स्विष्टकृतमयऽग्निरग्नेः प्रियाधामान्ययाट् सोमस्य प्रियाधामान्ययाडग्नेः प्रिया धामान्ययाट् ॥ (शु०य०सं० १६।२४), (शत० ब्रा० १।७।३।११)

इस निगद मन्त्र में अयाडग्निरग्नेः प्रियाधामानि अयाट् सोमस्य प्रियाधामानि' इस प्रकार का पाठक्रम मिस्रता है।

इसके विपरीत तैत्तिरीय आचार्यों के मतानुसार 'अयाट्' शब्द के पूर्व देवता का नाम रखना चाहिए। जैसे 'अग्नेरयाट् सोमस्यायाट्। (शत० ब्रा० १।७।३।१२)

याज्ञवल्क्य के द्वारा यह मत समादृत नहीं है। उनके विचार से इस प्रकार के याज्ञिक आचार्य यज्ञ के विपरीत ही कार्य करते हैं। इसलिए यज्ञ को अपूर्णता से बचाने के लिए शब्दक्रम में स्थानान्तरण करके आयाट्कार को पहले ही रखना चाहिए। (शत० ब्रा० १।७।३।१२)

(कुछ शब्दों के स्थान अन्य शब्दों के रखने से उत्पन्न मतभेद विषयक मतभेद)

वाजपेय याग में यजमान के अभिषेकार्थं मन्त्रों के विषय में मतभेद है। अध्वर्युदेवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां सरस्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्त्रिये दधामि बृहस्पतेऽद्वा साम्राज्येनाभिषिचाम्यसौ (शु०य०सं० ६।३०) इस मन्त्र से यजमान का अभिषेक करता है। (शत० ब्रा० ५।२।२।१३)

अन्य आचार्यों के मतानुसार "सरस्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्त्रिये दधामि" के स्थान पर "विश्वेषां त्वा देवानां यन्तुर्मन्त्रिये दधामि" का उच्चारण करना चाहिए क्योंकि विश्वेदेव सब कुछ हैं। इस प्रकार अध्वर्यु यजमान को सब देवों की अभ्यनुज्ञा में रखता है। (शत० ब्रा० ५।२।२।१४)

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत का निषेध करके 'सरस्वत्यै त्वा वाचो यन्तुर्यन्त्रिये दधामि' का ही उच्चारण करने के लिए अपना मत प्रस्तुत करते हैं। उनके विचार

से सरस्वती वाणी है। उपयुक्त कथन से यजमान को वाणी की अभ्यनुज्ञा में रखा जाता है। 'बृहस्पतेऽद्वा साम्राज्येताभिषिञ्चाम्यसौ' (शु०य०सं० १।३०) उक्त मन्त्र के साथ अध्वर्यु यजमान का नाम-ग्रहण करता है और यह यजमान का बृहस्पति के सायुज्य तथा सलोकता की प्राप्ति कराता है। (शत० ब्रा० १।२।२।१४)

(शतरुद्रिय होम के अवसर पर प्रयुक्त मन्त्र सम्बन्धी पाठभेद)

शतरुद्रिय कर्म में होम के अवसर पर भयभीत यजमान अध्वर्यु के मुख में दसों दिशाओं में वर्तमान रुद्र को नमस्कार करता है। अध्वर्यु 'तेभ्यो नभो अस्तु' का उच्चारण करता है। उसके बाद 'तेनोमृडयन्तु' तथा 'ते य द्विप्सो यश्च ना द्वेष्टि तमेषां जम्भे दधमः' (शु०व०सं० १६।३६) मन्त्रों के उच्चारण से यजमान के लिए सुख की प्रार्थना करके, यजमान जिनसे द्वेष करता है तथा यजमान से जो द्वेष करते हैं उन दोनों को ही रुद्र के हनु (जबड़ों) में रखता है। (शत० ब्रा० ६।१।१।३६)

अन्य शाखा के आचार्य 'तमेषां जम्भे दधमः' के स्थान पर 'अमुषां जम्भे दधामि, का उच्चारण करने के लिए विधान करते हैं और 'अमुम्' के स्थान पर यजमान जिससे द्वेष करे उसका नाम रखने का आदेश देते हैं। (शत० ब्रा० ६।१।१।३९)

याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करते हुए कहते हैं कि यजमान जिससे द्वेष करता है उसके लिए निर्देश की सिद्धि 'यं द्विप्सो यश्च ना द्वेष्टि तमेषां' इम अभिधान से ही हो जाती है। इसलिए मन्त्र में पाठभेद की आवश्यकता नहीं है। (शत० ब्रा० ६।१।१।३६)

शतरुद्रिय कर्म के प्रसंग में ही ऋत्विज और यजमान क्षुधा के प्रतीक एक पाषण खण्ड को जल से भरे घट में रख कर उस घट का निश्च्युति दिशा की ओर प्रक्षेपण करते हैं। इस प्रकार शोक को निश्च्युति की दिशा में रखा जाता है। (शत० ब्रा० ६।१।२।१९) शतरुद्रिय कर्म के समय देवताओं में अग्निरुद्र को शतरुद्रिय और जल से शान्त करके उसके शोक तथा पाप को दूर किया था उसी प्रकार यजमान भी अग्निरुद्र को शतरुद्रिय और जल से शान्त करके शोक और पाप को दूर करता है। (शत० ब्रा० ६।१।२।१०) इस घट का प्रक्षेपण अग्निवेदी से बाहर किया जाता है। ऐसा करने से शोक को तीनों लोकों से बाहर रखा जाता है क्योंकि यह अग्निवेदी तीनों लोक है। वेदी पृथ्वी है जिसके बाहर दुख को रखा जाता है। (शत० ब्रा० ६।१।२।११) घट-प्रक्षेपण के समय कौन सा मन्त्र प्रयुक्त किया जाय इस विषय में मतभेद है।

याज्ञवल्क्य के सम्प्रदायानुसार वेदी की दक्षिण श्राणा पर स्थित हू कर अठवयु पूव की ओर मुख करके यद्विष्मस्त ते शुगृच्छतु (शु०य०सं० १७०१) मन्त्र से दक्षिण दिशा को ओर घट का प्रक्षेपण करता है। (शत० ब्रा० ६।१।२।१२)

अन्य आचार्यों के मतानुसार 'यद्विष्मस्त ते शुगृच्छतु' के स्थान पर 'यं द्विष्म अमुंते शुगृच्छतु' का उच्चारण करना चाहिए। 'अमुम्' के स्थान पर जिससे यजमान द्वेष करे उसका नाम रख देना चाहिए। इस प्रकार यजमान से द्वेष करने वाला कोई शेष नहीं बचता। (शत० ब्रा० ६।१।२।१२)

याज्ञवल्क्य इस मत का खण्डन करते हैं। उनके विचार से यजमान जिससे द्वेष करता है, वह तो स्वयं निर्दिष्ट है। (शत० ब्रा० ६।१।२।१२)

## २—मन्त्र अथन विषयक मतभेद

(अग्निहोत्र होमार्थं सायं प्रातः प्रयुक्त मन्त्र सम्बन्धी मतभेद)

कुछ आचार्यों के मतानुसार सायंकाल 'अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा' (शु०य०सं० ३।६) मन्त्र से तथा प्रातःकाल 'सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा।' (शु०य०सं० ३।६) मन्त्र से आहुति देनी चाहिए क्योंकि अस्त हुआ सूर्य अग्नि में ही प्रवेश करता है और अग्नि ही प्रकाश रूप होता है। सूर्योदय होने पर अग्नि सूर्य में प्रवेश करता है और दिन में सूर्य ही प्रकाश रूप होता है। सायं और प्रातः दोनों समय 'अग्निज्योतिः' तथा 'सूर्यज्योतिः' ये दोनों मन्त्र के वाक्य सत्य है। इस प्रकार आहुति सत्य से युक्त होती है और जो कुछ भी सत्य से युक्त होता है वह देवताओं को प्राप्त होता है (शत० ब्रा० २।३।१।३०)

तथा ने ब्रह्मवर्चसकाम आरुणि के लिए अधोलिखित मन्त्रों का प्रयोग किया था। सायंकाल 'अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा' सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा' (शु०य०सं० ६।६, शत० ब्रा० २।३।१।३१) तथा 'अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा'। (शु०य०सं० ३।६, शत० ब्रा० २।३।१।३२) प्रातःकाल 'सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा' (शु०य०सं० ३।६)। सायंकालिक मन्त्र के द्वारा हवन करने पर यजमान ब्रह्मवर्चस् प्राप्त करता है। प्रातःकालिक मन्त्र प्रजनन रूप है। इस मन्त्र में दोनों ओर अग्नि देवता नाम वाची पद हैं। इस तरह वीर्य देवताओं से आश्रुत है जिससे प्रजनन होता है तथा मन्त्र से प्रजा की समृद्धि होती है। (शत० ब्रा० २।३।१।३३)

आचार्य जीवत के मतानुसार उपर्युक्त मन्त्र में वीर्य आवृत है, वह गर्भ में ही रहता है प्रजारूप में उत्पन्न नहीं होता इसलिए यह दोषपूर्ण है। (शत०

ब्रा० २।३।१।३४) स्वमत प्रस्तुत करते हुए जीवलाचार्य का कहना है कि सायंकाल यजमान 'अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा' मन्त्र से तथा प्रातःकाल ज्योति सूर्य सूर्योज्योतिः स्वाहा' । (शु० य० सं० ३।१३।) मन्त्र से होम सम्पन्न करें। इस प्रकार प्रजनन शील प्रकाश रूपी वीर्य को बाहर किया जाता है। (शत० ब्रा० २।३।१।३५)

इस मत के विषय में कुछ आचार्य आक्षेप करते हैं। उनके विचार से यह विधान सूर्योदय के अनन्तर आहुति देने वाले के लिए है। सूर्योदय के पूर्व हवन सम्पादन के लिए नहीं क्योंकि सूर्यास्त होने पर अग्नि ज्योति है तथा सूर्योदय होने पर सूर्य ज्योति है। इसमें दोष यह है कि अग्निहोत्र के देवता के लिए पृथक् पृथक् आहुति का विधान नहीं है।

याज्ञवल्क्य अग्निष्टोत्र पक्ष प्रस्तुत करते हैं जिसके अनुसार सायंकाल सूर्योदय-सवित्रा सजूरत्वेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेत्तु स्वाहा । (शु० य० सं० ३।१०) मन्त्र से अग्नि में प्रत्यक्ष हवन करना चाहिए। (शत० ब्रा० २।३।१।३७) तथा प्रातःकाल 'सूर्योदयसवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या । जुषाणः सूर्यवेत्तु स्वाहा । (शु० य० सं० ३।१०) मन्त्र से सूर्य को प्रत्यक्ष हवन सम्पादित करना चाहिए। (शत० ब्रा० २।३।१।३८)

(उपनयन संस्कार में आचार्य द्वारा उपदिष्ट सावित्री ऋचा-छन्द विषयक मतभेद)

ऋग्वेदीय आचार्य सावित्री का अनुवचन अनुष्टुप् छन्द में करते हैं जो अधोलिखित है—

नत्सवितृर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनम् ।

श्रेष्ठं सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमहि ॥ (ऋ० सं० १।८२।१)

उनके विचार से अनुष्टुप् वाणी है, इसलिए उत्पन्न माणवक (ब्रह्मचारी) में वाणी की स्थापना की जाती है। (शत० ब्रा० १।१।१।१३)

याज्ञवल्क्य इस मत के विरोध में कहते हैं कि ऐसी स्थिति में यदि कोई अभिज्ञ यह कहे कि 'निश्चय ही इस माणवक ने आचार्य की वाणी को ले लिया।' तो वह उपदेष्टा (आचार्य) मूक हो जायगा। (शत० ब्रा० १।१।१।१३)

याज्ञवल्क्य सावित्री का अनुवचन गायत्री छन्द में करने का आदेश देते हैं जो इस प्रकार है—



‘तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ।

धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ (शु०य० सं० ३।३५)’, (शत० ब्रा० ११।५।४।१३)  
(दीक्षित यजमान के वाग्विसर्जनार्थ प्रयुक्त मन्त्र विषयक मतभेद)

कुछ आचार्यों के मतानुसार दीक्षित को ‘भूर्भुवः स्वः’ (शु०य०सं० ३।५) व्याहृति से वाग्विसर्जन करना चाहिए । इससे यज्ञ को शक्तिशाली तथा पूर्ण बनाया जाता है । (शत० ब्रा० ३।२।२।६)

याज्ञवल्क्य इस मत का खण्डन करके कहते हैं कि इस प्रकार से न तो यज्ञ शक्तिवान् और न वह पूर्ण ही होता है । यजमान को वाग्विसर्जन से पूर्व ‘व्रत-कृणुत व्रतं कृणुताग्निर्ब्रह्माग्निर्यज्ञो वनस्पतिर्यज्ञियः ।’ [शु०य०सं० ४।११] मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए । [शत० ब्रा० ३।२।२।७] यह व्रत दीक्षा के समय यज्ञ तथा हविष् भी है । जैसे दीक्षा दिन से पूर्व अग्निहोत्र सम्पादित होता है उसी प्रकार यह भी अग्निहोत्र के प्रति आम्नाय ही है । यजमान सोमयज्ञ में इस व्रताख्य यज्ञ के साधन से सम्भरण करके ब्रह्म में यज्ञ का प्रतिष्ठापन तथा यज्ञ से यज्ञ का विस्तार करता है क्योंकि वह व्रत सुत्या दिन तक सम्पन्न किया जाता है । व्रतं कृणुत’ तीन बार कहनी चाहिए क्योंकि यज्ञत्रिवृत् होता है । दीक्षित यजमान को वाग्विसर्जन के समय अग्नि की परिक्रमा करनी चाहिए । यदि यजमान ‘व्रतं कृणुत’ के अतिरिक्त अन्य किसी ‘भूर्भुवः स्वः’ आदि व्याहृतियों से वाग्विसर्जन करता है तो वह यज्ञ को सशक्त नहीं बनाता । [शत० ब्रा० ३।२।२।८] यजमान प्रथम मंत्र भाग के उच्चारण से वाणी के सत्य का उच्चारण करता है । वाग्व्यवहार के आरम्भ में ‘अग्निर्ब्रह्म’ के उच्चारण से सत्य का ही कथन किया जाता है । [शत० ब्रा० ३।२।२।६]

[आतिथ्येषिष्ठ में हविर्निर्वापार्थ मन्त्र-विषयक मतभेद]

तैत्तिरीय आचार्यों के मतानुसार अष्टवर्षु को ‘अग्नेस्तनूरसि विष्णवे त्वा गृह्णामि’ [त०सं० ६।२।१।७] मन्त्र से हविष् का निर्वाप करना चाहिए क्योंकि एक विशेष भाग के लिए, सोम छन्दों के राज्य एवं साम्राज्य के लिए क्रयणानन्तर ले आये जाते हैं । छन्द सोम के साथ राजा के अराज, राजकृत तथा सूतग्रामणी की भाँति हैं । अग्नेस्तनूरसि विष्णवे त्वा [गृह्णामि]’ इसी एक मन्त्र के साथ छन्दों के लिए पाँच बार हविष् का ग्रहण करना चाहिए । [शत० ब्रा० ३।४।१।७]

याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करते हैं । उनके विचार से हविष् का निर्वाप छन्दों के लिए यज्ञपूर्णता निमित्त नहीं है क्योंकि जब किसी अर्हन्त [पूज्य]

(राजसूय यज्ञ में अभिषेकाथ प्रयुक्तमन्त्र विषयक मतभेद)

राजसूय यज्ञ में यजमान जब अपनी दोनों बाहुओं को ऊपर उठाता है, उस समय पढ़े जाने वाले मन्त्र के विषय में मतभेद है। कुछ याज्ञिकाचार्यों के मतानुसार यजमान (राजा) के द्वारा दोनों बाहुओं को ऊपर उठाने समय 'हिरण्य-रुपा उपसो विरोक उभाविन्ना उद्विधः सूर्यश्च'।

आरोहत वरुण मित्र गर्तं ततश्चआथामदिति दिति च ॥ (शु० य० सं० १०।१६) ।

मंत्र का पाठ करना चाहिए। 'आरोहतं वरुण मित्र गर्तम्' कहने का तात्पर्य यह है कि ये दोनों बाहुएं मित्र और वरुण हैं। पुरुष रथ है। 'ततश्चा-थामदिति दिति च' का तात्पर्य यह है कि तुम दोनों मित्र और वरुण अपने तथा दूसरे के भी सहज गुण का अवलोकन करो। (शत० ब्रा ५।४।१।१५)

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत का निषेध करके 'मित्रोऽसि वरुणोऽसि (शु० य० सं० १०।१६) मन्त्र से दोनों बाहुओं के ऊर्ध्वभिमुख करने का निर्देश करते हैं क्योंकि मित्र और वरुण यजमान की दो बाहुएं हैं। यजमान अपनी दोनों बाहुओं के द्वारा मित्र और वरुण से सम्बन्धित है। (शत० ब्रा० ५।४।१।१६) ।

(इष्टका चयन में इष्टकाओं के उपधानार्थ प्रयुक्त मन्त्र विषयक मतभेद)

आवनाथ्य आचार्य के मतानुसार इष्टकाचयन के प्रसंग में विशिष्ट मन्त्रों से युक्त इष्टकाएं ही यजुष्मती (यजुष्मन्त्र से युक्त) इष्टकाएं हैं। उनके ज्ञाता को ही अग्निचयन का सम्पादन तथा वेदी निर्माण करना चाहिए। स्थान-स्थान पर अत्रशिष्ट भाग में 'लोकम्पृण, सिद्धं पृण' (शु० य० सं० १५।५६) मन्त्र युक्त इष्टकाओं का चयन करना चाहिए। इस प्रकार प्रजापति को स्वस्थ किया जाता है। (शत० ब्रा० ६।१।२।२४) ताण्ड्य आचार्य के मतानुसार यजुष्मती इष्टकाएं क्षत्र तथा लोकम्पृण इष्टकाएं विट् (प्रजा) हैं। क्षत्रिय भोक्ता तथा विट् अन्न ह। जहाँ भोक्ता के लिए अन्न बाहुल्य रहता है वह राष्ट्र समृद्ध होता है। अतएव लोकम्पृण इष्टकाओं का ही बाहुल्य रहना चाहिए। इस प्रकार लोकम्पृण मन्त्र का बाहुल्य होगा। (शत० ब्रा० ६।१।२।२५)

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त दोनों मतों का निरादर करके उपधानार्थ अधोलिखित मन्त्र का विधान करते हैं-

चिदसि तथा देवतयाऽङ्गस्वद् ध्रुवासीद ।

परिचिदसि तथा देवतया ऽङ्गस्वद् ध्रुवासीद ॥

(शु० य० सं० १२।५३), (शत० ब्रा० ६।१।२।२५)

वाणी और स्वास स वेदी का निर्माण होता है क्योंकि अग्नि वाणी और इन्द्र स्वास हैं। इन्द्र और अग्नि देवताओं से सम्बन्धित हैं। अग्नि की महानता के अनुसार ही अग्निवेदी का निर्माण भी होता है। (शत०ब्रा०६।१।२।२८)

(अग्निघयन में आहवनीय के प्रति अग्निप्रणयनार्थं प्रयुक्त प्रथम मन्त्र विषयक मतभेद)

अथर्व्यु आहवनीय के प्रति अग्निप्रणयन विधानार्थं होता को 'अग्निभ्यः प्रहियमाणेभ्योऽनुब्रूहि' कहकर आदेश देता है। होता अग्निप्रणयन के लिए मन्त्रों का पाठ करता है। आरम्भ में प्रयुक्त मन्त्र के विषय में मतभेद है। कुछ आचार्य सर्वप्रथम 'पुरीष्यासो अग्नयः प्रावणेभिः सजोषसः। जुयन्तां यज्ञमदुहोऽनमीवाइषो मही ॥' (शु०य०स०१२।५०) मन्त्र का विधान करते हैं।

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत का निषेध करके अग्निप्रणयन के समय अग्नि से सम्बन्धित तथा कामवती गायत्री ऋचाओं का प्रयोग करने के लिए विधान करते हैं जिनमें आरम्भ की ऋचा अधोलिखित होनी चाहिए—

'आ ते वत्सो मनो यमत्परमाच्चित्रसवस्थात् ।

अग्ने त्वाङ्कामया गिरा । (शु०य०सं० १२।११५) (शत०ब्रा०७।३।२।८)

(अश्वमेध यज्ञ में प्रयुक्त प्रजापति से सम्बन्धित अश्व के आप्रीकरण मन्त्र विषयक मतभेद)

इस विषय में कुछ आचार्यों का मत है कि बाह्वृक्य मन्त्र समूह से आप्रीकरण करना चाहिए जिसका प्रथम मन्त्र—

'समिद्धो अञ्जन् कृदरं मतीनां घृतमग्ने मधुमत् पिन्वमानः ।

वाजी वहन् वाजिनं जातवेदो देवानां वक्षि प्रियमा सधस्थम् ॥

[शु०य०सं० २६।१]

तथा ग्यारहवां मंत्र अधोलिखित है—

'प्रजापतेस्तपसा वावृधानः सद्यो जातो दधिषे यज्ञमग्ने ।

स्वाहाकृतेन हविषा पुरोगा याहि साध्या हविरदन्तु देवाः ॥ [शु० य० सं० २६।११]

इन त्रिष्टुप् छन्द वाले मन्त्रों से आप्रीकरण करना चाहिए। उन आचार्यों का विचार है कि वामदेव के पुत्र बृहदुक्थ ने अथवा समुद्र के पुत्र अश्व ने इन

आप्री मन्त्रों (शु० य० सं० २६१ म ११) का दशन किया या इन्हीं आप्री मन्त्रों से हम इस प्राजापत्य अश्व का आप्रीकरण करते हैं। (शत० ब्रा० १३।२। २।१४)

याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करके जामदग्न (जमदग्नि में सम्बन्धित) मन्त्र के समूह (शु० य० सं० २६।२५-३६) से अश्व का आप्रीकरण करने के लिए प्रस्तुत करते हैं जिसका प्रथम मन्त्र—

‘समिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे देवोदेवान् यजसि जातवेदः ।

आ च वह मित्रमहश्चिकित्वान् त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः । (शु० य० सं० २६।२५) तथा ग्यारहवां मन्त्र इस प्रकार है ।

‘सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञमग्निर्देवानामभवत् पुरोगाः ।

अस्य होतुः प्रदिश्युत्तस्य वाचि स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवाः ॥ (शु० य० सं० २६।३६)

इन एकादश जामदग्न मन्त्रों से आप्रीकरण करना चाहिए क्योंकि जमदग्नि प्राजापति हैं जो अश्वमेध है । अपने ही देवता के द्वारा इसे समृद्ध किया जाता है । (शत० ब्रा० १३।२।२।१४)

### (३) मन्त्रों के आधिपत्य के विषय में मतभेद

(आग्रयण ग्रह ग्रहणान्तर उसके आसादनार्थ प्रयोग किये जाने वाले मन्त्र विषयक मतभेद)

अध्वर्यु आग्रयण ग्रह को लेकर तीन बार हिकार करना है क्योंकि यज्ञ भी त्रिवृत् होता है । (अग्निपरिधि आदि के त्रित्व होने से) हिकार के पश्चात् ग्रह के आसादनार्थ मन्त्र का विधान है । कुछ आचार्यों के मत से अध्वर्यु को ‘सोम पवते । अस्मै ब्रह्मणेऽस्मैक्षत्राय । अस्मै सुन्वते यजमानाय पवते ।) शु० य० सं० ७।२१) इस मन्त्र का उच्चारण करके ग्रहासादन करना चाहिए । उन आचार्यों के विचार से यह सब कुछ उतना ही है जहाँ तक कि ब्रह्म, क्षत्र और प्रजाएं हैं । इन्द्र और अग्नि सब कुछ हैं । अतः इतना ही कह कर ग्रह को रखना चाहिए । (शत० ब्रा० ४।२।२।१२-१३)

याज्ञवल्क्य का मत है कि अध्वर्यु को इसके आगे भी कहना चाहिए । (शत० ब्रा० ४।२।२।१४) ‘इष ऊर्जे पवते । अद्भ्य ओषधीभ्यः पवते । द्यावा-पृथिवीभ्यां पवते । सुभूताय पवते । (शु० य० सं० ७।२१) इस पर कुछ आचार्यों

का मत है कि सुभृताय पवत के स्थान पर 'ब्रह्मवचसाय पवते' यह कहना चाहिए ।

याज्ञवल्क्य इस कथन की निन्दा करते हुए कहते हैं कि 'अस्मै ब्रह्मणोऽम्बै क्षत्राय' कहने से ही 'ब्रह्मवर्चसाय' सम्पन्न हो गया । अब 'ब्रह्मवर्चसाय' कहने की आवश्यकता नहीं है । अध्वर्यु 'विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एष ते योनिविश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य' (शु०य०सं० ७।२१) मन्त्र से ग्रह का आसादन करना है । दिग्बदेवों के लिए इसे ग्रहण करता है । ग्रह को मध्य में रखता है क्योंकि यह ग्रह आत्मा है । मध्य के समान आत्मा रहती है । दक्षिण में रखी उक्थस्थाली तथा उत्तर में रखी हुई उक्थस्थाली तथा उत्तर में रखी हुई आदित्यस्थाली के बीच में इन ग्रह का आसादन होता है । (शत० ब्रा० ४।२।२।१६)

(उपस्थानार्थं मन्त्र संख्या त्रिषयक मतभेद)

अध्वर्यु चित्ति के अन्त में अग्नि की समृद्धि के लिए, जिसके कारण चयन होता है उसकी समृद्धि के लिए तथा अग्निचित् की समृद्धि के लिए साधारण उपस्थान करता है । अध्वर्यु सात मन्त्रों के साथ अग्निवेदी के पास पहुँचता है । वे मन्त्र अधोलिखित हैं—

१- 'वाचं हृत्पाय शवसे पृतनासाह्याय च ।

इन्द्र त्वा वर्तयामसि ॥ (शु० य० सं० १८।६८)

२- 'सहृदानुं पुरुहूत क्षियन्तमहस्तमिन्द्र सभ्पिणक् कुणारम् ।

अभि बृत्तं चर्धमान पियाश्मपादमिन्द्र तवसा जघन्थ ॥ (शु० य० सं० १८।६६)

इस प्रकार दो बृहन्न सम्बन्धी मन्त्रों से उपस्थान किया जाता है क्योंकि देवताओं ने इन मन्त्रों से पाप को दूर किया है । यजमान भी वही कार्य करता है । (शत० ब्रा० ६।१।२।४) तदुपरान्त

३- 'वि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पूनन्यतः ।

यो अस्मां २॥ अभिदामत्यधरं गमया तमः ॥ (शु०य०सं० १८।७०)

४- 'मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठः परापत आजगन्थापरस्थाः ।

सूक संशाय पविमिन्द्र तिमं विणवून् सादि त्रिमृधा तुदस्व ॥

(शु०य०सं० १८।७१)

इस प्रकार इन्द्रविमृध सम्बन्धिनी दो ऋचाओं से उपस्थान करता है । इससे देवताओं ने मृध [तिन्दक] पापी का हनन कर यह कार्य किया था । यजमान भी उसी प्रकार करता है । [शत० ब्रा० ९।१।२।१] तत्पश्चात्—

५- वैश्वानरो न ऋतय आ प्रयातु परावतः ।

अग्निर्नः सुष्टुतीरुप ॥ (शु० य० सं० १८।७२)

६- 'पृष्टोदिवि पृष्टो अग्निः पृथिव्यां पृष्टो विश्वाओषधीराविवेषा ।

वैश्वानरः सहसा पृष्टो अग्निः स नो दिवा स रिषस्यातु नक्तम् ॥

(शु० य० सं० १८।७३)

वह विश्वानर से सम्बन्धित ऋचाओं से उपस्थान करता है । इससे देवताओं ने पाप को जलाया था । इस समय यजमान भी वही करता है । (शत० ब्रा० ६।५।२।६)

सातवीं ऋचा इस प्रकार है—

'अश्याम त काममग्ने तवोती अश्याम रयि रयिवः सुवीरम् ।

अश्याम वाजमग्नि वाजयन्तोअश्याम धुम्ममजराजरते ॥ (शु० य० सं० १८।७४)

अध्ययुं इस एक कामवती ऋक् से उपस्थान करता है । देवताओं में छः ऋचाओं के द्वारा पाप को दूर किया था और कामवती ऋचा से सब कामों को अपना बनाया । इसी प्रकार यजमान भी छः ऋचाओं से पाप को दूर कर एक कामवती ऋचा के द्वारा सब कामों को अपना बनाता है । (शत० ब्रा० ६।५।२।७) सात ही ऋचाओं से उपस्थान (अग्निवेदी के पास गमन) किया जाता है क्योंकि अग्निवेदी सात चित्तवाली है । सात ऋतुएं होती हैं, सात दिशाएं, सात देवलोक सात स्तोम, सात पृष्ठ (स्तोत्र), सात छन्द, सात ग्राम्य पशु, सात आरण्य पशु, सात शीर्ष के प्राण, जो कुछ भी सप्तविध है, अधिदैवत है, अध्यात्म है उसे इन ऋचाओं के समूह से प्राप्त करता है । वे ऋचाएं अनुष्टुप् के बराबर हैं क्योंकि अनुष्टुप् वाणी है और वाणी के द्वारा ही वह अग्नि के लिए उस वस्तु को प्राप्त करता है जिसकी उसे प्राप्ति नहीं थी । (शत० ब्रा० ६।५।२।८)

अन्य आचार्य आठ ऋचाओं से उपस्थान के पक्ष में हैं उनके मतानुसार सात ऋचाओं के बाद अधोलिखित आठवीं ऋचा भी पढ़ी जानी चाहिए ।

'वयते अद्य ररिमा हि काममुत्तानहस्ता नमसोपसद्य ।

यजिष्टेन मनमा यक्षि देवानस्तेघता मन्मना विप्रो अग्ने । (शु० य० सं० १८।७५)

उन आचार्यों के विचार से यह द्वितीय कामवती ऋचा है । गायत्री आठ अक्षरों वाली होती है । अग्नि गायत्री के स्वभाव के है । अग्नि के परिमाणानुसार वह पूर्व अनाप्त काम की बात करता है । इस प्रकार इन्द्र और अग्नि अपने अनुसार ही अंश प्राप्त करते हैं ।

याजवल्क्य डम मत का खण्डन करते हुए कहते हैं कि वे सात ऋचाएँ अनुष्टुप् क बराबर हैं। इस प्रकार सात ऋचाओं के समूह से ही उस काम की प्राप्ति हो जाती है जिसकी प्राप्ति आठ ऋचाओं से होती है। अतः सात ऋचाओं से ही उपस्थान करना चाहिए। आठ से नहीं ! (शत० ब्रा० ६।५।२।६)

#### (४) स्थानान्तरण विषयक मतभेद

(ऋचाओं को सूक्त से निकाल कर स्थानान्तरण के विषय में मतभेद)

याज्ञिक सम्प्रदाय के अनुसार अश्वर्यु के अन्य सहायक बहिष्पवमान शस्त्र-गान होने पर अश्व को जल से प्रक्षालित करके उसके साथ पवमानार्थ गमन करते हैं जिसका निर्देश पहले (शत० ब्रा० १३।२।३।१) ही चुका है। अश्व को बहिष्पवमान किये जाने वाले स्थान पर कदम-कदम करके ले जाया जाता है। यदि अश्व उस समय शब्द करते हुए नाक से भी शब्द करे अथवा झूम जाय तो यजमान को जानना चाहिए कि उसका यज्ञ समृद्ध हुआ है। अश्वर्यु द्वारा आदिष्ट होकर होता एकादश ऋचाओं (शु० य० सं० २६।१२-२२) से प्रशंसा करता है। इन प्रशंसा परक ऋचाओं का पाठ सामिधेनी ऋचा-पाठ के समान ही होता है। (शत० ब्रा० १३।५।१।१६) प्रथम ऋचा 'यदक्रन्दः प्रथमं जायमानः' के तीन बार, तथा ग्यारहवीं ऋक् 'तव शरीर पतयिष्णवर्न्तवः' के तीन बार आवर्तन से पंचदश संख्या पूरी होती है। यह पंचदश ऋचाओं का समूह वज्रवत् होता है क्योंकि वज्र भी पंचदश होता है। वह वीर्य भी है। इस प्रकार वज्र तथा वीर्य से यजमान पाप को नष्ट करता है। (शत० ब्रा० १३।५।१।१७) अधिगु (धार्मिक प्रार्थना) में मा नो मितो वरुणो अर्यमाहुः (शु० य० सं० २५।२४-४०) सूक्त का पाठ किया जाता है।

कुछ आचार्यों के मतानुसार—

'चतुस्त्रिंशद्वाजिनो देवबन्धोः' (शु० य० सं० २५।४१) इस ऋचा को 'निक्रमण निषदनं विवर्तनम्' (शु० य० सं० २५।२३) के पूर्व रखना चाहिए क्योंकि इस प्रकार प्रणव को अस्थान पर नहीं रखा जाता अर्थात् उस ऋचा को वक्त्री के पूर्व करने पर एक बार पुनः ओ३म् कहने की आवश्यकता न पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि एक वचन के द्वारा बहुवचन (अर्थात् अनेक अश्वों के वक्त्री वचन) का व्यवच्छेद भी नहीं होता है। (अग्न्य जब कि बहुत से पशुओं के लिए कहा गया है, इसे अश्व से पूर्व कर देने पर अश्व के लिए ही कहा जाता है) यदि अधोलिखित ऋचा को—

'चतुस्त्रिंशद् वाजिनो देवबन्धोर्वाङ्कीरश्वस्य स्वधितिः समति ।

अच्छिद्रा गात्रा वयुना कृणोत परुष्परनुघुष्या वि शस्त ॥'

(शु० य० सं० २५।४१)

निक्रमणं निषदनं त्रिवर्तनं यच्च पद्भ्योऽमर्षतः ।

यच्च धर्षी यच्च धार्मिं जथासं सर्वा ता ते अपि देवेष्वस्तु ॥'

(शु०य०सं० २५।३८)

ऋचा के पूर्व रखा जाता है तो ऋचा अपने स्थान पर रखी जाती है ।

याज्ञवल्क्य इन मत की निन्दा करते हुए कहते हैं कि दोनों ऋचाओं (शु०य०सं० २५।२३-२४) की निकालना नहीं चाहिए अपितु 'मा नोमितः' (शु०य० सं० २५।२४) सूक्त की समाप्ति के पश्चात् 'उपप्रागाच्छंसनं वाज्यर्वा' (शु०य० सं० २५।२३) तथा 'उपप्रागात् परमं यत् सधस्थम्' (शु०य०सं० २५।२४) इन दोनों ऋचाओं का अधिगु (धार्मिक प्रार्थना) में प्रक्षेपण कर देना चाहिए । साथ ही साथ 'चतुस्त्रिंदाजिनो देववन्धोः' ऋचा को 'निक्रमणं निषदनं त्रिवर्तनं यच्च पद्भ्योऽमर्षतः' के पूर्व नहीं रखना चाहिए अपितु सम्पूर्ण अधिगु के साथ उस ऋचा का भी पाठ होना चाहिए क्योंकि प्रैषरूपा यह ऋचा प्रणव का आयतन है । (शत०ब्रा० १३।५।१।१८)

(५) विशिष्ट कर्म में मन्त्र की आवश्यकता के विषय में मतभेद

(अग्नि उपस्थानार्थं समन्तकं या अमन्त्रकं विधानं ?)

कुछ आचार्यों के मतानुसार सर्पराज्ञी के तीन मन्त्रों को जपते हुए अग्नि उपस्थान करना चाहिए । वे मन्त्र अधोलिखित हैं—

१—'आयं गौः पृश्निर्ऋमीदसदन्मातरं पुरः ।

पितरं च प्रयन्स्वः ॥' (शु०य०सं० ३।६)

२—अन्तश्चरसि रोचना ऽ स्थप्राणादपानती ।

व्यस्यन्महिषो दिवम् ॥ (शु०य०सं० ३।७)

३—विशदाम विराजति वाक् पतङ्गामधीयते ।

प्रति वस्तोरहः द्युभिः ॥ (शु०य०सं० ३।८)'

इस प्रकार यजमान को सम्मार से, नक्षत्रों से, ऋतुओं से, आधान से जो अप्राप्त रहता है इससे प्राप्त होता है । (शत०ब्रा० २।१।४।२६) दूसरे आचार्यों का मत है कि सर्पराज्ञी-मन्त्र पाठ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सर्पराज्ञी तो यह पृथ्वी ही है । पृथ्वी पर अग्न्याधान होने से वह अपने सभी अभीष्ट को प्राप्त करता है । (शत०ब्रा० २।१।४।३०)



इस विषय में अलग-अलग मन्त्र हा अथवा होम अमन्त्रक ही या एक ही मन्त्र के द्वारा सम्पन्न किया जाय' चरकाध्वर्युओं का मत है कि उपांशुग्रह होम तथा अन्तर्यामि ग्रह होम के लिए अलग-अलग मन्त्र होने चाहिए क्योंकि उपांशु और अन्तर्यामि यजमान के प्राण और उदान हैं। ऐसा करके प्राण और उदान को विभिन्न वीर्यं वाला बनाया जाता है।

याज्ञवल्क्य इस मत का खण्डन करते हुए कहते हैं कि ऐसा करने से यजमान के प्राण और उदान व्याकुल कर दिये जाते हैं। अतः अन्तर्यामि ग्रह का होम अमन्त्रक (बिना मन्त्र के) होना चाहिए। (शत०ब्रा०४।१।२।१६) अथवा जिस मन्त्र से उपांशुग्रह का हवन किया जाता है उसी से अन्तर्यामि ग्रह का भी हवन होना चाहिए। (शत०ब्रा०४।१।२।२०) हवन के समय पढ़ा जाने वाला मन्त्र यह है—

‘स्वांक्रतोऽसि विश्वेभ्य इन्द्रियेभ्यो दिवेभ्यः ।

पाथिवेभ्यो मनस्त्वाऽष्ट स्वाहा त्वा सुभ्रव सूर्याय । [शु०य०सं०७।६]

(ख) शुक्लयजुर्वेद संहिता में अप्राप्य मन्त्र विषयक मतभेद

१—पाठभेद विषयक मतभेद

(सामिधेनी ऋचाओं का पाठ करने वाले के प्रति अध्वर्युकृत सम्प्रपमन्त्र सम्बन्धी मतभेद)

अध्वर्यु पंचदश सामिधेनी ऋचाओं के पठनार्थ होता को ‘अग्नये समिध्यमानायानुब्रूहि’ प्रेषमन्त्र से आदेश देता है। (शत०ब्रा०१।३।५।२) अन्य आचार्यों के मतानुसार ‘अग्नये समिध्यमानाय होतरनुब्रूहि’ कहना चाहिए। उनका विचार है कि जो होता रूप में निर्धारित किया जायगा वही तो सामिधेनी ऋचाओं का पाठ करता है। अतएव उसे सम्बोधित करके कहना चाहिए।

याज्ञवल्क्य द्वितीय मत का विरोध करते हुए कहते हैं कि अभी तो होता अहोता ही है क्यों कि उसका वरण नहीं हुआ। यजमान द्वारा वरण हो जाने पर वह होता बनेगा। अतः अभी उसे होता शब्द से सम्बोधित करना उचित नहीं है। (शत० ब्रा० १।३।५।३)

[प्रातरनुवाक के प्रेषमन्त्र में मतभेद]

सोम के समीपस्थ होता प्रातरनुवाक पाठार्थ आदिष्ट होता है। अग्नि से एक समिधा रखते हुए अध्वर्यु होता को ‘देवेभ्यः प्रातर्याविभ्योऽनुब्रूहि’ (शत०ब्रा० ३।६।३।८) आदेश देता है। ऋषि ने यहाँ पर ‘प्रातर्याविभ्यः’ जोड़ दिया क्योंकि

छन्द देवता हैं और अनुयाज में भी छन्द ही देवता हैं। अतः 'देवान् यज' का प्रयोग किया गया। यदि 'छन्दोदेवान् यज' कहते तो छन्दों के साथ देवता भी आ जाते। उनके व्यावर्तनार्थ अथर्व्यु 'देवेभ्यः प्रातर्यावभ्यो यज' कहता है। अन्य आचार्यों का मत है कि 'प्रातर्यावभ्यो' नहीं कहना चाहिये क्योंकि 'देवेभ्यो ३ नुब्रूहि' पर्याप्त है।

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत के विरोध में कहते हैं कि प्रातःकाल यज्ञ में आगमन करने वाले छन्द देवता हैं। अनुयाज में भी छन्द हैं जो 'देवेभ्यः प्रेष्य देवान्यज' से पूर्ण होता है। अतएव अथर्व्यु को 'देवेभ्यः प्रातर्यावभ्योऽनुब्रूहि' प्रेष मन्त्र कहना चाहिए। (शत० ब्रा० ३।६।३।६)

(अष्टमी ऋक्विषयक मतभेद)

अग्नि प्रज्ज्वलनार्थ पन्द्रह सामिधेनी लकड़ियां होती है। उनका अग्नि में प्रक्षेपण करते समय एकादश सामिधेनी ऋचाओं का पाठ होता है। प्रथम ऋक् को तीन-तीन बार के आवर्तन से सामिधेनी ऋचाएं भी पंचदश होती हैं। उन एकादश सामिधेनी ऋचाओं में अष्टमी ऋक् अधोलिखित है—

'अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् ॥

अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् ॥

अन्य आचार्यों के मतानुसार इस ऋचा का पाठ इस प्रकार होना चाहिए—

'अग्निंदूतं वृणीमहे होता यो विश्ववेदसः

अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् ॥' (शत० ब्रा० १।४।१।३५)

इसकी कारण मीमांसा प्रस्तुत करते हुए उनका कहना है कि यद्यपि होतार द्वितीयान्त पद है तथापि इससे 'होता अरम्' भी ध्वनित होता है। अरम् शब्द अनम् का पर्याय है। 'अरम्' शब्द निवारणार्थ है। अतः होता को अपने निवारण के लिए 'होतारम्' का पाठ नहीं करना चाहिए।

इस मत का निषेध करते हुए याज्ञवल्क्य का कहना है कि 'होता यो विश्ववेदसः' यह पाठ मानुषिक होगा। जो मानुषिक है वह अपूर्ण है। अतः यज्ञ में अपूर्णता न लाने के लिए 'होतारं विश्ववेदसम्' पद का ही अनुवचन करना चाहिए। (शत० ब्रा० १।४।१।३५)

२-मन्त्रक्षयन विषयक मतभेद

(पुरोऽनुवाक्या और याज्या में प्रयुक्त छन्द विषयक मतभेद)

कुछ आचार्यों के मतानुसार स्विष्टकृत् अग्नि के लिए हवन करते समय पुरोनुवाक्या (आहुति कर्म की अवतरणिका के रूप में पढ़ी जाने वाली ऋक्) और याज्या (साक्षात् आहुति कर्म कराने वाली ऋक्) के छन्द दोनों ही त्रिष्टुप् होने चाहिए क्योंकि स्विष्टकृत् यज्ञ का रिक्त स्थान है अतः वह वीर्यहीन है। त्रिष्टुप् छन्द प्रजापति की बलवती बाहुओं से इन्द्र के साथ उत्पन्न होने के कारण इन्द्र सम्बंधी है। अतः वह वीर्य है। यदि पुरोनुवाक्या और याज्या मंत्र त्रिष्टुप् छन्द में होंगे तो अवीर्य (अबल) स्विष्टकृत् में वीर्य की स्थापना होगी। (शत० ब्रा० १।७।३।१७) अन्य आचार्यों के मत से पुरोनुवाक्या और याज्या मंत्र दोनों अनुष्टुप् छन्द में होने चाहिए क्योंकि स्विष्टकृत् याग प्रधानयाग से अतिरिक्त होता है। अतः वास्तु (रिक्तस्थानीय) है तथा अनुष्टुप् छन्द भी गायत्री आदि सवन के छन्दों से अतिरिक्त होने के कारण वास्तु है। अतएव वास्तु में वास्तु स्थापित होता है। पुरोनुवाक्या और याज्या को अनुष्टुप् छन्द में करने से यजमान प्रजा और पशु से समृद्ध होगा क्योंकि वास्तु वृद्धि करने वाला है। (शत० ब्रा० १।७।३।१८)

याज्ञवल्क्य के मतानुसार इन दोनों मतों में से कोई भी एक स्वीकार्य है परन्तु विलोम अपेक्षित नहीं है अर्थात् एक मन्त्र त्रिष्टुप् छन्द में तथा दूसरा अनुष्टुप् छन्द में नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के अनुष्ठान से जो परिणाम हो सकता है उसका निर्देश करते हैं—

भाल्लवेय ने पुरोनुवाक्या को अनुष्टुप् छन्द में तथा याज्या को त्रिष्टुप् छन्द में किया। उनका मन्त्रव्य दोनों की फल प्राप्ति था। परिणाम यह हुआ कि वे एक समय भ्रमण करते हुए रथ से गिर पड़े तथा उनकी बाहु टूट गयी। उन्होंने तर्क से यह निश्चय किया कि अविहित करने के कारण ही यह हुआ। अतः विलोम न करना चाहिए। (शत० ब्रा० १।७।३।१९)

(चातुर्मास्ययागीय पुरोनुवाक्या और याज्या मन्त्र विषयक मतभेद)

ऋग्वेदाचार्यों के मतानुसार चातुर्मास्य के वैश्वदेव पर्व में प्रयुक्त होने वाले पुरोनुवाक्या और याज्या के मन्त्र गायत्री छन्द में, तृणप्रधासपर्व में त्रिष्टुप् छन्द में, महाहवि पर्व में जगती छन्द में तथा शुनासीरीय पर्व में अनुष्टुप् छन्द में होने चाहिए। गायत्री से लेकर अनुष्टुप् तक चारों छन्दों का क्रम से चारों पर्वों में प्रयोग त्रिवृत्, पंचदश, सप्तदश, एकविंश स्तोम चतुष्टय से युक्त सोमयाम की प्राप्ति के लिए है।

याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करते हैं। उनके विचार से प्रत्येक पर्व में क्रमशः चारों प्रकार के छन्द आते हैं। अतः उनमें से प्रत्येक को क्रमशः एक प्रकार के छन्दों से युक्त नहीं करना चाहिए। यदि प्रत्येक पर्व में चारों छन्दों का योग होता है तो एक-एक प्रकार के छन्द करने की आवश्यकता ही कहाँ रही ? (शत०ब्रा० ११।१।२।२)

[अश्वमेधभाग में पर्यङ्ग्य पशुओं के होम सम्बन्धित पुरोनुवाक्या तथा याज्ञ्या मन्त्र विषयक मतभेद]

कुछ आचार्यों का मत है कि अश्व, तूपर, गी तथा मृग की पुरोनुवाक्या औरयाज्ञ्या भिन्न-भिन्न होनी चाहिए। वषा होम के समय, पुरोडाश देने के समय तथा अंग प्रदान के समय भिन्न-भिन्न होनी चाहिए क्योंकि इनके लिए मन्त्र मिल जाते हैं। दूधरों के लिए किसी प्रमन्त्र की प्राप्ति न होने के कारण हम उन मन्त्रों का प्रयोग ही नहीं करते हैं। इस प्रकार पुरोनुवाक्या और याज्ञ्या भेद में ही पशुओं का भेद हो जाता है।

याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करके कहते हैं कि अश्व क्षत्र है, अन्य पशु प्रजा हैं। इस प्रकार करने से प्रजा को क्षत्र के लिए प्रतिस्पर्धाशील तथा प्रत्यन्तशील बनाया जाता है एवं यजमान की आयु भी क्षीण होती है। उनका मत है कि अश्व अकेला प्रजापति से तथा अन्य पशु सामान्य देवताओं से भी सम्बन्धित हैं। प्रजापति के अश्व, तूपर, गोमृग की अलग पुरोनुवाक्या तथा याज्ञ्या होगी। सभी देवत्व पशुओं की भी वही पुरोनुवाक्या तथा याज्ञ्या होगी (तात्पर्य यह कि प्रजापति के पशु तथा देवताओं के पशुओं के लिए अलग पुरोनुवाक्या और याज्ञ्या मन्त्र तथा अन्य (साधारण) पशुओं के लिए अन्य मन्त्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए) (शत०ब्रा० १३।२।२।१५)

(वैश्वानर अग्नि के लिए पुरोडाश देने समय मन्त्र विषयक मतभेद)

वैश्वानर अग्नि के लिए पशु पुरोडाश दिया जाता है क्योंकि वैश्वानर सभी अग्नियाँ हैं। सब अग्नियों की प्राप्ति के लिए वैश्वानर पशु पुरोडाश दिया जाता है। (शत०ब्रा० ६।२।१।३५) इस पुरोडाश को देने का कारण यह है कि वेदी की चित्तियाँ सब ऋतुएं हैं, ऋतुएं अग्नि और संवत्सर हैं तथा संवत्सर वैश्वानर है। 'वैश्वानरः पशुपुरोडाशः' के स्थान पर 'अग्नये वैश्वानराय पशु पुरोडाशः, कहने से सम्बन्ध चोत्तित हो जाता है।

याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करते हुए कहते हैं 'अग्नये ब्रह्मण्ये वासु-  
पुगेडाश' कहना व्यर्थ होगा क्योंकि यह द्वादश कपालों पर पकाया गया एव ही  
पुगेडाश होता है। द्वादश भास ही संवत्सर हैं तथा जो सवत्सर है, वहां वंशवानर  
है। (शत०ब्रा० ६।२।१।३६)

(वैसर्जन होम में अग्नीषोमीय पणयन से सम्बद्ध प्रैष सम्बन्धी मतभेद)

उपयमनी पर जनती हुई अग्नि का पणयन होता है। कुछ आचार्यों के  
मतानुसार अध्वर्यु को इस अवसर पर होता के प्रति 'अग्नये प्रह्लियमाणायानुब्रूहि  
अयवा' 'सोमाय प्रणीयमानायानुब्रूहि प्रैष मन्त्र कहना चाहिए। याज्ञवल्क्य वैकल्पिक  
पक्ष का निषेध करके 'अग्नये प्रह्लियमाणायानुब्रूहि' प्रैष मन्त्र का विधान करते हैं।  
(शत०ब्रा० ३।६।३।६)

(अध्वर्यु द्वारा प्रस्तोता के प्रति प्रयुक्त प्रैष मन्त्र विषयक मतभेद)

धर्मोद्भासन (धर्मपात्रासादन) के प्रति अध्वर्यु मन्त्र महिन (शु०य०स०  
३६।१६) गमन करता है। इस मन्त्र से प्रवर्ण्य तभार ग्रहण कर अध्वर्यु को  
प्रस्तोता के प्रति किस प्रैष मन्त्र का प्रयोग करना चाहिए, इस विषय में कुछ  
आचार्य 'सामगाय' प्रैष मन्त्र का विधान करते हैं। अन्य आचार्यों के मतानुसार  
'साम ब्रूहि' इस प्रैष मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए। (शत०ब्रा० १४।३।१।१०)

याज्ञवल्क्य प्रथम पक्ष का ही निगमन करते हैं। उनके मतानुसार 'साम  
गाय' यही प्रैष मन्त्र कहना चाहिए। (शत०ब्रा० १४।३।१।१०) 'साम ब्रूहि' नहीं  
क्योंकि साम के द्वारा गायन होता है, ऋचा के समान उसे पढ़ा नहीं  
जाता। गीत्यात्मक होने के कारण 'साम गाय' ही कहना चाहिए। साम गमन  
करते समय गाया जाता है जिससे राक्षसी प्रजा तथा राक्षसों से हिंसा न हो।  
अन्य मन्त्रों के होते हुए भी सामगान का कारण यह है कि वह नेत्रोरूप होने में  
राक्षसों का विनाशक है। प्रस्तोता अग्निदेवता सम्बन्धिनी ऋचा—

'अग्निं होतारं मन्ये दास्वन्तं वसुं भूनु सहसो जातवेदस विप्रं न जातवेदसम्  
य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा।

धृतस्य विभ्राष्टिमनु वष्टि गोचिपा जुह्वनस्य सपिपः ॥

[शु० य० सं० १५।४७]

पर सामगान करता है क्योंकि अग्नि राक्षसों का विनाशक है। वह ऋचा  
अति छन्द युक्त होती है। [शत० ब्रा० १४।३।१।११] छन्दों के परिमाण को

पार कर जिस ऋचा का छंद होता है वह अतिछंदा है यह अति छन्द वाली ऋक् सभी छन्दों के रूप वाला है क्योंकि गायत्री आदि उनमें अन्तर्भूत है। अन्य ऋचाओं के गान में अधिक अक्षरों के अन्तर्भाव न होने से सब छन्दों का ग्रहण सिद्ध नहीं होता। अध्वर्यु से प्रेषित पस्तोता को 'अग्निष्टपति पतिदहत्यहावो हाव।' इस स्तोत्र पद का आरम्भ करके साम गान प्रारम्भ करना चाहिए। [शत० ब्रा० १४।३।१।१२]

[अध्वर्युकृत प्रातरनुवाक सम्बन्धी प्रतिगर विषयक मतभेद]

अध्वर्यु को प्रातरनुवाक के पारम्भ से लेकर उसकी समाप्ति तक जागरण करना चाहिए। उसके द्वारा पलकों का गिराया जाना ही प्रतिगर है।

याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करके स्वमत पस्तुत करते हैं कि अध्वर्यु को होता के साथ जागना ही पड़ता है क्योंकि इसके पश्चात् होता प्रातरनुवाक पाठ करता है। यदि अध्वर्यु को पुनः नींद आ जाय तो वह यथेष्ट सो सकता है। उसे होता के प्रातरनुवाक समाप्त करने पर प्रचरणी सुक् में चार बार आज्य लेकर हवन करना चाहिए। [शत० ब्रा० ३।६।३।११]

[माध्यन्दिन सवन में द्यावा पृथिवीय अस्तानन्तर पड़े जाने वाले प्रतिगर के विषय में मतभेद]

इस विषय में याज्ञवल्क्य का मत है कि द्यावापृथिवी के लिए शस्त्र पाठ होता है। अध्वर्यु 'ओ३म्' रस को पावा पृथिवी पर रखता है। क्योंकि धुलोक और पृथ्वी पर ही सम्पूर्ण प्रजा जीवित रहती है। 'ओ३म्' को ही प्रतिगर के रूप में ग्रहण करना चाहिए। वही सत्य है उसे देवता जानते हैं। [शत० ब्रा० ४।३।२।१२] अन्य आचार्यों के मतानुसार 'ओथामो वैववाक्' प्रतिगर का पाठ करना चाहिए क्योंकि प्रतिगर वाणी है इससे वाणी प्राप्त होती है।

याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करते हैं। उनके विचार से चाहे जिस प्रकार वह प्रतिगरण करेगा, वाणी उसके द्वारा प्राप्त होती है। वाणी के द्वारा ही वह प्रतिगरण करता है। इसलिए 'ओ३म्' को ही प्रतिगर बनाना चाहिए क्योंकि वह सत्य है और उसे देवता जानते हैं। (शत० ब्रा० ४।३।२।१३)

(पिण्डपितृ यज्ञ में आश्रावण प्रत्याश्रावण सम्बन्धी मतभेद)

कुछ आचार्यों के मत से आश्रावण और प्रत्याश्रावण न होना चाहिए

अध्वय का श्रौपट के स्थान पर ओमस्वहा, त्रनीघ्न को अस्त स्वहा तथा वषट् के स्थान पर स्वधानम. कहना चाहिए । (शत० ब्रा० २।२।१।२४)

आचार्य आमुरि का मत है कि यज्ञ विधि के अनुरूप कार्य सम्पादनार्थ आश्रावण, प्रत्याश्रावण तथा वषट् होना चाहिए । (शत० ब्रा० २।१।१।२५)

### ३-पाठाधिक्य विषयक मतभेद

(सामिधेनी ऋचाएं और उनके पाठ में मतभेद)

सामिधेनी ऋचाएं एकादश होती हैं आवश्यकतानुसार ऋचाओं के आवर्तन से पंचदश, सप्तदश तथा एकविंश होती हैं । वस्तुतः इनकी संख्या एकादश ही है । इधम (अग्नि प्रज्ज्वलन्तार्थं काष्ठ) अत्रश्य पन्द्रह या सत्रह होते हैं । दर्श पूर्णमास में इधमकाष्ठ पन्द्रह या सत्रह ही होते हैं । सामिधेनी ऋचाओं में से प्रथम ऋचा तथा अन्तिम एकादश ऋचा का तीन-तीन बार आवर्तन करने से उनकी पंचदश संख्या होती है । एकादश सामिधेनी ऋचाएं अधोनिश्चित हैं—

‘प्रवोवाजा अभिषक्तो हविष्मन्तो घृताच्या ।

देवांजिगाति सुम्नयुः । (शत० ब्रा० १।४।१।७) ॥१॥

अग्न आयाहि वीतये शृणानो हव्यदातये ।

निहोता सत्सि वहिषि ॥ (शु०य०सं० ११।४६, शत० ब्रा० १।४।१।७)

॥ २ ॥

तंत्वा समिद्भरंगिरो घृतेन बर्द्धयामसि ।

बृहच्छोचा यविष्ठ्य (शत० ब्रा० १।४।१।२५) ॥३॥

स तः पृथुः श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि ।

बृहदग्ने सुवीर्यम् ॥ (शत० ब्रा० १।४।१।२७) ॥४॥

ईडेन्यो नमस्यस्तिरस्तमांसि प्रशतः ।

समग्निरिध्यते वृषा ॥ (शत० ब्रा० १।४।१।२९) ॥५॥

वृषो अग्निः समिध्यते अश्वो न देववाहनः ।

तंहविष्मन्त ईडेते ॥ (शत० ब्रा० १।४।१।२६) ॥६॥

वृषणं त्वा वयं वृषन् वृषाणः समिधीमहि ।

अग्ने दीद्यतं बृहत् ॥ (शत० ब्रा० १।४।१।३२) ॥७॥

अग्निं दूतं वृणीमहे हीतारं विश्ववेदसम् ।

अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् ॥ (शत० ब्रा० १।४।१।३४) ॥८॥

सामिधेयं तो अश्वरे जग्नि पावक ईश्वर  
 शाशिष्पत्पस्तमामह ॥ (शत० ब्रा० १४।१।३६) ॥६॥

समिद्धो अग्न आहुत देवान् यक्षि स्वश्वर ।  
 त्वहि ह्य्यवाडमि ॥ (शत० ब्रा० १।४।१।३८) ॥१०॥

आहुहोता दुवस्यताग्नि प्रयत्थश्वरे ।  
 वृषीध्वं ह्य्यवाहनम् ॥ (शत० ब्रा० १।४।१।३९) ॥११॥

एकादश सामिधेनी ऋचाओं में से प्रथम ऋचा का तथा एकादश ऋचा का तीन-तीन बार आवर्तन करना चाहिए । इस आवर्तन से यजमान तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करता है । होता तीन बार के आवर्तन से प्राण, अपान और उदान को अविच्छिन्न रखता है । विशेष बात यह है कि प्रथम और एकादश ऋचाओं को तीन-तीन बार एक स्वांस में ही पढ़ना चाहिए । (शत० ब्रा० १।३।५।१३) यदि होता में इतनी शक्ति न हो कि वह एक स्वांस में ही तीन-तीन बार ऋचा का आवर्तन कर सके इस स्थिति में कुछ आचार्यों के मतानुसार होता बीच-बीच में रुक-रुक कर ऋचा का पाठ कर सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है ।

याज्ञवल्क्य उन आचार्यों के मत का खण्डन करते हुए स्वमत प्रतिपादन करते हैं कि बीच-बीच में रुक-रुक कर स्वांस लेने से होता की असमर्थता प्रकट होगी जो निन्दनीय है । (शत० ब्रा० १।३।५।१४) उचित मार्ग का निर्देश करते हुए उनका कथन है कि एक-एक ऋचा के पूर्ण होने पर स्वांस लेना चाहिए । इस प्रकार तीन बार में क्रमशः एक-एक लोक यजमान के लिए प्राप्त किया जाता है तथा यजमान के लिए प्राण धारण किया जाता है । अतः एक-एक ऋचा के बाद ही स्वांस लेना चाहिए । (शत० ब्रा० १।३।५।१५) याज्ञवल्क्य स्वमत पुष्टि के लिए एक अन्य कारण प्रस्तुत करते हैं । गायत्री छन्द में चौबीस अक्षर होते हैं । सामिधेनी ऋचाएँ पंचदश हैं । पंचदश सामिधेनी ऋचाओं में तीन सौ साठ अक्षर वर्ष के तीन सौ साठ दिनों के लिए प्रयुक्त हैं । उन्हें खण्ड करके नहीं पढ़ना चाहिए अन्यथा संबन्ध में व्यवधान पड़ेगा । दिन और रात क्रम से आते हैं उनमें अन्वोन्याश्रय सम्बन्ध है । उसी प्रकार एक सामिधेनी का दूसरी सामिधेनी ऋचा से सम्बद्ध है । (शत० ब्रा० १।३।५।१६)

#### (४) स्थानान्तरण विषयक मतभेद

(सामिधेनी ऋचाओं में अष्टमी ऋक् का निर्धारण एवं दो धाय्या ऋचाओं के स्थान विषयक मतभेद)



ऋषि याज्ञवल्क्य अधोलिखित ऋचा को अष्टमी मानते हैं ।

'अग्निं दूतं वृणीमहे होतार विष्ववेदसम् ।

अस्य यज्ञस्य सुकृतम् ॥' (शत० ब्रा० १।४।१।३४)

एकादश सामिधेनी ऋचाओं में इसे अष्टमी ऋचा मानने का कारण यह प्रस्तुत करते हैं कि गायत्री छन्द में आठ अक्षर होते हैं । अतः इसका स्थान अष्टम होना चाहिए । (शत० ब्रा० १।४।१।३६) जहाँ अष्टदश सामिधेनी ऋचाओं का उल्लेख मिलता है वहाँ दो धाय्या ऋचाएँ और मिला दी जाती हैं । वे इस प्रकार हैं—

१—पृथुपाजा अमर्त्यो घृतनिषिदस्वाहुतः ।

अग्निर्यज्ञस्य हव्यवाट् ॥ (ऋ० सं० ३।२।७।५, मै० सं० ४।१०।१)

२—तं सवाधो यतञ्च इत्था धिया यज्ञवन्तः ।

आचक्रुरग्निमूतये । (ऋ० सं० ३।२।७।६)

कुछ आचार्य इन दोनों धाय्या ऋचाओं को अष्टमी ऋचा के पूर्व रखते हैं । कारण यह प्रस्तुत करते हैं कि ये दो ऋचाएँ मुख रूप हैं । मुख से ही भोजन किया जाता है अतः अष्टमी के पूर्व ही दोनों धाय्या ऋचाओं को रखना चाहिए ।

याज्ञवल्क्य इस मत का खण्डन करते हैं क्योंकि ऐसा करने से अष्टमी ऋचा असमर्थ हो जायगी और उसमें गायत्री का सामर्थ्य नहीं रहेगा । साथ ही वह दसवीं हो जायगी तथा नवीं ऋचा ग्यारहवीं होगी । अपना मत प्रस्तुत करते हुए उनका कथन है कि अष्टमी ऋचा के बाद में दोनों धाय्या ऋचाओं का प्रक्षेपण करना चाहिए । नवीं (समिध्यमानवती) तथा दसवीं (समिध्यवती) ऋचाओं के बीच में दोनों धाय्या ऋचाएँ पढ़ी जानी चाहिए ।

५—विशिष्ट कर्म में मन्त्र की आवश्यकता के विषय में मतभेद

(फलीकरण में शाखान्तर मन्त्र विधि-विरोध)

पुरोडाश (यात्रिकरोटियां) अथवा चरु के लिए यव या व्रीहि को उन्मूलन में भुगत से कडन करके मूर्ध से तुण्ड निकाल दी जाती है । तुण्ड निकालने की क्रिया को 'फलीकरण' कहते हैं । तैत्तिरीय आचार्यों के मतानुसार फलीकरण करते समय देवभ्यः शुन्धध्व देवभ्यः शुन्धध्व' मंत्र को तीन बार पढ़ना चाहिए ।

याज्ञवल्क्य इस मत से असहमत प्रतीत होते हैं । उनका मत है कि हविष् ग्रहण करते समय अध्वर्यु के द्वारा 'अग्नये जुष्टं गृह्णामि' कहा गया था

यदि इस समय देवैभ्य शुधध्व कहा गया त वह हविष् सब देवों के लिए हाथा । फलतः उनमें कलह होगा । अतः फलीकरण करते समय किसी मन्त्र का प्रयोग न करना चाहिए । (शत० ब्रा० १।१।४।२४) ।

### (४) विधि विषयक मतभेद

#### (क) समय विषयक मतभेद

#### १—हविर्यज्ञसमय विषयक मतभेद

(अग्न्याधान के अनुष्ठानार्थ समय सम्बन्धी मतभेद)

'अग्न्याधान अमावास्या में ही अनुष्ठित होता चाहिए ।' इस पक्ष को लेकर याज्ञवल्क्य कहते हैं कि दर्शपूर्णमासादि यज्ञात्मक प्रजापति सवत्सर है क्योंकि संवत्सर में द्वादश मास तथा पाच ऋतुएँ होने से सप्तदश सख्या पूर्ण होती है । प्रजापति भी सप्तदश अंग वाले हैं । अमावास्या की रात्रि संवत्सर का द्वार तथा चन्द्रमा इसका पिधान है । (तिरोधायक है) चन्द्रमा अमावास्या में रहता नहीं अतः द्वार अनावृत ही रहना है । उस द्वार से यज्ञ में प्रवेश सुकर होता है । अमावास्या में आधान करने वाले व्यक्ति को दोनो आयतनों में आहवनीय और गार्हपत्य अभिनयों को स्थापित करना चाहिए । अमावास्या में आधान करना अनावृत द्वार से पुर में प्रविष्ट होकर स्वर्ग में पहुँचने के समान है । यज्ञावरोधक चन्द्र के अदर्शन रूप पिधान के अनावृत रहने से आधान सम्पादन करके अमावास्या रूप द्वार में यज्ञ में प्रविष्ट होकर संवत्सरात्मक यज्ञ-द्वार से स्वर्ग लोक में प्रवेश होता है । (शत० ब्रा० १।१।१।२) ।

तैत्तिरीयकों के मतानुसार कृत्तिका आदि नक्षत्रों में अग्न्याधान करना चाहिए ।

याज्ञवल्क्य इस मत का खण्डन करते हैं कि जो यजमान कृत्तिकादि किसी नक्षत्र में आधान करता है वह उसी प्रकार करता है जैसे कि कोई लौकिक मनुष्य द्वारवर्जित प्रदेश से नगर में प्रवेश करना चाहे और उस बक्रपुर में प्रविष्ट न हो सके । उस यजमान का नक्षत्राधान भी इसी प्रकार होता है । (शत० ब्रा० १।१।१।३) आधान के दिन चन्द्र-दर्शन होने के कारण अमावास्या रूप द्वार के आवृत होने से उस यजमान का यज्ञ में प्रवेश दुष्कर है । याज्ञवल्क्य स्वमत पुष्टि के लिए अमावास्या की प्रशंसा करते हैं । अमावास्या को ही उपवास (आधान, सम्भार-सम्भरण करके गार्हपत्य आयतन के समीप, यजमान का अवस्थान) करना चाहिए । अमावास्या को महत्त्व देने का कारण है कि चन्द्रमा अमावास्या को इस लोक में आते हैं और उसी दिन यज्ञ-भूमि में निवास करते हैं । (शत० ब्रा०

११।१।१।१४) चन्द्रमा उस दिन यहाँ रहते हैं। अतः सब देव, सब प्राणी, सब देवता, सब ऋतुएं, सब स्तोम, सब पृष्ठ और सब छन्द भी रहते हैं। (शत० ब्रा० ११।१।१।१५) जो अमावास्या को आधान करता है वह उक्त सब के लिए अग्न्याधान सम्पन्न करता है। (शत० ब्रा० ११।१।१) वैशाख मास की अमावास्या को अग्न्याधान करना चाहिए। वह वैशाखी अमावास्या रोहिणी नक्षत्र से युक्त होती है। वैशाखी पूर्णमासी को विशाखा नक्षत्र, उसके पश्चात् पन्द्रह नक्षत्रों के परिगणन के बाद अमावास्या में रोहिणी होती है। रोहिणी का अर्थ आत्मा, प्रजा और पशु होता है। अतः रोहिणी में आधान करने से यजमान, आत्मा, प्रजा तथा पशु में प्रतिष्ठित होता है। अमावास्या अग्न्याधेय का रूप है। अतः उस यजमान को अमावास्या में ही अग्न्याधान करना चाहिए। पौर्णमास में अन्वारम्भण तथा अमावास्या को दीक्षा संस्कार करना चाहिए। (शत० ब्रा० ११।१।१।१७)

(अग्न्याधानार्थ अग्निमन्थन समय विषयक मतभेद)

कुछ आचार्यों के मतानुसार अग्निमन्थन सूर्योदय से पूर्व अर्थात् उषः काल में करना चाहिए तथा गार्हपत्यागार से आहवनीयागार में सूर्योदय के पश्चात् अग्निप्रणयन करना चाहिए। उनका विचार है कि इस प्रकार दिन और रात दोनों का कर्मद्विगुरुप से ग्रहण होता है तथा प्राण, उदान एवं मन और वाणी की प्राप्ति होती है।

याज्ञवल्क्य इस मत का खण्डन करते हैं और सूर्योदय के पश्चात् अग्निमन्थन सम्पादनार्थ मत व्यक्त करते हैं। उनके विचार से यदि सूर्योदय से पूर्व अग्निमन्थन किया जाता है और सूर्योदय के पश्चात् अग्निप्रणयन होता है तो सूर्योदय से पूर्व अग्निमन्थन करने वालों की गार्हपत्य आहवनीय दोनों अग्नियों का आधान सूर्योदय से पूर्व ही हो जाता है। सूर्योदय के पश्चात् सम्पन्न होने वाला अग्निमन्थन अधिक फल प्रदान करता है। (शत० ब्रा० २।१।४।८)

(अग्न्याधेय का अन्त पूर्णाहुति तक मानना चाहिए अथवा उत्तराहुतियों तक)

कुछ आचार्यों के मतानुसार पूर्णाहुति करके उत्तराहुति का आदर न करना चाहिए क्योंकि पूर्णाहुति से अभीष्ट प्राप्त हो जाता है। (शत० ब्रा० २।२।१।५) अन्य आचार्यों के मतानुसार उत्तराहुति की भी आवश्यकता है। बिना उत्तराहुति के अग्न्याधेय अपूर्ण होता है। उत्तराहुतियाँ तीन होती हैं—१—अग्निपवमान के लिए, २—अग्निपावक के लिए तथा ३—अग्निशुचि के लिए।

अध्वर्यु अग्निपवमान के लिए हविष् निर्वाप करता है। पवमान अग्नि प्राण है। इस प्रकार अध्वर्यु यजमान में प्राण की स्थापना करता है। प्राण का अर्थ

अन्न है और यह आहुति भी अन्न है। (शत० ब्रा० २।२।१।६) इसके पश्चात् अध्वर्यु अग्निपावक के लिए हविष् प्रदान करता है। पावक का अर्थ अन्न है। इस प्रकार अध्वर्यु यजमान में अन्न को रखता है। यह आहुति सचमुच अन्न ही है। (शत० ब्रा० २।२।१।७) तत्पश्चात् अध्वर्यु अग्निशुचि के लिए आहुति देता है। शुचि वीर्य है, इस प्रकार वह यजमान में वीर्य रखता है क्योंकि अग्नि में उस हविष् के हवन करने से उस वीर्य का प्रकाश तेज हो जाता है। (शत० ब्रा० २।२।१।८)।

ब्रह्मवादियों के विचार से पूर्णाहुति से जो फल प्राप्त होता है उसकी प्राप्ति के लिए उत्तराहुतियाँ होती हैं तो इन उत्तराहुतियों का उपयोग ही क्या है? इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य का कथन है कि उत्तराहुतियों को अवश्य करना चाहिए क्योंकि जो परोक्ष कामना थी वह उत्तराहुति से प्रत्यक्ष हुई। (शत० ब्रा० २।२।१।९) पूर्णाहुति के द्वारा अग्नि में जिन प्राण, अन्न और वीर्य का धारण किया जाता है, वह परोक्ष-सा होता है। पवमान इष्टियों के द्वारा वह प्रत्यक्ष ही किया जाता है क्योंकि पवमान, पावक और शुचि शब्दों से प्राण, अन्न और वीर्य का प्रतिपादन होता है। अतः इन पवमान इष्टियों को नियम पूर्वक सम्पन्न करना चाहिए। अध्वर्यु अग्नि पवमान के लिए इसलिए हविष् देता है कि पवमान प्राण है। जब शिशु उत्पन्न होता है, प्राण उसमें रहता है और जब तक वह उत्पन्न नहीं होता तब तक माता के प्राण से प्राण धारण करता है। अध्वर्यु उत्पन्न हुए शिशु में प्राण प्रतिष्ठा करता। (शत० ब्रा० २।२।१।१०) अग्नि पावक को हविष् प्रदान करने का कारण यह है कि पावक का कार्य है अन्न। इस प्रकार उत्पन्न होने पर शिशु में अन्न की स्थापना होती है। (शत० ब्रा० २।२।१।११) अग्नि शुचि को हविष् प्रदान करने का कारण यह है कि शुचि का कार्य है वीर्य। जब यह शिशु अन्न की सहायता से बढ़ता है तब उसमें पावक होता है। अग्निशुचि के लिए हविष् प्रदानानन्तर शिशु में कान्ति तथा आभा की स्थापना की जाती है (शत० ब्रा० २।२।१।१२)।

इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला कि पूर्णाहुति के पश्चात् उत्तराहुति का सम्पादन होना चाहिए।

(पौर्णमास याग सम्बन्धिनी उपवास तिथि के विषय में मतभेद)

याज्ञवल्क्य के मतानुसार यजमान को पौर्णमासी तिथि के पूर्व ही (शुक्ल चतुर्दशी का) उपवास करना चाहिए। (शत० ब्रा० १।६।३।३१) अन्य आचार्यों के मत से यजमान को पूर्णमासी के दिन अर्थात् याग के ही दिन उपवास करना चाहिए क्योंकि जो पूर्णमासी को उपवास करते हैं वे अपने को किसी के

सघष मे मालते हैं और जब दो व्यक्ति सघष मे आते हैं तब वस्तुन यह समझ होना है कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। दूसरे दिन उपवास करने वाला उसी प्रकार करता है जैसे कि कोई व्यक्ति पीछे भागते हुए शत्रु को आहत करे। जब कि वह शत्रु उसका प्रतिकार भी नहीं कर पाता। (शत० ब्रा० १।६।३।३३) याज्ञवल्क्य प्रथम मत का मण्डन तथा द्वितीय मत का खण्डन करते हैं। यजमान को पूर्णमासी के पूर्व ही उपवास करना चाहिए। जो द्वितीय दिन उपवास करता है वह दूसरे द्वारा मृत किये गये व्यक्ति का हतन करता है। वह दूसरे के द्वारा किये गये कार्यों का अनुकरणमात्र करता है। (शत० ब्रा० १।६।३।२४) स्वमत पुष्टि के लिए आख्यायिका प्रस्तुत करते हैं :—

प्राचीन समय मे प्रजा की उत्पत्ति करने वाले प्रजापति के शरीर की गान्ध-सधियाँ अलग हो गयीं। वर्ष में ही सभी प्रजाओं की उत्पत्ति होने के कारण सवत्सर ही प्रजापति है और उस कालात्मक प्रजापति की प्रातः और सायंकाल, पूर्णमासी तथा अमावास्या एवं वसन्त, ग्रीष्म आदि ऋतुओं के प्रारम्भ ये सभी गान्ध संधियाँ खुल गयीं। (शत० ब्रा० १।६।३।३५) विलग हुई संधियों द्वारा प्रजापति उनका संघटन करने में असमर्थ रहा। देवताओं ने पूर्णमासयाग में दिय जाने वाले हविष् के द्वारा प्रजापति की दवा-दारु की। अग्निहोत्र के द्वारा दिन राति के संधिस्थलों (प्रातः एवं सायं को) जोड़ दिया। पूर्णमास तथा दर्शयाग के द्वारा पूर्णमासी और अमावास्या को मिला दिया। चातुर्मास्य की तीन आहुतियों से ऋतुओं के मुख (प्रारम्भ) को जोड़ दिया। (शत० ब्रा० १।६।३।३६) परिणाम यह हुआ कि वह कलात्मक प्रजापति सुदृढ़ पर्वों वाला भोजनार्थ (जो इस अवसर पर प्रजापति को किया जायगा) स्वयं ही उठ खड़ा हुआ। जो इसे जानते हुए पूर्णमासी पहले उपवास करता है वह प्रजापति की गान्ध संधियों को यथा समय जोड़ता है और प्रजापति उस अनुग्रह करते हैं। इस प्रकार पूर्व पूर्णमासी का उपवास करने वाला प्रजापति के समान अन्नोपभोक्ता होता है। अतः पूर्णमासी के पूर्व ही उपवास करना श्रेयष्कर है। (शत० ब्रा० १।६।३।३७)।

(दर्शयागीय उपवास तिथि विषयक मतभेद)

इस विषय में एक मत यह है कि चतुर्दशी युक्त अमावस्या को उपवास करना चाहिए क्योंकि द्वितीय दिन चन्द्रदर्शन होगा ही नहीं अतः चन्द्रदर्शन रहित दिन में उपवास करना अनुचित होगा। चन्द्रमा देवताओं का अक्षीण अंग है अतएव जिस प्रकार यह क्षीण न हो वैसे ही करना चाहिए। जब चन्द्राख्य अन्न दृष्टिगत नहीं होता (अर्थात् समाप्त हो जाता है) तब उसके स्थान पर हम इस लोक से 'देवताओं को अन्न भेजेंगे' यह प्रतिज्ञा की जाती है। अतः चतुर्दशी युक्त अमावस्या को ही उपवास करना चाहिए।

याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करते हैं। उनका मत है कि जब चन्द्र का दर्शन न हो अर्थात् अमावास्या को ही उपवास करना चाहिए। (शत० ब्रा० १।६।४।१४) उस दिन सोम राजा पृथ्वी पर आगमन करते हैं। अतः दिखायी नहीं पड़ते। वे ओषधियों में वास करते हैं। पशु ओषधि भक्षणान्तर दूध देते हैं। उसी प्रकार ये ओषधियाँ ही आहुति रूप हैं और यह दूध ही सोम राजा है। यह एक आख्यायिका से स्पष्ट है कि सोम इस रात्रि में यहाँ आकर ओषधियों में प्रविष्ट हो जाते हैं। बाद में दृष्टिगत होते हैं। (शत० ब्रा० १।६।४।१५) दूसरी बात यह है कि देवताओं का अन्न क्षीण नहीं होता। इसी तरह जो आगामिनी इष्टि सम्पादनार्थ चन्द्र रहित अमावास्या को उपवास करता है अथवा जो इस बात को जानता है उन दोनों का कल्याण होता है। (शत० ब्रा० १।६।४।१६)

(पौर्णमास तथा दर्शयाग सम्पादन की अवधि के विषय में मतभेद)

इस विषय में दो पक्ष हैं—प्रथम पक्ष यह है कि यजमान को आजीवन दर्श-पूर्णमास यागों से यज्ञ करना चाहिए। द्वितीय पक्ष यह है कि तीस वर्ष तक दर्शपूर्णमास याग करना चाहिए। इसी द्वितीय पक्ष का निगमन किया गया है। याज्ञवल्क्यीय सम्प्रदाय के अनुसार जो लोग पूर्णमास तथा दर्शयाग करते हैं वे दौड़ लगाते हैं। जिनमें समय में वह दौड़ पूरी हो जाय उतने समय तक पूर्णमास तथा दर्शयाग करना चाहिए। पन्द्रह वर्ष तक दर्शपूर्णमास याग करना चाहिए क्योंकि पन्द्रह वर्षों में तीन सौ आठ पूर्णमास तथा दर्श होते हैं (एक सौ अस्सी पूर्णमास तथा उतने ही दर्श) एक वर्ष में तीन सौ आठ रात्रियाँ होती हैं। इस प्रकार यजमान रात्रियों को प्राप्त करता है। (शत० ब्रा० १।१।१।२।१०) इन पन्द्रह वर्षों के बाद पुनः पन्द्रह वर्ष तक दर्श पूर्णमास करना चाहिए। पन्द्रह वर्षों में तीन सौ साठ पूर्णमास तथा दर्श होते हैं। एक वर्ष में तीन सौ साठ दिन होते हैं। इस प्रकार यजमान दिनों को और स्वयं संवत्सर को भी प्राप्त करता है। (शत० ब्रा० १।१।१।२।११) संवत्सर प्राप्ति से ही देव अमर्त्य हुए हैं। संवत्सर प्राप्ति से ही दर्शपूर्णमासयागी का सुकृत क्षयरहित होता है। (शत० ब्रा० १।१।१।२।१२)

इनसे अवगत हुआ जो व्यक्ति तीस वर्ष तक दर्शपूर्णमासयाग करता है वह दौड़ लगाने वालों में एक होता है। दाक्षायण यज्ञ करने वाले यजमान को पन्द्रह वर्ष तक ही दर्शपूर्णमास याग सम्पादन करना चाहिए क्योंकि यह यजमान प्रति-मास दो पौर्णमास याग तथा दो अमावास्या करता है जिससे वह पूर्णता उसमें आ जाती है। (शत० ब्रा० १।१।१।२।१३)

(साकमेध पर्व में पूर्णद्व्याख्य कर्म सम्बन्धी हवन के समय में मतभेद)

प्रातःकाल अग्निहोत्र की समाप्ति पर अथवा उसके पूर्व होमार्थ समन्तक हविर्गृहण का विधान । दर्वी के द्वारा कुम्भी से अधोलिखित मन्त्र पढ़कर हविर्गृहण किया जाता है ।

पूर्णा दर्वि परापत सुपूर्णा पुनरापत ।

वस्तेव बक्रीणावहा इपमूर्जं शतक्रतो ॥

(शु०य०सं० ३।४०, शत०ब्रा० २।१।३।१७)

आहुति-ममय के विषय में कुछ आचार्यों का मत है कि अध्वर्यु यजमान को ऋषभ (बल) से शब्द कराने के लिए आदेश दे । ऋषभ के ध्वनि करने पर हवन करना चाहिए । उसका शब्द ही वषट्कार है और वषट्कार के अनन्तर ही हवन सम्पन्न होता है ।

याज्ञवल्क्य का मत है कि यह ऋषभ ध्वनि वषट्कार नहीं है वह इन्द्र का रूप ही है जिससे वृद्ध-वध के लिए इन्द्र का आह्वान किया जाता है । यदि ऋषभ शब्द करता है तो जानना चाहिए कि यज्ञ में इन्द्र का आगमन हो गया और यज्ञ इन्द्रसहित हो गये । यदि ऋषभ शब्द नहीं करता तो दक्षिण दिशा में स्थित ब्रह्मा को अध्वर्यु से 'जृहुधि' कहना चाहिए जो इन्द्र की वाणी है । (शत०ब्रा० २।१।३।१८) हवन अधोलिखित मन्त्र से सम्पन्न होना चाहिए :—

देहि ते ददामिते, नि मे धेहि नि ते दधे ।

निहारं च हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहा ॥

(शु०य०सं० ३।५०, शत०ब्रा० २।१।३।१९)

(पशुबन्ध की दक्षिणा के सम्बन्ध में मतभेद)

एक शाखा के आचार्य वपा-होम के अनन्तर तथा पशुपुरोडाश इष्टि के पूर्व ही पशुबन्धभूत दक्षिणा (जिसमें किसी पशु या गाय का सिर तथा अन्य वस्तुएँ रहती हैं) देने का विधान करते हैं ।

याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करते हैं । उक्त मत पर आक्षेप करते हुए उनका कथन है कि इस समय दक्षिणा ले आते हुए यजमान से कोई अभिज्ञ यह कह सकता है कि 'यह यजमान प्राणी से बाह्य देश में दक्षिणा ले आया । उस दक्षिणा से प्राणी की वृद्धि नहीं की ।' इस स्थिति में यजमान या तो अंधा हो जायगा या ज़मी अथवा बहरा हो जायगा अथवा एकांगवाद से शुष्क अर्ध शरीर-वाला होगा । (शत० ब्रा० १।७।२।४) याज्ञवल्क्य अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि वपा याग के अनन्तर पशु पुरोडाशीय इष्टोपाह्वान के पश्चात् दक्षिणा ले आनी चाहिए । मध्य शरीर में वर्तमान प्राण इन्द्र देवता से सम्बन्धित है । इस

प्रकार मध्य (मध्यम नमस्वन) से ले आयी जाती हुई दक्षिणाओं के द्वारा इन्द्र बलवान् बनाये जाते हैं क्योंकि वह सबल तो पूर्णरूपेण उन्हीं का है जैसा कि श्रुति से प्रकट है।

'प्रातः सुतमपिबो ह्यंश्य माध्यंदिनं सवनं केवलं ते।' (ऋ० सं ४।२५।७)  
सोमयाग के माध्यन्दिन सवन में ही ऋत्विजों को दक्षिणा दी जाती है। अतः माध्यन्दिन सवन के रूप से संस्तुत पुरोडाश तथा इडा के हवन किये जाने पर दक्षिणा ले आनी चाहिए। (शतपथ ब्राह्मण १।७।२।५)

## २—सोमयागीय समय विषयक मतभेद

(वाग्विसर्जनार्थ समय विषयक मतभेद)

तैत्तिरीय आचार्यों के मतानुसार दीक्षित यजमान को प्रथम नक्षत्र (तारा) दृष्टिगत होने पर वाग्विसर्जन करना चाहिए क्योंकि उस समय सूर्य पूर्णरूपेण हो जाता है।

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत से सहमत नहीं है। उनका तर्क है कि जब आकाश में मेघ होंगे और एक भी नक्षत्र नहीं दृष्टिगत होगा तब अनुष्ठाता लोग दीक्षित (यजमान) से वाग्विसर्जन कैसे करा पाएँगे? अतः दीक्षित को सूर्यास्त का ज्ञान होने पर वाग्विसर्जन करना चाहिए। (शत० ब्रा० ३।२।२।५)

(सोमयाग में एकादशयूप प्रतिष्ठापन के समय में मतभेद)

इस विषय में अभिज्ञों के दो मत हैं—प्रथम मत के अनुसार सब यूपों को सुत्या के पूर्व दिन ही प्रतिष्ठापित कर देना चाहिए। (शत० ब्रा० ३।७।२।३)

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत का निषेध तथा द्वितीय मत का प्रतिपादन करते हैं साथ ही साथ प्रथम मत के दोषपूर्ण होने का कारण भी प्रस्तुत करते हैं। सुत्या के पूर्व दिन उत्तरदेदी की प्राची दिशा में स्थित अग्नि-सोमीय पशु के लिए एक ही यूप प्रतिष्ठापित किया जाता चाहिए क्योंकि अध्वर्यु इस यूप के प्रतिष्ठापित हो जाने पर इसका स्पर्श रक्षना बन्धन के समय तक किये रहता है। सुत्या के पूर्व दिन सब यूपों का साथ ही प्रतिष्ठापन हो जाने से एक (जिसे अध्वर्यु स्पर्श किये रहता है) के अतिरिक्त अन्य सब यूप रात्रि पर्यन्त नग्नावस्था में ही रहते हैं। इस प्रकार पुरातन मत की निन्दा हो गयी। पशुओं का आलम्बन द्वितीय दिन (प्रातः) होने से अध्वर्यु के द्वारा अन्य यूप द्वितीय दिन प्रातःकाल में प्रतिष्ठापित किये जाने चाहिए। (शत० ब्रा० ३।७।२।४)



(अतिग्राह्य ग्रहों के ग्रहणार्थ समय विषयक मतभेद)

याज्ञवल्क्य ने सर्वप्रथम अतिग्राह्य ग्रहों की नामकरण विषयक अनूठी कहानी कटककर ग्रहण से लाभ, तत्पश्चात् इनके ग्रहण के समय का भी निर्देश किया है। पहले सब देव समान (एक से) थे। सब अच्छे थे उनमें तीन देवों ने सोचा कि हम श्रेष्ठ हो जायें। (शत० ब्रा० ४।१।४१) वे अर्चना करते हुए तथा परिश्रम करते हुए बढ़ते गये। तत्पश्चात् उन्होंने अतिग्राह्य ग्रहों का अवलोकन किया। उन्होंने उसे अपने लिए सब ओर से ग्रहण किया। अतः उन ग्रहों का नाम 'अतिग्राह्य' पड़ा। वे तीनों (अग्नि, इन्द्र और सूर्य) देवता श्रेष्ठ बन गये और आज भी श्रेष्ठ बने हुए हैं। इसे जानते हुए जिस व्यक्ति के ग्रहों का ग्रहण किया जाता है वह भी श्रेष्ठ बन जाता है। (शत० ब्रा० ४।१।४२) इस ग्रह-ग्रहण के पूर्व न तो अग्नि में वह तेज था (शत० ब्रा० ४।१।४३) इन्द्र में यह बल नहीं था (शत० ब्रा० ४।१।४४) सूर्य में वह प्रताप नहीं था (शत० ब्रा० ४।१।४५) जो अब है। उन देवों ने ग्रह को अपने लिए आहरण किया और उनमें क्रमशः तेज, बल और प्रताप आ गया। इसे जानते हुए जिस यजमान के लिए इन सोम ग्रहों का ग्रहण होता है वह तेल और वीर्य को अपने में धारण करता है। (शत० ब्रा० ४।१।४५) इन ग्रहों के ग्रहण समय में मतभेद है—प्रथम मत के अनुसार अतिग्राह्य ग्रहों को प्रातः सवन में आग्रयण ग्रह के पश्चात् ग्रहण करना चाहिए क्योंकि आग्रयण आत्मा है और उस आत्मा के अनेक भाग हैं जैसे क्लाम, हृदय तथा अन्य भाग। (शत० ब्रा० ४।१।४६) दूसरे मत के अनुसार माध्यन्दिन में उक्तग्रह के पश्चात् ग्रहण करना चाहिए।

याज्ञवल्क्य का कथन है कि यह केवल मीमांसा ही है। इन अतिग्राह्य ग्रहों को प्रातः सवन में आग्रयण ग्रह के अनन्तर ही ग्रहण करना चाहिए। (शत० ब्रा० ४।१।४७) पृथ्वी, षडह में प्रथम तीन दिनों में उनका ग्रहण होना चाहिए। प्रथम दिन आग्नेय ग्रह, द्वितीय दिन ऐन्द्रग्रह तथा तृतीय दिन सौर्यग्रह का ग्रहण किया जाता है। (शत० ब्रा० ४।१।४९) अन्य आचार्यों के मतानुसार अन्तिम तीन दिनों में अतिग्राह्य ग्रहों का ग्रहण होना चाहिए।

याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करके स्वस्त प्रस्तुत करते हैं—प्रथम तीन दिनों में ग्रह-ग्रहण होना चाहिए। यदि अन्तिम तीन दिनों में ही ग्रह-ग्रहण करना हो तो पूर्व के तीन दिनों में ग्रहण करने के पश्चात् अन्तिम तीन दिनों में भी ग्रह-ग्रहण सम्पन्न होता चाहिए। (शत० ब्रा० ४।१।४९) निष्कर्ष यह निकला कि पृथ्वी, षडह, विश्ववजित तथा एकाह में इन ग्रहों को ग्रहण करना चाहिए।

(सप्तपहविषों में मुख्य तीन हविषों का निवारणकाल विषयक मतभेद)

कुछ आचार्यों के मतानुसार अष्टम्यु को उपसत्याम प्रतिपादन के समय सप्त हविषो मे से मुख्य तीन हविषों का निर्वाप करना चाहिए। उन तीन हविषो मे से प्रथम हविष अग्नि देवतार्थ अष्टाकपालपुरोडाश, द्वितीय हविष् सोमदेवतार्थ चरु तथा तृतीय हविष् विष्णु देवतार्थ त्रिकपालपुरोडाश अथवा चरु हैं। (शत० ब्रा० ५।४।५।१६)।

याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करते हैं। उनके मतानुसार सप्तम, अष्टम तथा नवम दिन उपसद का अनुष्ठान करके उसके अन्त में अग्नि, सोम तथा विष्णु देवता के लिए तीनों संसृष हविषो का निर्वाप करना चाहिए। (शत० ब्रा० ५।४।५।१७)।

(पश्वालम्भन के समय में मतभेद)

अग्निचित्या में प्रजापति को दिये जाने वाले पशु का आलम्भन पूर्णमासी को होना चाहिए। कुछ आचार्यों के मतानुसार अग्निचित्या में प्राजापत्य पशु का आलम्भन अमावास्या को होना चाहिए क्योंकि चन्द्रमा प्रजापति है। अमावास्या की रात्रि में वह इन पृथ्वी पर निवास करता है। अतः उक्त तिथि आलम्भन होने से समीप में स्थित रहते हुए ही प्राजापत्य पशु का आलम्भन होता है। (शत० ब्रा० ३।२।२।१६)

याज्ञवल्क्य निर्दिष्ट आचार्यों से सहमत नहीं है। उनका मत है कि पश्वालम्भन पूर्णमासी को ही होना चाहिए क्योंकि वह पशु चन्द्र है और देवता उम पशु रूप चन्द्र का आलम्भन पूर्णमासी को ही करते हैं। यजमान सोचता है कि मैं भी उसी समय पश्वालम्भन करूँगा जिस समय देवता पश्वालम्भन करते है। पूर्णमासी प्रकाशार्थ प्रथम थी अतः पूर्णमासी को ही आलम्भन होना चाहिए। (शत० ब्रा० ६।२।१।१७) यह आलम्भन फाल्गुनी नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा में होना चाहिए। उत्तरा फाल्गुनी सवत्सर की प्रथम रात्रि होती है तथा फाल्गुनी अन्तिम रात्रि। अतः उत्तरा फाल्गुनी की पूर्णमासी में किया गया पश्वालम्भन सवत्सर के प्रारम्भ में ही सम्पन्न होता है। (शत० ब्रा० ६।२।२।२।१८) इन्द्र वृत्र पापी का हनन करके प प से मुक्त होकर इस याज्ञिक कर्म (पशुयाग) में संलग्न हुए थे। उसी तरह यजमान भी पूर्णमासेष्टि सम्पन्न करके वृत्र पापी का हनन मुक्त होकर इस पवित्र कार्य में संलग्न होता है। (शत० ब्रा० ६।२।२।१९)

(प्राजापत्य पशुओं की वषा प्रचरण एवं वषा हविष तथा प्राकृत पशुओं क वषा हविष के साथ होम के समय में मतभेद)

कुछ आचार्यों के मतानुसार प्राजापत्य पशुओं के सम्बन्ध में विधान क्रम यह

है कि माध्यन्दिन सवन में मैत्रावरुण के द्वारा वामदेव्य साम का अनुष्ठान किये जाने पर पशुओं की वपाओं के साथ प्रचरण (प्रस्थान) करना चाहिये क्योंकि वामदेव्य प्रजनन है और प्रजापति का भी अर्थ प्रजनन होता है। तथा ये पशु प्रजापति से सम्बन्धित हैं। (शत० ब्रा० ५।१।३।१२) अनुयाज की समाप्ति पर चव सुक्-व्यूहन न हुआ हो, उन पशुओं के मुख्य हवियों के साथ प्रस्थान किया जाता है। तृतीय सवन में अनुयाज याग के अनन्तर जुहू और उपभृत् व्यूहन के पूर्व ही प्राजापत्य हवियों का याग करना चाहिए क्योंकि वह समय सवनीय में दिये जाने वाले यज्ञों की अवधि है। प्रजापति सर्वोत्तम है। अतः वही अन्त है। अन्त रूप उस समय में किये जाने वाले हविय के होम से यजमान प्रजापति को जीतता है। यदि उक्त समय के पूर्व ही वपा के साथ प्रचरण किया जाता है तो यह व्यर्थ ही है। जैसे कि लोक में देखा जाता है कि पुरुष लक्ष्य देश को पहुँच कर अन्यत्र गमन नहीं करता। उसी प्रकार होमकरण के फलस्वरूप प्रजापति की प्राप्ति हो जाने पर अतिरिक्त कर्मानुष्ठान निष्फल होंगे। अतः अनुयाज के अन्त में, सुक्व्यूहन के पूर्व पशु हविर्होम करना चाहिए। (शत० ब्रा० ५।१।३।१३) याज्ञवल्क्य इस मत का निरर्थक करने है उनका कथन है कि इस प्रकार के अनुष्ठान से यजमान यज्ञपथ से अलग होता है। अन्य पशुओं की वपाओं के साथ जिस समय प्रचरण (प्रस्थान) किया जाता है उसी समय इन प्राजापत्य पशुओं के साथ भी प्रचरण करना चाहिए। जब अन्य पशुओं के मुख्य हविय के साथ ऋत्विज प्रचरण करते हैं उसी समय इन पशुओं के हविय के साथ प्रचरण करना चाहिए। यहाँ केवल एक अनुयाज होता है तथा एक याज्या क्योंकि ये सब हविय एक देवता से सम्बन्धित हैं। (शत० ब्रा० ५।१।३।१४) अध्वर्यु मैत्रावरुण को अनुयाज पाठ के लिए आदेश देता है जो अधोलिखित है।

‘प्रजापतये (उपांशु) छागाना हविषः अनुब्रूहि’ (छांगों की हविष् के लिए अनुयाज मन्त्र का पाठ करो) तत्पश्चात् मैत्रावरुण प्रथमन्त्र कहता है जो इस प्रकार है—

‘प्रजापतये (उपांशु) छागानां हविः प्रस्थितं प्रेधयं’ (प्रजापति के लिए छांगों की प्रस्तुत हवि को भेजो) जैसे ही वषट्कार कहा जाता है अध्वर्यु वपा हवन करता है। (शत० ब्रा० ५।१।३।१४)

(अग्नियोजन-अग्निवेदी का योजन— तथा विमोचन के समय में मतभेद)

अध्वर्यु प्रथम सुत्या के प्रातरनुवाक पाठ से पूर्व सब कामों की प्राप्ति के लिए अग्नि को युक्त करता है। सब कर्मों के पूर्व अग्नि को युक्त करने के कारण

अग्नियोजन क पक्षदात् जो कुछ भी किया जाता है वस उस वेदी पर आसादित होता है। (शत० ब्रा० ६।४।४।१) अष्टवर्ग्य परिधियों पर इसे युक्त करता है क्योंकि परिधियाँ अग्नि हैं। इस प्रकार अग्नियों के साथ अग्नि को युक्त किया जाना है। (शत० ब्रा० ६।४।४।१) अष्टवर्ग्य मध्यम परिधि का स्पर्श करके अधोलिखित मन्त्र को जाप करता है —

‘अग्निं युग्मिं श्वसाधृतेन, दिव्यं सुपर्णं त्रयसा बृहन्तम् ।

तेन धयं गमेम ब्रह्मस्य विष्टपं स्वी रूहाणा अधिनाकमुत्तमम् ॥

(शु० य० सं० १८।५१, शत० ब्रा० ६।४।४।३)

दक्षिण की ओर रखी गयी परिधि का स्पर्श करके अधोलिखित मन्त्र का जाप करता है —

‘इमी ते पक्षावजरो पतत्रिणी याध्यां रक्षांस्यपहंस्यन्ते ।

ताभ्यां पतेम सुकृतामुनोर्कं यत्र ऋषयो जग्मुः प्रथमजाः पुराणाः ॥”

(शु० य० सं० १८।५२, शत० ब्रा० ६।४।४।४)

उत्तर की ओर रखी गयी परिधि का स्पर्श करके अधोलिखित मन्त्र से योजन करता है —

इन्दुर्वक्षः श्येन ऋतावा हिरण्यपजः शकुन्तो मुरष्युः ।

महान्तसधस्थे ध्रुव आर्नियत्तो नमस्तेऽस्तु मा मा हिन्वीः ॥

(शु० य० सं० १८।५३, शत० ब्रा० ६।४।४।५)

मध्यम मन्त्र आत्मा तथा दोनों ओर के मन्त्र पक्षी के पक्ष सदृश वेदी के दो पक्ष हैं। (शत० ब्रा० ६।४।४।६) इन तीन मन्त्रों में अग्नियोजन किया जाता है क्योंकि अग्नि त्रिवृत् है। (शत० ब्रा० ६।४।४।७) अष्टवर्ग्य अग्नियोजन से यद्येष्ट काम की प्राप्ति होने पर यज्ञायज्ञीय स्तोत्र पाठ के पूर्व अग्नि का विमोचन करता है क्योंकि यज्ञायज्ञीय स्वर्गलोक है और उसी लोक की प्राप्ति के लिए अग्निवेदी का योजन होता है। काम प्राप्ति के पश्चात् उसका विमोचन किया जाना है। (शत० ब्रा० ६।४।४।१०) अष्टवर्ग्य स्तोत्र पाठ के अनन्तर यदि विमोचन करता है तो यज्ञायज्ञीय रूप स्वर्गलोक का अतिक्रमण करके उससे दूर जाकर इत्सेनष्ट कर देता है। स्तोत्र से पूर्व विमोचन करने पर स्वर्गलोक की प्राप्ति करके अग्निविमोचन किया जाता है। (शत० ब्रा० ९।४।४।११) अष्टवर्ग्य परिधियों पर अग्नि (वेदी) विमोचन करता है क्योंकि इन्हीं परिधियों पर इसे युक्त करता है। लोक में भी जिस किसी स्थान पर अष्व को युक्त किया जाना है वहीं से विमोचन भी होता है। (शत० ब्रा० ९।४।४।१२) अष्टवर्ग्य दोनों

शुक्रो दक्षिण उत्तर पर गिरा प्रा साध करके रा तीन मन्त्रों पर जप करता है दक्षिण सन्धि का स्पष्ट करके—

दिवो मूर्धाऽसि पृथिव्या नाभिः' (शु०य०स० १८।५६) (मत० ब्रा० ६।४।१३ मंत्र का जप करता है तथा उत्तर सन्धि का स्पर्श कर —

'विश्वस्य मूर्ध्नसि निष्ठसि भित्तः' (शु०य०स० १८।५५)

मन्त्र का जप करता है। इन दोनों मन्त्रों से विमोचन किया जाता है क्योंकि यजमान द्विपाद है और वह अग्नि है। तीन मन्त्रों से तथा योजन दो मन्त्रों से विमोचन किया जाता है। दस प्रकार संख्या पांच हुई। अग्नि में पांच चित्तियाँ होती हैं। संवत्सर पांच ऋतुओं वाला होता है। अग्नि (पेदी) संवत्सर है। (मत० ब्रा० ६।४।१४) अन्य आचार्यों के मतानुसार अग्नियोजन तथा विमोचन क्रमशः प्रायणीय अतिरात्र और उदयनीय अतिरात्र में सम्पन्न होना चाहिए क्योंकि अग्नि विमोचन संस्था (समाप्ति) का रूप है। अतः यज समाप्ति में पूर्व संस्था का समादान न करना चाहिए। (मत० ब्रा० ६।४।१५)

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत का निषेध करते हैं। उनके मतानुसार यज्ञ का विस्तार (सम्पादन) तथा उसका समापन प्रतिदिन होता है। अथर्वयुं यजमान को स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रतिदिन अग्नियोजन करना है। यजमान को प्रतिदिन स्वर्गप्राप्ति होती है। (मत० ब्रा० ६।४।१५) अथर्वयुं जिस प्रकार सामिधेयी का अनुवचन प्रायणीय अतिरात्र पर करके उदयनीय में करने के लिए प्रतिज्ञा करना है। इसी प्रकार आग्नेययोजन और विमोचन भी प्रतिदिन होने चाहिए। (मत० ब्रा० ६।४।१६) याज्ञवल्क्य स्वमत पुष्टि के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं—शाण्डिल्य कंक्रतीर्यों के प्रतिदिन सम्पादित होने वाले यज्ञ कर्म में वर्तमान थे। प्रस्थान करते समय उन्होंने कहा कि अथर्वयुं तुम्हारे प्रतिदिन आग्नेययोजन और विमोचन भीकरेंगे। (मत० ब्रा० ६।४।१७) फलतः अग्नियोजन और विमोचन प्रतिदिन होने चाहिए।

(अग्निचयन में उपस्थान समय विषयक मतभेद)

पाप के निवारणार्थ कृष्ण आचार्य अग्निचयन सम्बन्धी प्रत्येक कर्म के आरम्भ में सात मन्त्रों शु०य०स० १८।६८-७४) का पाठ करते हैं। अन्य आचार्यों का मत है कि प्रत्येक चिति (पर्व) पर जब पुरीष (पक) डाल दिया जाय, उस समय उपस्थान करना चाहिए। इस प्रकार यह चिति सम्पूर्ण होती है। याज्ञवल्क्य का कथन है कि इन दोनों मतों में से जिस मत के अनुसार

चाहे कर्म करे। चयन होने पर उपस्थान किया जाय अथवा चयन सम्पादन के पूर्व किया जाय। (शत० ब्रा० १।१।२।११)

(उखा सम्बन्धी अग्नि धारण के समय में मतभेद)

अग्निचयन संवत्सर पर्यन्त स्थिर रह कर करना चाहिए क्योंकि वर्ष तक अनुवचन होता है। कुछ आचार्यों का मत है कि संवत्सर पर्यन्त उषाग्नि धारण कर पुनः संवत्सर पर्यन्त चयन तथा अनुवचन करना चाहिए। उनका तर्क यह कि एक वर्ष में वीर्य सेचन किया गया और दूसरे वर्ष में कुमार की उदरति हुई। अतः दो वर्ष तक अनुवचन करना चाहिए। याज्ञवल्क्य इस मत का खण्डन करते हैं और केवल एक वर्ष तक अग्निचयन तथा अनुवचन करने के लिए सकारण स्वमत प्रस्तुत करते हैं कि जिस वीर्य का सिचन होता है वही उत्पन्न होता है। तदनन्तर विकृत होकर समृद्ध होता हुआ स्थित रहता है। अतः संवत्सर पर्यन्त ही अग्नि चयन तथा संवत्सर पर्यन्त अनुवचन करना चाहिए। अग्निचयन के अनन्तर अग्नि (बेदी) का नामकरण कर पाप को दूर किया जाता है। 'चित्रोऽग्नि' कहकर अग्नि का आह्वान किया जाता है क्योंकि सब चित्र वस्तुएं अग्नि ही हैं। (शत० ब्रा० ६।१।३।२०)

(स्तोत्र-शस्त्र पाठ के समय में मतभेद)

अध्वर्यु अग्निस्विष्टकृत्याग के सम्पन्न होने पर इडा को इडापात्री पर रखता है। इडोपाह्वान के अनन्तर जल का स्पर्श करके 'माहेन्द्र ग्रह' ग्रहण किया जाता है। तत्पश्चात् स्तोत्र का प्रचार होता है। आसन्दी पर स्थित यजमान का स्तोत्र-पाठ के लिए आह्वान किया जाता है। यजमान को इस अवसर पर अभिषेक करते हुए आसन्दी से उतर कर स्तोत्र और शस्त्र का अनुगमन करना चाहिए। (शत० ब्रा० १।२।३।१६) कुछ आचार्य माहेन्द्र ग्रह ग्रहण कर, स्तोत्र शस्त्र का पाठ करके, स्विष्टकृद् आदि के अनुष्ठानार्थ मत प्रस्तुत करते हैं। तत्पश्चात् यजमान के अवरोहण का विधान करते हैं।

याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करते हुए कहते हैं कि यदि यजमान के आसन्दी पर स्थित रहने पर भी स्तोत्र और शस्त्र का पाठ होता है, यह उचित नहीं है क्योंकि स्तोत्र यजमान की आत्मा है, शस्त्र उसकी प्रजा है। इस प्रकार अनुष्ठान से अध्वर्यु यजमान का विनाश करता है। यजमान वक्र गति से गमन करता है। वह यज्ञ मार्ग से स्थलित होता है। (शत० ब्रा० १।२।३।२०)

(अश्वमेधयागीय काल विषयक मतभेद)

कुछ याज्ञिकाचार्यों के मतानुसार अश्वमेध का आरम्भ ग्रीष्म ऋतु में होना चाहिए। क्योंकि ग्रीष्म ऋतियों की ऋतु है तथा यह अश्वमेध यज्ञ क्षत्रिय का है

याजुष्य इस मत की निन्दा कर अपना मत प्रस्तुत करते हैं कि अश्वमेध का आरम्भ वसन्त ऋतु में करना चाहिये क्योंकि वह ब्राह्मण की ऋतु है। जो वसन्त में यज्ञ करता है वह ब्राह्मण होकर यज्ञ करता है। वसन्त में यज्ञमान उपनयन और आधानादि सम्पन्न करता है क्योंकि जो यज्ञमान यज्ञ करता है वह दीक्षा के द्वारा ब्राह्मण होकर ही यज्ञ करता है। (शत० ब्रा० १३।४।१।३) वसन्त में फाल्गुनी पूर्णमासी के पूर्व अर्थात् शुक्लपक्ष की तृतीया अथवा अष्टमी को अश्वमेध आरम्भ करना चाहिये। अध्वर्यु, होता, ब्रह्मा और उद्गाना ये चार ऋत्विज् भी अश्वमेध याग सम्पादन में सहायक होते हैं। (शत० ब्रा० १३।४।१।४)

सोमयाग करने की अवधि में मतभेद)

इस विषय में दो पक्ष हैं—प्रथम पक्ष के अनुसार वर्ष भर (संवत्सर पर्यन्त) सोमयाग करना चाहिये। प्रतिदिन एक-एक सोमयाग करने से तीन सौ साठ सोमयाग सम्पन्न होते हैं। संवत्सर तथा एक शतविध पुरुष के प्रमाण की वेदी सब कुछ है। इस प्रकार यज्ञमान सर्व से सर्व की प्राप्ति करता है। (शत० ब्रा० १०।२।५।१५) द्वितीय पक्ष के अनुसार यदि यज्ञमान संवत्सर पर्यन्त सोमयाग नहीं कर सकता तो उसे सौ पृष्ठों से युक्त विश्वजिन अनिरात्र याग करना चाहिए। इसमें सब कुछ दक्षिणा में दे दिया जाता है। इस याग में सौ पृष्ठों के होने से, सर्वस्व दक्षिणा-दान से और एक शतविध (एक सौ एक) पुरुष के प्रमाण वाले अग्निवेदी के चयन वाले अग्निवेदी के चयन से सर्वस्व की प्राप्ति होती है। (शत० ब्रा० १०।२।५।१६)

(सावित्री अनुवचनार्थ समय विषयक मतभेद)

कुछ आचार्य सावित्री का अनुवचन उपनयन संस्कार के एक वर्ष के अनन्तर पूर्ण अवयवा से युक्त गर्भोत्पत्ति होती है। इसी प्रकार माणवक भी आचार्य के समीप गर्भ रूप में रहता हुआ उनके आदेशानुसार नियमों का पालन करता हुआ एक वर्ष में पुनः उत्पन्न होता है। सावित्री के अनुवचन में उत्पन्न हुए ब्रह्मचारी में वाणी धारण की जाती है। इस अभिप्राय से एक वर्ष पश्चात् सावित्री का अनुवचन होता है। (शत० ब्रा० ११।५।४।६)

अन्य आचार्य सावित्री का अनुवचन उपनयन संस्कार के छः मास बाद करते हैं। उनका तर्क यह है कि एक वर्ष में छः ऋतुएं होती हैं तथा एक वर्ष में पूर्णरूप में गर्भ की उत्पत्ति होती है। उत्पन्न होते ही उसमें वाणी धारण करते हैं। (शत० ब्रा० ११।५।४।७)

दुमरे आचार्य सावित्री का अनुवचन उपनयन संस्कार के चौबीस दिन पश्चात् करत है। उनके विचार से एक वर्ष में चौबीस अर्धमास होते हैं। एक वर्ष में गर्भ भी अपने पूर्ण रूप में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार उत्पन्न होते ही वाणी को रखते हैं। (शत०ब्रा० ११।५।४।८)

कुछ आचार्य सावित्री का अनुवचन उपनयन संस्कार के बारह दिन के अनन्तर करते हैं। उनका तर्क यह है कि एक वर्ष में बारह महीने होते हैं और एक वर्ष में पूर्ण गर्भोत्पत्ति होती है। इस प्रकार उत्पन्न होने पर उसमें वाणी धारण की जाती है। (शत०ब्रा० ११।५।४।९)

अन्य आचार्य सावित्री का अनुवचन उपनयन संस्कार के छः दिन बाद करते हैं। इस विचार से कि एक वर्ष में छः ऋतुएं होती हैं और एक वर्ष में पूर्णावयव गर्भ की उत्पत्ति होती है। उत्पन्न होते ही माणवक्रम में वाणी धारण करते हैं। (शत०ब्रा० ११।५।४।१०)

कुछ आचार्य सावित्री का अनुवचन उपनयन संस्कार के तीन दिन बाद करते हैं उनका तर्क यह है कि सवत्सर में तीन ऋतुएं होती हैं। गर्भ एक वर्ष में व्यक्त अवयव बाले होकर उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते ही माणवक्रम में वाणी को धारण करते हैं। (शत०ब्रा० ११।५।४।११) इस मत को मानने वाले आचार्य अधोलिखित श्लोक का पाठ भी करते हैं—

‘आचार्यो गर्भी भवति हस्तमाध्याय दक्षिणम् ।

तृतीयस्यांस जायते सावित्र्या सह ब्राह्मणः ॥

याज्ञवल्क्य तीनों वर्णों के लिए सावित्री अनुवचन का विधान करके ब्राह्मण के लिये उपनयन संस्कार के अनन्तर ही अनुवचन करने का विधान करते हैं क्योंकि अग्नि के साथ ब्राह्मण की उत्पत्ति प्रजापति के मुख से हुई। वह ब्राह्मण अग्नि देवत्व (आग्नेय) है। मन्थनान्तर अग्नि उत्पन्न होते हैं। अतः उनके साम्य से सावित्री का अनुवचन उपनयनानन्तर ही करना चाहिये (शत०ब्रा० ११।५।४।१२)

ख—स्थान विषयक मतभेद

१—द्रव्य के लिए स्थान निर्धारण विषयक मतभेद)

आज्यासादनार्थ स्थान विषयक मतभेद)

आहवनीयागार में अधिश्रयणानन्तर वेदी के अन्तर्गत आज्यासादन किया



है। कृष्ण यजुर्वेदीय आचार्यों के मतानुसार आज्यासादन वेदी के अन्तर्गत नहीं करता चाहिये क्योंकि पत्नीसंयाज के समय इसी आज्य से देवपत्नियों का याग सम्पन्न होता है। वेदी के चारों ओर देवता आसीन रहते हैं। वहाँ आज्यासादन करने से देवपत्नियों का आगमन होगा। वे देवों की दृष्टि में आएंगी। ऐसा करने पर यजमान पत्नी भी पुंश्चली (व्यभिचारिणी) होगी।

याज्ञवल्क्य वेदी के अन्तर्गत ही आज्यासादन करने के लिए अपना मत करते हैं। उनका कथन है कि पत्नी संयाज के साथ देवपत्नियों को भी आज्यसाध प्रदान किया जाता है। पत्नी-संयाज के कारण वेदी के अन्तर्गत आज्यासादन न करना अनुचित है। यजमानपत्नी पुंश्चली ही जाय, या जो कुछ भी हो इससे क्या प्रयोजन? यजमान पत्नी परःपुंसा हो जाय इसका भी ध्यान क्यों करता है? क्योंकि वेदी यज्ञ है, आज्य यज्ञ है। वेदी के अन्तर्गत आज्यासादन करने में वेदीरूप यज्ञ से आज्यरूप यज्ञ का निर्माण होता है। अतः वेदी के अन्तर्गत आज्यासादन करना उचित होगा। शत०ब्रा० १।३।१।२१)

(आज्यभाग प्रधानार्थ स्थान विषयक मतभेद)

पौर्णमास याग में अग्नि और सोम को आज्याहवियं प्रदान की जाती है। इन दो आज्यभागों का प्रक्षेपण कहाँ किया जाय इस विषय में मतभेद है। याज्ञवल्क्य के मतानुसार दोनों आज्यभाग यज्ञ के दो नेत्र हैं। अतः उन्हें प्रधान हविष् के समक्ष हवन करना चाहिये क्योंकि ये लौकिक नेत्र भी सामने ही होते हैं। अतः अहनर्षु प्रधान हविष् के समक्ष हवन करने से नेत्रों की पुरोभाग में स्थापित करना है। शत०ब्रा० १।६।३।३८)

अस्य आचार्य उत्तर पूर्वार्ध में आग्नेयशाज्य भाग तथा दक्षिण पूर्वार्ध में सोम्य आज्यभाग के हवन का विधान करते हैं। उनके विचार से पूर्व भाग में ही नेत्रों का स्थापन होता है। इस मत का खण्डन करने हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यह बोधगम्य नहीं है। प्रधान हविष् यज्ञ का शरीर है। सामने ही दोनों आज्य-भागों के हवन से दोनों नेत्र स्थापित किये जाते हैं। अहनर्षु की जिम्मे स्थान में भी प्रधान हविष् के समक्ष समिद्धतम अग्नि दृष्टिगत हो वही दोनों आज्यभागों का हवन उत्तरपूर्वार्ध और दक्षिण पूर्वार्ध की अपेक्षा न करते हुए करना चाहिये क्योंकि समिद्ध होने से ही आहुतियाँ समृद्ध होती हैं। (शत०ब्रा० १।६।३।३६)

(हविः श्रयण-स्थान विषयक मतभेद)

कुछ आचार्य आहवनीयाग्न में हविष्पाक का विधान करते हैं क्योंकि

देवों ने इन्हीं आत्तनीय में स्वर्ग प्राप्ति की अतः स्वर्ग गमनाय आहवनीयाग्नि में ही हविष्पाक कर्म करना चाहिए। उनका मन्तव्य है कि देवों ने आहवनीय हविष् प्रदान कर स्वर्ग गमन किया। अतः हम भी एक ही स्थान पर हविष् का पाककर्म क्यों न सम्पन्न करें? गार्हपत्य में हविष्पाक से यह दोष होगा कि जैसे खल (श्रेत) में ज़ोहि यवादि बाहर निकल कर व्यर्थ हो जाते हैं उसी प्रकार गार्हपत्य में पकाया जाने वाला हविष् भी स्थान-स्थान पर गिर कर व्यर्थ ही होगा अतः आहवनीय में पाककर्म का सम्पादन श्रेयस्कर है क्योंकि आहवनीय यज्ञ है, हविष् यज्ञ का साधन है। अतः वह भी यज्ञ है। इस प्रकार यज्ञ से यज्ञ का विस्तार किया जाता है। (शत० ब्रा० १।७।३।२६)

दुम्बरे आचार्यों का मत है कि गार्हपत्याग्नि में हविष्पाक कर्म करना चाहिये क्योंकि आहवनीयाग्नि पक्व हविष् हवनार्थ है, अपक्व हविष् पाकार्य नहीं। अर्थात् आहवनीय मुख्यतः होम साधन होने से हवनार्थ ही है। पाकक्रिया गार्हपत्य में सम्पन्न होनी चाहिए।

याज्ञवल्क्य इन दोनों मतों में विकल्प प्रस्तुत कर कहते हैं कि अध्वर्यु स्वच्छापूर्वक उपर्युक्त दोनों अग्नियों में से किसी एक अग्नि में पाक कर्म सम्पन्न कर सकता है। (शत० ब्रा० १।७।३।२७)

(दधि निकालने के स्थान के विषय में मतभेद)

सोम-मात्रा वृद्धि के लिए दधि-मिश्रण किया जाता है। अध्वर्यु दधिग्रह से किम और से दधि निकाले, इस विषय में मतभेद है। तैत्तिरीय आचार्यों के मतानुसार (तै० सं० ६।५।६।४) अध्वर्यु को दधि ग्रह के मध्य में निकालना चाहिए क्योंकि पशुओं के अन्तर्गत वर्तमान दूध भी मध्य में ही होता है।

याज्ञवल्क्य इस पक्ष के विरोध में कहते हैं कि दधिग्रह में से पश्चिम भाग में निकालना चाहिए क्योंकि पशुओं में दूध पिछले भाग में ही होता है। (शत० ब्रा० ४।३।५।१३)

२—अद्रव्यार्थ स्थान निर्धारण विषयक मतभेद

दशपूर्णमास में वेद निर्माण के समय कुशों के अग्र भाग को काट दिया जाता है जो मूक पात्रों के सम्मानार्थ प्रयुक्त होता है। अग्रभाग से रहित अंश अर्थात् वेद का उपयोग वेदी परिमार्जनार्थ होता है। परिमार्जनान्तर कुशाग्र-प्रक्षेपण स्थान के विषय में तैत्तिरीयकों का मत है कि कुशाग्रवेद के अग्र हैं और

वेद यज्ञांग हैं अतः कुशाग्र भी वेद के अंग होने से यज्ञांग हैं अर्थात् उनका भी यज्ञियत्व है। वेदांग होने से ही कुशाग्रयज्ञिय नहीं हैं अपितु मृक् पात्र सम्मार्जन के कारण भी वे यज्ञांग हैं। वेदाग्रों को अन्यत्र प्रक्षेपण कर उन्हें यज्ञ से जनित किया जाता है अतः इस दोग से बचने के लिए पाद्यसम्मार्जना के अनन्तर कुशाग्रों का आहवनीयाग्नि में प्रक्षेपण कर देना चाहिए।

याज्ञवल्क्य लौकिक दृष्टांत से इस मत का खण्डन करते हैं—हविष् प्रदान के पूर्व अग्नि में कुशाग्रों का प्रक्षेपण भोजनार्थ स्थित व्यक्ति को भोजन देने से पूर्व पात्र प्रक्षालनार्थ प्रयुक्त जब को गिजाने के समान होगा। याज्ञवल्क्य का मत है कि वेदाग्रों का प्रक्षेपण उत्तर में करना चाहिये। (शत० ब्रा० १।३।१।११)

(लोमावपन-स्थान विषयक मतभेद)

कनिष्य याज्ञिकों के मतानुसार सोतामणीयाग में अध्वर्यु पशु मांस पर सिंह, बृक (भेड़िया), शार्दूल (चीता) के लोम का आवपन करता है क्योंकि ये सिंह, बृक तथा शार्दूल इन्द्र के शरीर से अन्वित होने वाले सोम में उपपन्न हुए। इस प्रकार के अनुष्ठान से इन्द्र समृद्ध किये जाते हैं। (शत० ब्रा० ५।५।८।१२)

याज्ञवल्क्य इस मत का निरसन करते हैं कि यदि अध्वर्यु पशु-मांस पर लोमावपन करता है तो वह पशुओं को कटीली उल्का से प्रेरित करता है। उनका मत है कि लोमों को परिंसुन (मादक द्रव्य) में डाल देना चाहिये। अध्वर्यु इस अनुष्ठान से पशुओं को कटीली उल्का द्वारा प्रेरित न करके इन्द्र को समृद्ध करता है। (शत० ब्रा० ५।५।४।१६)

(उपस्थान-स्थान विषयक मतभेद)

कुछ आचार्यों के मतानुसार प्राणभृत् इष्टकाओं का उपधान उपहित स्वर्ण निर्मित पुरुष के समीप करना चाहिये। स्वर्णपुरुष प्राण है। इसके भारक होने के कारण इष्टकाओं को प्राणभृत् कहते हैं।

याज्ञवल्क्य इस मत का खण्डन कर स्वमत प्रस्तुत करते हैं कि स्वर्ण पुरुष प्राण है, चित्ति उसका शरीर है। इस प्रकार प्राणभृत् इष्टकाओं स्वर्ण पुरुष के अंग न बन सकेंगी। चित्ति स्वर्ण पुरुष का शरीर है। यदि चित्तियगिन शरीर वाले इस हिरण्य पुरुष के अंग को प्राणभृत् इष्टकाओं नहीं प्राप्त करने तो प्राण धारण सम्बन्ध न होने से इस स्वर्ण पुरुष के अंग को प्राण नहीं प्राप्त करेगा। प्राणरहित अंग काष्ठवत् शुष्क और ग्लान हो जाता है। अतः स्वर्ण पुरुष की प्राप्ति के लिए यत्न आवश्यक है। इन प्राणभृत् इष्टकाओं का उपधान चारों

निशाओ म परिश्रित आवत करते बाला पत्थर) के समीप करना चाहिये इस प्रकार स्वर्ण पुरुष के गारार म प्राण प्राप्ति हागी और मध्य मे उपहित इष्टकाओ के द्वारा उस स्वर्ण पुरुष का मध्य शरीर पूर्ण होता है तथा वे इष्टकाएं विलय भा नही होतीं । (शत०ब्रा०८१।४।१)

(इष्टकोपधान विषयक मतभेद)

कुछ आचार्य पांचवीं चिति के सम्बन्ध में तीसरी (स्तोमभागा) इष्टका का उपधान 'वेषथीः क्षत्राय क्षत्रं जिन्व' स्तोम से करते हैं क्योंकि विराट् छन्द तीस अक्षर वाला होता है और यह पांचवी चिति विराट् है ।

इस मत के विरोध में याज्ञवल्क्य का कथन है कि इस प्रकार के अनुष्ठान से एकविंश तथा गायत्री स्तोम की सम्पत् का उल्लंघन होता है । न्यून विराट् इन्द्र लोक है । इन्द्रलोक में इन्द्र के समान बलवान, उसके द्वेषी शत्रु को उद्यत किया जाता है । यजमान यज्ञ में इद्र हैं । अतः उसके लोक में उसके द्वेष करने वाले शत्रु को उद्यत किया जाता है । जिस अग्नि का आहरण किया जाता है वह यजमान का रूप है । आयतन के साधन से वह पांचवी चिति की तीसरी इष्टका है । (शत०ब्रा० ८१।३।८) याज्ञवल्क्य स्तोमभागा इष्टकाओं का अषाढा इष्टकाओं की श्रेणी पर उपधान के लिए स्वमत प्रस्तुत करते हैं । क्योंकि अषाढा वाणी है और यह इष्टकाओ का समूह अन्न रस है । कोई भी मनुष्य हृदय तथा मन से विचार करता है । इष्टकोपधान सब दिशाओं में किया जाता है । ये इष्टकाएं पुण्यलक्षण हैं । अतः इनको सब ओर रखा जाता है । लोक में भी देखा जाता है कि जिसके सब ओर लक्षण होते हैं वह पुण्यलक्षणों वाला होता है । (शत०ब्रा० ८१।४।३)

(लोकम्पूणा इष्टकोपधान स्थान विषयक मतभेद)

इस विषय में कुछ आचार्य लोकम्पूणा इष्टकाओं (Spcefilling bricks) को मुहूर्तलोका कहते हैं क्योंकि उनका उपधान मुहूर्त-प्राप्ति साधन के रूप में होता है वे मुहूर्तों की प्रतिमा हैं इसका कारण यह है कि उनकी संख्या दस हजार आठ सौ होता है तथा सबदसर में इतने ही मूहूर्त होते हैं । इष्टकाओ में से इक्कीस का उपधान गार्हपत्य में किया जाता है । अठहत्तर इष्टकाओं का उपधान आठ विष्णुओं में तथा शेष दस हजार सात सौ एक इष्टकाओं का उपधान आहवनीय में होता है । (शत० ब्रा० १०।४।३।२०) इस मत के विपरीत अन्य आचार्यों का मत है कि सब दस हजार आठ सौ लोकम्पूणा इष्टकाओं का उपधान आहवनीय में ही होना चाहिये क्योंकि

द्विष्य और गार्हपत्य भिन्न इष्टकाओं से निर्मित हैं। उनमें उपहित इष्टकाओं की गणना आहवनीय के साथ क्यों की जाय ?

याज्ञवल्क्य इस मत का निरसन कहते हैं। उनके विचार से चित्र्यामिन् पर यजमान दस वेदी (गार्हपत्य, आहवनीय, आठधिष्य) का जपन करता है। अतः कहा जाता है कि अग्नि विराट् है। विराट् छन्द में दस अक्षर होते हैं। वेदी और धिष्य एक हैं, एक ही अग्नि के अंश हैं। जिस प्रकार दिन और रात, अर्धमास और ऋतुएं संवत्सर के रूप हैं उसी प्रकार दस वेदियां अग्नि के रूप हैं। शन० ब्रा० १०।४।३।२१) याज्ञवल्क्य के कथनानुसार जो व्यक्ति आहवनीय में ही सब लोकमृणा इष्टकाओं का उपधान करते हैं वे इन गार्हपत्य, धिष्य लक्षण वाले रूपों को संवत्सरात्मक अग्नि से बाहर करते हैं। वे पापयुक्त कर्म में शंका उत्पन्न करने हैं। अन्न के लिए प्रजाभूत वैश्य जाति को विपरीतकारिणी तथा स्पृष्टशील बनाते हैं। (शन० ब्रा० १०।४।३।२२)

समाधि-स्थान विषयक मतभेद)

कुछ याज्ञिकाचार्यों के मतानुसार समाधि उस भूमि पर बनानी चाहिये, जो उत्तर की ओर ढालू हो क्योंकि उत्तर दिशा मनुष्यों की दिशा है। इस प्रकार उस प्रेत को मनुष्य लोक में भी भागी बनाया जाता है। उस प्रेत की प्रजा श्रेयसी होती है। (शत० ब्रा० १३।८।१।६) अन्य आचार्यों के मतानुसार समाधि दक्षिण की ओर उठी हुई भूमि पर निर्मित होनी चाहिये क्योंकि समाधि उच्छ्रित पाप होती है।

इस मत का निषेध करके याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जो भूमि उत्तर की ओर झुकी जाती है वह उच्छ्रित पाप होती है। (शत० ब्रा० १३।८।१।८) उनका मत है कि किसी भी सम भूमि में जहाँ जल दक्षिण-पूर्व से पश्चिमोत्तर की ओर बहकर किसी झील, सरोवर आदि में मिले, समाधि का निर्माण करना चाहिये क्योंकि जल अन्न है। इस प्रकार प्रेत को आगे और पीछे की ओर से अन्न प्रदान किया जाता है। जल अमृत है। वह मत्तपिप्पियों के उदयन तथा सूर्यास्त के बीच का एवं जीवों का निवासस्थान था। ऐसी समाधि निर्मित कर जीवों में अमृत ही रखा जाता है। यह भी निश्चित है जो प्राणियों के लिए हितकर होता है वह पितरों के लिए भी हितकर है। (शत० ब्रा० १३।८।१।६) अब समाधि स्थल का स्थान किस प्रकार हो, इस विषय में भीमांसा प्रस्तुत करते हैं— समाधि एक सुहावने स्थान पर निर्मित होनी चाहिए। जहाँ कि प्रेत को सुख मिल सके।

स्थान शान्त होना चाहिए। समाधि का निर्माण मार्ग में, खुले स्थान में अथवा वृक्ष, गुल्म आदि से रहित प्रदेश में नहीं करना चाहिए अन्यथा प्रेत के पाप को ही प्रकाशित किया जाता है। (शत० ब्रा० १३।८।१।१०) वह स्थान वृक्षों, गुल्मों से सवृत हो, साथ ही उस स्थान पर सूर्य का प्रकाश भी पड़ता रहे। गुहा प्रेत के पाप को छिपाती है। सूर्य का प्रकाश उस प्रेत के पाप का नाशक है। आदित्य का प्रकाश प्रदान कर प्रेत-पाप का विनाश किया जाता है। (शत० ब्रा० १३।८।१।११) समाधि ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जो ग्राम से दिखायी न पड़े। यदि उस समाधि के चारों ओर कुछ भी नहीं है तो वह अनावृत समाधि है। वह समाधि याचना कर रही है जिसका परिणाम यह होगा कि शीघ्र ही प्रेत के परिवार में से कोई अन्य भी मृत्यु को प्राप्त होगा। (शत० ब्रा० १३।८।१।१२) समाधि के पश्चिम दर्शनीय वन, पर्वत, देवालय आदि होने चाहिए क्योंकि दर्शनीय (चित्र) वस्तुओं का अर्थ होता है—प्रजा। उस प्रेत को दर्शनीय वस्तु तथा प्रजा प्राप्त होती है। यदि दर्शनीय वस्तुएं नहीं हैं तो समाधि के पश्चिम या उत्तर की ओर जलाशय अवश्य होना चाहिए क्योंकि जल दर्शनीय वस्तु है। इस प्रकार प्रेत दर्शनीय वस्तु और प्रजा प्राप्त करता है। (शत० ब्रा० १३।८।१।१३)

समाधि निर्माण ऊसर भूमि में करना चाहिए क्यों ऊषा वीर्य है इस प्रकार इसे प्रजनन में मिलाया जाता है। उत्पादक को उत्पत्ति का अंश प्रदान किया जाता है। पितरों को भी उसमें अंश प्राप्त होता है। प्रेत की प्रजा श्रेयसी होती है। (शत० ब्रा० १३।८।१।१४) समाधि मूल (जड़) युक्त स्थान पर निर्मित होनी चाहिए क्योंकि पितरों का सम्बन्ध मूल युक्त वृणों, वृण युक्त प्रदेशों तथा अन्य प्रकार की घासों से है। (शत० ब्रा० १३।८।१।१५) समाधि का निर्माण न तो भूमिपाश, नरकुल, अश्वगन्धा (अश्वगन्धा) अध्यान्दा, पृथिवर्णी उगने वाले स्थान पर और न तो अश्वत्थ, विभीतक, तिल्वक, स्फूर्ज, हरिद्र (कटहल), व्यग्रोध (वट) के समीप तथा अन्य पाप ताम वाले वृक्षों (स्लेषमान्तक, कोविदार) के पास ही करना चाहिए। मंगल की कामना वाले व्यक्ति के लिए वृक्षों का परिहार कर देना चाहिए। (शत० ब्रा० १३।८।१।१६)

(धर्मोद्भासन (स्वापन) स्थान विषयक मतभेद)

कतिपय आचार्यों के मतानुसार परिष्यन्द (जिस स्थान के चारों ओर जल हो) में धर्मोद्भासन करना चाहिये। स्वमत पुष्टि के लिए उनका कथन है कि अग्नि द्वारा तप्त हुआ यह धर्म शोचनशील (दाहशील) होता है। पृथ्वी पर प्रवर्णोत्सादन सम्पन्न होने पर उसकी उष्णता पृथ्वी में प्रविष्ट होगी। जल में उत्सादन किये जाने पर प्रवर्ण की उष्णता जल में प्रविष्ट होगी किन्तु यदि द्वीप

वायुव न्य का मत है कि जनवेत्तौ पर मध्य खरोर से आराहण करना चाहिए जैसा कि अग्र पर आर हल किया जाता है । जिम पशु पर पाश्व भाग से आराहण होता है वह बहन करत हुए आघात वही पहुचता अतः अध्वर्यु का अग्निबटा पर दाम भाग (उत्तर की ओर) से आरोहण करना चाहिए क्योंकि लोके में सो दाम भाग से ही किसी पशु पर आरोहण किया जाता है ।  
(शत०ब्रा० ७।३।२।१७)

## २-आसादन-दिशा विषयक मतभेद

(उपांशुग्रह के आसादनार्थ दिशा सम्बन्धी मतभेद)

उपांशु ग्रह का मार्जन कर उसे खर पर रखा जाता है । खर पर किस दिशा में आसादन करना चाहिए इस विषय में मतभेद है । कृष्ण यजुर्वेदियों (तै०स० १।४।२) के मतानुसार उपांशु ग्रह का आसादन खर के दक्षिण भाग में करना चाहिये क्योंकि यह उस दिशा में है जिसके समीपस्व सूखं परिक्रमा करता है । ग्रहण से पूर्व उपांशु ग्रह को आसादनार्थ आग्नीध्र-मण्डप के उत्तर खर की दक्षिण दिशा में ले आया जाता है । अतः उपांशु ग्रह का आसादन खर के दक्षिण भाग में करना उचित होगा ।

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत का निषेध करते हैं । उनके मतानुसार उपांशु ग्रह का आसादन दक्षिण दिशा में न कर खर की उत्तर दिशा में करना चाहिए क्योंकि उपांशुसोमाहुति से प्रशस्त अश्व कोई आहुति नहीं है । यह आहुति सघनत्वयात्मिका (तीनों सबर्तों में प्रयुक्त होने वाली) है । अतः उत्तर भाग में उसके पात्र का स्थापन उपयुक्त ही है । उपांशु ग्रह का आसादन 'प्राणायत्वा' (शु०ब०सं० ७।३) मन्त्र से करना चाहिये । (शत०ब्रा० ४।१।१।२७)

(चयन धाग में प्रयुक्त दो लुक् के अग्र भाग की दिशा के विषयक में मतभेद)

चयनयाग में एक हिरण्य पुरुष की रचना की जाती है जिसकी कार्धमयी तथा औद्म्बरी दो लुक् बाहु के रूप में होती हैं । उन लुकों के अग्रभाग की दिशा के विषय में मतभेद है । पद्धति के अनुसार अध्वर्यु हिरण्य पुरुष के समझ दो रेखाएं खींचता है और उन पर दोनों सुक्तों का आसादन करता है । वही हिरण्य पुरुष की दो बाहुएं हैं । (शत०ब्रा० ७।४।१।४३) । कृष्ण आचार्य इस विषय में आपत्ति प्रकट करते हैं । उनके मत से दोनों लुकों को सामने की ओर अग्रभाग कर नहीं अपितु दक्षिण तथा उत्तर की ओर (बायें तथा दाएं, अग्रभाग कर रखना

चाहिये क्योंकि हमारी दोना बाहुए दो पाशवों पर हाती हैं। शत० ब्रा  
७ ४ १ ४४)

उपर्युक्त मत का निषेध कर याज्ञवल्क्य स्वमत प्रस्तुत करते हैं। पूर्व की ओर ही अग्रभाग कर उन मुक् पाशों का आसादन होना चाहिये क्योंकि वेदी का सिर पूर्व की ओर ही होता है। इसके पाशर्व में रखी गयी बाहुएँ शक्तिशाली होंगी। शत० ब्रा० ७।४।१।४४)

### ३—उपधान-दिशा विषयक मतभेद

(नैऋति इष्टकाओं का उपधान दूर से समीप की ओर या समीप से दूर की ओर करना चाहिये)।

कुछ आचार्यों के मतानुसार नैऋति इष्टकाओं का उपधान दूर से उत्तरोत्तर अपनी ओर समीप में करना चाहिये क्योंकि निऋति पापी है। समीप प्रदेश से आरम्भ करके उत्तरोत्तर उपधान के कारण पूर्व उपहित इष्टकाओं का अतिक्रमण कर गमन से पाप संसर्ग होगा। अतः निऋति से दूर रहने के लिए इष्टकाओं का उपधान दूर से आरम्भ कर समीप में किया जाता है।

याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करते हैं। उनके मतानुसार अर्धवर्ग की समीप से दूर की ओर नैऋति इष्टकाओं का उपधान करना चाहिये। अर्धवर्ग इस प्रकार उपधान सम्पन्न कर पाप तथा निऋति को दूर करता है। (शत० ब्रा० ७।२।१।१३)

(चतुर्थ चिति में उपधान की जाने वाली चतुर्दश इष्टकाओं की उपधान दिशा में मतभेद)

सर्वप्रथम स्तोमवाली इष्टकाओं का उपधान होता है। त्रिवृत् स्तोम से युक्त इष्टकाएं अग्रभाग में, एकविंश स्तोमवाली इष्टकाएं पृष्ठभाग में, पंचदश स्तोम वाली इष्टकाएं दक्षिण की ओर तथा सप्तदश स्तोम वाली इष्टकाएं उत्तर की ओर उपहित होती हैं। (शत० ब्रा० ७।४।३) चतुर्दश इष्टकोपधान के विषय में कुछ आचार्यों का मत है कि त्रिवृत् स्तोम से युक्त दो इष्टकाओं के अनन्तर ही चतुर्दश इष्टकाओं का उपधान होना चाहिए क्योंकि वे दोनों जिहवा और हनु (जबड़े) हैं। चतुर्दश इष्टकाएं हनु तथा उनके पृष्ठभाग में उपधान की जाने वाली छः इष्टकाएं जिहवा हैं।



यह मत याज्ञवल्क्य को स्वीकार्य नहीं है। उनके मतानुसार इस विधि से अतिरिक्त कर्म किया जाता है। यह पूर्व वर्तमान हनू पर अन्य हनू तथा पूर्व वर्तमान जिह्वा पर एक अन्य जिह्वा रखने के सदृश होगा। (शत०ब्रा० ८।४।४।६) अन्य आचार्य इन इष्टकाओं का उपधान अर्थात् मध्य में, वेदी के दक्षिण-पूर्व करते हैं। ये इष्टकाएँ सूर्य है। इस प्रकार उस दिशा में सूर्य का ही आसादन किया जाता है।

याज्ञवल्क्य इस मत का भी निरसन करते हुए कहते हैं कि अन्य कर्म (उख्य अग्नि के आधान) द्वारा सूर्य को उस दिशा में रखा जाता है। (शत०ब्रा० ८।४।४।१०)

अन्य आचार्य इन इष्टकाओं का उपधान दक्षिण दिशा में करते हैं जिससे भाग्य के अच्छे लक्षणों को दक्षिण की ओर रखा जाता है। जिस व्यक्ति के दक्षिण ओर लक्षण होता है वह पुण्य लक्षणवान् कहा जाता है। स्त्री के बाम भाग में लक्षण होने से वह पुण्य लक्षणवती होती है क्योंकि स्त्री का स्थान मनुष्य के बाम भाग में होता है।

याज्ञवल्क्य इस मत का भी निषेध कर इष्टकोपधान पूर्वभाग में करने के लिए स्वमत प्रस्तुत करते हैं क्योंकि जहाँ सिर होता है वहीं हनू होते हैं तथा वहीं जिह्वा भी होती है। इस प्रकार अच्छे भाग्य के अच्छे लक्षण को सिर पर रखता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति से मुख पर लक्षण होते हैं वह पुण्य लक्षणवान् होता है। (शत०ब्रा० ८।४।४।११)

(मुख्य-दिशा विषयक मतभेद)

पक्षी के आकार की अग्निवेदी का मुख किस दिशा में हो तथा सिर अलग से निकला हो या नहीं? इस विषय के प्रतिपादनार्थ याज्ञवल्क्य एक आख्यायिका प्रस्तुत कर रहे हैं—याज्ञवल्क्य के पुत्र कुश्रि ने एक बार अग्निवेदी का चयन किया। कौश्य (कुश गोत्रोत्पन्न) सुश्रवा ने कुश्रि (गौतम) से पूछा—हे गौतम, जब तुमने वेदी का चयन किया तब उसका मुख पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर अथवा नीचे की ओर या उत्तान कर किया? शत०ब्रा० १०।५।५।१) कौश्य सुश्रवा ने इन दिशाओं की ओर मुख करके चयन की गयी वेदी के दोषों का निर्देश करते हुए बताया कि यदि आपने पूर्वभिमुख चयन किया तो यह पश्चिमाभिमुख व्यक्ति को पीछे की ओर मुख करके भोजन देने के समान होगा। इस प्रकार अग्निवेदी तुम्हारा हृदय ग्रहण न करेगी। (शत० ब्रा० १०।५।५।२) यदि

उसका चयन पश्चिमाभिमुख किया है तो उसका पुच्छ पश्चिम की ओर क्या किया ? क्योंकि जिस पक्षी का मुख पूर्व का ओर होगा उसका पुच्छ पश्चिम की ओर होगा तथा जिसका मुख पश्चिम की ओर होगा उसका पुच्छ पूर्व की ओर होगा । इस स्थिति में अग्नि चयन पश्चिमाभिमुख कैसे हुआ ? अवाङ्मुख निर्माण से निम्नाभिमुख न्यक्ति को भोजन देने के समान होगा । इस प्रकार तुम्हारा हविष् अग्निवेदी को प्राप्त नहीं होगा । (शत०ब्रा० १०।१।१।४) यदि उसका मुख उत्तान किया है तो वह पक्षि-रूप वेदी यजमान को स्वर्ग वहन न करेगी क्योंकि कोई भी पक्षी उत्तान मुख होकर स्वर्गगमन नहीं कर सकता । (शत०ब्रा० १०।१।१।५) कुश्रि ने कहा कि मैंने उसका चयन पूर्वाभिमुख, पश्चिमाभिमुख, उत्तानाभिमुख तथा सब दिशाओं में उसका मुख किया है । (शत०ब्रा० १०।१।१।६) अग्निवेदी रूप पक्षी का मुख ऊर्ध्व की ओर होता है फिर भी सब दिशाओं में इसका मुख कैसे हुआ ? इस स्पष्ट कर रहे हैं—

अध्वर्यु जब हिरण्य पुरुष का उपधान पूर्व की ओर सिर कर करता है और दो लुचों (कार्दमयी तथा औदुम्बरी) को दो प्यालों के साथ पूर्व की ओर मुख करके रखता है तो वेदी पूर्वाभिमुख होती है । अध्वर्यु जब कूर्म तथा अन्य पशुओं के सिरो का उपधान पश्चिम की ओर मुख कर करता है वह वेद रूप पक्षी को पश्चिमाभिमुख निर्मित करता है । जब कूर्म तथा अन्य पशुओं एवं इष्टकाओं के भी मुख नीचे कर उपहित होते हैं । इस प्रकार वेदी पक्षी का उपधान अधोमुख होता है । जब हिरण्य पुरुष का उपधान उत्तान मुख करके किया जाता है तथा दो लुचों में रखे हुए प्यालों का मुख ऊपर होता है, उलूखल और उखा उत्तानमुख होती है, वेदी उत्तानमुख वाली होती है । अध्वर्यु इष्टकाओं का उपधान वेदी को सभी दिशाओं में देखती हुई-सी करता है । (शत०ब्रा० १०।१।१।७) वेदी पक्षी का सिर निकला रहे या नहीं इस विषय में भी आख्यान प्रस्तुत किया जा रहा है :—

कोपा ऋषियों ने ऋत्विज कर्म सम्पादनार्थं गमन करते हुए मार्ग में किसी यजमान के यहाँ इस प्रकार की वेदी का निर्माण किया जिसका सिर निकला हुआ था । उन ऋषियों में से एक ने कहा—सिर का अर्थ होता है 'श्री' । इस प्रकार यज-सिर को पृथक् कर यजमान की श्री पृथक् कर दी गयी । फलतः यजमान सर्वथा श्री रहित हो जायगा । (शत०ब्रा० १०।१।१।८) अन्य ऋषि ने कहा कि सिर के अर्थ होते हैं प्राण । अग्निवेदी के सिर का पृथक् चयन करने से यजमान से प्राणों को

पयक नर दिया गया फलत यजमान शीघ्रही परलोक को प्राप्त होगा चिरकाल तक जीवित नहीं रहेगा । (शत०ब्रा० १०।५।५।६)

याज्ञवल्क्य का मत है कि अग्निवेदी का चयन ऊर्ध्वाभिमुख होता है । दर्भस्तम्भ, लोभेष्टका, पुष्कर पर्ण, स्वर्णस्थाली, स्वर्णपुरुष, दो लुक् स्वयमातृणा जिसमें स्वयं ही छिद्रहो, दूर्वेष्टका, द्वियजूः दो रेतः सिच्, विश्वज्योतिष्, दो ऋतव्या इष्टकाए, अपाढा तथा कूर्म परोक्ष सिर हैं और वह अग्नि जो वेदी के चयन हो जाने पर रखी जाती है, प्रत्यक्ष सिर है । यद्यपि कूर्म अप्रत्यक्ष मूर्धा वाला है और उसके ऊपर इष्टकोपधान होने से उसकी मूर्धा अन्तर्हित हो जाती है जो विद्वान् इस प्रकार मानते हैं उनके लिए चित्याग्नि पर निहित आहवनीय ही प्रत्यक्षतम सिर है । चूँकि कूर्म और आहवनीय अग्नि चित्याग्नि के सिर हैं । अतः इष्टकाओं से भी पृथक् सिर निर्माण की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । (शत०ब्रा० १०।५।५।१०)

#### ४-अभिषेक-दिशा विषयक मतभेद

(अग्नि चयन में वाजप्रसकीय होम के अनन्तर अभिषेक दिशा विषयक मतभेद)

अध्वर्यु वेदी के उत्तर कृष्ण मृग चर्म पर यजमान का अभिषेक करता है । अन्य आचार्य चित्याग्नि की दक्षिण दिशा में यजमान का अभिषेक करते हैं । क्योंकि दक्षिण की ओर से ही अन्नोपचार होता है ।

याज्ञवल्क्य दक्षिण दिशा में अभिषेक करने का निषेध करते हैं क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों से सम्बन्धित है । दक्षिणदिशा में अभिषेक करने से जिस (यजमान) का अभिषेक सम्पन्न होता है वह उसी दिशा को प्राप्त होता है । (शत०ब्रा० १।३।४।११)

अन्य आचार्य आहवनीय के समीप यजमान का अभिषेक करते हैं । उनका तर्क यह है कि आहवनीय स्वर्ग लोक है । इस प्रकार यजमानाभिषेक स्वर्गलोक भे होता है ।

याज्ञवल्क्य इस मत का खण्डन करते हुए कहते हैं कि वह आहवनीय यजमान का दवी शरीर है । उसका सत्य शरीर मानुष है । आहवनीय पर यजमानाभिषेक से उसके दवी शरीर को मानुष शरीर से युक्त किया जाता है जो उचित नहीं है । शत०ब्रा० ६।२।४।१२) चित्याग्नि की उत्तरदिशा में अभिषेक होना चाहिए क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा देव तथा मनुष्यों से सम्बन्धित होती है । इस प्रकार

गपनी दिशा मे स्थित हुए व्यक्ति क अभिपक सम्पन्न होता है साथ ही साथ अपने आयतन मे प्रतिष्ठित व्यक्ति विनष्ट नहीं होता है . शत० ब्रा० १।३।४।१३)

## ५. दिशा विषयक अन्य मतभेद

(समाधि स्थानकर्षणार्थं ऋषभ योजन-दिशा विषयक मतभेद)

कुछ आचार्यों के मत से अध्वर्यु को समाधि स्थान की दक्षिण दिशा ऋषभों को हल से संयुक्त करना चाहिए। अन्य आचार्य इस कार्य के लिए उत्तर दिशा का निर्देश करते हैं।

याज्ञवल्क्य के मतानुसार अध्वर्यु दक्षिण या उत्तर जिस दिशा में चाहे ऋषभों को हल से संयुक्त करे।

(सावित्री-अनुवचन के समय आचार्य के समीप माणवक के आसीन रहने या स्थित रहने की दिशा के विषय मे मतभेद)

कुछ याज्ञिकों के मतानुसार सावित्री का अनुवचन उम समय करना चाहिए जब माणवक आचार्य के दक्षिण आसीन या स्थित हो। याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करते हैं कि इस स्थिति में कोई अभिन्न उस आचार्य से कह सकता है कि आचार्य ने माणवक को बुल्ब (तिरछे मुख वाला) उत्पन्न किया है, उसका मुख तिरछा हो जायगा।

याज्ञवल्क्य स्वमत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि आचार्य के समक्ष पूर्व दिशा में स्थित, पश्चिमाभिमुख आचार्य को देखते हुए शिष्य के लिए सावित्री का अनुवचन करना चाहिए। इस विधि के अनुसरण में उक्त दोष नहीं है। (शत० ब्रा० ११।५।१।१४)

घ—परिमाण एवं आकार विषयक मतभेद

(घ-१) भूमि एवं देवी के परिमाण एवं आकार विषयक मतभेद

### १. भूमि परिमाण विषयक मतभेद

(ज्योतिष्टोम याग में देव यजन के पूर्वाधिक्य या पश्चिमाधिक्य में मतभेद)

कुछ आचार्यों के मत से देवयजन पूर्व की ओर अधिक न बढ़ाना चाहिए क्योंकि इससे यजमान के शत्रुओं की वृद्धि होती है। उसका विस्तार दक्षिण तथा उत्तर की ओर स्वेच्छापूर्वक किया जा सकता है। जिस देवयजन में पश्चिम की ओर

पर्याप्त भूमि रहती है वह अधिक समृद्ध होता है ऐसे देवयजन नामा यजमान शीघ्र देवताओं की उच्च पूजा प्राप्त करता है

याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हम देवयजन चयनार्थ द्राण्यं के यहाँ गये थे । उस समय सात्ययज्ञ ने कहा था 'यह सम्पूर्ण देवी पृथ्वी ही देवयजन है । इस पृथ्वी पर स्वेच्छानुसार यजुष मन्त्रों से परिग्रहण कर याग संपादित कराना चाहिए । (शत०ब्रा० ३।१।१।४) ऋत्विज ही देवयजन का चुनाव करते हैं । वे ही यज्ञ-सम्पादन में मध्यस्थ होते हैं । जहाँ वेद-शास्त्र में पारंगत, सांग प्रवचन अध्येता, विद्वान् ऋत्विज यज्ञ सम्पादन कराते हैं वहाँ कोई भी दोष उपस्थित नहीं होता । वह देवयजन देवताओं के अधिक समीप होता है । (शत०ब्रा० ३।१।१।५)

(पितृमेध यज्ञ में समाधि के लिए भूमि-परिमाण विषयक मतभेद)

कुछ याज्ञिकों के मतानुसार जितने स्थान में मृत व्यक्ति की अस्थियों को रखा जाय उतनी भूमि समाधि के लिए कर्पित होनी चाहिए ।

याज्ञवल्क्य के विचार से अधिक भूमि कर्पण की आवश्यकता नहीं है । पुरुष परिमाण तक भूमि कर्पण होना चाहिये । समाधि-स्थान की गहराई भी उतना होनी चाहिये जहां तक ओषधि के मूल हों । इस प्रकार अन्य प्रेत के लिए अवकाश नहीं रहता । ओषधियां पितर लोक हैं । पितर ओषधि-मूल में प्रवेश करते हैं । समाधि के लिए खोदे गये भाग में ओषधि-मूल नहीं रहने देना चाहिए । अन्यथा पितर भूमि में नहीं रह सकते । (शत०ब्रा० १३।५।१।२०)

(हविर्घान-स्थापन की दूरी के सम्बन्ध में मतभेद)

कुछ याज्ञिकाचार्यों के मत से उत्तरवेदी से तीन प्रक्रम पश्चिम दोनों हविर्घान स्थापित किये जाने चाहिये ।

याज्ञवल्क्य का मत है कि कोई निश्चित परिमाण नहीं है । स्वेच्छानुसार किसी भी स्थान में हविर्घान-निर्माण कर दिया जाय । एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि वह स्थान उत्तरवेदी से न अधिक समीप हो और न अधिक दूर ही । (शत०ब्रा० ३।५।३।१५)

२—वेदी एवं समाधि परिमाण विषयक मतभेद

(वेदि नाम तथा गार्भार्य-परिमाण में मतभेद)

आस्व्यायिका द्वारा 'वेदि' नाम पड़ने का निर्देश किया जा रहा है । —एक

समय असुर तथा देवों में संधप हुआ जिसमें देवता असुरों से तिरस्कृत हुए देवों ने सर्वत्र असुरों का ही आधिपत्य जानकर युक्ति सोची। उन्होंने असुरों से कहा— 'इस पृथ्वी में हमारा भी अंश हो जाय।' असुर देवों से ईर्ष्या करते ही थे। फिर उन्होंने कहा— 'विष्णु शयन कर जितनी भूमि नाप सकें उतनी भूमि दी जायगी।' (शत० ब्रा० १।२।५।४) विष्णु यद्यपि वामन थे, इतनी भूमि उनसे नाप सकती थी तथापि देवों ने इसे अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने आपस में कहा— 'उन असुरों ने यज्ञ के बराबर पृथ्वी दी क्योंकि विष्णु यज्ञ हैं।' (यज्ञो वैविष्णुः) कहा गया है। (शत० ब्रा० १।२।५।५) देवता आज्ञा पाकर भूमि नापन करने लगे। विष्णु को पूर्व की ओर सिर कर दक्षिण दिशा में गायत्री छन्द से पश्चिम दिशा में त्रिष्टुप् छन्द से, उत्तर दिशा में जगती छन्द से, पूर्व दिशा में अग्नि से परिवेष्टित कर दिया। (शत० ब्रा० १।२।५।६) अग्नि को सामने कर गान तथा परिश्रम करते हुए देव आगे बढ़े। इस प्रकार उन्होंने सम्पूर्ण पृथ्वी में आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस यज्ञ से सब कुछ प्राप्त किया। अतः 'वेदि' नाम पड़ा। इसीलिए 'याबतीवेदिस्तावती पृथिवी' कहा गया है। (शत० ब्रा० १।२।५।७) पृथ्वी-मापन करते हुए विष्णु श्रान्त हो गये। चतुर्दिक परिवेष्टन से पलायन में असमर्थ होकर औषधि-मूल में अन्तर्हित हो गये। (शत० ब्रा० १।२।५।८) देवों ने अनुमान किया कि विष्णु नीचे ही छिपे होंगे। उन्होंने भूमि-खनन के अनन्तर विष्णु को प्राप्त किया। तीन अंगुल गहराई के बाद विष्णु की प्राप्ति होने से वेदी त्र्यंगुला (तीन अंगुल गाम्भीर्य वाली) होनी चाहिए।

कतिपय याज्ञिकों ने वेदी को त्र्यंगुला ही स्वीकार किया है। उदाहरणस्वरूप पाञ्चिब आचार्य ने सोमयाग में तीन अंगुल गाम्भीर्य वाली वेदी का निर्माण किया था। (शत० ब्रा० १।२।५।९)

याज्ञिक इतिहास इस मत का विरोध करते हैं। उनका कथन है कि वेदी का तीन अंगुल गाम्भीर्य अनिवार्य नहीं है तथा उस विष्णु के अन्वेषणार्थ भूमि-खनन कर उन्हें प्राप्त किया गया अतः वेदि नाम पड़ा। यह भी उचित नहीं है अपितु इस प्रकार है— वे विष्णु ग्लान होकर औषधि मूल में अन्तर्हित हो गये। अतः औषधिमूल के छिन्नार्थ देवों ने खनन प्रारम्भ किया। जहाँ तक वनस्पतियों के मूल थे वहाँ तक भूमि खोदी गयी। खननोपरान्त विष्णु प्राप्त हुए। अतः 'वेदि' नाम पड़ा। (शत० ब्रा० १।२।५।१०)

(सौमिकमहावेदि-परिमाण विषयक मतभेद)

वेदि-परिमाण सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है—अष्टवयुं सभ्य (कक्ष) से पूर्व की ओर तीन प्रक्रम के पश्चात् एक शंकु प्रतिष्ठापित करता है जो मध्यम शंकु (अन्त पात) है। इस शंकु से दक्षिण की ओर पन्द्रह प्रक्रमानन्तर एक

शंकु स्थिर करता है यह दक्षिण शोणी है (शत० ब्रा० ३५१२) उत्तर की ओर प ऋ प्रक्रम के बाद शंकु स्थापित कर उत्तर शोणी निश्चित की जाती है। (शत० ब्रा० ०५१३) इस प्रकार प ऋह प ऋह प्रक्रम मितकर तीस हुए। अथर्व्य उसी अ त. पात शंकु से पूर्व की ओर छत्तीस प्रक्रम के पश्चात् शंकु स्थापित करता है। यह पूर्वार्द्ध में है, यहाँ पन्द्रह प्रक्रम नहीं अपितु दक्षिण की ओर बारह प्रक्रम के बाद शंकु-स्थापन होता है। यह वेदी का दक्षिणमांस है। (शत० ब्रा० ३५१५) इसी प्रकार उत्तर की ओर बारह प्रक्रम अनन्तर एक शंकु स्थिर की जाती है। यह वेदी का उत्तरमांस है। (शत० ब्रा० ३५१६) पश्चिमांस को तीस प्रक्रम करने का कारण यह है कि विराट् छन्द में तीस अक्षर होते हैं। देवों ने विराट् छन्द से ही इस लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त की। अब भी इस प्रकार का अनुष्ठान विराट् छन्द से इस लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। (शत० ब्रा० ३५१७)

अन्य आचार्य पश्चिमांस-परिमाण तीस प्रक्रम करते हैं। इस मत को भी मान्यता प्रदान करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि विराट् छन्द में तीस अक्षर भी होते हैं। इस प्रकार विराट् छन्द से इस लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। [शत० ब्रा० ३५१८] पूर्व की ओर छत्तीस प्रक्रमानन्तर शंकु स्थिर करने का कारण यह है कि बृहती छन्द में छत्तीस अक्षर होते हैं। बृहती से ही देवों ने स्वर्ग प्राप्त किया। इस प्रकार के अनुष्ठान का स्वर्ग लोक दिव्य आह्वनीय होता है। [शत० ब्रा० ३५१९] वेदी का पश्चिमांस तीस प्रक्रम होता है किन्तु पूर्वांस चौबीस प्रक्रम ही होता है। इसका कारण यह है कि गायत्री में चौबीस अक्षर होते हैं। गायत्री मंत्र का पूर्वार्द्ध है। अतः वेदी का पूर्वांस चौबीस प्रक्रम होता है। यह वेदी का परिमाण है। [शत० ब्रा० ३५११०]

वेदी का पश्चिमांस पृथु होता है। इसका कारण यह है कि वेदी स्त्री है। जिस प्रकार स्त्री का नितम्ब भाग अधिक होता है, उसी प्रकार वेदी का पश्चिमांस पृथु होता है। (शत० ब्रा० ३५१११)

(महावेदि-परिमाण (ऊँचाई) विषयक मतभेद)

यह वेदी सप्तविध वेदी की मात्रा है। अथर्व्य को देययजन क्षेत्र का निर्धारण कर पत्नीशाला के पूर्व द्वार से प्राग्वांश में प्रविष्ट होकर गार्हपत्यागार निर्माणार्थं तृणादि दूर कर भूमि-खनन कर जल से क्षेत्र सेचन करना चाहिए। गार्हपत्य स्थान का विचार कर उस कल्पित प्रदेश से पूर्व की ओर सात प्रक्रम भूमि मापन करना चाहिए। सात प्रक्रम के बाद पूर्व में एक व्यास (चार अरत्ति)

भूमि नाप कर व्याम के मध्य आहवनीय स्वान कल्पित किया जाता है। यह आहवनीय चयन-महावेदी का गार्हपत्य है। गार्हपत्य चिति के लिए कल्पित व्याम के पूर्वाद्धि प्रदेश से लेकर पूर्व की ओर तीन प्रक्रम अर्थात् दस प्रक्रम और एक व्याम तक महावेदी के पश्चिम भाग का अन्त है। (शत० ब्रा० १०।२।३।१) एक व्याम तथा दस प्रक्रम मिलकर एकादश होते हैं। वेदी और गार्हपत्य के मध्य एकादश प्रक्रम का अन्तर होता है। त्रिष्टुप् छन्द में एकादश अक्षर होते हैं तथा त्रिष्टुप् वज्र और वीर्य से यज्ञानुष्ठान से पूर्व ही राक्षसों का विनाश करता है (शत० ब्रा० १०।२।३।२) वेदि-मापन-काल दीक्षा-दिनों में अन्तिम दिन होता है।

कुछ याजिकों के मत से वेदी के पश्चिम किनारे से सीधे पूर्व छत्तीस प्रक्रम, पश्चिम में तीस प्रक्रम पृथुता, पूर्व की ओर चौबीस प्रक्रम। इस प्रकार यह वेदी नब्बे प्रक्रमों वाली है तथा उस पर सप्तविध अग्नि (सात पुरुषों के प्रमाण की) वेदी का चयन सम्पन्न होता है। (शत० ब्रा० १०।२।३।४)

ब्रह्मवादियों का कथन है कि यह सप्तांविध पुरुष प्रमाण की वेदी नब्बे संख्या के साथ कैसे सम्पादित होगी? इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य का कथन है कि पुरुषों में दस प्राण (सात शीर्ष प्राण, दो अर्वाच प्राण तथा नाभि), चार अंग (दो बाहु, दो पाद) तथा मध्य देह पन्द्रह संख्या के पूरक हैं। इस प्रकार प्रथम, द्वितीय, तृतीय से लेकर षष्ठ तक नब्बे संख्या का सम्पादन होता है। एक पुरुष नब्बे की संख्या के अतिरिक्त होता है। वह सातवां पुरुष पांक्त (लोम, त्वक्, मांस, अस्थि तथा मज्जा से युक्त) होता है; यह वेदी भी पांक्त होती है—वेदी की चार दिशाएं तथा पांचवीं स्वयं वेदी। इस प्रकार नब्बे प्रक्रम वाली महावेदी की संख्या से सप्त पुरुषविध (सात पुरुषों के प्रमाण की) अग्निवेदी सम्पन्न होती है। (शत० ब्रा० १०।२।३।५) अन्य आचार्य प्रक्रम तथा व्याम की संख्या में वृद्धि कर सप्तपुरुष विधवेदि-परिमाण में वृद्धि करते हैं। अष्टविध से लेकर एक शतविध पर्यन्त अग्नि प्रकार करते हुए इन प्रक्रमों तथा व्याम को बढ़ाते हैं; उनके मत से पुरुष संख्या वृद्धि से योनि भूत वेदी की वृद्धि होती है।

इस मत का निषेध कर याज्ञवल्क्य स्वमत प्रस्तुत करते हैं—लोक में यह देखा जाता है कि योनि उत्पन्न शिशु के अनुसार नहीं अपितु गर्भानुसार बढ़ती है। अष्टविधादि रूप से उसकी वृद्धि है। अग्नि गर्भ की योनिभूता वेदी एकादश (दस प्रक्रम तथा एक व्याम) परिमाण वाली होती है। गर्भ के एक रूप से वेदी में वृद्धि न होने के कारण योनि-वृद्धि नहीं होती। अतः योनि-भूतावेदी की वृद्धि नहीं करनी चाहिए। (शत० ब्रा० १०।२।३।६) जो आचार्य वेदि परिमाण में



वृद्धि करते हैं वे प्रजापति को उसके अश से रहित करते हैं वे प्रजापति को याग से च्युत करने के कारण यज्ञ सम्पन्न कर पायी हो जाते हैं अर्थात् सप्तविध अग्निवेदी में वृद्धि नहीं करनी चाहिए। उस पर निर्मित होने वाली वेदी का भी आकार उतना ही होना चाहिए। (शत० ब्रा० १०।२।३।७)

(अग्निवेदि-परिमाण (ऊंचाई) के विषय में मतभेद)

कुछ आचार्यों अग्निवेदी को सर्व प्रथम एकविध एक पुरुष के प्रमाण की) निर्मित करते हैं। एक के बाद दो तथा तीन इस प्रकार एक पुरुष-प्रमाण से लेकर अनन्त पुरुष-प्रमाण एक क्रमशः अग्निवेदी में वृद्धि करते हैं। (शत० ब्रा० १०।२।३।७)

याज्ञवल्क्य उन आचार्यों से असहमत हैं। उनका मत है कि प्रजापति पहले सप्त-विध ही उत्पन्न हुए। वे अपने शरीर की वृद्धि करते गये। एक-एक की वृद्धि कर एक सौ एक पर अवरुद्ध हो गये। सप्तविध पुरुष-प्रमाण में से एक भी पुरुष प्रमाण को भी कम करने पर प्रजापति का विच्छेद होता है। जो व्यक्ति अग्नि का परिमाण सप्तविध पुरुष प्रमाण से कम करता है, वह श्रेष्ठ पिता प्रजापति का विच्छेद कर यज्ञोपरान्त पापी होता है। जो एक सौ एक पुरुषविध के प्रमाण का अतिक्रमण कर अधिक पुरुष-प्रमाण की अग्नि वेदी का चयन करता है, वह सबसे बाहर होता है क्योंकि प्रजापति सर्वस्व है। सर्वप्रथम सप्तविधि पुरुष-प्रमाण वाली वेदी का चयन कर एक-एक पुरुष की अभिवृद्धि से एक सौ एक विध पुरुष पर्यन्त वेदी का चयन करना चाहिए। सात पुरुष-प्रमाण के कम होने पर प्रजापति का विच्छेद होता है तथा एक सौ एक से अधिक होने पर अपना ही सबसे बहिर्भाब होता है। अतः दोनों ही बातें समादरणीय नहीं हैं। (शत० ब्रा० १०।२।३।१८]

[अश्वमेधयाग में वेदि-परिमाण विषयक मतभेद]

अश्वमेध यज्ञमें इक्कीस स्तोम तथा इक्कीस यूप होने से इक्कीस पुरुष के परिमाण वाली वेदी होनी चाहिए। शत० ब्रा (१३।३।३।७) अन्य आचार्यों का मत है कि वेदी द्वादश पुरुष-परिमाण वाली होनी चाहिये। उसमें एकादश यूप होने चाहिये। क्योंकि संवत्सर में द्वादश मास होते हैं। इसमें एकादश यूप होते हैं। इस प्रकार यज्ञमात संवत्सर एव यज्ञ प्राप्त करता है। वे आचार्य एकादश यूपों से विराट् छन्द की तुलना करते हैं। विराट् छन्द एकादशिनी (ग्यारह यूपों का समूह) है। इतसे तो देश से ही तुलना की जासकती है, ग्यारहवां यूप तो बच ही जायगा। इस शंका का

समाधान यह है कि ग्यारहवा यूप स्तन है, ग्यारह यूपों का समूह गाय है। स्तन की समानता विराट् छन्द से होती है। ग्यारहवा यूप उस गाय का स्तन है जिसमें दुग्ध-दोहन किया जाता है। (शत० ब्रा० १३।३।३।८)

इस मत की निन्दा करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यदि द्वादश पुरुष-परिमाण की वेदी होगी तथा एकादश यूप होयें तो यह उसी प्रकार होगा जैसे कि यजमान उस यान पर गमन करे जिसमें एक पशु जुता हो और किसी तरह उसे बहन कर रहा हो। (शत० ब्रा० १३।३।३।६) इक्कीस पुरुष परिमाण की वेदी हो, एकविंश स्तोम तथा इक्कीस यूप हों। ऐसी स्थिति में यजमान अश्वों द्वारा बहन किये जाते हुए यान पर स्थित होता है। याज्ञवल्क्य प्रथम पक्ष की प्रशंसा में कहते हैं कि एकविंश यज्ञ का सिर है जिसे अश्वमेध के मिरत्रय [अग्नि, स्तोम, यूप] का ज्ञान है वह राजाओं का ककुत् बनता है। [शत० ब्रा० १३।३।३।१०]

### [समाधि-परिमाण [ऊँचाई] विषयक मतभेद]

कुछ आचार्यों के मत से पितृमेध यज्ञ में समाधि निर्माण कृद्वाकार नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे आकार से मृत पुरुष की पाप-वृद्धि की जाती है। क्षत्रिय के लिए ऊर्ध्वबाहु तक ऊँची, ब्राह्मण के लिए मूँह तक, स्त्री के लिए कूल्हे के ऊपर तक, वैश्य के लिए ऊरुतक तथा शूद्र के लिए घुटने तक ऊँची समाधि होनी चाहिए। इस प्रकार पराक्रमानुसार समाधि-निर्माण होता है। (शत० ब्रा० १३।८।३।११)

याज्ञवल्क्य के मतानुसार सब वर्णों के लिए समाधि घुटने के नीचे तक ही ऊँची होती चाहिए। इस प्रकार अन्य प्रेत के लिए अवकाश नहीं रखा जाता है। (शत० ब्रा० १३।८।३।१२)

### ३—वेदी एवं समाधि सम्बन्धित आकार विषयक मतभेद

अग्निवेदी के आकार के विषय में आचार्यों में मतभेद है। कुछ आचार्यों अग्निवेदी का निर्माण सुपर्ण के आकार से भिन्न करते हैं। अन्य आचार्य द्रोण के आकार की, रथ-चक्र के आकार की, कक के आकार की, प्रउग के आकार की, दो ओर प्रउग के आकार की या पुरीप एकत्र कर उससे युक्त निमित्त करते हैं। याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत की निन्दा करते हैं। उनके मत से पक्ष-पुच्छ से युक्त गर्भ-निर्माण करना चाहिए। अग्निवेदी सुपर्णाकार होनी चाहिए। (शत० ब्रा० ६।७।२।८)

(समाधि के आकार से सम्बन्धित मतभेद)

अग्निचित् (जिसने अग्नि-व्ययन किया है) के लिए अग्नि-व्ययन-वेदी के

सदृश ही समाधि का निर्माण करना चाहिए क्योंकि यज्ञमान जब अग्निचयन करता है, वह यज्ञ द्वारा अपने लिए स्वर्ग लोक के प्राप्यार्थ एक शरीर की संरचना करता है किन्तु यह यज्ञीय कर्म समाधि निर्माण के बिना पूर्ण नहीं होता। जब अग्निचित् के लिए समाधि का निर्माण अग्निचयन-वेदी के समान होता है तब अग्निचित्या पूर्ण होती है। (शत० ब्रा० १३।८।१।१७) बहुत बड़ी समाधि का निर्माण नहीं करना चाहिए अन्यथा प्रेत का पाप बढ़ा किया जाता है। (शत० ब्रा० १३।८।१।१८) कुछ आचार्यों के मतानुसार समाधि पक्ष-पुच्छ से हीन अग्निचयन वेदी के समान निर्मित होनी चाहिए क्योंकि अग्निचयन-वेदी यज्ञमान का शरीर है। (शत० ब्रा० १३।८।१।१८)

याज्ञवल्क्य स्वमत स्थापित करते हुए कहते हैं कि समाधि मानवाकार होनी चाहिए। पश्चिम की ओर पृथु (चौड़ी) तथा उत्तर की ओर दीर्घ होनी चाहिए। (शत० ब्रा० १३।८।१।१९)

घ २-पात्र एवं उपकरण-परिमाण तथा आकार विषयक मतभेद :

(अभि-परिमाण विषयक मतभेद)

कुछ आचार्य अभि को प्रादेश मात्र बनाते हैं क्योंकि वाणी भी एक प्रादेश की दूरी से वाग्विसर्जन करती है।

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत का निषेध कर स्वमत प्रस्तुत करते हैं जिसके अनुसार अभि अरति-परिमाण वाली होनी चाहिए क्योंकि बाहु अरति मात्र है और पराक्रमे बाहु द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार अभि वीर्य के बराबर ही हुई। अतः अरतिमात्र ही अभि का परिमाण होना उपयुक्त है। (शत० ब्रा० ६।३।१।३३)

(रक्षना-परिमाण विषयक मतभेद)

चयनयाग में आलम्बन किये जाने वाले पाँच पशुओं की रक्षना विषय या सम और सदृश होनी चाहिए। इस विषय में कुछ आचार्यों का मत है कि स्वयं पशुओं की रक्षनाएं समान नहीं होनी चाहिए। पुरुष पशु की रक्षना सबसे बड़ी होनी चाहिए। शेष चार पशुओं में जो सबसे मोटा हो उसकी रक्षना अन्य तीन पशु की रक्षना से बड़ी तथा पुरुष पशु की रक्षना से छोटी होनी चाहिए। इसी प्रकार मोटे और बड़े के अनुसार रक्षना परिमाण होगा। अथर्वसू पशु-रक्षना निर्माण पशुओं के रूपानुसार करता है।

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत का निरसन करते हैं उनका मत है कि रशनाएँ दीर्घ और लघु नहीं होनी चाहिए अपितु सब की लम्बाई और माटाई में समानता होनी चाहिए। सब पशु समान तथा सदृश हैं। ये अग्नि एवं अन्न कहे जाने के कारण समान तथा सदृश हैं। अतः रशनाएं भी परिमाण तथा आकार में समान तथा सदृश होनी चाहिए। (शत० ब्रा० ६।२।१।१९)

(अश्वमेध यज्ञ में अश्वार्थ प्रयुक्त वर्षमयी रशना-परिमाण में मतभेद)

कुछ याज्ञिकों के मतानुसार रशना द्वादश अरत्ति के परिमाण वाली होती है क्योंकि संवत्सर में द्वादश मास होते हैं। इस प्रकार यज्ञमान संवत्सर रूप यज्ञ की प्राप्ति करता है। (शत० ब्रा० १३।१।२।१) अन्य आचार्यों त्रयोदश अरत्ति के परिमाण की अश्व-रशना का विधान करते हैं। (शत० ब्रा० १३।१।२।२) इस मत की प्रशंसा करते हुए याज्ञवल्क्य का कथन है कि वह वर्ष (त्रयोदश मास वाला) ऋतुओं में ऋषभ है। उस संवत्सर का तेहरवाँ मास अधिक मास या मलमास है जो उसका ककुत् है। अश्वमेध यज्ञ सब यज्ञों में ऋषभ है। अश्वयुं इच्छानुसार रशना में एक अरत्ति रज्जु और जोड़ सकता है। इस प्रकार अश्वमेध रूपी ऋषभ के पृष्ठभाग पर ककुत्-वृद्धि होती है। (शत० ब्रा० १३।१।२।२)

(अग्नि-आकार के विषय में मतभेद)

अग्नि एक ही ओर तीक्ष्ण हो या दोनों ओर ? इस विषय में आचार्यों में मतभेद है। कुछ आचार्यों के मतानुसार अग्नि एक ही ओर तीक्ष्ण होनी चाहिए क्योंकि बाणी (जिह्वा) भी एक ही ओर तीक्ष्ण होती है।

याज्ञवल्क्य का मत है कि अग्नि दोनों ओर तीक्ष्ण होनी चाहिए क्योंकि वागिन्द्रिय दोनों ओर तीक्ष्ण होती है। वह दोनों ओर मनुष्यों की भाषा शोचनी है। सत्य और असत्य भाषण करती है।

### इ—संख्या विषयक मतभेद

१—आज्य-संख्या विषयक मतभेद।

(आज्य की ग्रहण-विधि एवं संख्या के विषय में मतभेद)

अश्वयुं हवतार्य एक पात्र से दूसरे पात्र में आज्य ग्रहण करता है। आज्य-ग्रहण के समय मन्त्र विहित हैं। इसी प्रकार ग्रहण-संख्या भी निर्धारित है। कितनी बार मन्त्र सहित तथा कितनी बार बिना मन्त्र के आज्य ग्रहण किया जाय इस विषय में मतभेद है। याज्ञवल्क्यीय सम्प्रदाय के अनुसार अश्वयुं सुब द्वारा जुहु में आज्य ग्रहण करते समय 'धामनामाग्नि प्रियं देवानाम्', 'अनाघृष्टं देवयजनमग्नि'

(शु० य० सं० १३१ शत० ब्रा० १।३२।७) एक बार इस मन्त्र को पढ़कर तथा तीन बार बिना मन्त्र के ही आज्य जुहू में ग्रहण करता है। इसी प्रकार एक बार उक्त मन्त्र को पढ़कर तथा सात बार बिना मन्त्र के ही जुहू से उपभृत् से आज्य-ग्रहण सम्पन्न होता है। एक बार उक्त मन्त्र के साथ एवं तीन बार अमंत्रक ध्रुवा में आज्य-ग्रहण होता है।

इसके विरुद्ध ब्रह्मवादी द्वितीय मत का प्रतिष्ठापन करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक पाद में आज्य ग्रहण करते समय तीन बार मन्त्र-पाठ होना चाहिए तथा एक बार बिना मन्त्र के ही आज्य ग्रहण करना चाहिए क्योंकि यज्ञ तीन बार (प्रातःकाल, मध्याह्न काल तथा सायंकाल) निष्पादित होता है। इस प्रकार त्रिवृत्करण की सिद्धि होती है।

ब्रह्मवादियों के उपर्युक्त मत का खण्डन करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि त्रिवृत्त तो प्रथम यज्ञ में भी है। अर्घ्य जुहू, उपभृत् तथा ध्रुवा इन तीनों पादों में एक-एक बार समन्तक आज्य ग्रहण करता है तो इस प्रकार तीन बार आज्य ग्रहण होने से त्रिवृत्त सम्पादित होता है। (शत० ब्रा० १।३।२।१८)

(पितृयज्ञ में आज्य होम के समय आज्य-ग्रहण-संख्या विषयक मतभेद)

कृष्ण आचार्यों के मत से स्रुक् द्वारा उपभृत् में दो बार आज्य ग्रहण करना चाहिये क्योंकि यहाँ दो ही अनुयाज (प्रधानभाग के अनन्तर होता द्वारा पढ़े जाने वाले याज्या मन्त्र) है।

याज्ञवल्क्य इस मत का निराकरण करते हैं। उनके मतानुसार उपभृत् में आज्यग्रहण दो बार नहीं अपितु आठ बार करना चाहिए। आठ बार आज्यग्रहण का विधान है। (शत० ब्रा० १।३।२।१८) अतः दो बार आज्य ग्रहण करने से यज्ञविधि से अलग कार्य किया जाता है। (शत० ब्रा० २।६।१।१३)

(औद्ग्रभण होम में आहुति संख्या विषयक मतभेद)

याज्ञवल्क्य के मतानुसार इस होम में वैश्वदेवाहुति (विश्वेदेव के लिए), माविदाहुति (माविता के लिए), मैत्राहुति (मित्र के लिए), भार्गवस्वत्याहुति (वृहस्पति के लिए) तथा पी०णाहुति (पूषा के लिए) ये पाँच आहुतियाँ होनी चाहिए।

अन्य आचार्यों का मत है कि इसी पाँचवीं आहुति का होम करना चाहिए। अन्य आहुतियों से जिस करप्रदान की पूर्ति होती है वह एक आहुति से ही पूर्ण हो जायगी। इस पाँचवीं आहुति का हवन पूर्णाहुति का हवन है तथा पूर्ण ही सब

कुछ है जिसकी प्राप्ति इसी से होती है। पूजाहुति के समय स्रुव को आज्य से पूर्ण करना चाहिए। उस समय स्रुव से ही होम न कर स्रुव में आज्य ग्रहण कर पूर्णाहुति बनाकर हवन करना चाहिए।

इस विषय में याज्ञवल्क्य का कथन है कि ऐसी मीमांसा की जाती है हवन तो सब आहुतियों का होता है। (शत० ब्रा० ३।१।४।२२)

(अश्वमेध याग में मृत्यु को प्रदान की जाने वाली आहुति-संख्या के विषय में मतभेद)

कुछ आचार्यों के मतानुसार सब लोकों में सम्बन्धित होने के कारण मृत्यु को अनेक आहुतियाँ प्रदान की जानी चाहिए। उन मृत्युओं के लिए आहुतियों का हवन न करने पर यजमान को प्रत्येक लोक में मृत्यु ग्रहण कर लेगी। इन आहुतियों के प्रदान से वह प्रत्येक लोक में मृत्यु से अपनी रक्षा कर लेगी। (शत० ब्रा० १३।३।५।१) अन्य आचार्य इस मत की निन्दा करते हैं कि अनेक मृत्यु-प्रकार मान कर, 'मृत्यवे स्वाहा' कहकर हवन करते हुए अनेक मृत्युओं का परिगणन होता है। अनेक मृत्युओं को अमित बनाया जाता है। यजमान उस अमितभूत मृत्यु के लिए अपने को भी अमित करता है जो उचित नहीं है। दूसरे याज्ञिकों के मतानुसार 'मृत्यवे स्वाहा' (शु० ब० स० ३६।१३) आहुति का ही हवन करना चाहिए क्योंकि उस लोक में जलनाया ही एक मृत्यु है। यजमान उसे दूर करता है। (शत० ब्रा० १३।३।५।२) 'ब्रह्महत्याय स्वाहा' (शु० ब० स० ३६।१३) कहकर द्वितीय आहुति ब्रह्महत्या को दी जाती है क्योंकि ब्रह्महत्या के अतिरिक्त अन्य हत्यायं हत्या नहीं है। ब्रह्महत्या मात्रान् मृत्यु है उसे आहुति केकर साक्षात् मृत्यु का ही अपनयन होता है। (शत० ब्रा० १३।३।५।३)

मुण्डिभ (और अन्य) ऋषि ने इस आहुति को अश्वमेधयागमें सम्बन्धित होने वाली ब्रह्महत्या की प्रायश्चित्त के रूप में विधान किया। ब्रह्महत्याय आहुति प्रदानावच्छर मृत्यु के लिए परिशिष्ट मान कर, ब्रह्महत्या की विद्विषता होनी है। (शत० ब्रा० १६।३।५।४) जिस यजमान के अश्वमेध में इस आहुति का हवन होता है उसकी आध्यात्मिकी सम्पत्तियों में ब्रह्महत्या की विद्विषता की जाती है।

(अश्वमेधयाग में सम्बन्धित-संख्या विषयक मतभेद)

संख्यायुक्तेषु वैदिक आचार्य (सं० ब्रा० १।१।३) तपोवस (जब को भिलान पर चतुर्वेद) सम्भारो वा सम्भरभ करने हैं जिनमें शिक्षता, ऊषा, आशुकरिय,

लम व सूत शकरा कवच) हिरण्य य सात सम्भार पृथ्वी से तथा छ सम्भार अश्वत्थ, उदुम्बर (शूलर), पलाश, शमी, विकंचन, अशनिहृत वृक्ष बाण्डखडों से प्राप्त करते हैं ।

याज्ञवल्क्य के मत में अश्वर्यु पाँच सम्भारों को आहवनीय, गार्हपत्य आदि कृण्डों में प्रक्षेपणार्थ एकत्र करता है जो अघोनिदिष्ट है—उदक, हिरण्य, ऊषा: (ऊसर भूमि की मिट्टी), आखूकरीष (मूषकों द्वारा खोदी गयी मिट्टी) तथा शर्करा (कंकड) (शत० ब्रा० २।१।१।३-८) सम्भार संख्या की उपयुक्तता का निर्देश करते हुए उनका कथन है कि यज्ञ पांक्त है, पशु भी पांक्त है तथा वर्ष में पाँच ही ऋतुएं होती हैं । अतः अश्वर्यु इन पाँच सम्भारों का सम्भरण करता है । (शत० ब्रा० २।१।१।१२) अन्य आचार्यों के द्वारा संवत्सर में छ ऋतुएं मानने पर तीन युग बनते हैं और पंचक में एक की न्यूनता आती है । यह न्यूनता श्रेयस्कार है क्योंकि स्त्री-पुरुष के वीर्य के न्यूनाधिक्य से ही प्रजनन होता है । यदि छ ही ऋतुएं मानी जायं तो अग्नि संभारों की छठी संख्या का पूरक है । (शत० ब्रा० २।१।१।१३)

(वाजपेय यज्ञ में यजमान के अभिषेकपूर्व सम्भरण किये जाने वाले अन्न प्रकार के सम्बन्ध में मतभेद)

प्रधान नैवार आहुति के अनन्तर वाजप्रमचनीय होम का विधान है । इसका उद्देश्य यह है कि अन्न-होम से यजमान के लिए अन्न प्राप्त किया जाता है । अश्वर्यु उदुम्बर पत्र में अन्न-सम्भरण करता है । वह अन्न-सम्भरण करने के पूर्व सर्वप्रथम पात्र में जल तदनन्तर दूध ग्रहण करता है । इसके पश्चात् बुद्धिमत् अन्नों का सम्भरण करता है । (शत० ब्रा० ५।२।२।२) अश्वर्यु द्वारा उम पात्र में कितने प्रकार के अन्नों का सम्भरण होना चाहिए इस विषय में मतभेद है । कुछ आचार्यों के मत में सर्वह प्रकार के अन्नों का सम्भरण होना चाहिए क्योंकि प्रजापति सप्तदश हैं । (शत० ब्रा० ५।२।२।३)

इस मत के विरोध में याज्ञवल्क्य का कथन है कि पहले सम्पूर्ण अन्न प्रजापति के आधिपत्य में न रहे । अतः मानव सब अन्नों की प्राप्ति कैसे कर सकता है ? यदि यजमान सप्तदश विध अन्नों का सम्भरण करना चाहे तो किमा एक अन्न को छोड़कर अथवा जितने अन्न उम विहित हों उनमें एक प्रकार के अन्न को छोड़कर उनमें ही अन्नों का सम्भरण करना चाहिए । (शत० ब्रा० ५।२।२।३) अश्वर्यु यजमान के लिए जिस अन्न का सम्भरण न करे उस अन्न का नाम उच्च स्वर से ग्रहण कर कहे कि 'मैंने अमुक अन्न का सम्भरण नहीं किया

साथ ही यजमान जब तक जीवित रहे उस अन्न का भक्षण  
 का फल यह होता है कि यजमान विनाश को न प्राप्त होकर चिरक  
 रत रहता है। अथर्व्यु इन मन्त्र अन्नों को एकत्र कर श्रुव से हवन का  
 वाजप्रसवनीय सात होम आहुतियों से देवों को सन्तुष्ट करता है। (५  
 १२४) होमार्थ सात मन्त्र विहित हैं जो अधोनिखिन हैं—

—'वाजस्येमं प्रसव सुपुत्रेऽपि गोम राजानमोषधीष्वप्सु।

ताऽअस्यभ्यं मधुमतीभवंतु वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः स्वाहा  
 (शु० य० सं० ६१२३, शत० ब्रा० ५।२।२।५)

—'वाजस्येमां प्रसवः शिश्रिये दिवमिमा च विषवा भुवनानि मन्त्राः  
 अदितमन्तं दापयति प्रजानन्तस नो रयि सर्ववीर नियच्छतु स्या  
 (शु० य० सं० ६१२४, शत० ब्रा० ५।२।२।६)

—'वाजस्य नु प्रसव भावभूवेमा च विषवा भुवनानि भवर्षतः।  
 सनेमि राजा परियाति विवदान्प्रजापुष्टिं स्वर्द्धयमानोऽग्नें स्वाहा  
 (शु० य० सं० ६१२५, शत० ब्रा० ५।२।२।७)

—सोमं राजानमवसेऽग्निमन्वारभामहे।

आदित्याविष्णु सूर्यं ब्रह्माण च बृहस्पतिं स्वाहा ॥

(शु० य० सं० ११२६, शत० ब्रा० ५।२।२।८)

(—'अयमर्षं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय षोडश।

स्वाचं विष्णुं सरस्वतीं सवितारं च व्याजिनं स्वाहा ॥'

(शु० य० सं० ६१२७, शत० ब्रा० ५।२।२।९)

६—'वाग्नेऽग्च्छा ध्रुवेहनः प्रतिनः सुमना भव।

प्र नो यच्छ सहस्रजित्क सनदा अग्निं स्वाहा ॥'

(शु० य० सं० ६१२८, शत० ब्रा० ५।२।२।१०)

७—'प्र नो यच्छस्वर्यमा प्र पूषा प्रबृहस्पतिः।

प्र वाग्देवी ददातु नः स्वाहा ॥'

(शु० य० सं० ६१२९, शत० ब्रा० ५।२।२।११)

अथर्व-संख्या विषयक मतभेद

(अग्नि-चयन में उखा-संख्या विषयक मतभेद)

कुछ आचार्यों के मतानुसार अग्नि चयन में तीन उखाओं का  
 चाहिए क्योंकि ये लोक भी तीन हैं। तीन उखाएँ एक-दूसरे की



लिए अर्थात् परस्पर प्रतीकाराय हैं। उन आचार्यों का यह विचार है कि एक उखापात्री के टूट जाने से दूसरी उखा में अग्निहरण सम्पन्न होगा। इसी प्रकार दूसरी उखा के टूट जाने पर तीसरी उखा से अग्निहरण सम्पादित होगा।

याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करते हैं। उनके मत से एक ही उखा प्रयुक्त होनी चाहिए क्योंकि उखा के प्रथमतः का भाग पृथ्वी लोक, अन्दर का भाग अन्तरिक्ष लोक तथा ऊपरी भाग आकाश है; चौथा यजुषु दिशाएँ हैं। सब लोक और दिशाएँ ही सब कुछ हैं।

उखा-संख्या-वृद्धिकर अतिरिक्त कार्य किया जाता है। अतिरिक्त किया जाने वाला भाग यजमान के शत्रु को प्राप्त होता है। (शत० ब्रा० ६।१।२।२२) उखापात्री टूट जाने पर उसका प्रायश्चित्त होता है जिसका वर्णन शत० ब्रा० ६।६।४।८ में किया गया है। वहाँ यह भी निर्देश किया गया है कि यदि उखापात्री टूट जाती है तो उसे कपाल सहित उरुविली में डाल दिया जाता है। इस प्रकार उसे योनि से बाहर नहीं किया जाता है। उखापात्री टूट जाने पर उसमें स्थित अग्नि को चौड़े मुख वाली नयी स्थाली में रख देना चाहिए क्योंकि जो पात्र फूट जाता है वह दुःख का अनुभव करता है। किन्तु अग्नि दुःख रहित है। अनार्त (दुःख रहित) पात्र में अनार्त धारण करना चाहिए। फूटी हुई उखा के कपालों को स्थाली के पूर्व भाग को रख देना चाहिए। इस प्रकार यह अग्नि अपने उत्पत्ति स्थान से च्युत नहीं होता है। शत० ब्रा० ६।१।२।२२)

(स्तन-संख्या विषयक मतभेद)

याज्ञिक सम्प्रदाय के अनुसार उखा में ऊपर की ओर रज्जु लगायी जाती है। रज्जु के ऊपरी भाग में बिना मन्त्र के चार स्तन निर्मित किये जाते हैं क्योंकि उखा गाय है। उखा में सम्बद्ध की जाने वाली चार रज्जु दिशाएँ हैं। देवों ने इन लोकों को उखा बना कर दिशाओं द्वारा सब ओर से बृद्ध कर दिया। उसी प्रकार यजमान भी करता है। (शत० ब्रा० ६।१।२।१४) रज्जुओं से स्तन-निर्माण का कारण यह है कि देवों ने इन लोकों को गोरूप उखा बनाकर इन स्तनों से सब कामों का दोहन किया। उसी प्रकार यजमान भी करता है। (शत० ब्रा० ६।१।२।१४) चार स्तन बनाने का कारण यह है कि गाय के भी चार ही स्तन होते हैं। (शत० ब्रा० ६।१।२।१८) अन्य आचार्यों के मतानुसार उखा में दो स्तन होने चाहिए। दूसरे याज्ञिकाचार्य आठ स्तनों से युक्त उखा का निर्माण करते हैं। (शत० ब्रा० ६।१।२।१६)

याज्ञवल्क्य इन दोनों मतों का विरोध करते हैं। उनके विचार से गाय के स्तनों से कम या अधिक स्तनधारी पशु अनुपजीवनीय (अभोग्य) होते हैं। दो या आठ स्तनों से युक्त निर्मित की जाने वाली उखा अभोग्य ही होगी। उखा का

गाठ स्तना स युक्त करने पर उसका रूप कुक्कुरी का तथा दा स्तनी से युक्त  
 उरन पर भेड़ या घोटिका का रूप लिया जाता है। व तीनों (कुक्कुरी भेड़ तथा  
 मोटिका) भोग्य नहीं हैं। अतः यह अनुचित है। (शत० ब्रा० ६।५।२।१६)

### ख—पात्र विषयक मतभेद

#### ख १—हविर्यज्ञ-पात्र विषयक मतभेद

##### १—सुकृपात्र सम्बन्धी मतभेद

(हवन करने के लिए जुहु या उपभृत् पात्र विषयक मतभेद)

आज्य स्थाली से पहले आज्य उपभृत् में ग्रहण कर उससे जुव द्वारा जुहू में  
 लेकर हवन होता है। तैत्तिरीय आचार्य उपभृत् से ही हवन करने के लिए सम्मत  
 प्रस्तुत करते हैं। उनका तर्क यह है कि यदि जुहु से ही हवन करना है तो उपभृत्  
 से आज्य-ग्रहण क्यों किया जाता है? तात्पर्य यह कि उपभृत् से आज्य ग्रहण कर  
 उसी से हवन करना चाहिए। यह उचित नहीं प्रतीत होता कि पहले उपभृत् में  
 आज्य का ग्रहण कर उस आज्य को जुहु में लेकर उससे हवन किया जाय।

याज्ञवल्क्य का मत है कि सर्वप्रथम आज्यस्थाली में उपभृत् में आज्य ग्रहण  
 कर तत्पश्चात् जुहु में लेकर हवन करना चाहिए क्योंकि उपभृत् राजा तथा अन्य  
 सुकृपात्र (जुहु, सुव तथा होस्रहवणी) प्रजा है। जुहु के स्थान पर उपभृत् से हवन  
 होने पर राजा और प्रजा में कोई सम्बन्ध ही न रहेगा। राजा की प्रजा स्वतन्त्र  
 हो जायगी। उस स्वातन्त्र्य का परिणाम यह होगा कि राज्य में अशांति होगी।

अतः अश्वर्यु को पहले उपभृत् से आज्य निकाल कर उपभृत् का आज्य जुहू  
 में ग्रहण कर उससे हवन करना चाहिए। इस प्रकार के अनुष्ठान से राजा-प्रजा  
 का सम्बन्ध बना रहने के कारण कोई दोष उत्पन्न नहीं होगा। जुहु से ही आज्य  
 ग्रहण कर उसी से हवन भी क्यों नहीं होता? इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य का  
 कथन है कि उपभृत् राजा है, अतिय है तथा उसके वश में बंध्य हैं। राजा उनकी  
 रक्षा कर उनके गवादि धन की वृद्धि करता है। अतः पहले उपभृत् से आज्य  
 ग्रहण किया जाता है तदनन्तर जुहु में लेकर हवन सम्पन्न होता है। कृत्रिमोपक  
 होने के कारण उपभृत् और जुहु का उपयोग होता है।

#### २—संयुक्त पात्र विषयक मतभेद

(अग्नि स विषय में मतभेद)

अश्वर्यु हुस्वजायाय सवित्रा विजयति सिन्धुदीम् ।

अग्निर्वीनिचाय्य पुत्रिणा अघ्याधरत् । जु० ब० सं० ११।११)

इस अनुष्टुप् छन्द से अग्नि पढ़ना कर इसमें अनुष्टुप् छन्द रखता है। इस प्रकार वह वष (वांस) निर्मित अग्नि उन छन्दों के लिए निर्मित होती है। (शत० ब्रा० ६। ३। १। १४१) कुछ आचार्यों के मतानुसार अश्वर्यु द्वारा अभिमन्त्रण में 'हिरण्ययीम्, पढ़ने के कारण अग्नि स्वर्णमयी होनी चाहिए।

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत का निषेध करते हैं क्योंकि 'हिरण्ययी' 'छन्द के लिए कहा गया। अग्नि भी स्वर्णमयी बताया गया। हिरण्य तथा छन्द अमृत हैं इसमें छन्दोमयत्व निर्दिष्ट किया गया। अग्नि वस्तुतः स्वर्णनिर्मित नहीं अपितु वष निर्मित होनी चाहिए। (शत० ब्रा० ६। ३। १। १४२)

च २—सौमिक पात्र विषयक मतभेद

१—आज्यधारक पात्र के विषय में मतभेद

(धर्महोमार्थ मृगमय पात्र महावीर का ही प्रयोग क्यों ?)

धर्महोम के लिए मृत्तिका निर्मित महावीर पात्र प्रयुक्त होता है। 'देवताओं को प्रदान की जाने वाली आहुतियों का हवन काष्ठनिर्मित पात्रों द्वारा होता है, यह धर्महोम मृत्तिका निर्मित पात्र से क्यों दी जाती है?' ब्रह्मवादियों द्वारा किये गये इस प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य एक आख्यायिका प्रस्तुत करते हैं—यज्ञ-सिर छिन्न हो जाने पर उससे रस स्रवित होकर द्यूलोक तथा पृथ्वी लोक में प्रविष्ट हो गया। यह मृत्तिका पृथ्वी तथा जल द्यूलोक हैं। महावीर पात्र मिट्टी और जल से निर्मित होते हैं। इस प्रकार प्रवर्य (धर्म) रस से समृद्ध किया जाता है। (शत० ब्रा० १४। २। २। ५३)

तैत्तिरीय आचार्यों के मतानुसार (तै० सं० २। ५। १४) मृत्तिका-निर्मित पात्र से आहुति नहीं दी जानी चाहिए।

याज्ञवल्क्य अन्य पदार्थों से निर्मित पात्रों में दोष निर्देश कर धर्म हविष हवनार्थ महावीर पात्र का निर्देश करते हैं। काष्ठनिर्मित महावीर पात्र तप्त होने पर जल जायगा, स्वर्ण-निर्मित महावीर पात्र तप्त होने से विलीन हो जायगा, वांस आदि से निर्मित महावीर पात्र तपाने से मल जायगा, वायुनिर्मित महावीर पात्र तप्त होने पर दोनों संदेशों (जिनसे महावीर को पकड़ते हैं) को जला देगा किन्तु मृत्तिका निर्मित महावीरपात्र पर तापादि का कोई प्रभाव न पढ़ने के कारण अश्वर्यु धर्म हविष का हवन मृत्तिका निर्मित महावीर पात्र से ही सम्पन्न करता है। (शत० ब्रा० १४। २। ५४)

१ अज्ञान पुरुष विषयक मतभेद

(दर्शोष्टि में सान्नाय्य प्रदानार्थं यजमान सम्बन्धी मतभेद)

सैलरीय आचार्यों के मतानुसार असोमयाजी (अज्ञ यजमान ने सोमयाज नहीं किया है) इन्द्र को सान्नाय्य नहीं दे सकता क्योंकि सोम और सान्नाय्य समान हैं।

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत का निषेध कर स्वयं प्रकृत करते हैं कि असोमयाजी भी इन्द्र के लिए सान्नाय्य प्रदान कर सकता है। स्वयं इन्द्र का कथन है कि 'सोम से मेरा यजन करो तदनन्तर मुझे यह आप्यायन (सान्नाय्य) प्रदान करना। ये इन्द्र के द्वारा ही कहे गये वचन हैं। अतः इन्द्र को सान्नाय्य प्रदान करना ही चाहिए। (मत० आ० १।६।५।११)

२—श्रुतिवत् पुरुष विषयक मतभेद

(आहुवनीयागार में आज्य निरीक्षणार्थं व्यक्ति विषयक मतभेद)

आहुवनीयागार में आज्य गर्म करते समय यजमान-पत्नी आज्य निरीक्षण करती है। आहुवनीयागार में किस व्यक्ति को निरीक्षण करना चाहिए इस विषय में मतभेद है। कुछ आचार्यों के मतानुसार यजमान को आहुवनीयागार में आज्य निरीक्षण करना चाहिए।

याज्ञवल्क्य के मत से यह कार्य भी अहवर्ग्य का ही होना चाहिए। प्रथम मत के विरोध में उनका कथन है कि यदि यजमान आज्यावेक्षण करता है तो उसे अपने कार्य के साथ स्वयं अहवर्ग्य का भी कार्य करना चाहिए। इस आज्यानुवाक्या का पाठ कर होता का भी कार्य सम्पन्न कर लेना चाहिए। अहवर्ग्य के स्थान में कल प्रतिपादक मन्त्रों का पाठ भी उसी को करना चाहिए। उन शाखा वालों को यजमान के प्रति इतनी श्रद्धा क्यों हो गई? श्रुतिवत् को वा दक्षिणा रूप में उनका पारिश्रमिक प्रदान कर दिया जाता है। उसकी कल प्रार्थना यजमान के लिए ही होती। अतः अहवर्ग्य को ही आहुवनीयागार में आज्यावेक्षण करना चाहिए। (क्योंकि वह कार्य अहवर्ग्य का ही है) (मत० आ० १।२६)

(धृति होने के समय बीधा पर गाथा गान करने वाले व्यक्तियों के विषय में मतभेद)

एक मत के अनुसार अश्वमेधयाजी (अश्वमेधयाग सम्पादक) समृद्धि तथा जनपदहीन हो जाना है। इसे समृद्ध करने के लिए वीणावादन किया जाता है। वीणावादन में निपुण दो ब्राह्मण नित्य-गान करते हैं। वीणा श्री रूप है। इस प्रकार वे (गायक) यजमान में श्री (समृद्धि) स्थापित करते हैं। (शत० ब्रा० १३। १। ५। १)

इस मत की निन्दा करते हुए याज्ञवल्क्य का कथन है कि दोनों गायकों के ब्राह्मण होने पर यजमान के समीप क्षत्र नहीं रहेगा क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म में क्षत्र स्थित नहीं रहता। (शत० ब्रा० १३। १। ५। २) द्वितीय मत के अनुसार वीणा पर गाथा-गान के लिए दो राजन्य (क्षत्रिय) होने चाहिए।

याज्ञवल्क्य इस मत की भी निन्दा करते हैं। उनके विचार से दोनों गायकों के राजन्य होने पर अश्वमेधयाजी के समीप ब्रह्मवर्चस् (आध्यात्मिक तेज) नहीं रहेगा क्योंकि राजन्य क्षत्र स्वरूप क्षत्र में ब्रह्म वर्चस् स्थित नहीं रह सकता याज्ञवल्क्य के मतानुसार दोनों गायकों में से एक ब्राह्मण तथा दूसरा राजन्य होना चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्म तथा राजन्य क्षत्र है। इस प्रकार ब्रह्म तथा क्षत्र द्वारा दोनों ओर से यजमान की श्री सुरक्षित होती है। (शत० ब्रा० १३। १। ५। २)

गाथा-गान समय के निर्धारण में याज्ञवल्क्य दोनों गायकों के द्वारा दिन में गान से यजमान की श्री-हीन होने तथा रात्रि में गान से ब्रह्मवर्चस् सहित होने के भय से ब्राह्मण को दिन में तथा राजन्य को रात में गान करने का विधान करते हैं। इस प्रकार ब्रह्म तथा क्षत्र द्वारा दोनों ओर से श्री सुरक्षित होती है। (शत० ब्रा० १३। १। ५। ४)

वीणा वादन के समय ब्राह्मण तथा राजन्य के द्वारा गाथा-गान का निर्देश करते हैं। ब्राह्मण को अयजत (इस यजमान ने अधिकाधिक यजन किया) 'अरदात्' (अधिकाधिक दान किया) आदि का गान करना चाहिए क्योंकि इष्ट और पूत का सम्बन्ध ब्राह्मण से ही होने के कारण यह उचित है। इष्ट तथा पूत से यजमान समृद्ध किया जाता है। क्षत्रिय को 'अमुमयुध्यत' जमु 'संधाममजयत्' आदि का गान करना चाहिए। युद्ध राजन्य का वीर्य है। इस प्रकार वीर्य से यजमान को समृद्ध किया जाता है। तीन गाथाओं का गान ब्राह्मण और तीन का गान क्षत्रिय करता है। इन प्रकार छः गाथाएं हुईं। वर्ष में छः ऋतुएं होती हैं। अतः यजमान ऋतुओं तथा संबत्सर में प्रतिष्ठित होता है। (शत० ब्रा० २३। १। ५। ६)

ज—नियम विधायक मतमेव

(वीणा—नियम सम्बन्धी मतमेव)

याज्ञवल्क्य-सम्प्रदाय के अनुसार प्राचीन वंश (शाला) के उत्तर स्थित

नापित द्वारा यजमान के केश तथा श्मश्रु का वपन तथा नख कर्तन किया जाता है। केश, श्मश्रु तथा नखों में जल-प्रवेश न होने के कारण वह भाग अशुद्ध रहना है। केश-श्मश्रु-वपन तथा नखकर्तन के अनन्तर यजमान शुद्ध होकर दीक्षा ले सकता है। (शत० ब्रा० ३।१।२।२) अन्य आचार्यों के मतानुसार यजमान व सम्पूर्ण शरीर के बालों का वपन तथा नख-कर्तन होना चाहिए। इस प्रकार यजमान शुद्ध होकर दीक्षा योग्य होता है। याज्ञवल्क्य इस मत का निराकरण करते हुए कहते हैं कि केश-श्मश्रु के वपन तथा नख-कर्तन से ही यजमान शुद्ध हो मान्य है। अतः सम्पूर्ण शरीर के बाल बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। (शत० ब्रा० ३।१।२।३)

(पशु इष्टि सम्पादनानन्तर यजमानार्थ नियम सम्बन्धी मतभेद)

कुछ आचार्यों का मत है कि पशु कर्म के अनन्तर यजमान को पर्यङ्क पर शयन, मांस-भक्षण तथा मैथुन कर्म न करना चाहिए क्योंकि पशुयाग पूर्व दीक्षा है।

याज्ञवल्क्य का मत है कि यह दीक्षा नहीं है क्योंकि यहाँ न तो मेषका का प्रयोग और न तो कृष्णाजिन (कृष्ण मृग-चर्म) का ही प्रयोग है। वह केवल इष्टका खाग करता है। अतः यजमान चाहे तो पर्यङ्क पर शयन कर सकता है। जो कुछ प्राच्य तथा अधिकृत (अधिकार में है) मधु के अतिरिक्त सब प्रकार के भोजन कर सकता है। आमिषा याग अर्थात् मैथुन कर्म नहीं करना चाहिए। (शत० ब्रा० ६।२।२।३६)

(प्रथमं यज्ञ में यजमाननियम सम्बन्धी मतभेद)

कुछ ऋषिआचार्यों के मतानुसार प्रथमं मधु होने के कारण आमु द्वे तथा अत के आचरण से दसकी रक्षा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस प्रथमं काम में अनुबन्धन अथवा हुत भेष-भक्षण करता है, वह दुष्टिगत सूर्य के तेज में प्रवेश करता है क्योंकि वह (जो प्रकाशित है) प्रथमं है। इस अवसर पर यजमान के लिए अधोनिश्चित निम्न विहित हैं— प्रथम नियम के अनुसार प्रथमं कर्म में वर्तमान शरीर का आच्छादन न करना चाहिए। (सूर्य जब तक प्रकाशित रहे शरीर को बरुल या आभूषण आच्छादित न करना चाहिए)। द्वितीय नियम यह है कि सूर्य के प्रकाशित रहने पर निष्ठीवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सूर्यात्मक प्रथमं पर निष्ठीवन (शुक्लता) नहीं किया जाता। तृतीय नियम के अनुसार सूर्य के तपते रहने पर मूत्र विलंबतादि कर्म नहीं करना चाहिए। इस नियम के धारण से सूर्य पर मूत्र विसर्जन नहीं किया जाता।

इन नियमों के पालन का कारण यह है कि जब तक मूय चमकता है अथवा उदयाचन और अस्ताचल के बीच में जहाँ तक इसका प्रकाश रहता है उस स्थान में तथा उस काल में प्रवर्ष का अनुष्ठान होता है। उस प्रदेश में यदि आच्छादनादि कार्य सम्पादित होते हैं तो इस यज्ञ की हिंसा की जाती है। इन अभिप्राय से आच्छादन निष्ठीवनादि का कर्म न किये जाने चाहिए। चतुर्थ नियम के अनुसार काष्ठादि से अग्नि प्रज्वलित कर रात्रि में भोजन करना चाहिए।

आचार्य आसुरि (जिनके मत से याज्ञवल्क्य भी सहमत प्रतीत होते हैं) के मतानुसार देवों ने पहले सप्तयाम के समय सत्य भाषण रूप एक ही व्रत का अनुष्ठान किया था। अतः सत्य भाषण नियम का पालन अवश्य होना चाहिए। (मत० ब्रा० १४। १। १। ३६) उपर्युक्त कठिन नियमों का अनुष्ठान यथाशक्य करना चाहिए।

(सावित्री अनुवचन के पूर्व आचार्य के नियम सम्बन्धी मतभेद)

अभिज्ञों के मत से आचार्य को उपनयन संस्कार सम्पन्न कर मैथुन कर्म न करना चाहिए क्योंकि यह उपनीत (जिसका उपनयन संस्कार हो चुका है) ब्राह्मण वर्ध होता है। इस गर्भीभूत ब्राह्मण को विगलित रेत से नहीं उत्पन्न करना चाहिए। (मत० ब्रा० ११। ५। ५। १६)

अन्य आचार्यों के मतानुसार (जिनसे याज्ञवल्क्य भी सहमत हैं) आचार्य स्नेच्छा-नुसार मैथुन कर्म कर सकता है। इसमें उपर्युक्त दोष नहीं है। देवी और मानुषी दो प्रजाएँ हैं। मानुषी प्रजाएँ मिथुन द्वारा प्रजनन से उत्पन्न होती हैं। गायत्री, अनुष्टुप् आदि छन्द देवी प्रजा हैं। आचार्य उन्हें मुख, तालु, ओष्ठ व्यापार विशेष से उत्पन्न करता है। मुख से उत्पन्न होने के कारण गायत्री छन्द के समीप से ही इस ब्रह्मचारी को यह पिता (आचार्य) उत्पन्न करता है। अतः ब्रह्मचारी की उत्पत्ति प्रजनन से न होने के कारण आचार्य का मिथुन विरोध नहीं करता फलतः आचार्य उच्चलिङ्गरेता होने पर मैथुन कर्म कर सकता है, सर्वथा निषेध नहीं है। [मत० ब्रा० ११। ५। ५। १७]

अ—अज्ञानानशन विषयक मतभेद

१—अत एवं संस्कार सम्बन्धी अज्ञानानशन विषयक मतभेद

(अतं पूर्णमास याग में उपनयन (यज्ञ के पूर्व दिन) सम्बन्धी अज्ञानानशन विषयक मतभेद)

यज्ञ के पूर्व सायंकाल यज्ञग्रहण तथा अग्निहोत होम के अनन्तर यज्ञमान

द्वारा अन्न या अन्नान के द्वित्य मे मतभेद है। आषाढ मास्यस के मत से यजमान को उपवसथ के दिन किसी भी वस्तु का अन्न न करना चाहिए क्योंकि देवता मानव-मत की जानते है। यजमान को यज्ञानुष्ठान के लिए इच्छुक जानकर देवता व्रत के दिन यजमान के घर आगमन करते है। (अत० ब्रा० १।१।७)

याज्ञवल्क्य इस मत का खण्डन करते हैं—यजमान के भोजन न करने पर पितृ देवत्य कर्म (श्राद्ध) होता है। फलतः यज्ञ का कोई फल नहीं होगा। भोजन न करने पर देवों का तिरस्कार होता है। अतः यजमान ऐसी वस्तु को भोज्य बनावे जो अन्नान के समान हो तथा जिसका प्रयोग हविर्भिर्माण में भी न हो। इस प्रकार यजमान भोजन करने पर पितृदेवत्य कर्म से निवृत्त हो जायगा तथा देवतार्थ प्रयुक्त हविर्भक्षण न करने से देवों का तिरस्कार भी न होगा। अतः किसी आरण्य (अरण्य सम्बन्धी) वस्तु को भोज्य बनाना चाहिए। (अत० ब्रा० १।१।६)

आचार्य बर्कू बार्ष्ण के मतानुसार हविष् में प्रयोग न होने के कारण मास का अन्न करना चाहिए।

इस मत के विरोध में याज्ञवल्क्य का कथन है कि मास (उद्व) उपवस्य करता है अर्थात् ब्रह्मि, धनादि की स्तूना होने पर हविष् में मासपिष्ट का मिश्रण किया जाता है जो हविर्भिर्माही हुआ। अतः मासाग्न न करना चाहिए। (अत० ब्रा० १।१।१।१०)

अनपथ ब्राह्मण के प्रथम काण्ड में वर्षापूर्वमास सम्बन्धी अन्नानननाम के विषय में मतभेद ब्रह्मन्त कर ग्यारहवें काण्ड में पुनः स्मीमांसा की जा रही है—कुछ आचार्यों के मत से यजमान द्वारा पर्व की रात्रि में अन्नान करने से पितृ-देवत्य कर्म होता है। इस दोष के परिहारार्थ अन्न करने पर आये नृप देवताओं का अतिक्रमण कर अन्न किया जाता है। इस दोष के निवारणार्थ आरण्य औषधि (फल, यमामाक आदि) को भोज्य बनाना चाहिए। (अत० ब्रा० १।१।७।१)

याज्ञवल्क्य उच्यते मत को अन्वीचिरवपूर्ण बताते हैं क्योंकि मास्य औषधियों को भोज्य बनाने पर पुरोडाह के मेघ का, आरण्य औषधियों को भोज्य बनाने पर बहिर्मेघ (शुक्लमेघ) का, वाग्वपथ वस्तु को भोज्य बनाने पर दहमादि के मेघ का, दुग्धपान करने पर सास्यायुज और जाज्य के मेघ का, अल्पपान करने पर प्रणीताओं के मेघ का संक्षण होता है। अन्नान करने पर पितृ-देवत्य होता है। [अत० ब्रा० १।१।१।७।२] इस विषय में याज्ञवल्क्य का मत



है कि यजमान को पौर्णमास तथा दर्श की रात्रियों में अग्निहोत्र-होम करना चाहिए। हवनोपरान्त अशन करने पर पितृदेवतय कर्म नहीं होता क्योंकि वह एक आहुति है। भोजन कर यजमान आहुति ही प्रदान करता है। वह अपने से ही आहुति हवन करता है। आत्मरूप वेष्टवानर [अग्नि] में अशन रूप आहुति का हवन होता है। इस प्रकार यजमान पूर्व कथित पुरोडाशादि के यज्ञीय सार [मेघ] का भक्षण नहीं करता है। [शत० ब्रा० ११।१।७।३]

### (मध्वशन विषयक मतभेद)

कुछ याज्ञिकाचार्यों के मतानुसार ब्रह्मचारी को मधु का अशन न करना चाहिए क्योंकि मधु ओषधियों का परमोत्कृष्ट रस है। इसके भक्षण से सब ओषधियों के रस का उपयोग हो जाता है। खाद्य वस्तुओं के अवसान की अप्राप्ति के लिए मध्वशन-वर्जन करना चाहिए।

याज्ञवल्क्य स्वेतकेतु आरुण्य (आरुण्य के पुत्र) का मत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जब वे ब्रह्मचर्याभ्रम में थे मध्वशन करते थे। उनके मत से यह मधु वेदत्रय रूप वाली विद्या का शिष्ट है। इससे अवगत होकर जो मधु का अशन करता है वह ऋचाओं, यजुषों, सामवेद के मन्त्रों का अभिव्याहार करता है। अतः ब्रह्मचारी को स्वेच्छानुसार मध्वशन करना चाहिए। (शत० ब्रा० ११।४।१८)

### २—अन्यप्रकार के आशाननान

(पिण्डपितृयज्ञ में इडा और प्राशित-प्राशन विषयक मतभेद)

कुछ आचार्यों के मतानुसार मंध से भी इडा और प्राशित का अवदान किया जाता है और इडा के लिए ऋत्विज तथा यजमान का आह्वान होता है। वह इयका ध्याप करते हैं।

आचार्य आसुरि के मत को प्रस्तुत करते हुए याज्ञवल्क्य का कथन है कि प्राशन अवश्य करना चाहिए क्योंकि जिस किसी यज्ञीय वस्तु का अग्नि में हवन होता है उसका अर्पण भक्षण अवश्य करना चाहिए। (शत० ब्रा० २।६।१।३३)

### (दुग्ध-प्राशन विषयक मतभेद)

पितृयज्ञ में बर्हिहोम तथा परिधि-होम के समय शेष हविष् दूध का हवन कर दिया जाय या जल में प्रक्षेप कर दिया जाय अथवा उसका प्राशन किया जाय? इस विषय में कुछ आचार्यों का मत है कि बर्हिहोम और परिधि-होम के समय-होमशिष्ट दूध का भी हवन कर देना चाहिए।

याज्ञवल्क्य इस मत का विशेष करते हैं उनके मतानुसार शेष दूध का अग्नि में प्रक्षेपण नहीं करना चाहिए। ऋत्विज उसका जल में प्रक्षेपण करें या प्राशन क्योंकि हृबन की जाने बायी यज्ञिय वस्तु के अल्पांश का प्राशन ही करना ही चाहिए। (शत० ब्रा० २।६।१।४८)

### अ—गार्हपत्यमन विषयक मतभेद

(अध्वर्यु द्वारा वेदी के समीप गमन में मतभेद)

वेदी के समीप गमन के विषय में दो मत हैं—प्रथम मत के अनुसार अध्वर्यु 'श्रीषट्' के लिए वेदी के समीप जाता है। इस समय वह अपने स्थान से सर्वप्रथम दाहिना पैर उठाकर आगे रखता है। पुनः वाम पाद रखकर 'श्रीषट्' के लिए अग्नीध्र का आह्वान करता है। द्वितीय मत के अनुसार अध्वर्यु सर्वप्रथम वाम पाद उठाकर आगे रखता है। पुनः दक्षिण पाद प्रतिष्ठित कर श्रीषट् के लिए अग्नीध्र का आह्वान करता है।

याज्ञवल्क्य यजमान के लिए प्रथम मत को अनुपयुक्त बताते हैं। उनके विचार से प्रथम मत के अनुसार अनुष्ठान करने वाला अध्वर्यु निश्चय ही शत्रु द्वारा यजमान के लिए पशु एकत्र करता है। (शत० ब्रा० १।१।४ २।३)

(पत्नीसयाजार्थ गार्हपत्य को आते समय अध्वर्यु के आगमन प्रकार विषयक मतभेद)

कुछ आचार्यों के मतानुसार अध्वर्यु को आहवनीय के पूर्व में होकर गार्हपत्य में आगमन करना चाहिए। इस मत का खण्डन करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यदि अध्वर्यु आहवनीय के पूर्व में आगमन करता है तो आहवनीय के पूर्व अन्य साधन न होने के कारण वह शरीर दश से यज्ञांग (अध्वर्यु) को यज्ञ-विमुख करता है। (शत० ब्रा० १।६।२।२)

अन्य आचार्यों के मतानुसार अध्वर्यु को यजमान पत्नी के पश्चिम की ओर से होकर आगमन करना चाहिए। याज्ञवल्क्य इस मत का भी निषेध करते हैं। उनका तर्क यह है कि अध्वर्यु यज्ञ का पूरार्थ तथा यजमान पत्नी अन्नवाहक है। अतः अध्वर्यु का उपर्युक्त मार्ग से होकर गमन करना अपने सिर को भस्म पर रखने की भांति होगा जिसका फल यह होगा कि वह यज्ञ से बाहर होमा। (शत० ब्रा० १।६।२।३)

अन्य आचार्यों के मत से अध्वर्यु को गार्हपत्य और पत्नी के बीच से होकर आगमन करना चाहिए। याज्ञवल्क्य इस मत का भी निषेध करते हैं कि यदि वह इस मार्ग से संचरण करता है तो यजमान-पत्नी को यज्ञ-विमुख कर देगा।

याज्ञवल्क्य स्वप्न प्रस्तुत करत हैं जिसके अनुसार अध्वर्यु गाहपत्य के पूर्व तथा आहवनीय के पश्चिम अर्थात् आहवनीय और गाहपत्य के बीच (साध मार्ग से संचरण करे। इस प्रकार वह (अध्वर्यु) यज्ञ से बाहर नहीं होता। (शत० ब्रा० १।६।२।४) आहवनीय को गमन करते समय भी उसने इसी (आहवनीय और गाहपत्य के अन्तराल) मार्ग का अनुसरण किया था। अतः अब भी उसे निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करना चाहिए।

## ८-होम विषयक मतभेद

(उखा में औद्ग्रभण होम-सम्पादन सम्बन्धी मतभेद)

कतिपय याज्ञिकाचार्य औद्ग्रभण आहुतियों को तप्त उखा में ही हवन करते हैं। उनके मत से ये आहुतियाँ काम्य वस्तुओं के लिए की जाती हैं। उखा यजमान की आत्मा है। इस प्रकार यजमान के लिए उसकी सब वस्तुएं प्रतिष्ठित होती है।

याज्ञवल्क्य इस मत का विरोध करते हैं, उनके विचार से उखा में प्रदीप्त अग्नि सम्पूर्ण हुए यज्ञ का तथा उन आहुतियों का सार है। यज्ञ-सम्पादन तथा औद्ग्रभण आहुति-होम सम्पन्न होने पर यज्ञ उखा पर आरोहण करता है। अध्वर्यु अग्नि पर उखासादन करता है। उखा यज्ञ को धारण करती है। अतः दीक्षणीय यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर तथा औद्ग्रभण आहुति हवन होने पर उखा अग्नि पर आसादित की जानी चाहिए। तात्पर्य यह कि औद्ग्रभण आहुतियों का हवन-कर्म उखा में न सम्पन्न किया जाना चाहिए। (शत० ब्रा० ६।६।१।२२)

(संतति होम में अतिरिक्त आहुति-हवन विषयक मतभेद)

संतति होम में पांच आहुतियों का विधान है जो अधोलिखित हैं :—

‘स्वर्णधर्मः स्वाहा’, ‘स्वर्णिकंः स्वाहा’, ‘स्वर्णं शुक्रः स्वाहा’,  
‘स्वर्णज्योतिः स्वाहा’, ‘स्वर्णसूर्यं स्वाहा’ (शु०य०सं० १८।५०)

इन पांच आहुतियों के अतिरिक्त अन्य शाखा में अग्निचयन सम्बन्धी किसी ब्राह्मण में यदि किसी आहुति का विधान है तो जिस आहुति को शेष समझा जाय उसे इस समय हवन कर देना चाहिए। काम प्राप्ति के लिए ही रथ (अग्नि) योजन होता है। इस अवसर पर जिस आहुति का हवन होता है वह प्राप्त होती है। इसके पूर्व अग्नि संस्कार न होने के कारण हवन किये जाने पर आहुति अनाप्त ही थी। [शत० ब्रा० ६।६।२।२७]

अन्य आचार्य अतिरिक्त आहुति-हवन के पक्ष में नहीं हैं। उनका मत है कि अतिरिक्त कार्य नहीं करना चाहिए।

याज्ञवल्क्य इन आचार्यों के मत का निषेध करते हुए कहते हैं कि इन अतिरिक्त आधान्तर ब्राह्मणोक्त आहुतियों का हवन करना चाहिए क्योंकि प्रवेश कामप्राप्ति के लिए ही इन आहुतियों का हवन होता है। कामों के सम्बन्ध में कुछ भी अधिक नहीं होता। (शत० ब्रा० ११।२।२८)

(दीर्घमन्त्री के प्रवासकाल में मृत्यु प्राप्त होने पर उसके अग्निहोत्र होम अर्पण के विषय में मतभेद)

कतिपय शास्त्रियों के मत से मृत व्यक्ति के परिवार द्वारा मृत शरीर को अग्निहोत्र करने के समय तक अग्निहोत्र होम का सम्पादन होना चाहिए।

याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध कर कहते हैं कि आहुतनीय अग्नि मूल शक्ति के लिए अग्निहोत्र होमार्थ नहीं है। इस प्रसंग में जो इच्छा हवन रूप में आहुत होगा वह अग्नि में सब दाह-कर्म के समान होगा। आहुतनीय का संप्रयोग आहुति-होम के लिए है, सबदाह के लिए नहीं। इस अनुष्ठान से आहुतनीयाग्नि प्रेत को पीड़ित करेगी। (शत० ब्रा० १२।५।१।१)

अन्य आचार्यों के विचार से अग्नि को उसी दशा में रहने देना चाहिए, अन्य आहुतियों को प्रदान न कर केवल प्रफुल्लित किये रहना चाहिए। याज्ञवल्क्य इस मत का भी निषेध करते हैं कि इस समय अग्नि में ईक्षण प्रक्षेपण सब-दाह कर्म के सदृश ही होगा। आहुतनीयाग्नि सबदाहार्थ नहीं अपितु हवनार्थ है। इस अनुष्ठान से अक्षमाशील आहुतनीयाग्नि यजमान के लिए दुःख उत्पन्न करेगी। (शत० ब्रा० १२।५।१।२)

कुछ आचार्यों के मतानुसार मृतक को उसके गृह से जाने पर आहुतनीय अर्थात् आहुतपत्य पीनी अग्निर्षो का अरणिर्षो पर आधान कर नवाग्नि-अभ्यन करना चाहिए। याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत का खण्डन करते हैं। आहुतनीय इस कार्य के लिए नहीं है। अग्निमन्वन सबदाह के सदृश ही होगा। आहुतनीय आहुति-हवनार्थ है। इस प्रकार अक्षमाशील अग्नि प्रेत के लिए दुःख का कारण बनेगी। (शत० ब्रा० १२।५।१।३)

याज्ञवल्क्य सम्भन प्रस्तुत करते हैं कि वत्स (कच्छपा) रहित भाग जिसका अग्नि अन्न वत्स द्वारा सम्पादित होता है, के रूप से हवन करना चाहिए। उक्त

गन्ध का दूध तथा मृताग्निहोत्र दोनों दूषित हैं इस प्रकार दूषित से दूषित का निराकरण कर श्री प्राप्त होती है। इसी से सम्बन्धित एक उपमा है—यदि दो टूटे हुए रथों को एक कर दिया जाय तो वह बहूनार्थ समर्थ होगा। वह उचित कार्य कर सकता है। तथा यजमान का बहन कार्य भी। (शत० ब्रा० १२।१।१।५)

(प्रथम चिति में इष्टकोपधान विषयक मतभेद)

प्रथम चिति की प्रत्येक दिशा में दस प्राणभृत् इष्टकाओं का उपधान किया जाता है। पाँच बार पचास इष्टकाएं उपहित होती हैं। पाँच यज्ञीय पशु होते हैं और प्रत्येक पशु में दस प्राण होते हैं। इस प्रकार पचास संख्या पूर्ण होती है।

शुक्लयजुर्वेदीय आचार्य पचास प्राणभृत् इष्टकाओं का उपधान करते हैं। पूर्व भाग में उपहित होने वाली इष्टकाएं प्राणभृत् हैं। पश्चिम में उपधान की जाने वाली इष्टकाएं चक्षुभृत् हैं। इन्हें ही अपानभृत् कहते हैं। दक्षिण की ओर उपहित होने वाली इष्टकाएं मनोभृत् तथा वे ही व्यानभृत् हैं। उत्तर की ओर उपहित होने वाली इष्टकाएं श्रोत्रभृत् तथा वे ही उदानभृत् हैं। मध्य में उपहित की जाने वाली इष्टकाएं वाग्भृत् और वे ही समानभृत् हैं। (शत० ब्रा० ८।१।३।६)

श्रकाचार्यों के मत से अपानभृत्, व्यानभृत्, उदानभृत्, समानभृत्, चक्षुभृत् श्रोत्रभृत् तथा वाग्भृत् इस प्रकार क्रमशः इष्टकोपधान करना चाहिए।

याज्ञवल्क्य श्रकाचार्यों के मत का निरसन करते हैं कि दूध कार्य से आग्निष्य प्रतीत होता है। वे अपने पूर्ण मत के अनुसार ही उपधान के लिए आदेश देते हैं। कारण यह प्रस्तुत करते हैं कि उस प्रकार अग्निवेदी में सब रूपों का उपधान हो जाता है। (शत० ब्रा० ८।१।३।७)

### ४—क्रम विषयक मतभेद

(प्रदग्ध कर्म में आप्यायन, अवान्तरदीक्षा, तानूनप्त्र का अथवा तानूनप्त्र अवान्तरदीक्षा, आप्यायन का क्रम हीना चाहिए ?)

ऋत्विज और यजमान भदन्ती जल का स्पर्श कर आज्य संलग्न हस्त का नक्षामन कर सोम को तीव्र करते हैं (जिसे आप्यायन कहते हैं)। भदन्ती जल स्पर्श कर सोम को तीव्र करने का कारण यह है कि आज्य बज्र है। सोम शीघ्र है। भदन्ती जल का स्पर्श करने के पश्चात् सोम का आप्यायन करने से शीघ्र घट नहीं किया जाता है। (शत० ब्रा० ३।४।३।१।१) ब्रह्मकादियों

के मत से जिस सोम के लिए यह आतिथ्य किया जाता है उसका सर्वप्रथम आप्यायन तत्पश्चात् अवान्तरदीक्षा एवं तानूनप्त्र से स्वस्कार करना चाहिए ।

याज्ञवल्क्य ब्रह्मवादिनों के मत का निराकरण करते हैं कि यह माजिक कर्म है । उनमें पहले कलह हुआ था । अतः उन्होंने सर्वप्रथम उस कलह का शमन किया, यज्ञ की समाप्ति तक कलह न करने की प्रतिज्ञा की । अतः तानूनप्त्र, अवान्तरदीक्षा, आप्यायन क्रमशः सम्पन्न होते हैं । (शत० ब्रा० ३।४।३।१२) आप्यायन करने का कारण यह है कि सोम देव है । खुलोक उनका निवासस्थान है । सोम वृत्र थे । त्वष्टा जब इन्द्र को अलग कर (विष्वरूप का बध करने के कारण) सोम हवन करने जा रहा था, इन्द्र ने सोमगान कर लिया । अबशिष्ट सोम को ही उसने आहुतिद्रव्य बनाया जिससे एक विशानकाय वृत्र उत्पन्न हुआ । इसीलिए सोम का वृत्रत्व बताया गया । पर्वत और चट्टानें बसके शरीर हैं । उन पर एक वनस्पति उगती है जिसे (उजाना, कहीं-कहीं जिसे दुधाना भी) कहते हैं । यह कथन श्वेतकेतु और औदालक का है । ऋत्विज यहाँ से इस वनस्पति का आहरण करते हैं और उसका अभिषेक करते हैं । पुनः दीक्षा और उपमद् तथा तानूनप्त्र एवं आप्यायन से वे सोम निर्मित करते हैं । (शत० ब्रा० ३।४।३, १३)

### (ग्रह-ग्रहण-क्रम विषयक मतभेद)

याज्ञवल्क्य के मतानुसार सर्वप्रथम शुक्र और मन्थी ग्रहों को ग्रहण किया जाता है क्योंकि यह माध्यन्दिन सवन युक्तवान् है । इसके पश्चात् आश्विनग्रह-ग्रहण होता है क्योंकि यह सब सवनों में ग्रहण किया जाता है । आश्विन के पश्चात् मरुत्वतीय का और उसके बाद उक्थ्य ग्रह ग्रहण किया जाता है क्योंकि इन माध्यन्दिन सवन में भी उक्थ्य स्तोत्र होते हैं । (शत० ब्रा० ४।३।३।२) अन्य आचार्य ग्रह-ग्रहण के इस क्रम को अस्वीकार करते हैं । उनके मतानुसार शुक्र, मन्थी, आश्विन ग्रहों के ग्रहणानन्तर उक्थ्य का तत्पश्चात् मरुत्वतीय का ग्रहण होना चाहिए । उनका तात्पर्य यह है कि प्रातःसवन में आश्विन के बाद उक्थ्य का ग्रहण हुआ था । उसी प्रकार यहाँ भी होगा ।

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत का निराकरण करते हैं कि प्रातः सवन के ग्रह-ग्रहण काल में उस प्रकार के क्रम को स्वीकार कर लेने पर भी माध्यन्दिन सवन में पहले मरुत्वतीय ग्रह को तत्पश्चात् उक्थ्य ग्रह का होना हीना है । इसीलिए हीमानुसार मरुत्वतीय का पूर्व ग्रहण भी होना चाहिए । (शत० ब्रा० ४।३।३।३)

### { धिष्ण्य क्रम विषयक मतभेद

शलाकाओं से क्रमशः धिष्ण्यों पर आज्य गिराते समय अन्त में किस धिष्ण्य पर आज्य गिराना चाहिए ? इस विषय में मतभेद है । याज्ञिक परम्परा के अनुसार अथर्वसू प्रचरणी में सुक् से चार बार आज्य ग्रहण कर शलाकाओं द्वारा धिष्ण्यों पर गिराता है । शलाकाओं से धिष्ण्यों पर घृत प्रक्षेपण का कारण यह है कि पहले देवताओं ने मन्धर्वों में यह कहा था कि तृतीय सवन में तुम्हें एक आज्याहुति दी जायगी किन्तु मोम की नहीं इसका कारण यह है कि तुम लोगों के समीप से सीमाहरण किया गया था । इस प्रकार घृताहुति उनके अंश में पड़ी । अतः अथर्वसू शलाकाओं द्वारा धिष्ण्यों पर घृत छोड़ता है । आसादन क्रम के अनुसार उन्हीं मन्त्रों (शु०य० सं० ५।३१, ३२) से एक के बाद दूसरे पर घृत स्रवण करता है । अन्त में भार्गवीय धिष्ण्य का स्थान होता है । (शत० ब्रा० ४।४।२।७)

कुछ आचार्यभार्गवीय धिष्ण्य पर घृत प्रस्रवणानन्तर पुनः एक बार आग्नी-धीय धिष्ण्य पर घृत स्रवण के लिए मत प्रस्तुत करते हैं । याज्ञवल्क्य इस मत का निरसन कर भार्गवीय को ही अन्तिम धिष्ण्य बताने हैं । [शत० ब्रा० ४।४।२।८]

### इ-उपस्थान विषयक मतभेद

(सायंकालिक अग्न्युपस्थान (अग्निओं के समीप गमन) विषयक मतभेद)

याज्ञवल्क्य के मतानुसार अग्न्युपस्थान सायंकाल भी करना चाहिए । दोनों अग्नियाँ ब्राह्मण हैं, उन्हीं में यजमान याचना करता है । अतः सायंकाल अग्नि के समीप गमन कर सम्मान देना चाहिए क्योंकि सायंकाल ही देवता अग्नि के समीप गये थे । उपस्थान से वधु प्राप्त होते हैं । [शत० ब्रा० २।३।४।३]

कुछ याज्ञिकों के विचार से सायंकालिक अग्नि-उपस्थान नहीं करना चाहिए क्योंकि पहले देवता और मनुष्य एक साथ निवास करते थे । किसी वस्तु के अभाव में वे देवताओं से याचना करते थे । फलतः याचना के कारण देवता तिरो-हित हो गए । अतः अग्नि भी अपने प्रति यजमान के अपराध तथा उसके प्रति घृणा से बचने के लिए उपस्थान द्वारा याचित होने पर तिरोहित ही जाते हैं ।

याज्ञवल्क्य के मत से उपस्थान करना चाहिए क्योंकि यज्ञ यजमान के प्रति देवताओं का आशीः [फल प्रायश्ना रूप] है और अग्निहोत्राहुति निःसदेह यज्ञ सर्वज्ञ है । अथर्वसू उपस्थान यजमान के प्रति आशीः ही है । [शत० ब्रा० २।३।४।४]

पूर्वपक्षी आचार्यों के विचार से ब्राह्मण तथा क्षत्रिय स्तुति एवं परिचर्या करने वाले व्यक्ति का अभीष्ट पूर्ण करते हैं। निष्ठुर वचन बोलने वाला व्यक्ति विद्वेष करता है। समन्वक होम से अग्नि का आराधन ही करना चाहिए। उपस्थान निष्ठुर भाषण के समान अपराध का कारण है। फलतः उपस्थान करना नुचित है। [मत्० ब्रा० २।३।४।६]

याज्ञवल्क्य उपस्थान के पक्ष में कहते हैं कि जो व्यक्ति याचना से दाता के समीप समन करता है वह एकाकी है। उसका स्वामी अर्थात् भृत्य के विषय में अनभिज्ञ है। भृत्य द्वारा 'मैं तुम्हारा भायं (तुम्हारे द्वारा भरण किया जाने वाला) मेरा भरण करो।' कहने पर स्वामी उसके भरण वीक्षण के लिए स्वयं चिन्तित होता है। अतः अग्नि-उपस्थान करना सर्वथा उचित है। (मत्० ब्रा० २।३।४।७)

### त—प्रायश्चित्ति-विधान विषयक मतभेद

(अन्य व्यक्ति के लिए यज्ञानुष्ठान सम्पादनोपरान्त प्रायश्चित्ति-विधान विषयक मतभेद)

वस्तुतः तीन समुद्र हैं—एक है अग्नि यज्ञों का, दूसरा है महाज्ञान साम का और तीसरा है महदुग्ध्य ऋचाओं का। जो व्यक्ति इन तीन कर्मों को दूसरे व्यक्ति के लिए सम्पन्न करता है वह अपने लिए इन समुद्रों को शुष्क कर देता है। उनके शुष्क होने पर छन्द शुष्क हो जाते हैं। छन्दों के पश्चात् लोक लोकाभांतर आत्मा और आत्मा के पश्चात् उसकी सन्तान तथा उसके पशु शुष्क हो जाते हैं। जो इन कर्मों को अन्य व्यक्ति से लिए करता है वह दिनोदिन पापी [निर्जीव] होता है। [मत्० ब्रा० २।४।२।१२] जो इन यज्ञों और ऋतुओं में सहायक ऋत्विज का कार्य करता है उसके लिए इन समुद्रों से छन्द पुनः उसी रूप में हो जाते हैं। वे पूर्ण हो जाते हैं, छन्दों के पश्चात् उसकी सन्तान और पशु प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति दिनोदिन श्रेय प्राप्त करता है क्योंकि ये कर्म वस्तुतः उसकी देवी तथा अमृत प्रतिमा हैं जो उन्हें अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उस देवी आत्मा को अन्य के लिए ही करता है और वह एक शुष्क स्थाणु रूप में अवशिष्ट रहता है। [मत्० ब्रा० २।४।२।१३]

कुछ आचार्यों का मत है कि अन्य व्यक्ति के लिए उनका सम्पादन करके अनुष्ठाना या तो अपने लिए या पुनः उस यज्ञानुष्ठान के लिए यज्ञ करें। इस कर्म की यही प्रायश्चित्ति है। [मत्० ब्रा० २।४।२।१४] याज्ञवल्क्य इस मत का स्पष्ट करते हैं कि यह शुष्क और निर्जीव काष्ठ को जीवने के समान होगा। जिस अनुष्ठाना को इससे अवगत होना चाहिए कि इस कर्म में कोई प्रायश्चित्ति



नहीं है। (शत० ब्रा० ८५२१५) स्वमन पुष्टि के लिए वे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। शाण्डिल्य ने एक बार कहा था कि तुम्हारा वषय न एक बार कारी ताम्र दन्वाभों के लिए अग्निचयन किया। देवताओं ने उससे पूछा—“ऋषि यह जानते हुए कि अग्निचयन स्वर्ग सम्पादन नहीं करता, आपने इसका चयन क्यों किया?” (शत० ब्रा० ६।५।२।१५) उन्होंने उत्तर दिया—“स्वर्ग का सम्पादनक तथा अमम्पादनक क्या है? यजमान यज्ञ का शरीर और ऋत्विज अंग हैं। जहाँ शरीर रहता है वहीं अंग भी रहते हैं अथवा जहाँ अंग रहते हैं वही शरीर भी रहता है। यदि ऋत्विजों को स्वर्ग में स्थान नहीं है तो यजमान के लिए भी स्थान नहीं है क्योंकि दोनों ही समान लोक के हैं। इतना अवश्य करना चाहिए कि यज्ञ की रक्षणा में संवाद न होना चाहिए क्योंकि संवाद से ऋत्विज स्वर्ग में अपने स्थान को न प्राप्त कर सकेंगे। (शत० ब्रा० ६।५।२।१६)

(दुग्धदोहन के समय अग्निहोत्री (गाय) के बैठ जाने पर करणीय कर्म तथा प्रायश्चित्त विषयक मतभेद)

कुछ आचार्य “उदस्थाद्देव्यदितिरायुर्यज्ञपतावधादिन्द्रायकृण्वती भागमित्राय वरुणाय च” (सं० सं० १२।८।१) मन्त्र से गाय का उत्पादन करते हैं। उनके विचार से पृथ्वी अदिति है, ‘आयुर्यज्ञपतावधात्’ कहकर यजमान में आय का आसादन किया जाता है। ‘इन्द्रायकृण्वती भागम्, कहकर यजमान में इन्द्रिय तथा ‘मित्राय वरुणाय च’ कह कर मित्रावरुण प्राण और उदान होने के कारण यजमान में प्राण और उदान की प्रतिष्ठा होती है। वह अग्निहोत्री (गाय) यजमान के गृह पुनरागमन न करने वाले ब्राह्मण को दे दी जानी चाहिए। उनका यह भी कथन है कि अग्निहोत्री यजमान के दुःख तथा पाप देखकर नेट गयी थी। इस प्रकार ब्राह्मणार्थ उस गाय को देकर यजमान के दुःख तथा पाप ब्राह्मण पर छोड़ देते हैं। (शत० ब्रा० १२।४।१।६)

य जबल्लभ उपर्युक्त मत को दोषपूर्ण सिद्ध करते हैं—इस प्रकार वह गाय इन अश्वदालु व्यक्तियों के समीप से वापस आती है। वे इन आहुति को अति पहुँचाते हैं। उचित मार्ग का निर्देश करते हुए याज्ञवल्क्य का कथन है कि ‘दण्डप्रहार कर उस गाय का उत्पादन करना चाहिये जैसे कि रथ में जुते हुए अश्व, खरचर या वृषभ के श्रान्त हो जाने पर उसे दण्ड या अंकुश से आगे बढ़ा कर अभीष्ट मार्ग की यात्रा पूरी की जाती है। उसी प्रकार दण्ड द्वारा उत्पादित गाय से यजमान स्वर्ग प्राप्त करता है।’ (शत० ब्रा० १२।४।१।१०) स्वमत पुष्टि के लिए आचार्य आह्वणि का मत प्रस्तुत करते हैं— ‘उस यजमान की

अग्निहोत्री 'गौ' वत्स वायु तथा अग्निहोत्र स्थानी पृथ्वा है। इनके जाता का अग्नि  
 हाता (गाय) कभा त्रिनष्ट नहीं जाता क्योंकि द्यौ, कभी तष्ट नहीं हाता और त  
 ती अग्निहोत्री का वत्स रूप वायु और न अग्निहोत्र स्थानी रूप पृथ्वी ही तष्ट  
 होते हैं। पर्यन्त श्रीवृष्टि करते हैं। यजमान को यह जानना चाहिए कि  
 'अग्निहोत्री (गाय) ने मेरी श्री तथा माहिमा को धारण करने में असमर्थ होकर  
 शयन किया था। मैं अधिकाधिक श्रीवान् बनूंगा।' [शत० ब्रा० १२।४।१।११]  
 अतः याज्ञवल्क्य का मत ही स्वीकार्य है।

[दुग्धदोहन-काल में दूध के अशुद्ध हो जाने पर करणीय कर्म तथा प्रायश्चित्त  
 विषयक मतभेद]

कुछ आचार्यों के मतानुसार उम दूध का होम करना चाहिए। होम न  
 करना अनुचित होगा। वस्तुतः देवताओं को किसी वस्तु में बिरफित नहीं है। उम  
 मत के विरोध में याज्ञवल्क्य का कथन है कि देवता भी घृणित वस्तु से बिरफित  
 रखने हैं। उनके मतानुसार गार्हपत्य में कुछ उष्ण अंगारों को निकालकर उन  
 पर अमत्रक दूध छोड़कर जल डालना चाहिए। इसके अनिश्चित दूध प्राप्त  
 होने पर आहुति हवन करना चाहिए। [शत० ब्रा० १२।४।२।२]

[सूक् पात्र ग्रहणानन्तर अग्निहोत्र [दूध] के गिर जाने पर करणीय कर्म  
 तथा प्रायश्चित्त विषयक मतभेद]

कुछ आचार्य गिरे हुए दूध को प्रायश्चित्त-मन्त्र से स्पर्शानन्तर डाक्टर  
 सूक् पात्र में अवशिष्ट दूध से हवन करने का विधान करते हैं। सूक् पात्र न  
 अधोमुख हो जाने पर, दुग्ध-पतन होने पर उक्त प्रायश्चित्त मन्त्र से शर्वा कर  
 स्थानी में अवशिष्ट दूध से हवन करना चाहिए। [शत० ब्रा० १२।४।२।३] अतः  
 आचार्य पुनः गार्हपत्य के समीप जाकर स्थानी में अवशिष्ट दूध का हवन करते  
 हैं। याज्ञवल्क्य इस मत का निराकरण करते हैं क्योंकि अग्निहोत्र स्वर्ग-  
 सम्पादक है। उम स्थिति में अश्वर्यु के प्रति किसी अभिज्ञ के दूध कथन पर कि  
 'इसने स्वर्गलोक से यजमान को नीचे उतारा है।' यह आहुति स्वर्ग सम्पादक न  
 बन सकेगी। फलतः यजमान स्वर्ग न प्राप्त कर सकेगा। [शत० ब्रा० १२।४।२।३]

याज्ञवल्क्य के मतानुसार अश्वर्यु को बही स्थित हो जाना चाहिए।  
 स्थानी में अवशिष्ट दूध सूक् पात्रादि द्वारा उसके पास तक पहुँचाया जाना  
 चाहिए। कुछ मनुष्य उसे यह दूध आहुति-शेष है, यह शक्ति रहित है, इसका  
 हवन न करना चाहिए। आदि कथन पर उने उत्तरिध बना सकते हैं किन्तु इन  
 बातों की ओर उसे ध्यान ही न देना चाहिये क्योंकि शक्तिहीन [अथात्म्यात्]

होने पर दूध से आतचन कम होता है। अतः स्थानीय अदक्षिष्ट दूध को अथर्व्यु के समीप पहुँचाना चाहिए। दूध न रहने पर दूसरे दूध के आनयनापरान्त अग्नि पर अधिश्रयण करने के पश्चात् अथर्व्यु के समीप ह्यंमार्य ले जाना चाहिए। [शत० ब्रा० १२।४।२।८]

[सूक् स्थित अग्निहोत्र [दूध] में अमेध्य पड़ जाने पर करणीय कर्म तथा प्रायश्चित्त विषयक मतभेद]

कुछ आचार्य अमेध्य पड़ जाने पर भी अग्निहोत्र हवन का विधान करते हैं। अन्य आचार्यों के मतानुसार अमेध्य निकालने के लिए सूक् पात्र को दूध से पूर्ण कर देना चाहिए। याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करते हैं कि उस स्थिति में किसी अभिज्ञ द्वारा यह कथन करने पर कि 'निःसन्देह इस ब्राह्मण [ऋत्विज] ने अग्निहोत्र का अधःपात कर दिया।' यजमान का भी स्वर्ग से अधःपतन होगा। याज्ञवल्क्य के मतानुसार आहवनीय में समिधाधानानन्तर उससे उष्ण अंगारों को निकाल कर अंगारों पर दूध डालने के अनन्तर जल छोड़ना चाहिए। अन्य दूध की प्राप्ति होने पर उससे हवन करना चाहिए। [शत० ब्रा० १२।४।२।६]

(गार्हपत्याग्नि के बुझ जाने पर करणीय कर्म तथा प्रायश्चित्त विषयक मतभेद)

इस स्थिति में कुछ आचार्य उल्मुक (अंगारों) से अग्नि निमित्त करते हैं। याज्ञवल्क्य उपर्युक्त रीति का निषेध कर अधोलिखित मत का प्रतिपादन करते हैं—

उल्मुक से एक कोयला लेकर दो अरणियों पर मन्थन करना चाहिए। इस प्रकार वह उल्मुक की अग्नि तथा अरणियों से भयी गयी अग्नि के कामों को प्राप्त करता है। (शत० ब्रा० १२।४।३।३)

(आहवनीय के श्लेष रहने पर तथा गार्हपत्य से बुझ जाने पर करणीय कर्म तथा प्रायश्चित्त विषयक मतभेद)

इस स्थिति में कुछ आचार्य आहवनीयाग्नि से नवाग्नि ग्रहण कर उसे पूर्व की ओर ले जाते हैं। याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करते हैं कि किसी अभिज्ञ के इस कथन पर 'इस अथर्व्यु ने यजमान के सामने के प्राणों को अवद्वन्द्व कर दिया।' यजमान की मृत्यु हो जायगी। (शत० ब्रा० १२।४।३।६)

(आतिथ्येषुष्टि मे द्विविग्रहण विधि विषयक मतभेद)

सोमक्रयणानन्तर आतिथ्येषुष्टि का विधान है। इस समय विष्णु को नवकपालपुरोडाश प्रदान किया जाता है। पुत्रोडाशार्थ हविर्ग्रहण में मतभेद है। तैत्तिरीय आचार्यों के मतानुसार अध्वर्यु को सोम के समक्ष स्थित होकर हविर्ग्रहण करना चाहिए क्योंकि पूज्य व्यक्ति के आगमन पर उसकी पूजा होती है अन्यथा वह क्रुद्ध हो जाता है। (शत० ब्रा० ३।४।१।३) तदनन्तर अन्न शकट पर सोम है, उसमें जुते हुए वृषभों में से एक को युग से अलग कर देना चाहिए क्योंकि एक वृषभ मुक्त करने से सोम राजा का आगमन तथा दूसरे के जुते रहने से सोम का सम्मान हुआ। (शत० ब्रा० ३।४।१।४) लोक में भी बिना यान से उतरे किसी का आगमन अनिश्चित ही होता है।

इस मत के विपरीत याज्ञवल्क्य का मत है कि दोनों वृषभों के युग से विभोचन तथा सोम को शालान्तर्गत करने पर ही हविर्ग्रहण होना चाहिए क्योंकि मनुष्यों के आचरण देवाचरण सदृश ही होते हैं। व्यवहार में भी जब तक कोई अशुभ अपना यान छोड़ कर नहीं आता तब तक न तो उसके स्वागतार्थ जल प्रदान और न उसका सम्मान ही होता है। यान में अवरोहण करने पर अन्ननयन कर संस्कार किया जाता है। (शत० ब्रा० ३।४।१।५) अध्वर्यु को हविर्ग्रहण शीघ्रतापूर्वक करना चाहिए। इससे सोम की पूजा होती है। हविर्ग्रहण के समय यजमान पत्नी को अध्वर्यु का स्पर्श करना चाहिए तथा सोम द्वारा परिक्रमा के समय वहाँ यजमान को भी स्थित रहना चाहिए। इस प्रकार पति-पत्नी सोम की सेवा में रहते हैं। लोक में भी जब कोई अहन्त व्यक्ति आता है तो सम्पूर्ण परिवार उसकी सेवा-सुभूषा में रहता है। (शत० ब्रा० ३।४।१।६)

(अभ्याधानान्तर्गत सम्भरण विषयक मतभेद)

कुछ आचार्यों के मत से पृथ्वी पर ही सब सम्भारों की प्राप्ति के कारण पृथ्वी पर ही आधान करना उचित होगा। इस प्रकार सम्भरण की आवश्यकता ही न रहेगी।

याज्ञवल्क्य के मत से सम्भार-सम्भरण करना ही चाहिए क्योंकि सम्भारों से जो निष्पन्न होता है वह आधान है। सम्भार-रहित होने पर आधान ही न होगा तो पृथ्वी सम्बन्ध से सम्भरण प्राप्ति कैसे होगी? (शत० ब्रा० २।१।१।१४)

(आधान विषयक मतभेद)

यजमान ऋत्विजों द्वारा अन्न (उपवसथ दित का दूध) ग्रहण कर उसमें

समिधा डुबो कर आधान करता है। कुछ आचार्यों के मतानुसार समिधा को उम्र व्रत (दूध) में नहीं डुबाना चाहिए। व्रत में डुबाने से व्रतमान आहुति हवन करता है जो एक दीक्षित के लिए उचित नहीं है। (शत० ब्रा० ६।६।४।४)

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत का निषेध कर समिधा को व्रत में डुबाने का मत प्रस्तुत करते हैं क्योंकि आहवनीयाग्नि यज्ञमान का देवी शरीर तथा भौतः शरीर मानुष है। व्रत में समिधा न डुबाने पर वह अपने देवी शरीर को तुल्य नहीं करता। समिध होने के कारण यह आहुति नहीं है तथा व्रत में डुबाने से व्रत के अन्त होने के कारण यह भी अन्त है। (शत० ब्रा० ६।६।४।५)

(जल के साक्षात्-सम्पर्क के विषय में मतभेद)

अध्वर्यु चात्वाल पर वसतीवरी जल और मैत्रावरुणवमस का स्पर्श करता है।

याज्ञवल्क्य के मतानुसार अध्वर्यु को 'समागोऽद्भिरगमत् समोपधोभिरप-  
धीः' (शु० य० सं० ६।२८) मन्त्र से स्पर्श करना चाहिए। इस प्रकार अध्वर्यु स्पर्श मात्र से ही कल तथा आज आहरण किये गये यज्ञ-रस का मिश्रण करता है। अन्य आचार्य वसतीवरी जल को मैत्रावरुण वमस में और मैत्रावरुण वमस से कुछ ग्रहण कर वसतीवरी में मिश्रित करने का विधान करते हैं। उनका तर्क है कि पूर्व दिन तथा यज्ञ के दिन आहरण किये गये रस मिश्रित होते हैं।

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत का निषेध करते हैं। उनके मतानुसार अध्वर्यु जब जल को आहवनीय में डालता है तब दोनों प्रकार के रस मिश्रित होते हैं। (शत० ब्रा० ६।६।३।३०)

(सोम पर जल-निनयन विषयक मतभेद)

प्राचीन वंश के समक्ष आसन्दी पर स्थापित सोम का आसन्दी के साथ ही प्राचीन वंश में प्रवेश होता है। दीक्षित-मन्त्र (गमनागमन मार्ग) से चलकर आहवनीय के दक्षिण सोमस्थापन दिया जाता है। कुछ आचार्यों के मतानुसार इस अवसर पर जल से पूर्ण पात्र का निनयन करना चाहिए क्योंकि सोम क्षत्र है। तथा क्षत्र ही राजा होता है। जैसे जब किसी व्यक्ति के गृह राजा का आश्रय होता है वह उसे आसम देने के पश्चात् जल देता है।

याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करते हैं कि इस अवसर पर जल-निनयन यज्ञ में मानुष कार्य करने के सदृश है जो यज्ञ की अपूर्णता का परिचायक है। अतः अपूर्णतासूचक कार्यानुष्ठान की आवश्यकता ही क्या है? (शत० ब्रा० ३।३।४।३१)

(अध्यायान म ब्रह्मीदन श्रपण विषयक मतभेद)

कुछ याज्ञिकाचार्य चारो ब्राह्मणो (होता, अश्वर्यु, अपनीत् एवं ब्रह्मा) के लिए ओदन-पकाने का मत्त प्रस्तुत करते हैं। उनके विचार से ब्राह्मणों द्वारा ओदनाशन छन्द तुरिष्ट के लिए है। भोजन के रहने पर ऋत्विज उचित रूप से सम्प्राञ्चरण कर सकेंगे। यह कार्य यात्रा से पूर्व बाहन-तृप्ति के सदृश होगा।

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत का निषेध करते हैं। उनके विचार से ब्रह्मीदन-पकाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यजमान के गृह में यज्ञ-सम्पादक तथा असम्पादक दोनों प्रकार के ब्राह्मण हैं। उक्त निषाममात्र से ही ओदनाशन कराने से प्राप्त होने वाली कर्मदा पूर्ण हो जवनी है। (शत० ब्रा० २।१।४।४)

(व्यूह द्वादशाहभाग में ग्रहों के व्यूहन (स्थान विपर्यय में मतभेद)

यजमान व्यूह छन्दो के मातृ द्वादशाह करना है। उस समय अश्वर्यु ग्रह-व्यूहन तथा उद्गाता और होना छन्द-व्यूहन करते हैं। व्यूहन तृतीय दिन (शत० ब्रा० ४।५।२।१), चतुर्थ दिन (शत० ब्रा० ४।५।२।२), षष्ठ दिन (शत० ब्रा० ४।५।२।४), सप्तम दिन (शत० ब्रा० ४।५।२।६), तथा नवम दिन (शत० ब्रा० ४।५।२।८) होता है। तृतीय दिन ऐन्द्रवायव्य ग्रह-ग्रहण से, चतुर्थ दिन आश्रयण ग्रह से, षष्ठ दिन शुक्र ग्रह-ग्रहण से, सप्तम दिन भी शुक्र ग्रह-ग्रहण से और नवम दिन आश्रयण ग्रह-ग्रहण से प्रारम्भ करता है।

कुछ आचार्यों के मतानुसार ग्रह-व्यूहन (स्थान व्यतिरय) न होना चाहिए क्योंकि ग्रह प्राण सदृश हैं। अश्वर्यु को प्राण-विमोहन न करना चाहिए। ग्रह-व्यूहन से वह प्राण-विमोहन ही करता है। अतः उक्त ग्रहों का स्थानान्तरण सर्वथा अनुचित है। (शत० ब्रा० ४।५।२।१०)

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत का निषेध करते हैं। उनके मतानुसार ग्रह-व्यूहन करना ही चाहिए क्योंकि ग्रह द्वादशाह शरीर के अंग हैं। जैसे सोता हुआ व्यक्ति अपने अंगों को इच्छानुसार एक ओर से दूसरी ओर घुमाता है उसी प्रकार द्वादशाह के अंग रूप ग्रहों का व्यूहन भी अंगों को घुमाना ही है। अतः अश्वर्यु को ग्रह-व्यूहन अवश्य करना चाहिए। (शत० ब्रा० ४।५।२।११)

पूर्वाचार्यों का पुनः कथन है कि ग्रह-व्यूहन नहीं करना चाहिए क्योंकि ग्रह प्राण हैं। व्यूहन करने पर अश्वर्यु प्राणों को भी स्थानान्तरित कर देगा। (शत० ब्रा० ४।५।२।१२) याज्ञवल्क्य का कथन है कि उद्गाता और होता द्वारा छन्द व्यूहन होने पर अश्वर्यु क्या करे? अतः (यज्ञ सौष्ठव रक्षार्थ) उसे

इष्ट्युहण करे' चाहिए। प्रातः सवन में आहुतवायव्य ग्रह का साध्य दिन मन्त्रन म  
 बुध ग्रह का तथा सोम सवन या तृतीय सवन म आहुतयण ग्रह ग्रहण सम्पन्न कि  
 जाता है। (भात० ब्रा० ४।३।१३)

(गजसूय यज्ञ में यज्ञमानाभिषेक कालिक उत्पन्नावाव्यूहन विषयक मतभेद)

अध्वर्यु यज्ञमान को वस्त्र धारण कराता है। उष्णीष को निवीत रूप में  
 कण्ठ में डाल कर नाभि प्रदेश पर उसके समक्ष उष्णीष के अन्न में नीची के स्थान  
 पर 'क्षत्रस्य नाभिरसि' मन्त्र से प्रस्थि दी जाती है। इस प्रकार अध्वर्यु यज्ञमान  
 को क्षत्र की नाभि में स्थापित करता है। (भात० ब्रा० ५।३।५।२३) अन्य  
 याज्ञिकाचार्य उष्णीष को सब ओर से नाभि देश में परिवेष्टनार्थं मत प्रस्तुत  
 करते हैं। उनका तर्क है कि क्षत्रिय की उष्णीष रुधा नाभि भी परिवेष्टित होती  
 है। अतः 'क्षत्रस्य नाभिरसि' इस मन्त्र से उष्णीष के नाभिरव वासन से उसके  
 साम्य के लिए चारों ओर से वेष्टन उचित ही है।

याज्ञवल्क्य के मतानुसार नाभि प्रदेश के पूर्व भाग में प्रस्थि दे देनी चाहिए  
 क्योंकि नाभि सङ्ग यह प्रस्थि भी सामने ही होती है। अध्वर्यु द्वारा यज्ञमान  
 को वस्त्र धारण कराने के कारण वह यज्ञमान पूनः उत्पन्न होता है क्योंकि ये  
 वस्त्र उर्वर, जगधु और योनिरूप हैं। अध्वर्यु में उत्पन्न यज्ञमान का अभिषेक  
 नाभिसि' यह विचार करते हुए यज्ञमान को वस्त्र धारण कराता है। (भात० ब्रा०  
 ५।३।५।२४)

(अग्निचयन में आहुतनीय तथा गार्हपत्य-मार्जन विषयक मतभेद)

अध्वर्यु पूर्व स्थितियों के अपनयनार्थं तथा अग्नि को स्थित करने के लिए  
 (शु०य०स० १२।१५) मन्त्र से गार्हपत्य स्थान का मार्जन करता है। अन्य याज्ञिकों  
 के मत से अध्वर्यु को पलाश-शाखा से गार्हपत्य के समान आहुतनीयता का भी  
 मार्जन करना चाहिए क्योंकि दोनों अक्सरों पर वह एक-एक वेदी का स्वयं  
 करता है।

याज्ञवल्क्य के मतानुसार यज्ञमान गार्हपत्य ज्वलन कर अवस्थित होता है  
 तथा आहुतनीय वेदी से वह ऊर्ध्व गमन करता है। यह उचित ही है कि जिस  
 स्थान पर निवास किया जाय उसकी श्रुद्धि के लिए मार्जन कर दिया जाय।  
 आहुतनीय से आरोहण किया जाता है। अतः उसके मार्जन की आवश्यकता नहीं  
 है। (भात० ब्रा० ७।३।१।७)

(हिरण्यपुरुष के बाहुकरण विषयक मतभेद)

कुछ आचार्य स्वर्ण पुरुष की दो शूल रूप बाहुओं के वर्तमान रहने पर अध्व

ना बाहुओं के निर्माण का विचार करत हैं उनके विचार म शुक के अतिरिक्त व हुनिर्माण से अग.प्रिय हागा जो अनुचित है . इस मत के विरोध मे याज्ञवल्क्य का कथन है कि हिरण्यपुरुष की दोनों बाहुओं का निर्माण होना चाहिए क्योंकि स्वर्ण-पुरुष सम्बन्धितो दोनों बाहुओं को लक्ष्य कर दोनों शुक पाद आमादित होते हैं । ये दोनों बाहुएं चित्याग्नि के दो पशुस्थानीय है । (शत० ब्रा० ७।१।१४५)

(अभिमर्षण और उच्छ्वास के विषय में मतभेद)

कुछ आचार्य चयन की गयी वेदी मे समचन (पक्षमंकोच) तथा प्रसारण शक्ति उत्पन्न करने के लिए अधोनिखित अभिमर्षण मन्त्र में चतुर्दिक् स्पर्श करने का विधान करते है—

'संबतमरोऽमि परिचत्मरोऽसि ॥ इदावत्सरोऽमीदृत्सरोऽमि ऋत्सरोऽसि । उपसस्ते कल्पन्तामहारावास्ते कल्पन्ताभर्षमासास्ते ॥ वत्पन्तां यासास्ते कल्पन्ता-मनवस्ते कल्पन्तां सवत्सस्ते कल्पताम् । प्रेत्या एत्ये स चांच प्र च सारय । सुपणीचिदसि तथा देवतयाऽङ्गरस्वध्रुवः सौद ।' (शु०य०सं० २७।४५, शत० ब्रा० ८।१।४।८)

उनका मत है कि अग्नि एक पशु है । जब पशु अपने अंगों का संकोच एवं प्रसारण करता है तब वह पराक्रम तथा शक्ति का विकास करता है । पशुत्व अग्नि का भी समचन तथा प्रसारण उचित ही है । इस मत की पुष्टि के लिए वे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं—

शाट्यायन आचार्य ने एक बार कहा था कि एक ध्वजित द्वारा अभिमर्षण मन्त्र से चित्याग्नि का स्पर्श किये जाने पर पक्षी रूप चित्याग्नि के पक्षों का स्फुटकार सुना गया । अतः अभिमर्षण मन्त्र से स्पर्श उचित ही है । (शत० ब्रा० ८।१।४।८)

अन्य आचार्य उदाहरण प्रस्तुत कर उच्छ्वास चाहते हैं । नभोजित के पुत्र स्वजित अथवा गान्धार नभजित, गान्धार राजा ने कहा कि समचन और प्रसारण प्राण हैं । जिस अंग में प्राण होता है, उसका संकोच तथा प्रसारण होता है । पूर्णरूप मे वेदी के चयन हो जाने पर वाह्य देश मे आकर इस पर उच्छ्वास करना चाहिए । इससे समचनात्मक तथा प्रसारणात्मक प्राण स्थापित होता है । वह वेदी समचन तथा प्रसारण करने में मभर्ष होती है । अतः उपर्युक्त अभिमर्षण मन्त्र से स्पर्श असुचित है । (शत० ब्रा० ८।१।४।८)



वाङ्मन्त्रक्य द्वितीय मत प्रतिपादक आचार्यों ने अमहमन है। उनके विचार  
 १ 'सर्वतस्रोऽसि' आदि अभिषेक मन्त्र से हा स्वर्ग करना चाहिए। वे नमस्त्रित्तु  
 र्वर्जित के कथन का उपहास करते हुए कहते हैं कि—स्वर्गजिन ने प्रथम राजन्य  
 पद्वण्य मत का प्रतिपादन किया क्योंकि बाह्य देश में शासन कर किसी वस्तु पर  
 शत या सहस्र बार चारों ओर से उच्छ्वसन करने पर क्या उसमें प्राण-प्रतिष्ठा  
 हो सकती? अतः उच्छ्वसन से प्राणस्थापन करना असंगत है। चिरकामि के  
 मध्य देहान्तर्गत स्थित प्राण फलपुच्छादि में भी होता है। (सत० ब्रा० १।१।१।१०)

(दशपैयस्य में शमसपानार्थ दसपितामहों के नामप्रत्येक में मतभेद)

विषय को स्पष्ट करने के लिए आख्यायिका प्रस्तुत की जा रही है—वरुण  
 का अभिषेक हो जाने पर उनसे तेज प्रसव हो गया, विष्णु (वज्र) प्रलय हो  
 गये, सश्रवतः यजमानाभिषेकार्थे एकत्र रस में उनके तेज का हृतम कर दिया।  
 (सत० ब्रा० १।१।१।११) वरुण ने उन (ससृप) देवताओं के साथ उस रस का  
 अनुकरण किया। उन देवताओं में सविताप्रसवित्ता, सरस्वतीवाक् स्वष्टा, पूषा,  
 इन्द्र, बृहस्पति, वरुण, अग्नि, सोमराजा तथा विष्णु थे। विष्णु (दसवें) देवता  
 की सहायता से वरुण उस तेज (भर्ग) को प्राप्त कर सकें। वरुण द्वारा उन  
 देवताओं के साथ तेज का अनुकरण करने के कारण उन देवताओं का नाम  
 'संसृप' और दसवें दिन यजमानाभिषेक होने के कारण इस कर्म का नाम  
 'दशपैय' पड़ा। प्रत्येक दस मनुष्यों द्वारा (जिनमें च्छुरियज एवं अन्य ब्राह्मण  
 सम्मिलित होते हैं) साथ-साथ प्रत्येक शमसपानार्थ अनुकरण करने के कारण भी  
 इस कर्म की 'दशपैय' मज्ञा है। इस विषय में कुछ आचार्यों का मत है कि  
 शमसपान करने वाले दसो शक्तियों को यजमान के दस सोमपाव करने वाले  
 पितामहों का नाम (उसके पितामह के पितामह इस प्रकार क्रमशः दस पितामह-  
 गणों की संख्या कर) ग्रहण कर अनुसर्पण करना चाहिए। इस प्रकार यजमान  
 अपने लिए इस दशपैय सोमपीथ को प्राप्त करता है। (सत० ब्रा० १।१।१।१२)

वाङ्मन्त्रक्य उपर्युक्त आचार्यों के मत से असङ्गत है। उनके विचार से यह  
 भारस्वरूप होगा क्योंकि यदि किसी मनुष्य ने उसके पितामहों को पूछा जाय तो  
 वह बड़ी कठिनाई से सोमपाव करने वाले दो या तीन पितामहों का नाम ही बता  
 सकता है। अतः उनमें से प्रत्येक को संसृप देवताओं की संख्या का परिचयन कर  
 प्रसर्पण करना चाहिए। इसका कारण यह है कि इन्हीं देवताओं के साथ वरुण  
 ने अभिषेक के समय दशपैय सोमपीथ प्राप्त किया। अतः इन्हीं देवताओं की  
 गणना कर प्रसर्पण करना उचित होगा। (सत० ब्रा० १।१।१।१५)

(अग्निचयन में अश्ववध निर्वारण विषयक मतभेद)

अग्निचयन के पूर्व इष्टकाओं का आनयन होता है। उसका नियम यह है कि श्वेताश्व मामने से ले जाया जाय। श्वेत अश्व प्रजापति का रूप है। इसी रूप से प्रजापति ने अग्नि का अन्वेष्टन किया। इसी प्रकार यजमान भी करता है। इस प्रकार अग्नि प्राप्ति के अनन्तर अग्निचयन प्रारम्भ होता है। नियमानुसार अश्ववध वर्ष का होना चाहिए क्योंकि यह सूर्य के रूप का है। याज्ञवल्क्य नियम को शिथिल बनाकर मत्त प्रस्तुत करते हैं कि श्वेताश्व की प्राप्ति न होने पर एक वृषभ से ही कार्य सम्पन्न करना चाहिए क्योंकि वृषभ अग्नि के स्वभाव का है और अग्नि सब पापों के नाशक है। (शत० ब्रा० ७।१२।१६)

(चयनयाग में शतद्रव्यहोमानन्तर इष्टकाधेनुकरणार्थं दशा विषयक मतभेद)

चयनयाग में शतद्रव्य होम के प्रसंग में घट प्रक्षेपणानन्तर ऋत्विज और यजमान वापस आते हैं। यजमान इष्टकाओं को अपनी धेनु बनाता है क्योंकि देवताओं ने भी अग्निरुद्र को शतद्रव्य एवं जल से शान्त कर उनके दुःख और पाप के अपनयनान्तर वेदी के समीप आगमन कर इष्टकाओं को दूध देने वाली गायें बनाया। इसी प्रकार यजमान भी मन्त्रजप पूर्वक इष्टकाओं का धेनु रूप में अनुसन्धान करता है (शत० ब्रा० ६।१।२।१३) इष्टकाधेनुकरणार्थं अधोनिर्दिष्ट मन्त्र विहित है—

‘इमा मे अग्ने इष्टका धेनवः सन्त्वेका च दशा च दशा च शतं च शत च स्रष्ट्रश्च सहस्रश्चायुतं चायुतं च त्रियुतं च त्रियुतं च प्रयुतं चार्बुदं च न्यर्बुदं च समुद्रश्च मध्य चान्तश्च परार्धश्चैता मे अग्ने इष्टका धेनवः सन्त्वंमुतामुष्मिन्ल्लोके । (शु० य० सू० ब्रा० १७।२)

इष्टकाधेनुकरण सम्पन्न करने की दशा में मतभेद है। कुछ आचार्यों के मतानुसार यजमान आग्नी होकर इष्टकाओं को अपनी धेनु बनाता है क्योंकि कार्य भी व्यक्ति आसीन होकर ही गोदोहन करता है।

याज्ञवल्क्य इस मत का निरादर करते हैं। उनके विचार से स्थित रहकर धेनुकरण करना चाहिए क्योंकि अग्निवेदी लोक है, लोक स्थित है जो स्थित है वह बलवत्तर होता है। (शत० ब्रा० ६।१।२।१४) अठवर्ग्यु को वेदी की दक्षिण श्रणी के समीप उत्तरपूर्वाभिमुख होकर धेनुकरण सम्पन्न करना चाहिए। यजमान के समक्ष वह गाय पश्चिमाभिमुख स्थित होती है क्योंकि दक्षिण ओर से ही गाय के समीप गमन किया जाता है। (शत० ब्रा० ६।१।२।१५)

(हिरण्यकल को प्रजापति के रूप होने में मतभेद)

इस विषय में शाण्डिल्य तथा उनके शिष्य में मतभेद है। प्रथम, द्वितीय तृतीय—इस प्रकार छः दृष्टका स्थिति तथा छः पुत्रीपत्निति विर्माण में बारह चित्तिया हुईं। (जो सवत्सर के बराबर हुईं क्योंकि) सवत्सर में द्वादश मास होते हैं। (सत० ब्रा० १०।१।४।८) चिकर्षी नाम काशी दृष्टका तथा रतयश्वा तृष्णा (जिसमें स्वयं छिद्र हो) का उपधान तथा हिरण्यकलपी से निरन्तर प्रोक्षण कर आहुवनोद्यमित का स्थापन किया जाता है। स्वर्ण अक्षय विधीयं पर उनपर अग्न्यासादन होना है। उस समय प्रजापति ने दृष्टकार्णिक-निधान द्वारा अन्त में अपना रूप स्वर्णमय किया था। इसीलिए ब्राह्मणों कहते हैं कि स्वर्णमय रूप के कारण ही प्रजापति हिरण्यमय है। उसी प्रकार यह यजमान सप्त चित्तियों के अन्त में हिरण्यकलम प्रोक्षणान्तर आहुवनोद्य-निधान द्वारा अपना भी हिरण्यमय रूप करता है। अतएव विद्वान् तथा अनभिज्ञ दोनों प्रकार के लोग अविवाद रूप से कहते हैं कि अग्निवित् उभ (स्वर्ण) लोक में स्वर्णमय रूप बना होता है। (सत० ब्रा० १०।१।४।९) तात्पर्य यह कि हिरण्यकलम पर आहुवनोद्य-निधान प्रजापति का स्वर्णमय रूप है। इस विषय में बृह और शक्य मतेक्य नहीं है। शाण्डिल्य ने कहा कि इस प्रजापति का यह स्वर्णमय रूप है। शाण्डिल्य ने शिष्य साप्तरथवाहनि के मत में रूप नहीं यह उनको जोस है। (सत० ब्रा० १०।१।४।१०) इस विवाद में शाण्डिल्य ने रूप ही लिख किया। उनके विचार में रूप सम्युक्त तथा अयुक्त भी होता है। अतः यह हिरण्यमयश्च प्रजापति का रूप है।

याज्ञवल्क्य भी शाण्डिल्य के ही पक्ष का अनुसरण करते हैं-

'जैसा शाण्डिल्य ने कहा वैसा ही होगा।' (सत० ब्रा० १०।१।४।११)

(माहेन्द्र होम के समय यजमान को धारण करायें जाने वाले वस्त्र के विषय में मतभेद)

कुछ आचार्यों के मत से यजमान (अभिषेक के समय जिस वस्त्रों को धारण किये हो) उन वस्त्रों को रखकर दीक्षा के समय परिधायित वस्त्रों को ही धारण करना चाहिए। याज्ञवल्क्य इस मत का विरोध करते हैं। उनके मतानुसार वस्त्र यजमान के साथ उत्पन्न होने से उसके अंग हैं जिस प्रकार जरायु, उत्थादि या गर्भावस्था में साथ विकास होने से अंगरक का उपधार कर दिया जाता है उसी प्रकार जब यजमान उत्पन्न हुआ तत्कालीन वस्त्र उसके जरायु, उत्थादि थे। अतः यजमान को तात्पर्यदि से रक्षित कर सभी रक्षित किया जाता है। दीक्षा में धारण किए गए वस्त्र वरुण देवता से प्राप्त हुए हैं। अतएव उन अभिषेक

कालिक तात्पर्य में स ताप्य (प्रथम धारण किया जाने वाला) वस्त्र को ही धारण करता है। इस प्रकार ऋत्विज यजमान को चर्म सहित कर उसे शारीरिक रूप में रखता है। दीक्षाकालिक वस्त्र वरुण सम्बन्धित होने के कारण यजमान को दीक्षाकालिक वरुण-परिधान से मुक्त करता है। (शत० ब्रा० ५।२।३।२५)

### (वाजपेययाग-सम्पादन विषयक मतभेद)

कुछ आचार्यों के मतानुसार वाजपेयाग का सम्पादन न करना चाहिए क्योंकि वाजपेययाजी सब कुछ जीत लेता है। वह प्रजापति को भी जीत लेता है। यहां कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता। अतः उस यजमान की प्रजा अतिशय वारिद्र्यवती होती है। अतः वाजपेयसम्पादन अनुचित है। (शत० ब्रा० ५।१।१।६)

इसके विपरीत याज्ञवल्क्य का मत है कि वाजपेययाग-सम्पादन होना चाहिए किन्तु इतना अवश्य है कि यह सब के द्वारा सम्पाद्य नहीं है। यजमान और ऋत्विज दोनों का ऋत्विज, यजूष्, तथा साम सम्बन्धी जान पूर्णरूपेण होना चाहिए। इससे यज्ञ पूर्ण होता है। क्रियाकुशल ऋत्विजों द्वारा याग-सम्पादन ही यज्ञ की समृद्धि है क्योंकि अंगवैकल्य ती होगी नहीं। (शत० ब्रा० ५।१।१।१०) बृहस्पति द्वारा सम्पादित होने के कारण यह यज्ञ ब्राह्मण का है। बृहस्पति भी ब्रह्म तथा ब्राह्मण भी ब्रह्म है। इन्द्र द्वारा सम्पादित होने से इसके सम्पादन में राजन्य का भी अधिकार है। इन्द्र क्षत्र है, राजन्य भी क्षत्र है। इस प्रकार मनुष्यों में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को वाजपेययाग-सम्पादन का अधिकार प्राप्त है। (शत० ब्रा० ५।१।१।११)

### (प्रायणीयेष्टि और उदयनीयेष्टि में साम्य विषयक मतभेद)

आतिथ्येष्टि यज्ञ का सिर, प्रायणीयेष्टि तथा उदयनीयेष्टि इसकी दो बाहुएं हैं। सिर के दोनों ओर बाहुएं होती हैं। अतः आतिथ्येष्टि के पूर्व और पश्चात् क्रमशः प्रायणीय हविष् एव उदयनीय हविष् का विधान है। (शत० ब्रा० ३।२।३।२०)

कुछ आचार्यों (जो प्रायणीयेष्टि और उदयनीयेष्टि में साम्य मानते हैं) के मतानुसार दोनों के कर्म समान हैं। जो कार्य प्रायणीयेष्टि में किया जाता है वही उदयनीयेष्टि में भी। दोनों का बर्हि एक है। बर्हि वेदी पर से ग्रहण कर पार्श्व में रखे जाते हैं। प्रायणीयेष्टि के चदस्थाली चरुलेप के साथ तथा मेक्षण का प्रोक्षण कर चरुलेपानन्तर स्थाली के साथ रखी जाती है प्रायणीयेष्टि तथा

उदयनीयेष्टि में श्रुतिवश ही समान होते हैं। इस प्रकार नाम्य होने के कारण दोनों की बाहु बंधा गया है।

याज्ञवल्क्य इन प्रकार के नाम्य पर आगति प्रारंभ करने हैं क्योंकि प्रायणीयेष्टि का सम्पादन कर वह स्वेच्छानुसार प्रारंभ के बाद अग्नि में यज्ञ और भेषज का प्रक्षेपण कर सकता है। अथर्व वेद की प्रीक्षणानुसार पापक म रख सकता है इतना अथर्व है कि यदि प्रायणीयेष्टि के श्रुतिवश उदयनीयेष्टि में ही प्राप्त हो जाय तो सर्वोत्तम है किन्तु यदि वे अथर्वम जले गए हैं तो उदयनीयेष्टि पर अन्य श्रुतिवश कार्य सम्पादन कर सकते हैं। अतः समानता बता रही है समानता दो बातों में है पहली बात तो यह है कि उदयनीयेष्टि का सम्पादन प्रायणीयेष्टि में किया जाता है उसी का मन्त्र उदयनीयेष्टि में भी होता है दूसरी बात यह है कि जो हविष् देवताओं को प्रायणीयेष्टि में दिये जाते हैं वही उदयनीयेष्टि में भी प्रदान किये जाते हैं। इस प्रकार उन दोनों बाहुओं के सम्बन्ध एवं एकरूपता है। (मत० ब्रा० २।१।३।२१)

### (आयणीयेष्टि-प्रयोजन विषयक लक्ष्य)

कौषीतकि (कुपीतक पुत्र) कहेंगे का मत है। कि ब्रह्मि देवताओं की यज्ञ रूप रस है। यह रस दुर्लोक और पृथ्वी से सम्बन्धित है क्योंकि प्रायण म मृत्यु होती है (जिससे ब्रह्मि और यव की उत्पत्ति एक युद्ध सम्भव होती है) तथा ये भूमि पर उत्पन्न होते हैं। इस रस की देवताओं हवन के पश्चात् हविष्केय का ब्रह्मण होता है। नवान्न भविष् के अनिश्चित परिशिष्टान्त की सिद्धि के लिए आयणीयेष्टि करना आवश्यक है। (मत० ब्रा० २।१।३।२१)

याज्ञवल्क्य आख्यायिका द्वारा आयणीयेष्टि का प्रयोजन बताते हैं—

एक बार प्रजापति की सन्तान देवों और असुरों में समान हुआ। असुरों ने देवों पर विजय प्राप्त करने की आशा से मनुष्यों के साथ ब्रह्मि और जब पर तथा मनुष्यों के साथ वास पर एक ओर जाइ करते हुए दूसरी ओर विकसित कर दिया। फलतः न तो मनुष्य भोजन करते थे और न पशु तृण खरीते थे। अतः सम्पूर्ण प्रजा असमर्थ हो गयी। देवताओं को जब यह श्रावण हुआ, सर्वोत्तम ब्रह्मण में उन्हें मुक्त करने के लिए विचार-विमर्श किया। मनुष्य जो कुछ चाहते थे, यज्ञ-अमाधन से देवताओं ने पूर्ण कर दिया। इसी प्रकार श्रुतिवश ही किया। (मत० ब्रा० २।१।३।२२) अतः देवताओं ने आपस में विचार किया कि प्रजा के जनशत को पूर्ण करने काल हविष् किसका हो? सब ने एक राक्षस में कहा— 'हमारा है! हमारा है!!' इस प्रकार की विधिवश विचारित होने पर उन्होंने

इस दम प्रारम्भ में ही काही होगा न कि वे एक ही जगह  
 मम में जो दूसरी भाषाओं के लिए देगा उभा व एक ही विषय होगा उन्होंने  
 एक ही जगह लगी। इस दोड़ का परिणाम यह हुआ कि अग्नि और इन्द्र विजयी  
 रहे। अतएव इन्द्र और अग्नि के लिए द्वादशक्षपालपुरोडाश प्रदान किया जाता  
 है क्योंकि इन्द्र और अग्नि ने इस भाग को जीता था। सर्वप्रथम इन्द्र नत्परात्  
 अग्नि तदनन्तर विश्वेदेव पहुंचे। अतः ऐन्द्रान्नयाश्च पहले होता है। (शत० ब्रा०  
 २।१।३।५)

(प्रजापति द्वारा सृष्टि-उत्पादन विषयक मतभेद)

कुछ याज्ञिकशास्त्रियों के विचार से प्रजापति ने वीर्यसंचयानन्तर मत्र की  
 सृष्टि की। प्रजापति ने अग्नि को उत्पन्न कर वसुओं को उत्पन्न किया तथा  
 उन्हें इस पृथ्वी पर धारण किया। वायु के पश्चात् स्वर्गों को उत्पन्न कर उन्हें  
 अन्तरिक्ष में स्थापित कर दिया। सूर्य के अनन्तर आदित्यों की उत्पत्ति कर  
 प्रजापति ने उन्हें आवाश (दिवि) में स्थापित कर दिया। चन्द्रमा के पश्चात्  
 विश्वेदेवों की सृष्टि कर उन्हें दिशाओं में स्थापित कर दिया। (शत० ब्रा०  
 ६।१।२।१०)

ब्रह्मवादियों के मतानुसार प्रजापति ही इन लोकों की सृष्टि कर पृथ्वी  
 पर स्थित रहे। उनके लिये ओषधियां अन्न रूप में एक गयीं। उनका  
 अक्षणानन्तर प्रजापति ने गर्भ धारण किया। उर्ध्व पाण्डो से देवताओं का तथा  
 अधः प्रणो से मर्त्य प्रजा का सृजन किया।

याज्ञिकत्वय का मत है चाहे जिस तरह से सृष्टि की सृष्टि तो की ही किन्तु  
 यथावत यह प्रजापति ही है जिन्होंने समस्त वस्तुओं की रचना की। (शत०  
 ब्रा० ६।१।२।११)

(फल-प्रकार विषयक मतभेद)

कुछ आचार्यों का मत है कि यजमान विचार करना है—यह अग्नि (वेदी)  
 पृथ्वी का रूप धारण कर मूत्र अग्निचित् को स्वर्गलोक में जायगी। अतः  
 अग्निचयन सम्पन्न किया जाता है। (शत० ब्रा० ६।१।२।३६)

याज्ञिकत्वय के मतानुसार यजमान को ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए  
 क्योंकि पक्षी का ही रूप धारण कर सातशत प्रजापति ने वे। इसी रूप में  
 प्रजापति ने देवों को उत्पन्न किया तथा उनकी रूप में देवताएं अन्न हो गयीं। अतः  
 पक्षी का रूप धारण कर प्रजापति ने वे एवं अन्न रूप से प्रजापति ने देवों को  
 सृष्टि की, उसी रूप की सृष्टि के लिए यजमान प्रजापति की कल्पना है।  
 (शत० ब्रा० ६।१।२।३६)

## याज्ञवल्क्य की वैज्ञानिक दृष्टि

इस अध्याय में याज्ञिकाचार्यों द्वारा प्रस्तुत मतभेदों का पर्यालोचन का, स्वमत पुष्टि के लिए याज्ञवल्क्य द्वारा प्रस्तुत कारणों की सीमायता भी मज्जी है।

### (१) यज्ञ की सर्वांगीण समृद्धि पर बल

याज्ञवल्क्य एक कुशल याज्ञिकाचार्य है। वे यज्ञ की पूर्ण रूप में देखना चाहते हैं। उसकी सर्वांगीण समृद्धि का उन्हें सदैव ध्यान रहता है। वे समृद्धि के रक्षार्थ अनेक स्थलों पर आचार्यों से मतभेदमय प्रकट करते हैं। इस प्रयोग में विविध कारण हो सकते हैं—

### (क) सर्वव्यापी चेतनता की भावना

याज्ञवल्क्य एक पुरुष के रूप में यज्ञ का दर्शन करते हैं। प्राकृत पुरुषों की भाँति उसके लिए भी शरीर के आच्छादनार्थ वस्त्र एक सूर्यशासनार्थ भोजन चाहिए। वे कण-कण में जीवन-प्रदायिनी शक्ति देखते हैं। यज्ञ सम्बन्धी प्रत्येक वस्तु सजीव है। यहाँ की द्वादशाह यज्ञ के अंग मानकर उनके व्यूहन (स्थानान्तरण) का विधान करते हैं। (शत० ब्रा० ४।२।६।११) यह व्यूहन शरीर के अवयवों की स्वेच्छायुर्वक एक ओर से दूसरी ओर घुमाने के समान है। (शत० ब्रा० ४।२।१।१२) अग्नि की यज्ञ की बाहु मानकर बाहु के बराबर परिमाण का विधान किया गया है। (शत० ब्रा० ६।३।१।३३) प्रवर्ष की उत्तरवेदी का शिर कल्पित कर प्रवर्षोत्सादनार्थ उत्तर वेदी निर्दिष्ट है। (शत० ब्रा० १४।३।१।१२) यज्ञ-शिर की यज्ञ से अलग न रहने से यज्ञ की समृद्धि ही होगी।

## (ख) अंगर्भकल्प को अनभोप्सितता

यज्ञ हो या यज्ञाग हों उनमें वैकल्प्य उत्पन्न करना सर्वथा अनुचित है क्योंकि अंगर्भकल्प से यज्ञ में समृद्धि नहीं आ सकती। याज्ञवल्क्य सखापात्री को गाय मानते हैं। वे उसमें बांधी जाने वाली रज्जु में चार स्तन बनाने का विधान करते हैं। कुछ आचार्य दो स्तन तथा कुछ आचार्य आठ स्तन बनाने के लिए भी मत प्रस्तुत करते हैं किन्तु याज्ञवल्क्य दोनों मतों को दोषपूर्ण बताते हैं क्योंकि उखा का आठ स्तनों से युक्त होकर कुक्कुरी का एव दो स्तनों से युक्त हांकर भेड़ या घोड़ी का रूप हो जायगा। अतः अंगर्भकल्प के निवारणार्थ उखा में चार स्तनों का ही निर्माण किया जाना चाहिए। यह उचित भी है क्योंकि गाय के चार ही स्तन होते हैं। (अत० ब्रा० ६।१।२।१२,) अग्निवेदी में इष्टकाओं द्वारा अलग से सिर निर्माण का निषेध करते हैं। इस प्रकार क अनुष्ठान से अनिरीकृत सिर का निर्माण होगा जो सर्वथा अनावश्यक है। (अत० ब्रा० १०।१।१।१०)

## (ग) अपौरुषेय कर्म में पौरुषेय कर्म-सम्पादन का निषेध

याज्ञवल्क्य यज्ञ-विधि को अपौरुषेय मानते हैं। सम्प्रदाय के विरुद्ध कर्म करना ही मानुष कर्म है। यज्ञ समृद्धि के लिए पौरुषेय कर्मों का वर्जन अत्यावश्यक है। पुरोडाश का बृहदाकार सम्पादन यज्ञ में अपूर्णता न ले आने के लिए पुरोडाश का आकार बड़ा नहीं करना चाहिए। (अत० ब्रा० १।२।२।३,) सामिधेनी ऋचाओं में पढ़ी जाने वाली आठवीं ऋचा—

‘अनिं दूतं वृणीमहे होतार विश्ववेदसम् ।

अस्य यज्ञस्य सुकृतुम् ॥ (ऋग्वेद १।१२।१)

में ‘होतारं विश्ववेदसम्’ के स्थान पर कुछ आचार्य होता यो विश्व वेदसः’ पाठ का निर्देश करते हैं। याज्ञवल्क्य उपर्युक्त आचार्यों से असहमत हैं। उनके विचार से ‘होता यो विश्ववेदसः’ पाठ मानुषिक होगा, जो मानुषिक है वह अपूर्ण है। इस कारण यज्ञ में अपूर्णता न लाने के लिए ‘होतारं विश्ववेदसम्’ पद का ही अनुबन्धन करना उचित है। सोमक्रयणोपरान्त प्राचीन बंश शाला में स्थापित करने पर कुछ आचार्य उसके समीप जल से पूर्ण पात्र लाकर रखते हैं। उनके विचार से राजा के आगमनोपरान्त जल देकर आसन दिया जाता है। याज्ञवल्क्य इस कार्य को मानुष बनाते हैं। मानुष होने से कार्य समृद्ध नहीं होगा। अतः यज्ञ में व्युद्धि के निवारणार्थ जल पात्र का आनयन अनावश्यक है। (अत० ब्रा० ३।३।४।३१)



### (घ) सभी अतिवर्जों को कार्य-समरता

यज्ञ-समृद्धि के लिए, प्रत्येक यज्ञ-अध्यायक पुस्तक को नदीय कार्यरत रहना चाहिए। अथर्व वेद-ब्राह्मण का प्रथम से अन्त अक्षरों तक अथर्व वेद का निरीक्षण करते हैं। याज्ञवल्क्य यज्ञ-व्यूहण कर्म पर जोर देते हैं। ब्रह्मशास्त्रियों द्वारा पुनः यज्ञ-व्यूहण का निरीक्षण करने पर उनका कथन है कि जब उद्गाता और हाता छत्रों का व्यूहण करते हैं, उस समय अथर्व वेद का अर्थ प्रतीति उन समय अथर्व वेद के पास कोई कार्य नहीं रहता, वह उसी समय तक निरीक्षण रहेगा। अतः, यह यज्ञ-समृद्धि में कभी पड़ जायगी। अतः उन स्थिति में अथर्व वेद-व्यूहण को छोड़ें। (अन० ब्रा० ४।१।१।६।)

### (ङ) कठिन नियमों से अ-पसाधन

याज्ञवल्क्य यज्ञ-समृद्धि के लिए उपाययुक्त अ-पसाधन की उपाय कर रहे हैं किन्तु कहीं-कहीं कठिन से कठिन नियमों का विधान भी करते हैं। उदाहरण स्वरूप अथर्ववेद यज्ञ में अतिव्यवधानान्तर्गत उद्गीथमान का विधान है। उद्गीथ-गायक के विषय में मतभेद होते पर कुछ आचार्यों उद्गीथमान के लिए उद्गाता का निर्देश करते हैं। याज्ञवल्क्य इस मत का निरीक्षण कर उद्गीथमानार्थ स्वर्ग को जानने वाले भय का विधान करते हैं। अथर्व उद्गाता का कार्य कैसे कर सकता है? इस शंका के समाधानार्थ उनका कथन है कि अथर्व द्वारा किया गया 'हिं' साम में समुक्त हिकार है। उस हिकार में सम्पूर्ण स्तोत्र हैं। वहाँ वर्षी हुई (श्रीष्टियों) का अर्थ करना उद्गाता के सहायक द्वारा करना है। (अन० ब्रा० १।३।१।२।६।) अथर्ववेद यज्ञ में उद्गीथ-पञ्च से कुछ कार्य लेने में यज्ञ-समृद्धि होगी और इसी में अतिव्यवधान की रक्षा है।

### (च) यज्ञ के प्रत्येक कर्म का महत्त्व

प्रत्येक यज्ञिय कर्म को महत्त्व देकर ही यज्ञ में समृद्धि की प्राप्ति सम्भव है। अध्यायन के अन्तर्गत कुछ आचार्यों के मतानुसार पृथ्वी पर सब सम्भारों की उपलब्धि होने के कारण उनका सम्भरण अत्यावश्यक है। याज्ञवल्क्य इन आचार्यों से सहमत नहीं हैं। उनके मतानुसार सम्भारों से जो लाभ होता है, उसे आधान कहते हैं। सम्भारों से रहित होने पर आधान ही न होना जो पृथ्वी के सम्भरण से सम्भरण की प्राप्ति कैसे होगी? अतः, काम की पूर्णता के लिए, यज्ञ-समृद्धि के लिए अन्य कर्मों की प्राप्ति सम्भरण भी आवश्यक है। (अन० ब्रा० २।१।१।१।४।)

कुछ आचार्यों अध्यायन में पूर्णाहुति का सम्पादन कर अथर्वशास्त्रियों का अध्यायन नहीं करते। उनके विचार से पूर्णाहुति से ही सब कार्यों की प्राप्ति है।

जाती है। अथवा उत्तराहुतिया के असम्पादन से अथवा ध्य को अपूण मानते हैं याजवल्क्य भी इसी से सहमत हैं क्योंकि उत्तराहुतियों के सम्पादन से यजमान की परोक्ष कामना प्रत्यक्ष होती है। (शत० ब्रा० २।२।१।६)

## (२) औचित्य का ध्यान

मतभेदों के पर्यालोचन के पश्चात् यह ज्ञात होता है कि याजवल्क्य ने औचित्य को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। कालगत, देशगत, पात्रगत, वस्तुगत तथा क्रमगत आदि औचित्यों पर भी उनकी दृष्टि थी।

### (क) कालगत औचित्य

याजवल्क्य पूर्णमासी के पहले (शुक्ल चतुर्दशी) को ही उपवास का विधान करते हैं। कुछ आचार्य पूर्णमासी के दिन ही उपवास तिथि का निर्धारण करते हैं। उन आचार्यों के विचार से इस प्रकार शत्रु को पीछे से आहत किया जाता है और वह उसका प्रतिकार भी नहीं कर पाता। याजवल्क्य इसका विरोध करते हैं क्योंकि इस प्रकार अन्य व्यक्ति द्वारा मृत किये गये व्यक्ति का हनन किया जाना है। अपने मत की पुष्टि में वे एक आख्यायिका प्रस्तुत करते हैं—

‘सवत्सरात्मक प्रजापति की सब सन्धियां खुल गयीं थीं। देवीं ने पीरंगमास हविष् द्वारा उनका इलाज किया। (शत० ब्रा० १।६।३।३६) प्रजापति स्वस्थ हो गये और वे भोजनार्थ स्वयं उठ खड़े हुए। यह जानते हुए जो पूर्व पूर्णमासी को उपवास करता है वह प्रजापति की गात्र-सन्धियों को यथा समय जोड़ता है और प्रजापति उस पर अनुग्रह करते हैं। पूर्व पूर्णमासी को उपवास करने वाला यजमान प्रजापति के सदृश अन्नोपभोक्ता होता है। अतः पूर्णमासी के पूर्व उपवास करने में औचित्य है। (शत० ब्रा० १।६।३।३७) दश्याग की उपवास-तिथि के विषय में मतभेद उपस्थित होने पर कुछ आचार्य चतुर्दशी शुक्ल अमावस्या को उपवास करने का विधान करते हैं। उनका विचार है कि चन्द्र दर्शन रहित दिन में उपवास नहीं करना चाहिए क्योंकि चन्द्रमा देवों का अक्षीण अन्न है, उसके क्षीण होने से पूर्व ही देवों को अन्न भेजा जाता है। याजवल्क्य इन आचार्यों से असहमत हैं। वे अमावस्या तिथि को ही उपवास के लिए विधान करते हैं। (शत० ब्रा० १।६।४।१४) उनके मत से सोम राजा अमावस्या को पृथ्वी पर आमनन करते हैं इसीलिए वे दृष्टिगत नहीं होते। पशु-प्राप्त दूध ही साम राजा है। एक आख्यायिका से यह स्पष्ट करते हैं कि सोम अमावस्या की रात्रि में पृथ्वी लोक पर आकर औषधियों से प्रविष्ट हो जाते हैं और बाद में दृष्टिगत होते हैं। (शत० ब्रा० १।६।४।१५) उनके मत से देवों का अन्न क्षीण

नहीं होगा। इस प्रकार जो यज्ञमान आगापिनी दृष्टि के लिए अभावस्था को उत्पन्न करता है तथा जो इस बात को जानता है, उन दोनों का कल्याण होता है। (शत० ब्रा० १।६।१।१६)

कुछ आचार्य अन्याधानार्थ सूर्योदय से पूर्व अग्निमन्थन करते हैं। याज्ञवल्क्य सूर्योदय के पश्चात् उसका विधान करते हैं। उपर्युक्त मन का दोषपूर्ण बताते हुए जनकर कथन है कि सूर्योदय से पूर्व अग्निमन्थन करने से दोनों आग्नेयों का आधान सूर्योदय में ही हो जाता है, सूर्योदय के पश्चात् किया जाने वाला अग्नि-मन्थन अधिक फल प्रदान करता है। (शत० ब्रा० २।।।१।१८) सोमयागीष दीक्षार सम्बन्धित चाग्निमन्थन के लिए अन्य आचार्यों द्वारा प्रथम नक्षत्र के दृष्टिगत होने पर चाग्निमन्थन का विधान करने वाले यज्ञ के विरोध में याज्ञवल्क्य कहते हैं कि पेशाच्छन्न होने पर, नक्षत्र दर्शन न होने से चाग्निमन्थन भी न हो सकेगा। यज्ञ सूर्योदय के समय ही चाग्निमन्थन करना उचित है। (शत० ब्रा० ३।२।२।५) सोमयाग से एकादश गुणों के प्रतिष्ठापनार्थ कुछ याज्ञिक सब गुणों की सुधा के पूर्व दिन ही प्रतिष्ठापित करने का निर्देश करते हैं। पहले दिन अन्य सब गुणों के प्रतिष्ठापित होने पर एक (जिसे अध्वर्यु स्वयं किये रहता है) के अतिरिक्त अन्य दूर रात्रि भर नग्नावस्था में ही रहते हैं जो सर्वथा अनुचित है। (शत० ब्रा० ३।३।२।५) इस प्रकार अनेक स्थलों पर सौचित्य के परिपालनार्थ विधान प्रस्तुत किये गए हैं। वाजपेययाग में अग्निस्विष्टकृद्योग, इटोपाश्वान, माहेन्द्र प्रद-ग्रहण सम्पन्न होने पर स्तोत्र-मन्त्र का पाठ होना चाहिए। यज्ञमान से सोमभिषेक करने हुए आसन्दी से अधरोक्ष्य कर स्तोत्र-मन्त्र के लिए अनुमनन करना चाहिए। (शत० ब्रा० ५।२।३।१३) अन्य आचार्यों के संतापुसार स्तोत्र-मन्त्र काठ के अनन्तर यज्ञमान को आसन्दी पर से अधरोक्ष्य करना चाहिए। याज्ञवल्क्य के विचार से यह दोषपूर्ण है। इस प्रकार के अनुष्ठान से अध्वर्यु यज्ञमान का विनाश करता है, यज्ञमान बद्ध गणि से गमन करता है और यज्ञ-भार्ग से ह्यकित होता है। अतः यज्ञमान के अधरोक्ष्यमानन्तर ही स्तोत्र-मन्त्र का पाठ होना चाहिए। (शत० ब्रा० ५।२।३।२०)

याज्ञवल्क्य अभावस्था की अन्याधान का विधान करते हैं। अभावस्था स्वयं द्वार अनावृत रहता है उससे यज्ञ में प्रवेश पाकर अन्त ओक पहुँचा जाता है। (शत० ब्रा० १।१।१।१।२) तैत्तिरीय ब्राह्मण के आचार्य कृत्तिकामि नक्षत्रों में अन्याधान करते हैं। याज्ञवल्क्य इस मत को अतीतिर्युक्त समझते हैं क्योंकि इनके अनुसार अनुष्ठान करने पर द्वारवर्जित प्रवेश से यज्ञपुर में प्रवेश करने की

असफल चेष्टा की जाती है। (शत० ब्रा० ११।१।१।३) याज्ञवल्क्य वंशाख मांस की अभावस्था को अन्याधान का विधान करते हैं। वह वंशाखी अभावस्था रोहिणी नक्षत्र से युक्त होती है। रोहिणी का अर्थ आत्मा, प्रजा एक पशु होता है अतः रोहिणी में आधान करने से यज्ञमान आत्मा, प्रजा तथा पशु में प्रतिष्ठित होता है। (शत० ब्रा० ११।१।१।४)

### (ख) देशगत औचित्य

याज्ञवल्क्य विशिष्ट कार्य के सम्पादनार्थ देशगत औचित्य का भी ध्यान रखते हैं। वे वेदी के अन्तर्गत आज्यासादन का विधान करते हैं। कृष्णयजुर्वेदीय आचार्य वेदी के अन्तर्गत आज्यासादन का विशेष करते हैं। उन आचार्यों के विचार ने वेदी के समीप देवता रहते हैं। पत्नी-संयाज के समय आज्य में देवपत्नियों का भी अंश होने के कारण देवों के समीप देवपत्नियों का आगमन होने पर यज्ञमान-पत्नी पुंश्चली हो जायगी। याज्ञवल्क्य इस मत के विरोध में कहते हैं कि यज्ञमान पत्नी पुंश्चली हो जाय या जो कुछ भी हो इसमें क्या प्रयोजन? इस बात को कौन महत्त्व देगा? वेदी यज्ञ है, आज्य यज्ञ है, वेदी के अन्तर्गत आज्यासादन से वेदी रूप यज्ञ से आज्य रूपी यज्ञ का निर्माण होता है। अतः वेदी के अन्तर्गत ही आज्यासादन करना उचित है। (शत० ब्रा० १।३।१।२१)

याज्ञवल्क्य देशगत औचित्य को देखते हैं। वे यज्ञमाग-पत्नी के परःपुंसा होने के बहाने को महत्त्व नहीं देते क्योंकि यह कौन जानता है कि बाद में यज्ञमान पत्नी परःपुंसा होगी या नहीं, हो सकता है कि वेदी के अन्तर्गत आज्यासादन न करने पर भी वह परःपुंसा (पुंश्चली) हो जाय। हविःश्रपण (पाक) स्थान के विपक्ष में विरोध होने पर आहवनीय में हविष्प्रदान से देवों द्वारा स्वर्ग प्राप्ति के कारण कुछ आचार्य आहवनीयागार में ही हविष्-श्रपण और हवन कर्म सम्पन्न करने के लिए मत् प्रस्तुत करते हैं। (शत० ब्रा० १।७।३।२६) अन्य आचार्य गार्हपत्यागार में हविःश्रपण का विधान करते हैं। उनके विचार से आहवनीयाग्नि में पक्व हविष् का हवन होना चाहिए अपक्व हविष् का पाक कर्म नहीं। याज्ञवल्क्य दोनों आगारों में से किसी भी एक आगार में हविष् पकाने का विधान करते हैं। (शत० ब्रा० १।७।३।२७) यद्यपि याज्ञवल्क्य ने दोनों अन्यागारों में विकल्प प्रस्तुत किया है तथापि द्वितीय मत अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है क्योंकि लोक-व्यवहार में भी अन्न का पाक कर्म अनिवार्य होता है और अन्न कर्म अनिवार्य। किसी व्यक्ति को रसोई में ही भोजन नहीं कराया जाता। गार्हपत्यागार हविःश्रपणार्थ है तथा आहवनीयागार हविष् हवनार्थ अर्थात् गार्हपत्यागार तथा आहवनीयागार क्रमशः रसोईघर एवं भोजन करने के स्थान बड़े जा सकते हैं।

अतः रसोई घर में भोजन करना अतीच्छित्यपूर्ण प्रतीत होता है। कुछ आचार्य जुक् सम्भारजानान्तर आहवनीयागार में बैदाग्रो, कुशाग्रो का प्रक्षेपण करने के लिए मत प्रस्तुत करते हैं। वाजवल्क्य इस मत का सिद्धेष्ट करते हैं कि हविष्-प्रदान में पूर्व अग्नि में कुशाग्र-प्रक्षेपण भोजन के लिए बँटे हुए व्यक्ति को भोजन देने से पूर्व पात्र-प्रक्षालनार्थ प्रयुक्त अन्न को पिशाने के समान द्रोणा वाजवल्क्य के मत से कुशाग्रो का प्रक्षेपण उत्कर में ही करना चाहिए। (शत० ब्रा० १।३।१।१२)

चयनयाग में ऋक्व्यू हिरण्य पुरुष के मामते दो रेखाएँ खींचकर बाहुकरण के लिए दो जुक्पात्र रखता है। (शत० ब्रा० ७।४।१।४३) कुछ आचार्य दोनों जुक्पात्रों को दक्षिण तथा उत्तर अग्र भाग कर रखने का निर्देश करते हैं। इस प्रकार दक्षिण तथा उत्तर बाहुओं को रखते हैं। (शत० ब्रा० ७।४।१।४४) वाजवल्क्य दोनों जुक्पात्रों को पूर्व की ओर अग्रभाग कर आग्नादित करने का मत प्रस्तुत करते हैं क्योंकि अग्निवेदी का सिर पूर्व की ओर होता है और उसके पार्श्व में रखी गयी बाहुएँ शक्तिशालिनी होती हैं। (शत० ब्रा० ७।४।१।४५) अग्निचयन में ही वाजप्रमवीय होम के अनन्तर बैदी की उत्तर दिशा में यजमानाभिषेक सम्पन्न होना चाहिए। (शत० ब्रा० ६।३।४।१०) अभिषेक के लिए दक्षिण दिशा का विधान करने वाले मत के विरोध में वाजवल्क्य कहते हैं कि दक्षिण दिशा पितरों के सम्बन्धित होने के कारण यजमान भी उनी दिशा को प्राप्त होता है। (शत० ब्रा० ६।३।४।११) अन्य आचार्यों द्वारा आहवनीय के समीप अभिषेक के लिए प्रस्तुत किए गये मत के खण्डन में वाजवल्क्य का कथन है कि आहवनीय यजमान का देवी शरीर है तथा उसका मध्य शरीर मातृश है। आहवनीय के समीप अभिषेक होने से यजमान के देवी शरीर को मातृश शरीर के संयुक्त किया जाता है जो उचिन नहीं है। (शत० ब्रा० ६।१।४।१२) उपर्युक्त मतानुसार मनुष्यों से सम्बन्धित होने के कारण उत्तर-पूर्व दिशा में ही यजमानाभिषेक-सम्पादन उचित है। उत्तर दिशा में अभिषेक होने से अपनी ही दिशा में स्थित हुए व्यक्ति का अभिषेक होना है साथ ही अपने आयतन (स्थान) में प्रतिष्ठित हुआ व्यक्ति विनष्ट नहीं होता है। इस प्रकार वाजवल्क्य ने दक्षिण औचित्य की रक्षा के लिए सफल एवं स्तुत्य प्रयास किया है।

#### (ग) वस्तुगत औचित्य

वाजवल्क्य किसी भी कर्म में प्रयुक्त वस्तु के प्रयोग का औचित्य देखते हैं। प्रथम याग में चर्म (प्रवर्ध) होमार्थ मृत्तिका-निर्मित महाधीर वाक् मत प्रयोग होता है जब कि प्रायः देवताओं की आहुति के लिए काष्ठनिर्मित वाक् ही प्रयुक्त

जा है। तैत्तिरीय शास्त्रान्तर्गत यज्ञ-वत्क्य इमं कर्म कं  
 निगमन्तिना निर्मित महावीर पात्र का औचित्य बनाकर उसका समाधान करते  
 हैं। तैत्तिरीय न्यून करने पर काष्ठ निर्मित महावीर पात्र जल जायगा, स्वर्ण निर्मित  
 महावीर पात्र तिलीन हो जायगा, कर्म आदि से बना हुआ महावीर पात्र गल  
 जायगा, पाषाण निर्मित महावीर पात्र दोनों संदर्भों (निम्नमे महावीर को पकड़ने  
 है) को अलग देगा किन्तु मृत्तिका निर्मित महावीर पात्र पर ताप का कोई भी  
 प्रभाव नहीं पड़ता। अतः धर्म हविष् हवनार्थ मृत्तिका निर्मित महावीर ही  
 प्रयुक्त होता है। (अत० ब्रा० ११।२।२।५४) दसमं पूर्णमास के प्रसंग में कुछ  
 आचार्ये इष्टमाकाष्ठों से ही परिधि के लिए तीन काष्ठ ग्रहण करते हैं। उनके  
 विचार से परिधि के लिए अलग से काष्ठाहरण की आवश्यकता नहीं है।  
 याज्ञवल्क्य इमं मत का निषेध करते हैं कि अग्निर्मन्थनार्थ (जलाने के लिए)  
 लाये गये इष्टमाकाष्ठ परिधि द्वारा सम्पादित होने वाले कार्य में अपूर्णता उत्पन्न  
 करने क्योंकि जो वस्तु जिस कार्य के लिए उपयुक्त है वह उसी को पूर्ण बना  
 सकती है। इष्टमाकाष्ठ अग्नि-प्रज्वलनार्थ हैं, उनमें से लिये गये काष्ठ प्रदीपनार्थ  
 ही होंगे, परिधानार्थ नहीं। (अत० ब्रा० १।३।३।१८) समिन्धनार्थ आहरण किये  
 गये काष्ठों से परिधियों के लिए काष्ठ ग्रहण करना संबंधा अनुचित है। इस  
 प्रकार कहा जा सकता है कि याज्ञवल्क्य को इन सब बातों का गहन अनुभव था।  
 एक-एक कर्म तद्गत कर्म में विशिष्ट वस्तु का प्रयोग अपना विशिष्ट स्वाद  
 रखता है।

### (घ) क्रमगत औचित्य

याज्ञवल्क्य कुशल याजिकाचार्य होने के कारण यज्ञ-विधियों के क्रमगत  
 औचित्य का भी ध्यान रखते हैं जिसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः यज्ञ-विधि  
 में क्रमोत्प्रेक्षण करना अलौचित्य प्रदर्शन मात्र है। इसीलिए चिदिष्ट कर्म के  
 पश्चात् ही विशिष्ट कर्म के सम्पादनार्थ मत प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण स्वरूप  
 प्रथम कर्म में जहाँ अन्य आचार्ये आप्यायन, अवाप्नश्दीक्षा तथा तानूत्पन्न का  
 कर्म रखते हैं (अत० ब्रा० ३।४।३।१९) याज्ञवल्क्य औचित्य का ध्यान रखते  
 हुए तानूत्पन्न को प्राथमिकता देकर तानूत्पन्न, अवाप्नश्दीक्षा और आप्यायन  
 का क्रम प्रस्तुत करते हैं। (अत० ब्रा० ३।४।३।१२) तानूत्पन्न को प्राथमिकता  
 देने का कारण यह है कि पहले देवताओं में कलह हुआ था। सर्वप्रथम उन्होंने  
 कलह का शमन किया। यज्ञ सम्पादन तक कलह न करने की प्रतिज्ञा की।  
 अतः तानूत्पन्न कर्म पहले किया जाता है। इस प्रकार पञ्चति ही चल रही है  
 कि सब ऋत्विज कलह-निवारण के लिए सर्वप्रथम तानूत्पन्न कर्म सम्पन्न करने

है। निराश्रित कर्म समाप्ति के लिए कवच बाधक है अतः उनमें प्रतिज्ञा रूप इस कर्म की प्राथमिकता देने में अनौचित्य है। पाण्ड्यदिन सवन में ग्रहों का ग्रहण-क्रम इस भांति होता चाहिए :—शुक्र, मन्गी, मङ्गलतय एवं बुधवार (शत० ब्रा० ४।३।३।२) अन्य आचार्य शुकू, मन्गी, उष्य एवं मङ्गलतय इस क्रम से ग्रह-ग्रहण करते हैं। (शत० ब्रा० ४।३।३।३) याज्ञवल्क्य सर्वैव पौर्णमास का ध्यान रखते हैं अतः उनके मत से पाण्ड्यदिन सवन में मङ्गलतय ग्रह-ग्रहण के पश्चात् उष्य-होम होने के कारण होमानुसार ग्रहण भी करना उचित होगा, अर्थात् जिस क्रम से ग्रहों का हवन सम्पन्न होता है उसी क्रम से उनका ग्रहण भी उचित है। (शत० ब्रा० ४।३।३।२)

### (३) अनौचित्य का ध्यान

याज्ञवल्क्य ने अनौचित्य के साथ ही साथ अनौचित्य का भी ध्यान रखा है। यज्ञ-विधि में विविध अनौचित्यों पर प्रकाश डाला है जो हम प्रकार हैं :—

#### (क) नियमोत्प्लान्न का अनौचित्य

एक बार जिसका विधान हो गया उसका उत्प्लान्न अनुक्ति है। अतः याज्ञवल्क्य ने अनौचित्य को दूर करने के लिए सप्त प्रयास किया है। यज्ञ के प्रकरण में कुछ आचार्य इस यज्ञ में दो ही अनुयाज होने से उपभूत हो दो ही बार आज्य ग्रहण करते हैं। याज्ञवल्क्य का कथन है कि आठ बार आज्य ग्रहण का विधान वर्त्तमान प्रकरण (शत० ब्रा० १।३।२।१०) में ही जाने पर दो बार आज्य ग्रहण से नियमोत्प्लान्न का यज्ञ-विधि से अलग करने किया जाता है। (शत० ब्रा० २।६।१।१३)

#### (ख) यज्ञ मार्ग से च्युत करने वाले कर्मों का निरादर

यज्ञमान जिन कर्मों के सम्पादन से च्युत हो सकता है, याज्ञवल्क्य उन कर्मों का विरोध करते हैं। पत्नी-संवादाय अहवर्ग्य को आहुकनीय में परिवर्तन को आगमन करते समय किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए इस विषय में मतभेद है। याज्ञवल्क्य सब मार्गों को अनौचित्यपूर्ण सिद्ध करते हैं। आहुकनीय के पूर्व से होकर आगमन करने से अहवर्ग्य अपने को यज्ञ-रहित करता है। (शत० ब्रा० १।६।२।२) यज्ञमान-पत्नी के पीछे (पश्चिम) से आगमन करने पर अहवर्ग्य यज्ञ का पूर्वाह्न तथा यज्ञमान पत्नी कंधनाह्न होने से अहवर्ग्य अपने भिर को सप्तमे (नितम्ब भाग) पर रखता है। (शत० ब्रा० १।६।३।३) पार्श्वपथ और पत्नी के बीच से आगमन करने पर यज्ञमान-पत्नी को यज्ञ-विमुख किया जाता

है। इस प्रकार सभी मतों को दोषपूर्ण देखकर याज्ञवल्क्य अध्ययनों को ओहवनीय और गार्हपत्य के मध्य संवरण करने का विधान करते हैं। (शत० ब्रा० १।६।२।४)

### (ग) विपरीत कर्मों का निरादर

याज्ञवल्क्य यज्ञ के विपरीत किसी भी कार्य को महत्त्व नहीं देते। कुछ याज्ञिकाचार्यों स्विष्टकृत्स्निगद मन्त्र (शु० य० सं० १।१।२४) में आये हुए 'अयाट्' शब्द के 'अयाडग्निरग्नेः प्रियाधामानि, अयाट् सोमस्य प्रियाधामानि' क्रम का उल्लंघन करते हैं और 'अयाट्' शब्द से पूर्व देवता नाम रख कर यह क्रम बनाते हैं —

'अग्नेरयाट्, सोमस्यायाट्'। याज्ञवल्क्य इस मत को निषेध करते हैं क्योंकि इस प्रकार के असुष्ठाना यज्ञ के विपरीत कार्य करते हैं। (शत० ब्रा० १।७।३।१२) यज्ञ के विपरीत कार्य करना सर्वथा अनुचित है। अतः याज्ञवल्क्य ओचित्य के परिपालनार्थ पाठक्रम में उनट-फेर न कर देवता नाम से पूर्व 'अयाट्' शब्द रखने का निर्देश करते हैं। (ईपड-रित् यज्ञ में जहाँ अन्य आचार्य 'श्रीपट्' के स्थान पर अठवर्षु द्वारा 'ओं स्वधा' एवं अग्नीत् द्वारा 'अस्तु स्वधा' तथा वषट् के स्थान पर 'स्वधा नमः' कहने का निर्देश करते हैं। (शत० ब्रा० २।६।१।२४), याज्ञवल्क्य आचार्य असुरि का मत प्रस्तुत करते हुए यज्ञ-विधि के अनुसार कार्य सम्पादनार्थ यज्ञ प्रस्तुत करते हैं। (जन० ब्रा० २।६।१।२५) अर्थात् श्रीपट् अस्तु स्वधा एवं स्विष्टकृत् यज्ञ के लिए हुवन करते समय पुरोनुवाक्या और याज्या ऋषि सम्बन्धी छन्दों के विषय में मतभेद प्रस्तुत किये जाने पर कुछ आचार्यों द्वारा दोनों ऋचाओं की अनुष्टुप् छन्द में (शत० ब्रा० १।७।३।१८) करने का विधान होने पर याज्ञवल्क्य इन दोनों मतों में से एक को स्वीकार करने का निर्देश करते हैं। उनके विचार से विलोम करना अनौचित्यपूर्ण है। शारलवेय के पुरोनुवाक्या अनुष्टुप् छन्द में तथा याज्या त्रिष्टुप् छन्द में किया जिसका परिणाम यह हुआ कि वे भ्रमण करते समय रथ से गिर पड़े और उनकी बाहु टूट गयी। बाद में उन्होंने नर्ज से यह निषेध किया कि अविहित करने के कारण ही यह दशा हुई।

### (घ) अतिरिक्त कर्मों का निरादर

अग्निचयन में अण्य आचार्य तीन उखा का किन्तु याज्ञवल्क्य एक ही उखा का विधान करते हैं एवं उखा-संख्या-वृद्धि को अतिरिक्त कार्य मानते हैं। उनके विचार से अतिरिक्त किया जाने वाला भाव यज्ञमान के शत्रु को पहुंचता है। अतः अतिरिक्त कार्य करना सर्वथा अनुचित है। (शत० ब्रा० ६।५।२।२२)



अग्निवेदी की प्रथम चिति में पचास प्राणभृत् इष्टकाओं का उपधान किया जाता है जिनमें पूर्व भाग में उपहित की जाने वाली इष्टकाएँ प्राणभृत्, पश्चिम में उपहित होने वाली इष्टकाएँ चक्षुभृत् या अयानभृत्, दक्षिण की ओर उपहित की जाने वाली इष्टकाएँ मनोभृत्, या व्यानभृत्, उत्तर की ओर उपहित की जाने वाली इष्टकाएँ श्रोत्रभृत् या उदानभृत् एवं मध्य में उपहित होने वाली इष्टकाएँ वाग्भृत् या समानभृत् हैं। (शत० ब्रा० २।१।१६) इसके विपरीत चरक आचार्य अपानभृत्, व्यानभृत्, उदानभृत्, समानभृत्, चक्षुभृत्, श्रोत्रभृत् तथा वाग्भृत् - इस क्रम से इष्टकाओं का उपधान करते हैं। याज्ञवल्क्य के विचार से इस अनुष्ठान द्वारा अतिरिक्त कार्य किया जाता है जो अनौचित्यपूर्ण है। प्रथम मल के अनुसार उपधान करने से अग्निवेदी में सब रूप उपहित हो जाते हैं। (शत० ब्रा० २।१।२०)

चतुर्थ चिति में चतुर्दश इष्टकाओं (ईंटों) की उपधान-दिशा में परिवर्तन होने पर कुछ आचार्य विद्वत् स्त्रीय से युक्त ही इष्टकाओं के अन्तर्गत ही चतुर्दश इष्टकाओं का उपधान चाहते हैं क्योंकि वे ही इष्टकाएँ जिह्वा तथा हृत् (पित्त) हैं। चतुर्दश इष्टकाएँ हृत् हैं, उनके पश्चिम उपहित की जाने वाली छः इष्टकाएँ जिह्वा हैं। याज्ञवल्क्य कहते हैं यह उसी प्रकार होगा जैसे पूर्व वर्णमान हृत् तथा जिह्वा पर अन्य हृत् एवं जिह्वा रखे जाये। (शत० ब्रा० २।१।४९) वायु हृत् पर हृत् एवं जिह्वा पर जिह्वा रख कर रूप के औचित्य की रक्षा नहीं की जाती। याज्ञवल्क्य के मतानुसार ऋतव्या इष्टकाएँ संयामी (संगमन) हैं क्योंकि इनकी सहायता से देवी ने लोकों पर आरोहण कर कर्ष में परमारोहण किया। (शत० ब्रा० २।१।११०) चरक आचार्य संयामी के लिए अन्य इष्टकाओं का उपधान करते हैं। याज्ञवल्क्य मज्ज-कर्म में अतिरिक्तता का दोष नहीं माने देना चाहते। इसीलिए वे संयामी के लिए बलम से इष्टकाओं का उपधान करने का विधान नहीं करते। (शत० ब्रा० २।१।११४) यज्ञ-विधि में अतिरिक्तता का दोष सर्वथा अनौचित्यपूर्ण है।

#### (४) बुद्धि का अयत्नम्बन

याज्ञवल्क्य का बौद्धिक पक्ष उरुचकोदि का है। यह बुद्धि उनकी प्रतिभा की उन्नेत्री है। उनके बौद्धिक पक्ष का दमन विविध रूपों में किया जा सकता है—

#### (क) कर्ता के व्यक्तित्व में अपरिवर्तन

दशोष्ठी में तैत्तिरीय शाखा के आचार्य इन्द्र की 'सहस्राय मान्नायुषभृ' बहुर सरानायुष प्रदान करते हैं। उनके विचार से बुद्धि बृहस्पति को पूर्व इन्द्र से

किन्तु वृत्र हनन के अन्तर वे महेंद्र ही गये। आज भी विजय करने के पश्चात् एक राजा को 'महाराज' शब्द से सम्बोधित किया जाता है। याज्ञवल्क्य के मतानुसार 'इन्द्र' को ही सम्बोधित कर मान्नायुष देना चाहिए क्योंकि वृत्रहनन के पूर्व भी इन्द्र थे और वृत्रहनन के पश्चात् भी इन्द्र ही हैं। (शत० ब्रा० १।१।४।२१) महत्त्वपूर्ण कार्य कर लेने पर बड़ा नाम हो जाय यह याज्ञवल्क्य नहीं मानते।

### (ख) शब्द-प्रयोग के प्रति सजगता

याज्ञवल्क्य प्रत्येक शब्द-प्रयोग के प्रति सजग रहते हैं। एक शब्द के स्थान पर अन्य शब्द रखने से या उसमें कुछ और संयुक्त कर देने से अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। उदाहरणस्वरूप दर्शष्टि में अश्वर्युं छछड़ों का स्पर्श करते समय 'वायवः स्थ' मन्त्र का उच्चारण भी करता है। तैत्तिरीय शाखा में (ते० सं० १।१।१) 'वायवःस्थ' के स्थान पर 'उपायवःस्थ' पाठ मिलता है। याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत का निषेध करते हैं। उनके अनुसार उप का अर्थ द्वितीय और द्वितीय का अर्थ शब्द होता है। (शत० ब्रा० १।७।१।३) अन्य आचार्य 'वायवःस्थ' और 'उपायवःस्थ' को भले ही एक मन्त्र के किन्तु याज्ञवल्क्य तो प्रत्येक शब्द का महत्त्व समझते हैं। इसीलिए बौद्धिक पक्ष का अवलम्बन कर उन्होंने पाठभेदादि का विरोध किया है। उन्होंने उपायवःस्थ पदरचना पर ध्यान देते थे, अन्य आचार्य इसके प्रति उदासीन थे। उन्होंने 'उपायवःस्थ' के स्थान पर 'वायवःस्थ' का उच्चारण कर पाठ में सुधार किया है।

### (ग) पक्ष विज्ञान में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का महत्त्व

यज्ञ-विज्ञान में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द अपना महत्त्व रखता है। समिधेनी ऋचाओं के पाठ से पूर्व अश्वर्युं द्वारा होषा के प्रति 'अग्ने समिध्यमानायानुब्रूहि' (शत० ब्रा० १।३।१।२) प्रेष मन्त्र का विज्ञान है। अन्य आचार्य इसके स्थान पर 'अग्ने समिध्यमानाय होतरनुब्रूहि' प्रेष मन्त्र का प्रयोग करते हैं। इस मत के विपरीत याज्ञवल्क्य का कथन है कि बिना वरण कर्म सम्पन्न हुए होता कैसे हो सकता है, 'तदु तपान ब्रूयाद्गोता वा एष पुरा भवति यदेवं प्रवृणीतेऽथ होता तस्माद्ब्रूयाद्गन्वे समिध्यमानायानुब्रूहीत्येव'। (शत० ब्रा० १।३।१।३) यह वृक्षिग्राह्य है क्योंकि आज भी निर्वाचन के बिना किसी व्यक्ति विशेष को पद नहीं दिया जाता। शब्द-चयन में याज्ञवल्क्य की बुद्धि का विकास दर्शनीय है। अश्वर्युं द्वारा प्रस्तीता के प्रति प्रयुक्त 'साम गाय' (शत० ब्रा० १।४।३।१।१०) प्रेषमन्त्र के स्थान पर अन्य शाखा के आचार्य 'साम ब्रूहि' का विधान करते

है। याज्ञवल्क्य का तर्क है कि साम द्वारा गायन तथा ऋचा द्वारा अनुवचन होता है। गीत्यात्मक होने के कारण साम का गायन ही होना है अतः 'सामगाय' प्रेष मन्त्र कहता सर्वथा तर्कसंगत है। (शत० ब्रा० १४।३।१।२।)

### (घ) ज्ञान का महत्त्व

याज्ञवल्क्य ज्ञान को महत्त्वपूर्ण स्थान देते हैं। उनके अन्तर प्राणियों के प्रति आस्था है। कुछ आचार्यों द्वारा 'देवयजन पूर्व ही और न बढ़ाना चाहिए' प्रतिपादित मन्त्र के विरोध में याज्ञवल्क्य कहते हैं कि इस पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर यज्ञ सम्पन्न हो सकते हैं क्योंकि ऋत्विज ही देवयजन का वृत्तान करते हैं, वे ही यज्ञ-सम्पादन में मध्यस्थ होंगे हैं। जहाँ देव-शास्त्र में पारम्य, सांग्रचन के अध्येता विद्वान् ऋत्विज यज्ञ सम्पादन कराते हैं, वहाँ कोई दोग नहीं उपस्थित होता, वह देवयजन देवनाओं के अधिक समीप होता है। (शत० ब्रा० ३।१।१।५) इस प्रकार ज्ञान को महत्ता देकर याज्ञवल्क्य ने अन्य आचार्यों द्वारा प्रतिपादित मन का खण्डन किया है।

### (ङ) व्यावहारिकता

याज्ञवल्क्य एक व्यवहारकुशल याज्ञिकाचार्य हैं। वे व्यावहारिक ज्ञान को समुचित स्थान देते हैं। इस विषय में कई जगहों से प्रमाण पड़ता है।

#### (क) लोक-व्यवहार के प्रति तनावर की दृष्टि

याज्ञिक विधियों में तर्कों को पुष्ट करने के लिए लोक-व्यवहार को भी आधार बनाया गया है। उदाहरण स्वरूप अतिथ्योक्ति के प्रसंग में शकट से दोनों वृषभों को अलग कर, शकट पर से सोम को उतारते हैं। सोम को जाला में वे जाने के बाद हविग्रहण सम्पन्न होता है क्योंकि लोक-व्यवहार में भी जड़ तक कोई अतिथि अपना मान छोड़कर नहीं जाता तब तक न तो उसे स्वागतार्थ जल प्रदान किया जाता है और न उनका कोई सम्मान ही होता है। यान छोड़ने पर ही उसका सम्मान होता है। इस प्रकार सोम राजा के आगमन होने पर हविग्रहण करना उचित होगा। (शत० ब्रा० ३।१।१।५) इस प्रकार एक वृषभ को युग से अलग कर दूसरे को युग में लगे रहने देने वाले मन का खण्डन हो जाता है क्योंकि उस समय तक तो अतिथि का आगमन ही नहीं हुआ, स्वागत की बात ही दूर रही। लोक में भी देखा जाता है कि किसी अहम्भक्त (पूज्य व्यक्ति) के आगमन पर सम्पूर्ण परिवार उसकी सेवा-सुभूषा में भगा रहता है। (शत० ब्रा० ३।१।१।६)

व्युत्पन्नाद्वाद्वाह्याग में अन्य आचार्यों द्वारा ग्रह-व्यूहन का निषेध करने पर याज्ञवल्क्य ग्रहों को द्वादशाह यज्ञ का अंग मानते हैं। उनके विचार से ग्रहों का व्युहन (स्थानान्तरण) सोये हुए व्यक्तिद्वारा इच्छानुसार अगों को घुमाने के समान है। (शत० ब्रा० ४।१।११) इस भाँति याज्ञवल्क्य लौकिक व्यवहार का आश्रयण कर अन्य आचार्यों द्वारा प्रतिपादित मत का निराकरण करते हैं। अग्निचयन में आहुति-प्रदान के समय अष्टवर्ग अग्निवेदी पर किस दिशा से आरोहण करे इस विषय में अन्य आचार्य पूर्व (मामने) से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर आरोहण करने का मत प्रस्तुत करते हैं। याज्ञवल्क्य अग्निवेदी की पशु के रूप में कल्पित करते हैं। उनके विचार से पूर्व से आरोहण करने पर वह पशु सींग से एवं पश्चिम दिशा से आरोहण करने पर वह पिछले पैरों से श्राहत करेगा। लौकिक व्यवहार का आश्रयण लेकर याज्ञवल्क्य अग्निवेदी पर उत्तर दिशा (मध्य शरीर) से आरोहण करने का मत प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि लोक-व्यवहार में अश्वदि पशुओं पर वागपाश्र्व से ही आरोहण किया जाता है। (शत० ब्रा० ७।३।२।१७) व्यवहारिकता के प्रसंग में एक मनोरंजक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है—कुछ आचार्यों के विचार में अग्नि एक ओर तेज होगी चाँहिए क्योंकि जिह्वा भी एक ही ओर तेज होती है। इसके विपरीत याज्ञवल्क्य कहते हैं कि अग्नि दोनों ओर तेज होती चाहिए क्योंकि जिह्वा भी दोनों ओर तेज होती है। वह देवभाषा तथा मनुष्य की भाषा बोलती है, वह सत्य के साथ अमत्य-माषण भी करती है।

### (ख) प्राकृतिक व्यवहार के प्रति वास्या

याज्ञवल्क्य सृष्टि में प्रकृति द्वारा किये जाने वाले व्यवहारों के प्रति समादर की दृष्टि रखते हैं और अपने मत को सबल बनाने के लिए पक्ष-तक्ष उनका सहुपर्याग भी करते हैं। उदाहरण स्वरूप वेदी को स्त्री मान कर उसका पश्चिमाग (पिछला भाग) पृथु ढीड़ा करने का निर्देश करते हैं क्योंकि स्त्री का पिछला भाग (निम्न भाग) अधिक होता है। (शत० ब्रा० ३।५।१।११) दधि-ग्रह से दधि-ग्रहण करने की दिशा में मतभेद उत्पन्न होने पर वैत्तिरीय शाखा के आचार्य (तै० स० ६।५।६।४) ग्रह के मध्य से दधि-ग्रहण का निर्देश करते हैं। याज्ञवल्क्य पश्चिम (पिछले) भाग से दधि निकालने का आदेश देते हैं। इसका कारण यह है कि पशुओं में पिछले भाग में ही दूध होता है। (शत० ब्रा० ४।३।१।१३) वास्तविकता तो यही है कि पशु के पिछले भाग में ही दूध होता है। अतः पश्चिम से दधि का ग्रहण करने में व्यवहार की रक्षा है।

(ग) यज्ञ देवता और मन्त्र में सम्बन्ध की स्थापना

सम्बन्ध का भी अपना एक स्थान है। याज्ञवल्क्य द्वारा प्रस्तुत किये गये यज्ञों के आधारभूत कारणों की समीक्षा करने पर प्रस्तुत कारणों में सम्बन्ध-वृद्धि की भावना का भी पथेष्ट दर्जन होता है। याज्ञवल्क्य यज्ञ-देवता का, देवता-देवता का तथा मन्त्र-देवता का सम्बन्ध बने रहने के पक्ष में प्रतीत होते हैं। देवता-सम्बन्ध ही नहीं, राजा-प्रजा का भी सम्बन्ध बना रहना चाहिए। उनकी दृष्टि में सम्बन्ध-वृद्धि दोनों पक्षों के लिए हितकर है। उदाहरण स्वरूप अश्वमेध यज्ञ में प्रयुक्त प्रजापति से सम्बन्धित अश्व के आश्रीकरणार्थ कुछ आचार्य बाहुदुष्य मन्त्र मन्त्र (शु० य० सं० २६।१-११) में आश्रीकरण करने का मत प्रस्तुत करते हैं। याज्ञवल्क्य अपर्युक्त मत में सम्बन्ध का जभाव दख कर एकाग्रता जामदग्न्य (जमदग्नि में सम्बन्धित) मन्त्र मन्त्र (शु० य० सं० २६, २५-३६) से आश्रीकरण करने का मत प्रस्तुत करते हैं क्योंकि जमदग्नि प्रजापति ही और प्रजापति ही अश्वमेध है। अतः उसी के देवता द्वारा अश्वमेध की समुद्धि किया जाता है। (अत० ब्रा० १३।२।२।१४)

इष्टकाचयनयाम में इष्टकाओं के उपधानार्थ प्रयोग किये जाने वाले यज्ञों के विषय में कुछ आचार्य 'लोकपूण, छिद्रं पूण' (शु० य० सं० ११।१६) मन्त्र से इष्टकोपधान करते हैं। (अत० ब्रा० ६।१।२।२४) याज्ञवल्क्य सम्बन्ध को दृष्टि में रखकर 'चिद्रमि तथा देवतया ऽ हिं गारस्वद् ध्रुवासीद् । परिचिद्रमि तथा देवतया ऽ हिं गारस्वद् ध्रुवासीद् ।' (शु० य० सं० १२।१३) मन्त्र के साथ इष्टकोपधान का मत प्रस्तुत करते हैं। उनके विचार से इन प्रकार वाणी और श्वास से वेदी का निर्माण होता है क्योंकि अग्नि वाणी और इन्द्र श्वास है। इन्द्र और अग्नि देवताओं से सम्बन्धित है। अग्नि की महत्ता के अनुसार ही अग्निवेदी का निर्माण होता है। (अत० ब्रा० ६।१।२।२०) अग्नि अथवा यज्ञ में आहुतियों के प्रति अग्नि प्रणयनार्थ प्रयुक्त प्रथम मन्त्र के विषय में अन्य आचार्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये—

'पुदीप्यासी अतवः प्रावशांभः सर्जीपतः ।

मुषस्तां यज्ञमधुहो नवीवा इषो महीः ॥ (शु० य० सं० १२।१०) मन्त्र का निष्पन्न कर याज्ञवल्क्य—

'आ ते वत्सो मनो यमत्परमाश्विक्ममधुतथात् ।

अग्ने त्वाकामयागिरा । (शु० य० सं० १२।११), मन्त्र का विधान करने हैं क्योंकि अग्नि-प्रणयन के समय अग्नि सम्बन्धित कामगवी गायत्री ध्रुवाओं का प्रयोग सर्वोत्तम है।

## 14 मन्वासाय विचार

अप्यं वार्तां को महत्स्व देन के साथ याज्ञवल्क्य मन्वासाय पर भी समुचित विचार करते हैं। कोई भी प्राणी अपने सामर्थ्यानुसार ही कार्य कर सकता है। सामर्थ्य की एक सीमा होती है जिससे याज्ञवल्क्य पूर्ण परिचित हैं। सामर्थ्य से अधिक कार्यभार हो जाने पर कर्तरी को भी क्षुब्ध होगा और कार्य भी उचित रूप से पूर्ण न हो सकेगा। उदाहरण स्वरूप प्रवर्ष्य यज्ञ में यज्ञमान के लिए अनेक कठिन नियम बताये गये हैं जैसे प्रवर्ष्य कर्म में वर्तमान शरीर का आच्छादन, सूर्य के प्रकाशित रहने पर तिष्ठीवन सूर्य के तपने रहने पर सूत्रिमर्जनादि कर्म न करना चाहिए तथा काष्ठारि से अपि प्रज्वलित कर रात्रि में भोजन करना चाहिए। याज्ञवल्क्य मानव-सामर्थ्य की सीमा में अवगत हैं। वे इस प्रकार के अशक्य नियमों के परिपालन पर बल नहीं देते। इन नियमों के स्थान पर मन्वासाय का विधान करते हैं। (अत० ब्रा० १४।१।१३३) सत्य-भाषण में ही यज्ञमान अथ कठिन नियम-पालन का फल प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार रक्षयेयमाय में कुछ आचार्य चमसपान करने वाले इसी व्यक्तिपों को चमसपानार्थ यज्ञमान के इस सोमपान करने वाले पितामहों का नाम-परिगणन कर प्रसर्पण के लिए मत प्रस्तुत करते हैं। (अत० ब्रा० १४।१।१४) याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत का निर्वेध करते हैं क्योंकि यह उन दसों व्यक्तिपों पर भारस्वरूप होगा। उनका कथन है कि यदि किसी मनुष्य से उसके पितामहों को पूजा जाय तो वह बड़ी कठिनाई में सोमपान करने वाले दो या तीन पितामहों के नाम हो बना सकता है। अतः किसी से सामर्थ्य से अधिक कार्य नहीं करना चाहिए। याज्ञवल्क्य यहाँ नियम मिथिल कर देते हैं और तस्य देवताओं की सख्या का परिगणन कर अनुसर्पण का विधान करते हैं। (अत० ब्रा० १४।१।१५)

याज्ञवल्क्य मानव-सामर्थ्य का ही नहीं अपितु छन्द-सामर्थ्य का भी उद्यान रक्षते है। उदाहरणस्वरूप कुछ आचार्य 'पृथु पात्रा (अ० स० ३।२७।१५)' व 'मजायो यतसुच' (अ० स० ३।२७।६) दो घाय्या ऋचाओं को अष्टमी गानिसेनी ऋचा 'अग्निं दूम वर्णायहे' (अ० स० १।१।२।१) के पूर्व रखते हैं। याज्ञवल्क्य अष्टमी ऋक् के सामर्थ्य की उद्यान में रखने हुए उपर्युक्त मत का निर्वेध करते हैं और दोनों ऋचाओं को अष्टमी ऋक् के पश्चात् नवी तथा दमयी के बीच पढ़ने का निर्वेध करते हैं। आठवीं के पूव दोनों घाय्या ऋचाओं के पाठ पर अष्टमी ऋक् में गायत्री का सामर्थ्य नहीं रहेगा क्योंकि वह दसवीं हो जायगी। (अत० ब्रा० १।१।१।३०) किसी का सामर्थ्य यथोचित स्थान पर ही यथोचित रूप में रहता है।

## (ब०) उपयोगी और अनुपयोगी का विचार

याज्ञवल्क्य को प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता का भी ध्यान रहता है। उपयोगिता न रहने पर तो वह वस्तु व्यर्थ ही होगी। उदाहरणस्वरूप कुछ याज्ञिकाचार्य अग्निहोत्र के लिए प्रयुक्त दूध को बुदबुदे उठने के समय तक पकाने का निर्देश करते हैं। (शत० ब्रा० २।३।१।१४) याज्ञवल्क्य दूध को अग्नि का वीर्य बताते हैं। वीर्य रूप दूध को पकाने से उसे जलाकर अनुपयोगी भी बनाया जाता है। वीर्य के सर्वत्र उष्ण रहने के कारण दूध को कुछ समय के लिए अग्नि पर रख कर हवन करना चाहिए। (शत० ब्रा० २।३।१।१५)

### (च) भेद-दृष्टि का अभाव

व्यावहारिकता की रक्षा में भेद-दृष्टि के अभाव का एक विशिष्ट स्थान है। याज्ञिक समाज में याज्ञवल्क्य यज्ञ-सम्पादकों की समान दृष्टि से देखते हैं। सब वर्णों के प्रति समभाव रखते हैं। यज्ञ-सम्पादन में सहायक सब पशुओं को एक समान दृष्टि से देखते हैं। उनकी दृष्टि में कोई छोटा-बड़ा नहीं है। अश्वघोष के प्रसंग में कुछ आचार्य होता, अश्वर्षु, अग्नीन् तथा ब्रह्म के लिए ओदन (ब्राह्मणों के लिए पकाया जाने वाला ओदन) पकाने का मत प्रस्तुत करते हैं। याज्ञवल्क्य ब्रह्मोदन-पाक का निर्देश करते हैं क्योंकि यज्ञ के दिन यज्ञमान के धर्म में ब्राह्मणों (यज्ञ-सम्पादक तथा असम्पादक) के विशाल भाव से ही ओदन-पकाने से प्राप्त होने वाली कामना पूर्ण हो जाती है। (शत० ब्रा० २।१।४।४) ब्रह्मोदन-पाक के निर्देश करने का कारण यह हो सकता है कि याज्ञवल्क्य ने यह विचार किया होगा कि चार ब्राह्मणों के लिए ओदन पकाने पर अन्य असम्पादक ब्राह्मण भी ओदनार्थ जालापित होंगे। फलतः चार ब्राह्मण भोजन करें और अन्य शिला भोजन के रहें यह उचित नहीं है। ब्रह्मोदन पकाने से सम्पादक तथा असम्पादक ब्राह्मणों में भेदकर व्यवहार की रक्षा नहीं की जाती। उनके हृदय में सब वर्णों के प्रति भेद-दृष्टि नहीं है। इस दृष्टि के लिए एक उदाहरण पर्याप्त होगा—पितृमघयज्ञ में समाधि-परिमाण के विषय में नववैषम्य है। कुछ याज्ञिकाचार्य अग्नि के लिए ऊर्ध्व ब्राह्मण तक, ब्राह्मण के लिए मध्य तक, शूद्रों के लिए कूर्ध्व के ऊपर तक, वैश्य के लिए उरु (त्राय) तक, शूद्र के लिए कूटने तक ऊँची समाधि बनाने का निर्देश करते हैं। (शत० ब्रा० १।३।२।१।११) याज्ञवल्क्य साम्य को ध्यान में रख कर सब के लिए कूटने के नीचे एक ऊँची समाधि का विधान करते हैं। (शत० ब्रा० १।३।२।१।१२)

### (द) यज्ञ-विधि में समीप्य

याज्ञवल्क्य एक कुशल याज्ञिक आर्य हैं। यज्ञ-सम्पादन के समय विशिष्ट

काठिनाय्या उास्यत होते हैं उ होंे उनके निवारणाय तथा निविध्  
यज्ञ सम्प तन क लिए स्थान स्यात पर स्तुरय प्रयास क्रिया है ।

### (क) अनावश्यक बन्धन की उपेक्षा

याज्ञवल्क्य यज्ञ-विधि में सौतर्ष्य के विना अनेक स्थानों पर अनावश्यक बन्धनों की उपेक्षा कर देते हैं जैसे 'पुरोडाश परिमाण के विषय में तैत्तिरीय शाखा के आचार्यों द्वारा अश्व शफ के बराबर पुरोडाश-निर्माण का विधान करने वाले मत के विपरीत याज्ञवल्क्य ने बहु विचार किया हांगा कि यदि अश्वर्षु अश्व-शफाकार पुरोडाश का ध्यान कर 'पुरोडाश का निर्माण करेगा तो विनम्ब होगा । साथ ही पुरोडाश का आकार भी त्रिहित परिमाण से बड़ा या छोटा हो सकता है । उम विनम्ब के पङ्क्तिारार्थ वे अश्वर्षु को जितना मन से बड़ाल प्रतीत हो उतने बड़े पुरोडाश के निर्माण के लिए निर्देश करते है । (शत० ब्रा० १।२।२।१०)

दशं पौर्णमास की वेदी के गाम्भीर्य को कोई निश्चित माप नहीं निर्धारित करते । अन्य आचार्यों द्वारा तीन अंगुल या चार अंगुल गाम्भीर्य के विधान का निषेध कर वनस्पतियों के मूल तक खोदने का आदेश देते हैं । (शत ब्रा० १।२।१।६०) चातुर्मास्य याग में पूर्ण-दण्डस्थि कर्म के प्रसंग में यह नियम है कि अश्वर्षु ब्रजमान को नृषभ से ध्वनि कराने का आदेश दे, ऋषभ-ध्वनि कं अनन्तर हवन करने का विधान है । याज्ञवल्क्य यज्ञ में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं चाहते अतः उनके मतानुसार ऋषभ द्वारा ध्वनि न करने पर दक्षिण दिशा में स्थित ब्रह्मा 'जहुधि' कहकर हवन करने के लिए अश्वर्षु को आदेश दे । 'जहुधि' इन्द्र की वाणी है । (शत० ब्रा० २।५।२।१८) उनके विचार से ऋषभ-ध्वनि के बिना यज्ञ-सम्पादन में विराम होना अनुचित है । उत्तरवेदी से तीन प्रकार (कर्म) पश्चिम हविर्घात-स्थापन के मत का निषेध कर याज्ञवल्क्य किसी निश्चित माप से रहित मत का प्रतिपादन करते हुए उत्तरवेदी से न अधिक दूर और न अधिक समीप स्थान में हविर्घात-स्थापन का निर्देश करते हैं । (शत० ब्रा० ३।५।३।६) अग्निवेदी के चयनार्थ इष्टकार्यों के आहरण करने से पूर्व श्वेतवर्ण के अश्व को ले आने का विधान है । याज्ञवल्क्य के मत में अश्व किसी भी वर्ण का होना चाहिए । अश्व की प्रार्थना होने पर यज्ञ-कर्म में व्यवधान न पड़े, अतः अश्व के स्थान पर नृषभ का विधान करते हैं क्योंकि अग्नि नृषभ स्वभाव वाले हैं तथा वे पाप-नाशक है । (शत० ब्रा० ७।३।२।१६) अनावश्यक बन्धन विध्नमूक ही होते हैं । अतः यज्ञ-विधि में सर्वोर्ष्य की दृष्टि से उासी उपेक्षा आवश्यक है ।



यज्ञ-विधि में सोक्याय समुचित वायु-विभाजन अत्यवश्यक है। याज्ञवल्क्य ने स्थान-स्थान पर इसका ध्यान रखा है। उदाहरण स्वरूप आश्वनीयागार में आज्य-निरीक्षण के लिए यज्ञमान का विधान होने पर याज्ञवल्क्य उस मत के विरोध में उपर्युक्त कर्म के लिए अश्वर्यु का निर्देश करते हैं (शत० ब्रा० १।३।१।२६) उनके विचार से सब ऋषि-अपना कार्य सम्पन्न करना चाहिए। निर्विघ्न यज्ञ-सम्पादन के लिए ही कार्य-विभाजन किया जाता है। आज्यावेक्षण-आदि कर्म ऋषि-वृत्तियों से सम्बन्ध रखते हैं। गार्हपत्यागार में यज्ञमान-पत्नी द्वारा आज्यावेक्षण कराने का कारण यह है कि कुछ कार्य न होने से आज्यावेक्षण कर यज्ञमान-पत्नी यज्ञ-कर्म में सहकर्मिणी बनती है।

### (ग) विषय का स्पष्ट प्रतिपादन

यज्ञ-विधि में सोकर्म के लिए विषय का स्पष्ट प्रतिपादन महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। विषय को स्पष्ट करने के लिए नरसम्बन्धी शब्द-वचन भी आवश्यक है जिससे बौद्धिक श्रम के बिना भी शीघ्रानिशीघ्र विषय का स्पष्ट ज्ञान हो जाय। वैसर्जन होम सम्बन्धी अग्नि-प्रणयन के विषय में कुछ आचार्य अश्वर्यु द्वारा होता के प्रति 'अग्नये प्रह्लियमाणायानुब्रूहि' अथवा 'सोमाय प्रणीयमानायानुब्रूहि' प्रेष मन्त्र का विधान करते हैं। याज्ञवल्क्य 'अग्नये प्रह्लियमाणायानुब्रूहि' को प्रेषरूप में कहने का आदेश देते हैं (शत० ब्रा० ३।६।३।३) 'अग्नय' आदि कथन से होता शीघ्र ही यह समझ जायगा कि प्रहरणार्थ अनुब्रूयमान करना है, 'सोमाय.....' आदि से उसे भ्रम हो सकता है। पीर्णमास याग के प्रकरण में अग्नि एवं सीम को प्रदान किये जाने वाले दो आज्य भागों को यज्ञ के दो तेल मान कर समिद्धतम अग्नि के समझ छोड़ने का विधान करते हैं। अन्य आचार्यों द्वारा दोनों आज्य भागों को क्रमशः उत्तरपूर्वादि और दक्षिणपूर्वादि में प्रणयन विधायक मत को याज्ञवल्क्य अविज्ञानपूर्ण बताते हैं और प्रधान हविष् के मक्षक उत्तरपूर्वादि एवं दक्षिणपूर्वादि की श्रेष्ठता न करते हुए समिद्धतम अग्नि प्रदेश पर हवम करने का विधान करते हैं। (शत० ब्रा० १।६।३।३०-३६)

### (७) सर्व-वचन की दृष्टि

याज्ञवल्क्य सब का संमेल चाहते हैं। वे क्षति निवारणार्थ सर्वैक प्रयत्नशील रहते हैं। उनकी इस भावना पर विभिन्न रूपों में प्रकाश पड़ता है।

#### (क) शान्ति-स्थापना

याज्ञवल्क्य यज्ञरूपी आदर्श समाज में अशान्ति नहीं देखना चाहते। यह

उचित नहीं कि कलहादि से श्रेष्ठतम कर्मयज्ञ की मर्यादा का उल्लंघन किया जाय। आययणेष्टि-सम्पादन विना अग्निहोत्र में नवान्न हविष् प्रयोग आययणेष्टि एवं अग्निहोत्र के देवताओं में परस्पर कलह का कारण होगा। (शत ब्रा० २।४।३।१४)

### (ख) दुःख-धारण की दृष्टि

याज्ञवल्क्य उन विधि-विधानों की अवहेलना करते हैं जिनसे किसी प्रकार भी दुःख की सम्भावना की जा सकती है। माहेन्द्र होम के समय कुछ आचार्य ऋषय द्वारा यजमान को दीक्षा के समय पहले गये वस्त्रों को ही धारण कराने का विधान करते हैं। याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करते हैं। उनके मतानुसार अभिषेक के समय धारण किये गये वस्त्रों में से तापर्य (प्रथम धारण किये जाने वाले) वस्त्र को ही धारण कराना चाहिए क्योंकि दीक्षाकालिक वस्त्र बरुण देवता से सम्बन्धित होते हैं। अभिषेक के समय धारण किये गये वस्त्रों को धारण करवाने से यजमान को बरुण के परिवार से मुक्त किया जाता है। (शत० ब्रा० ५।३।५।२५) अग्निचयन में अस्थिरूप स्वयमातृणा (जिनमें स्वयं मिद्र हों) इष्टकाओं पर भी मांसरूप पुरोष डालना चाहिए। अन्य आचार्यों के मत से मध्य में स्थापित होने के कारण स्वयमातृणा इष्टकाएं प्राण है अतः उन पर पुरोष डालकर प्राणों को ही आवृत्त किया जाता है। याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करते हैं और पुरोषावपन के लिए मत प्रस्तुत करते हैं क्योंकि प्राण अन्य द्वारा विष्टम्भ होते हैं। जो व्यक्ति अनशन करता है उसके प्राण-कोश विकसित होकर अवशुद्ध हो जाते हैं। स्वयमातृणा इष्टकाओं पर पुरोष न डाल कर यजमान उस लोक में शुष्क स्वाणु के समान रहता है। (शत० ब्रा० ८।७।३।३) याज्ञवल्क्य यजमान को उस लोक में भी स्वस्थ रखने के लिए पुरोष-निवपन यज्ञ को ब्रह्म करते हैं।

### (ग) सुरक्षा का ध्यान

याज्ञवल्क्य सुरक्षा का सर्वत्र ध्यान रखते हैं। होम के लिए अग्निवेदी पर पाद निक्षेपार्थ पूर्व की ओर पश्चिम दिशा का निषेध कर बायं भाग (उत्तर दिशा) में आरोहण करने का विधान करते हैं क्योंकि अग्निवेदी पशु है। लोक-व्यवहार में भी अशुद्धि पशुओं पर बायंभाग से ही आरोहण किया जाता है। आग्ने या पीछे से आरोहण करने पर वह पशु आरोहण करने वाले को आघात पहुँचा सकता है। (शत० ब्रा० ७।३।२।१७) इसी प्रकार दुग्ध-दोहन के समय अग्निहोत्री

(गाय) के बैठ जाने पर उसे दण्ड से उठाने का विधान करने है। (भारत वा.  
१२।१।१।१०)

विविध नदों के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये उद्धरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि राजबन्धु के अन्दर अंगनमयी भावना का प्राचुर्य था जिसका संकेत उन्होंने अनेक स्थलों पर दिया है।



## याज्ञवल्क्यः व्यक्तित्व की समग्रता

याज्ञवल्क्य का परिचय, इनके मतभेद के स्थलों का पर्यालोचन तथा उनकी कारण-मीमांसा करने के पश्चात् यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि किन रूपों में इनका महत्त्व है, इनका क्या योगदान है तथा किन-किन रूपों में उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। बिस्तृत अध्ययन के पश्चात् याज्ञवल्क्य विविध रूपों में दृष्टिगत होते हैं।

### (१) सकल याज्ञिक

अध्ययनान्तर विचार करने पर याज्ञवल्क्य का सर्वप्रथम एक सफल याज्ञिकाचार्य के रूप में वर्णन होता है। याज्ञवल्क्य का समय यज्ञों का समय था। यज्ञ-विज्ञान अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका था। उस समय यज्ञ-विज्ञान के उत्कर्ष में अनेक विभूतियाँ सहायक हुईं जिनमें याज्ञवल्क्य विभूति अद्वितीय सिद्ध हुई। उन्होंने अपना एक सम्प्रदाय ही चलाया। याज्ञिकाचार्य के रूप में उन्होंने जो क्वालि प्राप्त की उसका उल्लेख स्थान-स्थान पर मिलता है। याज्ञवल्क्य एक उष्णकोटि के विद्वान् थे। यज्ञों के आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक रूपों से वे पूर्ण परिचित थे। यज्ञों के विषय में कदाचित् ही उनके समकालिक वरिष्ठों को इतना ज्ञान रहा होगा। जिन याज्ञवल्क्य ने एक शुष्क स्थान की हवा-भरा कर उसमें फूल-फल उतरान्त कर दिया उनको उस समय का समाज क्यों न प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखता रहा होगा? जनक-याज्ञवल्क्य-संवाद से उनका यज्ञ-विषयक ज्ञान स्पष्ट हो जाता है :-

एक बार द्विवेद के राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया—'याज्ञवल्क्य ! क्या आप अग्निहोत्र जानते हैं?' याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया—'जानता हूँ सम्राट्।' (शत० ब्रा० ११।३।१।१) जनक ने पूछा—'अग्निहोत्र क्या है?' याज्ञवल्क्य ने दूध की ही अग्निहोत्र बताया। (शत० ब्रा० ११।३।१।२) तात्पर्य यह कि दूध की ही औपचारिक रूप से अग्निहोत्र कहा। जनक ने पुनः प्रश्न किया—'दूध के

मसे यज्ञ करते ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया— व्रीहि और यव से ।  
 याज्ञवल्क्य न व्रीहि और यव के अभाव में जीवितियों को, उनके  
 आमाक घान्यादि को, इनके अभाव में फल को, फल एवं अन्य आरण्य  
 भाव में जल को (शत० ब्रा० ११।३।१।३), जल के भी अभाव में  
 सम्पादन होता ही चाहिए । अतः सत्य (वदन रूप धर्म) का श्रद्धा  
 हवन करना चाहिए । 'सहोवाच । न वा इह तद्दि किञ्चनानासोद-  
 सत्य श्रद्धायामिति' । यज्ञ के विषय में इतने उल्बकोटि के ज्ञान से  
 रसत्राट् जनक ने याज्ञवल्क्य को सी गार्भे पारितोषिक रूप में  
 ( ब्रा० ११।३।१।४ ) इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने भौतिक स्तर से  
 क स्तर में उपसंहार किया । आध्यात्मिक प्रक्रिया द्वारा अग्निहोत्र  
 रूप का निष्कार कर विद्वानों के समक्ष रखने का अनुपम प्रयास किया

रुक्म ने यज्ञ को नैतिक स्तर पर लाने के लिए सदाचार की अधिक  
 है । प्रवर्षयज्ञ में यत्रमान के लिए प्रवर्ष्य कर्म में वर्तमान अग्नि का  
 सूर्य के तपते रहने पर मूवविसर्जन का निषेध, काष्ठछादि से अग्नि  
 कर रात्रि में भोजन करना ये चार कठिन नियम विहित हैं ।  
 आचार्य आसुरि के मत का प्रतिपादन करते हुए अस्थ वदन रूप व्रत  
 करने के लिए निर्देश करते हैं । (शत० ब्रा० १४।१।१।३३) कठिन से  
 मों के स्थान पर सत्य-वदन ही पर्याप्त है ।

व्रीह्यासुरि एक ह वै देवा अतं चरन्ति यत्सत्यं तस्माद्दु सत्यवेक  
 शत० ब्रा० १४।१।१।३३)

याज्ञवल्क्य ने सत्य को ही तीनों विधाएं बताया है । (शत० ब्रा०  
 १) सत्य धर्म है—

धर्मः सत्यं वै तत्तस्मात्सत्यं वदन्तमाहुर्धर्मं वदतीति धर्मं वा वदन्त  
 इति । (शत० ब्रा० १४।४।२।२६)

इतना असत्य बोलने के क्रमशः क्या फल होते हैं इसका निर्देश  
 क उद्धरण में बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ है—

यः सत्यं वदति यथा ऽ मिं समिद्धं तं घृतेना ऽ विचित्रवेदेन हीनं स  
 तस्य भूयो भूय एव तेजो भवति यदः स्वः श्रेयान्महात्म्यं यो ऽ मृतं वदति  
 विद्धं तमुदकेनाभिधिष्ण्वेदेन हीनं स जासयति तस्य कनीयः कनीय एव

नञा सञ्चति श्व. इव. प.पौ गन्धवति मन्माहु मत्यमेव वदेत् ।' (शत० ब्रा० २।२।२।१६) याज्ञवल्क्य मरु को ब्रह्म मानते हैं। (शत० ब्रा० १४।८।१।१) इन प्रकार उन्होंने यज्ञ की कर्म-ताण्ड नक हा सीमित न रखकर उसे आध्यात्मिक प्रदान पर प्रतिष्ठित करने का स्तुत्य प्रयास किया है।

यज्ञ-मयज्ञ होने के कारण अनेक स्थलों पर याज्ञवल्क्य का अन्य आचार्यों से समैक्य भी नहीं है। उनका प्रत्येक मत वैशिष्ट्य एवं नवीनता को लिए हुए होता है। याज्ञिक प्रक्रिया तथा उससे सम्बन्धित किसी द्रव्य, देवता, मन्त्र और विधि के विषय में किसी भी प्रकार की शंका नरह जाय, निर्दिष्ट मतानुसार अमुक कर्म करने का क्या कारण है, इन सब का विधिवत् विवेचन याज्ञवल्क्य ने महत्प्रयत्नपूर्वक में प्रस्तुत किया है। द्रव्य, देवता, मन्त्र और विधि की पूर्णता में ही यज्ञ की पूर्णता निहित है। यही कारण है कि याज्ञवल्क्य ने उन चार प्रमुख आचार्यों पर विस्तृत प्रकाश डाला है।

एक कुशल याज्ञिकाचार्य जो जन-जन में यज्ञ करने की भावना का उद्बोधन कराना चाहता है उसके लिए जिन-जिन गुणों की आवश्यकता पड़ती है, वे सब गुण याज्ञवल्क्य में हैं, यह अस्पृक्ष नहीं। एक याज्ञिकाचार्य का कर्तव्य होता है कि वह यज्ञ की स्वर्गीय समृद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। याज्ञवल्क्य ने इस विषय में सफल प्रयास किया है। उन्होंने यज्ञ-समृद्धि के लिए सर्वत्र चेतन का दर्शन किया है। वे यज्ञ को एक पुरुष के रूप में देखते हैं। विषय के प्रतिपादन में इसनी स्वाभाविकता उत्पन्न कर देता याज्ञवल्क्य को ही प्रतिभा का कार्य था। वह यज्ञ-पुरुष नग्न नहीं रहना चाहता। नग्न रहने से उसे सज्जा का अनुभव होता है। नग्नता को दूर करने के लिए वह स्वयं कहता है। लौकिक मनुष्य के समान वह धूल-प्यास से भी ध्याकुल हो उठता है। अधोलिखित उद्धरण में इसका प्रतिपादन सुष्ठु रूप से हुआ है—

'स ह्येव यज्ञ उवाच । नग्नताया वै विभेमोति का ते नग्नतस्यभित एव मा परिस्तृणीयुरिति तस्मादेहदृष्टिभ्रमभितः परिस्तृणन्ति तृष्णायार विभेमोति का ते तृप्तिरिति आह्नाणस्येव तृप्तिमनुतृष्येयमिति तस्मात्स स्थिते यज्ञे ब्राह्मणं संप्रयितव्यं ब्रूयाद्यज्ञमेवेतत्सर्ष्वयति ॥' (शत० ब्रा० १।७।३।२८) इस प्रकार बहिस्तरण से यज्ञ-पुरुष की नग्नता तथा ब्राह्मण तृप्ति से उसकी तृष्णा को दूर किया जाता है। याज्ञवल्क्य ने यज्ञ-पुरुष के पूर्ण रूप की संरचना में अनेक स्थलों पर पात्रों को यज्ञाय कहा है। उन्होंने यज्ञ की स्वर्गीय समृद्धि के लिए अग्निकल्प का, अपौरुषेय कर्म में मानुष कर्म सम्पादन का विशेष किया है।

यज्ञ-सम्पादन के समय प्रत्येक यज्ञ सम्पादक को किसी न किसी काय म ध्यान रखना चाहते हैं। कठिन नियमों के सम्पादन से यज्ञ-समय में कभी पड़ सकती है अतः कठिन नियम-पालन पर उन्होंने यथोचित बल दिया है। तत्की दृष्टि में बड़े-छोटे प्रत्येक यज्ञीय कर्म का समान महत्त्व है।

एक याज्ञिकाचार्य को यज्ञ-सम्पादन में सर्वद्वय औचित्य का ध्यान रखना चाहिए। याज्ञवल्क्य इस दृष्टि से भी खरे उतरते हैं। वे कानगत औचित्य की दृष्टि में रखकर यज्ञ तथा यज्ञांग सम्पादन के उचित समय का विधान करते हैं। देवगत औचित्य को ध्यान में रखकर द्रव्य-स्थापन, द्रव्य-पाक, वस्तु-प्रक्षेपण, अभिषेक के लिए उचित देश (स्थान) का निर्देश करते हैं। पात्रगत औचित्य की दृष्टि से याज्ञवल्क्य विहित देवता के लिए ही विशिष्ट द्रव्य-प्रदान का औचित्य बताते हैं। उन्होंने वस्तुगत औचित्य को भी ध्यान में रखा है। वे किसी भा कर्म में प्रयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोग का औचित्य देखते हैं। याज्ञवल्क्य प्रत्येक कर्म के लिए उपयुक्त वस्तु के चयन में कुशल हैं। अन्य बातों का साथ ही साथ याज्ञवल्क्य यज्ञों और यज्ञांगों के सम्पादनक्रम को भी महत्त्व दत्त है। किस कर्म के पश्चात् किस कर्म-सम्पादन का औचित्य है, याज्ञवल्क्य की इसका पूर्ण ज्ञान था।

याज्ञवल्क्य ने अनौचित्य का भी ध्यान रखा है। यज्ञ-सम्पादन में किसी भी प्रकार का अनौचित्य-प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। एक याज्ञिकाचार्य का परम कतव्य होता है कि वह अनौचित्यों को दूर करने का यथासक्य प्रयास करे और यज्ञ-विधि के औचित्य की रक्षा करे। याज्ञवल्क्य स्थान-स्थान पर नियमोत्सर्जन से उत्पन्न होने वाले अनौचित्य को दूर करते हैं। वे यज्ञ-मार्ग में व्युत्पन्न कर्मों वाले कर्मों का निरादर करते हैं अथवा अनौचित्य प्रदर्शन होता है जिसका कोई महत्त्व नहीं है। वे यज्ञ के निपरीत किये जाने वाले तथा यज्ञ के अतिरिक्त किये जाने वाले कर्मों का अनादर करते हैं।

याज्ञवल्क्य स्वमत पृष्टि के लिए कारणों की प्रस्तुत करने में क्षुब्ध पद का अभिव्यक्ति करते हैं। इसी के बल पर ही तो वे महत्त्वपूर्ण कार्य करने पर भी कड़ों के व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं देखते। वे यज्ञ-विज्ञान में शब्दों के प्रयोग-से पूरा प्रत्येक शब्द के प्रयोग-औचित्य पर भी सम्यक् विचार करते हैं। यज्ञ विधि के लिए याज्ञवल्क्य यज्ञ-विज्ञान में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का महत्त्व समझते हैं। वे शब्द-चयन में कुशल हैं। उन्हें विशिष्ट अर्थ के धीतनाथ विशिष्ट शब्द का पूर्ण ज्ञान है। याज्ञवल्क्य ज्ञान की अधिक महत्त्व देते हैं। ज्ञान से अनेक विकल्पों का समाधान हो जाता है। अतः यज्ञ-विधियों में यज्ञ-तत्त्व

यज्ञका समुचित उपयोग हुआ है याज्ञिक यज्ञ में जुगुप्सा का कोई स्थान नहीं है उसके प्रति जुमुष्मा करने में यज्ञ में सम्पन्नता नहीं आ पाती। यज्ञ-सम्पादन में विलम्ब के कारणों के लाघव को महत्त्व देते हैं। प्रयत्न-लाघव के साथ स्थान लाघव को भी समुचित स्थान प्राप्त हुआ है। किसी मन के प्रतिपादन से पूर्व याज्ञवल्क्य अन्य आचार्यों द्वारा प्रतिपादित मतों का मूल्यांकन करते हैं। इससे यह पूर्णरूपेण सिद्ध हो जाता है कि उनका बौद्धिक पक्ष कितना विकसित था।

याज्ञवल्क्य द्वारा प्रतिपादित भक्तभेदों में व्यावहारिकता को भी उचित स्थान मिला है। याज्ञवल्क्य लोक-व्यवहार तथा प्राकृतिक व्यवहारों के प्रति समादर की दृष्टि रखते हैं। वे यज्ञ-देवता और मन्त्र में अक्षीण सम्बन्ध बने रहने के लिए सतत प्रयत्नशील दीख पड़ते हैं। वे व्यावहारिकता के रक्षार्थ ही धनयाज्ञक्य का विचार करते हैं। किसी वस्तु की उपयोगिता और अनुपयोगिता का पूर्ण ध्यान रखते हैं। वे व्यर्थ में ही बुद्धि व्यायाम को महत्त्व नहीं देते। याज्ञवल्क्य व्यावहारिकता की रक्षा के लिए भेद-दृष्टि का तिरस्कार करते हैं। यज्ञ-विधि में सौकर्य उत्पन्न करने के लिए याज्ञवल्क्य अन्य आचार्यों द्वारा विहित विधि-सम्पादन में अबरौघक नियम रूप बन्धनों को उपेक्षा करते हैं। उनका यह विचार है कि नियम-विधान यज्ञ-विधि के सौकर्य में बाधक न बनकर साधक बनना चाहिए। सौकर्य के लिए ही वे समुचित कार्य-विभाजन करते हैं। वे प्रत्येक यज्ञ-सम्पादक के लिए सुविधानुसार कार्य में निर्धारण करते हैं। याज्ञवल्क्य का यज्ञ-विधियों में सौकर्य के लिए विषय के स्पष्ट प्रतिपादन का भी ध्यान रखा है।

उपर्युक्त विशेषताओं के साथ-साथ याज्ञिकाचार्य में सर्व-मंगल की दृष्टि बनी चाहिए जो याज्ञवल्क्य में समुचित रूप से वर्तमान है। याज्ञवल्क्य सबका कल्याण चाहते हैं। वे मंगल के लिए शक्ति की स्थापना करते हैं। वे यज्ञमान के लिए उन्हीं कर्मों के सम्पादन का विधान करते हैं जिनसे यज्ञमान की अधिकाधिक फल-प्राप्ति हो सके। याज्ञवल्क्य यज्ञ-सम्पादकों पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं आने देना चाहते। जिन कर्मों के सम्पादन से कोई दुःख या आपत्ति आ सकती है उसको यज्ञ-विधि में स्थान ही नहीं प्रदान करते। वे यज्ञ-सम्पादन के समय सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं। जिन कर्मों के सम्पादन से यज्ञ-सम्पादक को आघात पहुंच सकता है, उन कर्मों के वर्जनार्थ वे सतत प्रयत्नशील रहते हैं।

याज्ञवल्क्य विषय की रीचक तथा विविष्ट विषयों को स्पष्ट करने के लिए आशयानों का उपयोग करते हैं। वे आशयान अनेक दृष्टियों में महत्त्वपूर्ण हैं।



हैं। वे यज्ञ को अनेक देवों के रूप में देखते हैं। इसीलिए ब्रह्म को यज्ञ बताते हैं। (शत० ब्रा० ५।३।२।४) उनके विचार से प्रजापति प्रत्यक्ष यज्ञ ही हैं। (शत० ब्रा० ४।३।४।३) वे यज्ञ को ही विष्णु और आदित्य के रूप में देखते हैं। (शत० ब्रा० १।४।१-१।६) वे यज्ञ को वायु (शत० ब्रा० १।६।२।२८) एवं अग्नि के (शत० ब्रा० २।१।४।१६) रूप में देखते हैं। याज्ञवल्क्य यज्ञ पुरुष की कल्पना करते हैं। वे देवताओं के अंगों द्वारा निर्मित यज्ञ के पूर्ण रूप का दर्शन करते हैं। उदारहणस्वरूप इन्द्र यज्ञ की आत्मा (शत० ब्रा० ९।५।१।२३) तथा सैत्रावरुण मन हैं (शत० ब्रा० १२।८।२।२३) वे यज्ञ-सम्पादकों को यज्ञांग मानते हैं। यज्ञमान यज्ञ की आत्मा (शत० ब्रा० १।५।२।१६) एक स्थल पर तो अध्वर्यु को यज्ञ का पूर्वाह्न तथा यज्ञमान पत्नी को जघनार्द्ध बताते हैं। (शत० ब्रा० ४।४।२।९) अन्यत्र यज्ञमान को ही यज्ञ बताते हैं। (शत० ब्रा० १३।२।२।१) यज्ञ पशु है। (शत० ब्रा० ३।१।४।६) वे पक्षी (शत० ब्रा० ४।१।२।२५) के रूप में भी यज्ञ का दर्शन करते हैं जिनमें उपांशु और अन्तर्यामि उसके पक्ष एवं उपांशु मवन उसकी आत्मा (मुख्य शरीर) है। वे यज्ञ-पात्रों को यज्ञ-पुरुष के अंग रूप में कल्पना करते हैं। हविर्धान (शत० ब्रा० ३।५।३।२) तथा उखा (शत० ब्रा० ६।५।३।८) को यज्ञ-सिर मानते हैं। अंशु-ग्रह यज्ञ का नेत्र और अदाभ्य ग्रह यज्ञ का श्रोत्र है। पुनः इन्हीं को क्रमशः यज्ञ का शरीर एवं यज्ञ की वाणी कहा गया है। (शत० ब्रा० १।१।५।६।२) उपांशु ग्रह यज्ञ-पुरुष का मुख है। (शत० ब्रा० ५।२।४।१७) यज्ञ-पुरुष की जिह्वा तथा दण्ड एवं उपल उसके हनु (जबड़) हैं। (शत० ब्रा० १।२।१।१७) याज्ञवल्क्य यज्ञ-पुरुष की शिखा का भी ध्यान रखते हैं। इसीलिए श्रोत्रिय लोगों की शिखा की भाँति यज्ञ-पुरुषकी भी लम्बी और मोटी शिखा की कल्पना करते हैं। वे धूप को ही यज्ञ-पुरुष की शिखा मानते हैं। (शत० ब्रा० २।५।३।४) ध्रुवा को यज्ञ का मुख्य शरीर (शत० ब्रा० १।४।५।५), उपयमनी को यज्ञ का उदर (शत० ब्रा० ३।५।३।४) ध्रुवा को यज्ञ का मुख्य शरीर (शत० ब्रा० १।४।५।५), उपयमनी को यज्ञ का उदर (शत० ब्रा० १।४।२।१।१७) एक ही स्तूक् को यज्ञ के दो बाहु (शत० ब्रा० ७।४।१।३६) बताते हैं। उलूखल और मुसल यज्ञ के प्रजननावयव हैं (शत० ब्रा० ७।५।१।३८)

याज्ञवल्क्य यज्ञ में प्रयुक्त द्रव्यों को भी यज्ञ मानते हैं। यज्ञ-हविष् यज्ञ है (शत० ब्रा० १।६।३।३६), जल यज्ञ है (शत० ब्रा० ३।८।५।१), घृत यज्ञ है (शत० ब्रा० १२।८।२।१५)। याज्ञवल्क्य छन्द को भी यज्ञ मानते हैं। (शत० ब्रा० ८।४।३।२) वे मानिय वृक्षों को भी यज्ञ के ही रूप में देखते हैं। उदाहरण स्वरूप—विककत यज्ञ है (शत० ब्रा० १।४।१।२।२५) इस प्रकार द्रव्य, देवता और

यद्यपि सब कु-यज्ञ ही के विभिन्न स्वरूप हैं यह अष्टमम कम है शत-  
 ३० १११४ अथ यजुष तथा सामन्त लयी विद्या यज्ञ है । (अन० ब्रा०  
 ११४३ उपयुक्त विविध उद्धारणों के आधार पर यह विधिवत् ज्ञान ही प्राप्त  
 है कि याज्ञवल्क्य यज्ञ के विराट् रूप का दर्शन कर चुक था ।

### (३) ब्रह्मवेत्ता

याज्ञवल्क्य याज्ञिकाचार्य होने के साथ-साथ ब्रह्मवेत्ता भी थे । यह बात  
 शाकल्य के संवाद से ही स्पष्ट हो जाती है । शाकल्य को पराश्रित करने की  
 तथा ऋतपथ ब्राह्मण (११।६।१।१२) में तथा और बड़ाकर बृहदारण्य कोपनिषद्  
 (बृ २।६।१।२६) में की गयी है—

विदेह के राजा इनक ने एक यज्ञ किया । उसमें उन्होंने अग्नि और  
 नित्य दक्षिणा का भी विधान किया । सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण (अथ जानामि ब्राह्मण )  
 को एक हजार गायें देना निश्चित किया । याज्ञवल्क्य ने अपने एक शिष्य को  
 गायों की घर ले चलने के लिए आदेश दिया । इस ज्ञान से कुछ हुए अन्य  
 ब्राह्मणों ने कहा—'हे याज्ञवल्क्य ! हम लोगों में क्या सुन्ही अहिष्ठ हो ?' याज्ञवल्क्य  
 ने उत्तर दिया—'आप लोगों में जो अहिष्ठ हो उसे समझाकर है, हमें तो केवल  
 कार्य चाहिए ।' याज्ञवल्क्य द्वारा उपहास किये जाने पर उन ब्राह्मणों ने परस्पर  
 मन्त्रणा की किन्तु उन्हें याज्ञवल्क्य की समझ का कोई धारणा नहीं दिखायी  
 पड़ा । अन्त में शाकल्य ब्रह्मवाद करने के लिए तैयार हुए । शाकल्य ने देवताओं  
 के विषय में प्रश्न किया—'अग्निहोत्र आदि क्रमों में हविष्-धोवन के रूप में  
 कितनी संख्या में देवता होते हैं ?' याज्ञवल्क्य ने देवताओं की संख्या 'तीन ही  
 तीन 'और' तीन हजार तीन' अर्थात् 'तीन हजार तीन ही' बताया । पुनः  
 पूछने पर देवताओं की संख्या 'तीन' बताया । पुनः 'उनकी संख्या क्रमशः 'तीन,  
 'दो', 'एक' और अन्त में 'एक' कहा । वह एक देव है प्राण । याज्ञवल्क्य ने निर्देश  
 दिया कि 'तीन ही तीन' और 'तीन हजार तीन' यह तो देवों की महिमा है ।  
 वास्तव में देवता 'तीन' ही—अग्नि, वायु, सारह रुद्र, आरह आदि, इन्द्र  
 एवं प्रजापति सम्मिलित हैं । आठ वसुओं में अग्नि, वृषवी, वायु, अन्तरिक्ष,  
 वायु, देव, चन्द्रमा और सप्तर्षि हैं । सम्पूर्ण धोनों की बसाने के कारण इनका  
 नाम 'वसु' पड़ा । सारह रुद्रों में दस प्राण और एक आत्मा है । इन्हें रुद्र कहने  
 का कारण यह है कि ये सर्व शरीर से निकल कर वसु-आत्माओं को बनाते हैं ।  
 आदित्यों के विषय में शाकल्य द्वारा प्रश्न करने पर याज्ञवल्क्य ने बताया कि  
 वे के बावजूद मान ही आदित्य हैं । इन्हें आदित्य कहने का कारण यह है कि  
 वे सम्पूर्ण जगत्-आत्मक वसु का समूह हैं । उन्होंने परमेश्वर रूप में

को इन्द्र एवं पूषमास तथा वज्रयज्ञो को प्रजापति' बताया। गरुडने को वज्र तथा पशु को 'यज्ञ' बताया तीन देवों में तीन लोकों को, दो देवों में अपान और प्राण को एवं डेढ़ देवों में 'वायु' को तथा एक देव में 'प्राण' बताया। शाकल्य न जब प्रश्न पूछना बन्द कर दिया तब याज्ञवल्क्य ने देवताओं के विषय में जानत हुए भी अतिक्रमण कर प्रश्न पूछने के कारण शाकल्य को आगामिनी निधि से पूर्व ही मृत्यु-प्राप्ति का शाप दिया तथा यह भी कहा—'तुम्हारी अस्थियाँ भी तुम्हारे घर न पहुँच सकेंगी।' तत्पश्चात् जनक ने ब्रह्मिष्ठ को गृह बनाने के उद्देश्य से एक सभा का आयोजन किया जिसमें अनेक ब्राह्मणों के साथ याज्ञवल्क्य का विवाद हुआ। याज्ञवल्क्य ने सब प्रश्नों का उत्तर दिया। पुनः याज्ञवल्क्य ने शाकल्य से प्रश्न किया किन्तु वे उत्तर देने में असमर्थ रहे। परिणामस्वरूप शाकल्य का सिर विच्छिन्न होकर भूमि पर गिर पड़ा और उनकी मृत्यु हो गयी। पूर्व शाप के कारण शिष्यों द्वारा अस्थियों को उनके घर ले जाते समय घोरों ने धन समझ कर उनकी अस्थियों को चुरा लिया। इस प्रकार उनकी अस्थियाँ भी उनके घर न पहुँच सकीं।

याज्ञवल्क्य-गार्गी वाचकनवी के संवाद से उनकी ब्रह्मिष्ठता का पूर्ण परिचय प्राप्त हो जाता है। विदेह जनक ने बहु दक्षिणा सम्बन्धी यज्ञ किया। उसमें कुरु और पंचाल देशों के परम प्रसिद्ध विद्वान् ब्राह्मण एकत्र हुए। तब राजा जनक को यह जानने की शीघ्र इच्छा हुई कि इन उपस्थित मान्य ब्राह्मणों में कौन सा अति ब्रह्मवेत्ता है? ऐसा विचार कर उन्होंने, जिनके प्रत्येक सींग में दस-दस पाद स्वर्ण बंधा हुआ था ऐसी एक हजार गौओं को मोशाला में एकत्र करवाया। (बृ० उ० ३।१।१) जनक ने ब्रह्मिष्ठ को गायों को घर ले जाने का आदेश दिया। अन्य ब्राह्मणों के न कहने पर याज्ञवल्क्य ने अपने प्रिय शिष्य सामश्रवा से कहा 'हे शिष्य तू इन गायों को मेरे घर ले जा।' आदेश पाकर सामश्रवा सब गौओं को लेकर याज्ञवल्क्य के वाश्रम की ओर चला। ब्राह्मणों द्वारा इस बात से सहमत न होने पर ब्रह्मवाद प्रारम्भ हुआ। सर्वप्रथम जनक के होता अश्वत्थ ने प्रश्न किया, पुनः जारत्कारव आर्तभाग, भृङ्ग्युर्लाहं यायनि तथा उपस्त चाक्रामण आदि ब्राह्मणों ने प्रश्न पूछा। इनके पश्चात् गार्गी के साथ याज्ञवल्क्य का संवाद महत्त्वपूर्ण है जिसका निर्देश अधोलिखित पंक्तियों में किया जा रहा है—गार्गी ने प्रश्न किया कि हे याज्ञवल्क्य आ ये भूः आदि सब लोक या पदार्थ जल में ओत-प्रोत हैं, वह जल किसमें ओत-प्रोत है? यह मेरा प्रश्न है।

याज्ञवल्क्य—हे गार्गी, यह सब जल अपने कारण वायु में ओत-प्रोत है।

गार्गी—वह वायु किसमें ओत-प्रोत है?

याज्ञवल्क्य—हे गार्गी अन्तरिक्ष लोक में ।

गार्गी—वे अन्तरिक्ष लोक किसमें ओत-प्रोत है ?

याज्ञवल्क्य—हे गार्गी गन्धर्व लोक में ।

गार्गी—वे गन्धर्व लोक किसमें ओत-प्रोत है ?

याज्ञवल्क्य—हे गार्गी, आदित्य लोक में ।

गार्गी—वे आदित्य लोक किसमें ओत-प्रोत है ?

याज्ञवल्क्य—हे गार्गी, चन्द्र लोक में ।

गार्गी—वे चन्द्र-लोक किसमें ओत-प्रोत है ?

याज्ञवल्क्य—हे गार्गी, नक्षत्र लोक में ।

गार्गी—वे नक्षत्र लोक किसमें ओत-प्रोत है ?

याज्ञवल्क्य—हे गार्गी, देव-लोक में ।

गार्गी—वे देव-लोक किसमें ओत-प्रोत है ?

याज्ञवल्क्य—हे गार्गी, इन्द्र-लोक में ।

गार्गी—वे इन्द्र लोक किसमें ओत-प्रोत है ?

याज्ञवल्क्य—हे गार्गी, प्रजापति लोक में ।

गार्गी—वे प्रजापति लोक किसमें ओत-प्रोत है ?

याज्ञवल्क्य—हे गार्गी ब्रह्म लोक में ।

गार्गी—वे ब्रह्म लोक किसमें ओत-प्रोत है ।

इस प्रश्न का उत्तर न देकर याज्ञवल्क्य बोले कि हे गार्गी, इस प्रकार जिन प्रश्नों की न पूछ, इस प्रकार प्रश्न करने पर तेरा मन्त्रक गिर पड़ेगा । मुन, सब लोक-लोकान्तरों का एकमात्र आधार ब्रह्म किसी के आश्रित नहीं है, प्रत्युत उसी में सब पदार्थ ओत-प्रोत हैं । अतः हे गार्गी, मैं फिर कहना है कि तू केवल शास्त्र से जानने योग्य ब्रह्मको तर्क द्वारा जानने की इच्छा मत कर । यह तुम्हारे गार्गी शू हो मधी । (वृ० उ० ३।६।७) इसके पश्चात् उद्दामक आश्रित से प्रश्न किया ।

गार्गी वाचकनी ने ब्राह्मणों से कहा—'हे माननीय पुरुष विद्वद्गण ! अब मैं याज्ञवल्क्य से दो प्रश्न पूछूंगी, यदि याज्ञवल्क्य मेरे इन दो प्रश्नों का उत्तर संतोषजनक दे सके तो आप लोगों में से कोई भी विद्वान् ब्रह्मवादी में उदामक जीत न सकेगा । इस प्रकार कहने पर ब्राह्मणों ने अनुमति देते हुए कहा कि हे गार्गी, पूछ (वृ० उ० ३।७।१)

याज्ञवल्क्य ने भी आज्ञा लेकर गार्गी से प्रश्न पूछा

हे याज्ञवल्क्य ! जो बुनाक के ऊपर है जो भूलोक के नीचे है तथा जो गलोक और भूलोक के मध्य में है और स्वयं भी जो ये बुलोक तथा पृथ्वी हैं और जिन्हें भूत, वर्तमान तथा भविष्य ऐसा कहते हैं, व किसमें ओत-प्रोत हैं ? (बृ० उ० ३।८।३)

याज्ञवल्क्य ने कहा—हे गार्गी, जो बुलोक के ऊपर, पृथ्वी लोक के नीचे और जो गलोक एवं पृथ्वी के बीच में है तथा स्वयं भी जो ये बुलोक एवं पृथ्वी हैं और जिन्हें भूत, वर्तमान एवं भविष्य ऐसा कहते हैं, सब आकाश में ओत-प्रोत हैं । (बृ० उ० ३।८।४)

गार्गी ने कहा—हे याज्ञवल्क्य ! आपको नमस्कार है कि आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया । अब आप दूसरे प्रश्न के लिए अपने को तैयार करें ।

याज्ञवल्क्य ने कहा—हे गार्गी, पूछ । (बृ० उ० ३।८।५)

गार्गी ने पूछा—हे याज्ञवल्क्य ! आकाश किसमें ओत-प्रोत है ?

याज्ञवल्क्य ने उत्तर में कहा—हे गार्गी वह भविनाशी है जिसमें कि आकाश ओत-प्रोत है, वह न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न छोटा है, न बड़ा है, न लाल है, न द्रव है, न छाया है, न तम है, न वायु है, न आकाश है, न संय है, न रम है, न गंध है, न नेत्र है, न श्रोत्र है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न परिमाण है, उनमें न अन्तर है, न बाहर है, न वह कुछ खाता है और न कोई पदार्थ उसको खाता है । हे गार्गी, इस प्रकार ब्रह्मवेत्ता कहते हैं । (बृ० उ० ३।८।६)

हे गार्गी, इसी अक्षर की आज्ञा में सूर्य तथा चन्द्रमा नियमित होकर स्थित हैं, इसी अक्षर की आज्ञा में स्वर्ग और पृथ्वी, दिन-रात, अर्धमास ऋतु और सबन्तरादि नियमित हुए स्थित हैं । हे गार्गी, इसी अक्षर की आज्ञा में कुछ नदिया बर्फीले पहाड़ों से निकल कर पूर्व दिशा की तथा अन्य नदिया पश्चिम दिशा की बहती हैं अर्थात् जो-जो नदियाँ जिस दिशा को जाती हैं उस उस दिशा की तरफ़ छोड़ती हैं । हे गार्गी, निःसन्देह इसी अक्षर की आज्ञा में मनुष्य ज्ञान देने वालों की प्रशंसा करते हैं और देवगण यज्ञमान के अनुगामी होते हैं तथा पितृगण दर्वीहोम के अधीन होते हैं । (बृ० उ० ३।८।६) हे गार्गी ! यही यह अक्षर अदृष्ट होते हुए भी द्रष्टा है, अश्रुत होते हुए भी श्रोता है, असन्ता होते भी मन्ता है और स्वयं अधिजात होते हुए भी सब का विजाता है । उसमें पाक और कोई दूसरा द्रष्टा नहीं है, इसमें भिन्न और कोई श्रोता नहीं है, इसमें पृथक्

और कोई दूसरा विज्ञाना नहीं है। ह गोग नि सन्दह इस प्रखर म साकाश  
 ओत प्रोत है (व० उ० ३ ८।११)

गार्गी ने कहा—'पूज्य ब्राह्मणो ! आप लोग इसी को अधिक समझें कि इन  
 याज्ञवल्क्य को नमस्कार कर आप लोग छुटकारा पा जायें निःसन्देह आप लोगों  
 से कोई भी कभी इन ब्रह्मवादी याज्ञवल्क्य को जीत न सकेगा। इस तरह कह  
 कर पुनः वचन कुन्या गार्गी चुप हो गयी। (व० उ० ३।८।१२) इन उपाख्यानो  
 से यह स्पष्ट हो जाता है कि याज्ञिकाचार्य होने के साथ ही साथ याज्ञवल्क्य एक  
 उच्चकोटि के ब्रह्मवेत्ता एक तत्त्वज्ञानी थे।

(४) समाजवेत्ता

याज्ञवल्क्य समाज की गति-विधि से पूर्ण परिचित थे। समाज के वे जिनने  
 निकट थे यह तो इसी से जाना जा सकता है कि उन्होंने अनेक यज्ञों में ब्रह्म  
 का कार्य किया। विद्वत्समाज में उनकी प्रतिभा का यथेष्ट सम्मान था। समाज  
 से सम्बन्धित विचारों, रहन-सहन, अनेक कृदियों का उन्हें पूर्ण-रूपेण ज्ञान था  
 जिनका निर्देश मतभेद के स्थलों में स्थान-स्थान पर किया गया है। वे यज्ञ-  
 विज्ञान को भी एक समाज ही मानते हैं। यज्ञ-विज्ञान को समाज के साथे में  
 ब्रह्मने के लिए याज्ञवल्क्य ने कोई भी श्रम उठा नहीं रखा। यह अत्युक्ति न  
 होगी कि यज्ञ-विज्ञान के विस्तृत क्षेत्र के ब्रह्मसोकनार्थ याज्ञवल्क्य ने समाज  
 रूपी धूरदर्शन यन्त्र का प्रयोग किया है। यज्ञ-विज्ञान के परम ब्रह्म याज्ञवल्क्य  
 उसके प्रत्येक यन्त्र से परिचित है। उन यन्त्रों से परिचित ही नहीं, अपितु यदि  
 कहीं वे यन्त्र टूट गये, खराब हो गये तो उन यन्त्रों को बनाने के लिए वे एक  
 कुशल वाक्त्रिक भी हैं। वे वाक्त्रिक समाज में भी लोकिक समाज जैसा व्यवहार  
 चाहते हैं। पत्नी-संवाज के प्रसंग में जब गार्ह-पत्यागार में होम होता है, उस  
 समय वेदी के पश्चिम अर्थात् वेदी और गार्हपत्य के बीच अस्तछानिकट रखना  
 चाहिए क्योंकि लोक-व्यवहार में भी स्त्रियां पुरुषों से पर्दा कर भोजन कहती हैं,  
 छनके सामने नहीं। यज्ञों को तात्कालिक समाज के साथे में ब्रह्मने के अद्वितीय  
 प्रयास में याज्ञवल्क्य को अमर बना दिया है। वेदी को स्त्री बनवा कर उन्होंने  
 यज्ञ में सजीवता ला दी है।

'शोषा वै वेदिर्व्युपाग्निः परिगृह्य वै योषा व्युपाशां गेने  
 मिथुनमेकतप्रजननं क्रियते तस्मादमितोऽग्निं सा जन्वयति ।'

(मत्त० ब्रा० १।२।५।१५)

वेदों की स्त्री के आकार वाली ब्रह्मणी है

मा चै पञ्चाद्वरीयसौ स्यात् । मध्ये स ह्यारिता पुनः  
 पुरस्तादुर्ध्वमिव हि गोपां प्रसंसन्ति पृथुश्रोणिविवृष्टान्तरा-  
 सा मध्ये संघ्राह्येति जृष्टामेवैनामेतद्देव्यः करोति ।

(शत० ब्रा० १।२।१।१६)

तात्पर्य यह कि देवी के दोनों अंस उन्नत होने चाहिए, मध्य में पतली  
 होनी चाहिए । उमका पिछला भाग अधिक होना चाहिए । कालिदास ने भी इसी  
 प्रकार मालविकाग्निमित्र और मेघदूत में स्त्री के लिए इसी प्रकार के लक्षण  
 बताये हैं ।

“.....बाहू नतावंसयो :”

सहस्रं पार्श्वमितो बितम्बि अघनं पादा व रालङ्गुली ।

(मालविकाग्निमित्रम् २।१७)

मेघदूत में—

‘मध्ये ज्ञाया’ (उत्तरमेघ २२)

कहकर कालिदास ने स्त्री के कटि प्रदेश को देवी के कटि प्रदेश के समान ही  
 क्षीण बताया है :

यज्ञ को समग्र के समीप ले आना याज्ञवल्क्य की ही प्रतिभा का कार्य था ।  
 याज्ञवल्क्य लौकिक समाज के साथ ही साथ याज्ञिक समाज को भी सादर्श रूप में  
 देखना चाहते थे ।

## (१) अद्वितीय विज्ञातृ

याज्ञवल्क्य जानती तथा स्वाभिमानी थे । अपने ज्ञान पर उन्हें अनेकित गर्व  
 नहीं था किमके विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं उसे जानने के लिए उनके अन्दर प्रबल  
 जिज्ञासा थी जो एक सच्चे ज्ञानी के लिए मर्यादाशयक है क्योंकि—‘न सर्वैः सर्वं  
 ज्ञानाति ।’ इन विषय में भी एक उदाहरण पर्याप्त होगा—

‘एक रात्रि विदेह के राजा जनक भ्रमण करते हुए तीन ब्राह्मणों से मिले  
 जिनमें अरुण के पुत्र एबेलकेतु, सत्यव्रज के पुत्र सोमशुष्म, तथा याज्ञवल्क्य थे ।  
 जनक ने उनसे प्रश्न किया—‘आप लोग अग्निहोत होम कैसे मध्यमन करते हैं ?  
 उसे विधिबत् बताइए ।’ (शत० ब्रा० १।१।१।२।१)

एबेलकेतु, शार्ङ्गेय ने कहा—‘मैं अग्नि और आदित्य का परस्पर हेवन करता  
 हूँ । उद्योते अग्नि और आदित्य की धर्म और धर्म से अग्निहोत का सम्पादन

हीन मानाया। अतः हन करने का एक यह बताया कि इसका सम्पादन पञ्चास  
 षोडशीयान् तथा कीर्तिमान् होता है और यज्ञकालमान हीन पर यह इन दोनों  
 (सूर्य एवं अग्नि, के सामुद्रम तथा मन्वीकता) को प्राप्त करता है। (अत० ब्रा०  
 ११।६।२।२)

इसके अनन्तर श्रीमद्भुक्त्य सारमयज्ञि ने कहा—

‘मैं तेज में तेज का हवन कर अग्निहोत्र का सम्पादन करता हूँ।’ आदिः  
 और अग्नि तेज है। उन्होंने सामंकाथ आदित्य को अग्नि में तथा प्रातःकाल अग्नि  
 को आदित्य में हवन करने का निर्देश किया। इसके फल के विषय में जनका  
 कथन है कि इस प्रकार हवन करने वाला पञ्चमान तेजस्वी तथा यज्ञस्वी होता है,  
 यह षोडशीयान् होता है तथा यह दोनों देवों (अग्नि, आदित्य) के सामुद्रम तथा  
 मन्वीकता को प्राप्त करता है। (अत० ब्रा० ११।६।२।३)

याज्ञवल्क्य ने अपने उत्तर में कहा—‘जनक ! जब मैं आहवनीय अग्नि का  
 गार्हपत्य से ले आता हूँ, उसी समय सामीप्य अग्निहोत्र को भी ग्रहण करता हूँ।  
 सब देव अस्त होते हुए आदित्य का अनुगमन करते हैं। वे (देवता) मेरी अग्नि  
 को उद्गत देखकर ‘निश्चय ही यह अग्निहोत्र-हवन करेगा’ इस अभिप्राय से पुनः  
 वापस आते हैं। तदनन्तर मैं मुक्, ज्व आदि पात्रों का मार्जन कर बेदी पर  
 रखता हूँ। अग्निहोत्र गाय को बुहकर उन देवताओं को तार्जनी करता हूँ।  
 प्रत्यक्ष रूप से उन्हें प्रसन्न करता हूँ।’

इस प्रकार याज्ञवल्क्य द्वारा अग्निहोत्र का स्वरूप बतलाने पर जनक ने  
 कहा—‘याज्ञवल्क्य ! आपने अतिमम रूप से अग्निहोत्र के स्वरूप पर विचार किया  
 है। आप जैसे विद्वान् के लिए मैं ही मायो का पारितोषिक देता हूँ।’ (अत० ब्रा०  
 ११।६।२।४)

जनक ने याज्ञवल्क्य से कहा—‘आप अग्निहोत्र की दोनों आहुतियों  
 (सामंकाथिक एवं प्रातःकाथिक) के उपक्रमण, अग्निहोत्र और प्रत्युत्थायी लोक को  
 नहीं जानते हैं।’ तब याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया—‘यद्यपि हवन कर जनक ने अपनी तमगी  
 ही जो अज्ञान तथा...’ (अत० ब्रा० ११।६।२।५)

इस प्रकार याज्ञवल्क्य (याज्ञवल्क्य, अ० ११।६।२।५) ने अन्तर्गत विचार-  
 विमर्श किया—‘इस प्रातःकाल में विचार ही यज्ञ के विषय में हम लोगों में बढ़ कर  
 ज्ञान-मार्ग में गया। अतः उसे अग्निहोत्र-हवन के लिए चुनीं ही आय जिनमें  
 यह प्रयोजित होगी।’



याज्ञवल्क्य ने कहा—‘यदि इसको ब्रह्मवाद में पराजित कर दोगे तो मैं कैसे कहेंगे कि पराजित किया है कदाचित् यह हम लोगों को पराजित कर तो लोग कहेंगे कि एक अत्रिय ने ब्राह्मणों को पराजित कर दिया। अतः उस ब्रह्मवाद के लिए बुलाना उचित नहीं। ‘याज्ञवल्क्य अग्निहोत्र को पूर्णरूपे जानना चाहते थे। उन्होंने जनक के मतानुसार अग्निहोत्र को सम्यक् रूप से जान के लिए सम्भव उपाय सोचना प्रारम्भ किया। इसके पश्चात् महर्षि याज्ञवल्क्य रथारूढ़ होकर शीघ्र ही जनक के पीछे पीछे हो लिये।

जनक ने याज्ञवल्क्य को आया हुआ देखकर कहा—‘याज्ञवल्क्य ! आऽ अग्निहोत्र जानने के लिए आये हैं ?’

याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया—‘हां सम्राट्, अग्निहोत्र ही जानने के लिए आया हूँ।’ (शत० ब्रा० ११।६।२।५)

जनक ने याज्ञवल्क्य को अग्निहोत्र बताना प्रारम्भ किया—

‘दोनों (सायं और प्रातः कालिक) आहुतियों का हवन होने पर वे ऊपर जाती हैं, अन्तरिक्ष में प्रविष्ट होकर उसे अपनी आहवनीय अग्नि बनाती हैं। वायु को समिधा तथा सूर्य की रश्मियों को अपनी निर्मल आहुति बनाती हैं। इस प्रकार की दोनों आहुतियां अन्तरिक्ष-लोक को तृप्त करती हैं। (शत० ब्रा० ११।६।२।६) अन्तरिक्ष से दोनों आहुतियां ऊर्ध्वगामिनी होकर स्वर्ग में प्रविष्ट होती हैं और उसे अपनी आहवनीय अग्नि, सूर्य को समिधा एवं चन्द्रमा को निर्मलाहुति बनाती हैं। वे स्वर्ग को तृप्त कर वहां से वापस आती हैं। (शत० ब्रा० ११।६।२।७) वे प्रत्यावर्तित होकर पृथ्वी में प्रवेश करती हैं तथा उसे अपनी आहवनीय अग्नि, अग्नि को समिधा एवं ओषधियों को निर्मल आहुति बनाती हैं। (शत० ब्रा० ११।६।२।८) इस प्रकार ये आहुतियां इस पृथ्वी को तृप्त करती हुई पुनः पृथ्वी से ऊर्ध्व-गमन करती हैं। ऊर्ध्व गमन कर पुरुष में प्रवेश करती हैं, उसके मुख को आहवनीयाग्नि उसकी जिह्वा की समिधा तथा अन्न को आहुति बनाती हैं। वे पुरुष को तृप्त करती हैं। यह जानते हुए जो व्यक्ति अन्न-भक्षण करता है वह अग्निहोत्र ही सम्पन्न करता है। (शत० ब्रा० ११।६।२।९) दोनों आहुतियां वहां से ऊपर जाकर स्त्री में प्रविष्ट होती हैं। स्त्री की गोद को अपनी आहवनीयाग्नि, यौनि को समिधा तथा वीर्य को निर्मलाहुति बनाती हैं। वे स्त्री को तृप्त करती हैं। इसे जानते हुए मैथुन-कर्म करने वाला निश्चय ही अग्निहोत्र का सम्पादन करता है। (शत० ब्रा० ११।६।२।१०) इसके अनन्तर पुत्रोत्पत्ति प्रत्युत्पन्नशील लोभक है। यह अग्निहोत्र ही याज्ञवल्क्य। इतना बताने के

‘शचात् अन्ध कुछ विशेष नहीं है।’ (शत० ब्रा० ११।६।२।१०) इस प्रकार जनक द्वारा अग्निहोत्र का विशेष स्वरूप सुनकर सन्तुष्ट हुए महर्षि याज्ञवल्क्य ने उन्हें वर दिया।

सम्राट् जनक ने कहा—‘याज्ञवल्क्य! आप मुझे यह आदेश दें कि मैं स्वेच्छापूर्वक आपसे प्रश्न पूछ सकूँ।’ उस समय से जनक ब्रह्मवेत्ता हो गये। शत० ब्रा० ११।६।२।१०) इस उद्धरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि याज्ञवल्क्य ज्ञानामृत के पिपासु थे।

### (५) भाषा-विज्ञानवेत्ता

याज्ञवल्क्य सफल याज्ञिकाचार्य, यज्ञ के तिराट् रूप के द्रष्टा, ब्रह्मवेत्ता, सामाजिक तथा जिज्ञामु होने के साथ ही साथ एक भाषाविद् के रूप में भी प्रतीत होते हैं। वे उपयुक्त शब्द-चयन करते हैं। यज्ञ कर्म के समय ब्राह्मण हविष्कृत् का आह्वान करने के लिए ‘एहि,’ वैश्य हविष्कृत् के लिए ‘आगहि,’ राजन्य हविष्कृत् के लिए ‘आद्रव’ तथा शूद्र हविष्कृत् के लिए ‘आघ्राव’ शब्दों को प्रयुक्त करने का विधान करते हैं।

याज्ञवल्क्य को प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति का पूर्ण ज्ञान है। त्रिव्य प्रतिपादन के समय किसी महत्त्वपूर्ण शब्द के आ जाने पर उस शब्द की व्युत्पत्ति करने के अनन्तर ही आगे बढ़ते हैं। यज्ञ शब्द की व्युत्पत्ति अधोलिखित प्रकार से करते हैं—

‘अथ यस्माच्चिजो नाम। च्चन्ति वा एममेतद्यदभिवृद्धिनि  
उद्यदेनं तन्वते तदेनं जनयन्त स ज्ञायमानो जायते स यज्जायते  
तस्माद्यज्जो यज्जो नामैतद्यज्ज इति ॥ (शत० ब्रा० १।२।५।१०)

अधोलिखित पंक्तियों में द्रव्य, देवता, छन्द से सम्बन्धित कुछ उदाहरण क्रमशः प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें पूर्णरूपेण ज्ञानास ही जायगा कि याज्ञवल्क्य भाषा में प्रयुक्त शब्दों के समझ थे। पुरोडाश की व्युत्पत्ति अधोलिखित रूप से करते हैं—

‘स वा एभ्यस्तत्पुरो ऽवाणयत्। य एभ्यो यज्ञं प्रारोचयत्सम्भा—  
त्पुरोडाशः पुरोडासो ह्येव नामैतद्यत्पुरोडाशऽइति।’ (शत० ब्रा० १।६।२।५)  
धर्म और प्रवर्य शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार करते हैं  
‘तद्यज्जुर्द्धिपतत्तस्माद्भर्मो ऽय यत्प्राबृज्यत तस्मात्प्रवर्यः ॥’

(शत० ब्रा० १।४।१।१।१०)

मय भद्र का निर्वचन अधोलिखित रूप स वरत है

'नमो देवा प्रसूवन् । न एतैः सर्वाः सपदानामोषधीरयुजत ।  
यदधुवन तस्माद्यथा नाम ।' (मत्त० ब्रा० ३।६।१।६)

सोम पद की व्युत्पत्ति अधोलिखित है—

'स्यो वै मऽप्येति तस्मात्सोमो नाम ।' (मत्त० ब्रा० ३।६।४।२२)

'वन्' की व्युत्पत्ति अधोलिखित है—

'एते हींसर्वे ध्वासयन्ते ते यदिदसर्वं व्वाभयन्ते तस्माद्धसव इति ।'

(मत्त० ब्रा० १।६।३।६)

मयवन् की व्युत्पत्ति इस प्रकार करते हैं—

'म ऽ उ ः एष मयः स विष्णुः । तत इन्द्रो मयवान्मयवान्ह वै तस्मिन्मयवा-  
नित्याशुक्षते परोऽस्य परोऽशकामा हि देवाः ॥

(मत्त० ब्रा० १।४।१।१।१३)

बृहस्पति और ब्रह्मणस्पति की व्युत्पत्ति क्रमशः इस प्रकार की गयी है—

'धाम्बे बृहती तस्या एष पतिस्तस्माद् बृहस्पतिः ।'

(मत्त० ब्रा० १।४।१।२२)

एत (प्राणः) उ एव ब्रह्मणस्पतिः । धाम्बे ब्रह्मा तस्या एष पतिस्तस्माद् बृ-  
हस्पतिः ।'

(मत्त० ब्रा० १।४।१।२३)

उग्र की व्युत्पत्ति अधोलिखित है—

'नाश्वस्मे प्रच्छदमंस्तासि यदरसा अच्छदमंस्तस्माच्छदांसि ।'

(मत्त० ब्रा० ८।५।२।१)

गायत्री का निर्वचन अधोलिखित है—

सा ह्रीषा गयीस्तते । प्राणा वै गयीस्तप्राणास्तते

तद्यद्वयंस्तते तस्माद् गायत्री नाम ।' (मत्त० ब्रा० १।४।८।१५।७)

जगती की व्युत्पत्ति इस प्रकार करते हैं—

'नदिदं सर्वं जगत्सर्वा ह्रीं सर्वं जगत् ।' (मत्त० ब्रा० ६।२।१।२६)

अनेक उद्धरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि याज्ञवल्क्य का प्रतिभा बहुमुखी थी। याज्ञवल्क्य ने यज्ञों द्वारा समाज को संवर्द्धित करने का स्तुत्य प्रयास किया है जिसमें उन्हें आभासीत सफलता मिली है। याज्ञिक-यज्ञों द्वारा विषय को स्पष्ट बनाकर ज्ञान-पिपासुओं के समक्ष रखना उनकी विद्वत्ता का परिचायक है। याज्ञवल्क्य ने याज्ञिक समाज को आदर्श समाज का रूप देने में सफल प्रयास किया है। विद्वत्समाज उनका सश विरक्षणी रहेगा।

-इति शुभम्।

## संक्षिप्तीकरण-तालिका

ऋ० स०	ऋग्वेद संहिता
शु० य० स०	शुक्ल यजुर्वेद संहिता
मै० स०	मैत्रायणी संहिता
तै० सं०	तैत्तिरीय संहिता
शत० ब्रा०	शतपथ ब्राह्मण
ऐ० ब्रा०	ऐतरेय ब्राह्मण
तै० ब्रा०	तैत्तिरीय ब्राह्मण
बृ० उ०	बृहदारण्यकापनिषद्
का० श्री०सू०	कात्यायन श्रौतसूत्र
म० भा०	महाभारत
वा० पु०	वायुपुराण
ब्रह्मा० पु०	ब्रह्माण्ड पुराण
म० पु०	मत्स्य पुराण
स्क० पु०	स्कन्द पुराण
भा०	श्रीमद्भागवत
S. B. E.	Sacred Books of the East
V. I.	Vedic Index for names and Subjects.
H. I. L.	History of Indian Literature
H. S. L.	History of Sanskrit Literature
H. A. S. L.	History of Ancient Sanskrit Literature
A. I. H. T.	Ancient Indian Historical Traditions